महानगर नई दिल्ली शनिवार 14 सितंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

दिल्ली में फिर सम-विषम

4-15 नंवबर तक योजना लागू होगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली में 4-15 नंवबर तक सम विषम नंबर की योजना लागू होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह व्यवस्था लागू होने से दिल्ली में प्रदूषण से निपटा जा सकेगा। सम विषम योजना लागू होने से 10-15 फीसद तक प्रदूषण में कमी आती है। योजना के तहत एक दिन सम नंबर व एक दिन विषम नंबर वाली गाड़ी सड़कों पर चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में दिल्ली एक मात्र ऐसा शहर है जहां पर प्रदूषण में कमी दर्ज की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दियों के दौरान पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस प्रदूषण से निपटने के लिए सात सूत्री कार्यक्रम पर दिल्ली सरकार काम करेगी। शहर में प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित 12 जगहों के लिए विशेष योजना भी इसमें शामिल है। अब तक दिल्ली सरकार ने दो बार सम विषम की व्यवस्था लागू की है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही की गई है। पहली बार 1 जनवरी से 9 जनवरी 2016 तक 6768 चालान और दूसरी बार 15 अप्रैल से 23 अप्रैल 2016 मे 5854 चालान किए गए थे।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह व्यवस्था लागू होने से दिल्ली में प्रदूषण से निपटा जा सकेगा।

सात सूत्रीय फार्मूले की मदद से प्रदूषण कम करने में जुटेगी सरकार

60 लाख मास्क की होगी खरीदारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि सम-विषम लागू करने की व्यवस्था आपात स्थिति में लागू होती है। इस समय में आसपास के राज्यों में पराली जलने के कारण **बाकी पेज 8 पर**

इस कदम की कोई जरूरत नहीं : गडकरी

नागपुर, 13 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से 15 नवंबर के बीच सड़क पर वाहनों की सम-विषम व्यवस्था लागू करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस कदम की आवश्यकता नहीं है। गडकरी ने नागपुर में सीएनजी केंद्र की स्थापना के बाद ये बातें कहीं।

गडकरी ने कहा कि अब इसकी (सम-विषम योजना की) कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो नई रिंग रोड बनाई है, उससे दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में काफी मदद मिली है। इसके अलावा, मेरा मंत्रालय 50 हजार करोड़ रुपए मूल्य की सड़क **बाकी पेज 8 पर**

पार्टी में बिगड़ते अनुशासन पर सोनिया ने की चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, महासचिवों की बैठक में पार्टी चुनाव घोषणापत्र के वादे लागू करने और पार्टी का दृष्टिकोण आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच टकराव की खबरों को लेकर पार्टी में बिगड़ते अनुशासन पर भी सोनिया गांधी ने बातचीत की। उन्होंने इस मामले में स्पष्ट निर्देश भी दिए। राज्यों में सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। बैठक में सरकार के कामकाज और संगठन के कामकाज को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। शुक्रवार को 10 जनपथ पर हुई बैठक में **बाकी पेज 8 पर**

राज्यों में सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति बनाई जाएगी।

राजकाज
ऐसे कैसे चलेगा!

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

गणेश विसर्जन के दौरान हादसों में 29 लोगों की मौत

भोपाल/मुंबई, 13 सितंबर (भाषा)।

गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में 29 लोगों की मौत हो गई। इनमें 11 लोगों की मौत मध्य प्रदेश के भोपाल में जबकि 18 लोगों की मौत महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में हुई है।

भोपाल में शुक्रवार तड़के गणपति विसर्जन के दौरान दो नावें पलटने से 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई। घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पुलिस ने नावों को चला रहे दो नाविकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल (शहर) के पुलिस उपमहानिरीक्षक इरशाद वली ने बताया कि यह घटना छोटे तालाब के खटलापुरा घाट पर शुक्रवार तड़के की है। हादसा तब हुआ, जब लोग गणपति प्रतिमा को विसर्जित करने गए थे। इन दो नावों में 17 लोग सवार थे। 11 शव निकाल लिए गए हैं। छह लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना में जान गंवाने वाले सभी लोग शहर के पिपलानी इलाके के रहने वाले थे। भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों की पहचान परवेज खान, रोहित मौर्य, हर्ष, करण, सन्नी ठाकरे, राहुल वर्मा, विक्की, विशाल, अर्जुन, राहुल मिश्रा व करण पन्नालाल के रूप में की गई है।

दिल्ली में भी डूबने से चार की गई जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

अलीपुर थाना क्षेत्र के बख्तावरपुर-पल्ला के पास गणपति विसर्जन के दौरान गुरुवार को यमुना नदी में डूबने से दो छात्राएं और दो छात्रों की मौत हो गई। घटना की जानकारी गुरुवार शाम करीब सवा आठ बजे स्थानीय पुलिस और दिल्ली अग्निशमन विभाग को मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस, दमकल विभाग के कर्मचारी, गोताखोर और सिविल डिफेंस के कर्मचारी सभी की तलाश में **बाकी पेज 8 पर**

शुक्रवार को चलाए गए तलाशी अभियान के बाद नदी से बाहर निकाले गए सभी के शव।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हादसे को बेहद दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 11-11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा **बाकी पेज 8 पर**

एससी/एसटी कानून पर याचिका तीन सदस्यीय पीठ को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हल्का करने संबंधी शीर्ष अदालत के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए केंद्र की याचिका शुक्रवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित के पीठ ने कहा - इस मामले को अगले हफ्ते तीन न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष रखा जाए। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला एक मई को सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि देश में कानून जातिविहीन और एकसमान होने चाहिए। केंद्र ने 20 मार्च के फैसले पर पुनर्विचार करने पर जोर देते हुए कहा था कि इससे समस्याएं पैदा होंगी अतः इस पर **बाकी पेज 8 पर**

केंद्र ने कहा कि फैसले से समस्याएं पैदा होंगी अतः फिर से विचार किया जाना चाहिए।

'समान नागरिक संहिता की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए'

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार किए जाने पर बल दिया और अफसोस जताया कि सर्वोच्च अदालत के 'प्रोत्साहन' के बाद भी इस मकसद को हासिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

न्यायालय ने गौर किया कि गोवा एक 'बेहतरीन उदाहरण' है जहां समान नागरिक संहिता है और धर्म की परवाह किए बिना सब पर लागू है सिवाय कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा करते हुए। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने एक फैसले में यह टिप्पणी की जिसमें उसने कहा कि देश में कहीं भी रह रहे गोवावासी का संपत्ति से जुड़ा उत्तराधिकार और दाय अधिकार पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 से नियंत्रित होगा।

पीठ ने कहा कि यह **बाकी पेज 8 पर**

न्यायालय ने इस मसले पर गोवा का उदाहरण दिया जहां समान नागरिक संहिता है।

कश्मीरियों को निराश नहीं करेंगे : इमरान

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसियां
नई दिल्ली/मुजफ्फराबाद, 13 सितंबर।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र आम सभा में कश्मीरियों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद कश्मीरियों की बदहाली की बात प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने का संकल्प व्यक्त किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की राजधानी मुजफ्फराबाद में जनसभा कर इमरान खान ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला। इमरान ने रैली में आए लोगों को खुलेआम घुसपैठ के लिए उकसाया।

पाकिस्तान के अखबार 'डॉन' ने मुजफ्फराबाद की जनसभा में इमरान खान के भाषण का ब्योरा जारी किया है। इमरान ने कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण होने का दावा किया और कहा कि यूरोपीय संघ और ब्रिटिश संसद में भी इस मामले पर चर्चा हुई है। दुनिया भर में समर्थन मिलने **बाकी पेज 8 पर**

मुजफ्फराबाद की रैली में जमकर जहर उगला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने

घुसपैठ के लिए उकसाया

दुनिया भर में समर्थन मिलने के खोखले दावे करते हुए इमरान ने लोगों को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा, 'मुझे आपके जज्बे का पता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों मुझे पता है आपमें जज्बा और जुनून है। लेकिन ... मैं आपको बताऊंगा कब जाना है। पहले मुझे संयुक्त राष्ट्र जाने दो। दुनिया को बताने दो। कश्मीर का केस लड़ने दो। कश्मीर का मसला हल नहीं किया, तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा।'

ट्रंप से दो बार मिलेंगे इमरान -खबर पेज 10 पर

निर्यात में अगस्त में छह फीसद की गिरावट

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, चमड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से निर्यात कम होने पर अगस्त माह में देश का निर्यात कारोबार पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 6.05 फीसद घटकर 26.13 अरब डालर रह गया। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में आयात भी 13.45 फीसद घटकर 39.85 अरब डालर रह गया। इससे माह के दौरान व्यापार घाटा भी कम होकर 13.45 अरब डालर पर आ गया। पिछले साल अगस्त में व्यापार घाटा 17.92 अरब डालर रहा था। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2016 के बाद अगस्त 2019 में आयात में सबसे **बाकी पेज 8 पर**

17 दिन तक उत्पादन ठप रखेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मौजूदा तिमाही में अपने वाहन कारखानों में आठ से 17 दिन तक उत्पादन बंद रखने की घोषणा की है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि बिक्री का उत्पादन के साथ समायोजन करने के लिए वह यह कदम उठा रही है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत

सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मसले को लेकर भारतीय प्रतिनिधि मजबूत तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं और पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में गुरुवार को भारत ने अपनी बात रखते हुए सीमा पार आतंकवाद को लेकर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट से मुलाकात की और **बाकी पेज 8 पर**

विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद से होने वाले खतरे को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया।

इटली में सीवेज टैंक में डूबने से चार सिखों की मौत

रोम, 13 सितंबर (भाषा)।

इटली के उत्तरी हिस्से में एक मवेशी फार्म पर भारतीय मूल के चार सिखों की सीवेज टैंक में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी है। संवाद समिति एएनएसए ने खबर दी है कि दक्षिण मिलान में पाविया के समीप एरिना पो में एक मवेशी फार्म पर गुरुवार को यह हादसा हुआ। इस हादसे में जिन चार लोगों की मौत हुई है, उनमें प्रेम (48) और तरसेम सिंह (45) भाई थे और मवेशी फार्म ये दोनों ही चला रहे थे। दोनों ने 2017 में अपने फार्म का पंजीकरण कराया था। अन्य दो उस फार्म पर काम करने वाले मजदूर अमरिंदर सिंह (29) और मनजिंदर सिंह (28) थे।

बीबीसी के अनुसार **बाकी पेज 8 पर**

जिन चार लोगों की मौत हुई है, उनमें प्रेम (48) और तरसेम सिंह (45) भाई थे

दरअसल

छात्रा का बेशकीमती सपना पूरा किया उपायुक्त ने | **मिसाल** | खुद उपायुक्त उसे अपनी कार में लेकर आए दफ्तर

दिव्यांग अनमोल बनी एक दिन की उपायुक्त

फिरोजपुर, 13 सितंबर (जनसत्ता)।

बौनेपन और गतिबाधा (लोकोमोटर डिसऑर्डर) से ग्रस्त 15 वर्षीय अनमोल बेरी का एक दिन का डीसी बनने का सपना तो खुद जिला उपायुक्त चंदर गैंड ने यहां शुक्रवार को साकार किया ही, साथ ही उसे शहरभर में चल रहे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' मुहिम का ब्रांड अंबेसडर भी बनाया है। अब उसकी तस्वीरें इस कार्यक्रम की प्रचार-प्रसार सामग्री में शहर के कोने-कोने में चस्पा नजर आएंगी। अब वह आगामी रविवार को इसी विषय पर होने वाले तीज उत्सव में भी पहुंचेगी। गैंड ने बताया, हम उसे यथासंभव अपने सरकारी कार्यक्रमों में लेकर जाने का प्रयास करेंगे ताकि शारीरिक दुर्बलताओं या विकलांगता ग्रस्त अन्य बच्चे भी प्रेरित हों। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इस दौरान उसकी पढ़ाई-लिखाई प्रभावित न हो।

अनमोल का कद मात्र 2 फीट 8 इंच है और वो फिरोजपुर के आरएसडी राज रतन स्कूल में 11वीं कला संकाय की छात्रा है।

स्कूल में उपायुक्त से मिलने के दौरान अनमोल ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया था।

उपायुक्त की जिम्मेदारी संभालते हुए उसने लावारिस मवेशियों, लचर सड़कों की हालत पर आला अधिकारियों और स्थानीय विधायक से किया जवाब-तलब।

उपायुक्त कार्यालय में अनमोल

अनमोल बेरी ने शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूरा दिन इस सीमांत जिले के उपायुक्त की कुर्सी संभाली। उसने शहर का दौरा करके वहां बंदोबस्त का जायजा लिया और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का फीता भी काटा। इससे पहले जिला उपायुक्त चंदर गैंड खुद उसे उसके घर से लेने के लिए अपनी कार से पहुंचे। जिला कार्यालय परिसर में उसका स्वागत रेड कारपेट से हुआ और फिर गैंड के बगल वाली सीट पर बैठकर वो पूरे दिन जरूरी काम निपटाती रही।

कार्यालय में अनमोल नगर निगम कर्मियों, पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और यहां तक कि विधायक **बाकी पेज 8 पर**

जनसत्ता रविवारी
15 सितंबर, 2019

हॉलीवुड में जाग रहा भारत प्रेम

ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय कलाकारों को हॉलीवुड आकर्षित करता है। हॉलीवुड के सितारों को भी भारतीय संस्कृति मोहती है। वे न सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, बल्कि उनमें से कई यहां की संस्कृति में खुद को ढाल चुके हैं। बता रहे हैं श्रीशचंद्र मिश्र।

• कविता/ संजय स्वतंत्र • कहानी/ बृज मोहन • प्रसंग/ ऋतुपर्ण दवे • समाज/ वंदना शर्मा • शख्सियत/ शरतचंद्र चट्टोपाध्याय • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

स्वतंत्रता सेनानी रहा है निर्मोही अखाड़ा

• राज सिंह
• कविता/ घमंडीलाल अग्रवाल
• कहानी/ शिखर चंद्र जैन

महानगर नई दिल्ली शनिवार 14 सितंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

दिल्ली में फिर सम-विषम

4-15 नंवबर तक योजना लागू होगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली में 4-15 नंवबर तक सम विषम नंबर की योजना लागू होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह व्यवस्था लागू होने से दिल्ली में प्रदूषण से निपटा जा सकेगा। सम विषम योजना लागू होने से 10-15 फीसद तक प्रदूषण में कमी आती है। योजना के तहत एक दिन सम नंबर व एक दिन विषम नंबर वाली गाड़ी सड़कों पर चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में दिल्ली एक मात्र ऐसा शहर है जहां पर प्रदूषण में कमी दर्ज की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दियों के दौरान पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस प्रदूषण से निपटने के लिए सात सूत्री कार्यक्रम पर दिल्ली सरकार काम करेगी। शहर में प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित 12 जगहों के लिए विशेष योजना भी इसमें शामिल है। अब तक दिल्ली सरकार ने दो बार सम विषम की व्यवस्था लागू की है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही की गई है। पहली बार 1 जनवरी से 9 जनवरी 2016 तक 6768 चालान और दूसरी बार 15 अप्रैल से 23 अप्रैल 2016 मे 5854 चालान किए गए थे।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह व्यवस्था लागू होने से दिल्ली में प्रदूषण से निपटा जा सकेगा।

सात सूत्रीय फार्मूले की मदद से प्रदूषण कम करने में जुटेगी सरकार

60 लाख मास्क की होगी खरीदारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि सम-विषम लागू करने की व्यवस्था आपात स्थिति में लागू होती है। इस समय में आसपास के राज्यों में पराली जलने के कारण **बाकी पेज 8 पर**

इस कदम की कोई जरूरत नहीं : गडकरी

नागपुर, 13 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से 15 नवंबर के बीच सड़क पर वाहनों की सम-विषम व्यवस्था लागू करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस कदम की आवश्यकता नहीं है। गडकरी ने नागपुर में सीएनजी केंद्र की स्थापना के बाद ये बातें कहीं।

गडकरी ने कहा कि अब इसकी (सम-विषम योजना की) कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो नई रिंग रोड बनाई है, उससे दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में काफी मदद मिली है। इसके अलावा, मेरा मंत्रालय 50 हजार करोड़ रुपए मूल्य की सड़क **बाकी पेज 8 पर**

पार्टी में बिगड़ते अनुशासन पर सोनिया ने की चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, महासचिवों की बैठक में पार्टी चुनाव घोषणापत्र के वादे लागू करने और पार्टी का दृष्टिकोण आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच टकराव की खबरों को लेकर पार्टी में बिगड़ते अनुशासन पर भी सोनिया गांधी ने बातचीत की। उन्होंने इस मामले में स्पष्ट निर्देश भी दिए। राज्यों में सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। बैठक में सरकार के कामकाज और संगठन के कामकाज को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। शुक्रवार को 10 जनपथ पर हुई बैठक में **बाकी पेज 8 पर**

राज्यों में सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति बनाई जाएगी।

राजकाज
ऐसे कैसे चलेगा!

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

गणेश विसर्जन के दौरान हादसों में 29 लोगों की मौत

भोपाल/मुंबई, 13 सितंबर (भाषा)।

गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में 29 लोगों की मौत हो गई। इनमें 11 लोगों की मौत मध्य प्रदेश के भोपाल में जबकि 18 लोगों की मौत महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में हुई है।

भोपाल में शुक्रवार तड़के गणपति विसर्जन के दौरान दो नावें पलटने से 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई। घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पुलिस ने नावों को चला रहे दो नाविकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल (शहर) के पुलिस उपमहानिरीक्षक इरशाद वली ने बताया कि यह घटना छोटे तालाब के खटलापुरा घाट पर शुक्रवार तड़के की है। हादसा तब हुआ, जब लोग गणपति प्रतिमा को विसर्जित करने गए थे। इन दो नावों में 17 लोग सवार थे। 11 शव निकाल लिए गए हैं। छह लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना में जान गंवाने वाले सभी लोग शहर के पिपलानी इलाके के रहने वाले थे। भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों की पहचान परवेज खान, रोहित मौर्य, हर्ष, करण, सन्नी ठाकरे, राहुल वर्मा, विक्की, विशाल, अर्जुन, राहुल मिश्रा व करण पन्नालाल के रूप में की गई है।

दिल्ली में भी डूबने से चार की गई जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

अलीपुर थाना क्षेत्र के बख्तावरपुर-पल्ला के पास गणपति विसर्जन के दौरान गुरुवार को यमुना नदी में डूबने से दो छात्राएं और दो छात्रों की मौत हो गई। घटना की जानकारी गुरुवार शाम करीब सवा आठ बजे स्थानीय पुलिस और दिल्ली अग्निशमन विभाग को मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस, दमकल विभाग के कर्मचारी, गोताखोर और सिविल डिफेंस के कर्मचारी सभी की तलाश में **बाकी पेज 8 पर**

शुक्रवार को चलाए गए तलाशी अभियान के बाद नदी से बाहर निकाले गए सभी के शव।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हादसे को बेहद दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 11-11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा **बाकी पेज 8 पर**

एससी/एसटी कानून पर याचिका तीन सदस्यीय पीठ को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हल्का करने संबंधी शीर्ष अदालत के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए केंद्र की याचिका शुक्रवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित के पीठ ने कहा - इस मामले को अगले हफ्ते तीन न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष रखा जाए। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला एक मई को सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि देश में कानून जातिविहीन और एकसमान होने चाहिए। केंद्र ने 20 मार्च के फैसले पर पुनर्विचार करने पर जोर देते हुए कहा था कि इससे समस्याएं पैदा होंगी अतः इस पर **बाकी पेज 8 पर**

केंद्र ने कहा कि फैसले से समस्याएं पैदा होंगी अतः फिर से विचार किया जाना चाहिए।

'समान नागरिक संहिता की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए'

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार किए जाने पर बल दिया और अफसोस जताया कि सर्वोच्च अदालत के 'प्रोत्साहन' के बाद भी इस मकसद को हासिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

न्यायालय ने गौर किया कि गोवा एक 'बेहतरीन उदाहरण' है जहां समान नागरिक संहिता है और धर्म की परवाह किए बिना सब पर लागू है सिवाय कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा करते हुए। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने एक फैसले में यह टिप्पणी की जिसमें उसने कहा कि देश में कहीं भी रह रहे गोवावासी का संपत्ति से जुड़ा उत्तराधिकार और दाय अधिकार पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 से नियंत्रित होगा।

पीठ ने कहा कि यह **बाकी पेज 8 पर**

न्यायालय ने इस मसले पर गोवा का उदाहरण दिया जहां समान नागरिक संहिता है।

कश्मीरियों को निराश नहीं करेंगे : इमरान

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसियां
नई दिल्ली/मुजफ्फराबाद, 13 सितंबर।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र आम सभा में कश्मीरियों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद कश्मीरियों की बदहाली की बात प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने का संकल्प व्यक्त किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की राजधानी मुजफ्फराबाद में जनसभा कर इमरान खान ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला। इमरान ने रैली में आए लोगों को खुलेआम घुसपैठ के लिए उकसाया।

पाकिस्तान के अखबार 'डॉन' ने मुजफ्फराबाद की जनसभा में इमरान खान के भाषण का ब्योरा जारी किया है। इमरान ने कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण होने का दावा किया और कहा कि यूरोपीय संघ और ब्रिटिश संसद में भी इस मामले पर चर्चा हुई है। दुनिया भर में समर्थन मिलने **बाकी पेज 8 पर**

मुजफ्फराबाद की रैली में जमकर जहर उगला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने

घुसपैठ के लिए उकसाया

दुनिया भर में समर्थन मिलने के खोखले दावे करते हुए इमरान ने लोगों को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा, 'मुझे आपके जज्बे का पता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों मुझे पता है आपमें जज्बा और जुनून है। लेकिन ... मैं आपको बताऊंगा कब जाना है। पहले मुझे संयुक्त राष्ट्र जाने दो। दुनिया को बताने दो। कश्मीर का केस लड़ने दो। कश्मीर का मसला हल नहीं किया, तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा।'

ट्रंप से दो बार मिलेंगे इमरान -खबर पेज 10 पर

निर्यात में अगस्त में छह फीसद की गिरावट

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, चमड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से निर्यात कम होने पर अगस्त माह में देश का निर्यात कारोबार पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 6.05 फीसद घटकर 26.13 अरब डालर रह गया। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में आयात भी 13.45 फीसद घटकर 39.85 अरब डालर रह गया। इससे माह के दौरान व्यापार घाटा भी कम होकर 13.45 अरब डालर पर आ गया। पिछले साल अगस्त में व्यापार घाटा 17.92 अरब डालर रहा था। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2016 के बाद अगस्त 2019 में आयात में सबसे **बाकी पेज 8 पर**

17 दिन तक उत्पादन ठप रखेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मौजूदा तिमाही में अपने वाहन कारखानों में आठ से 17 दिन तक उत्पादन बंद रखने की घोषणा की है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि बिक्री का उत्पादन के साथ समायोजन करने के लिए वह यह कदम उठा रही है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत

सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मसले को लेकर भारतीय प्रतिनिधि मजबूत तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं और पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में गुरुवार को भारत ने अपनी बात रखते हुए सीमा पार आतंकवाद को लेकर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट से मुलाकात की और **बाकी पेज 8 पर**

विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद से होने वाले खतरे को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया।

इटली में सीवेज टैंक में डूबने से चार सिखों की मौत

रोम, 13 सितंबर (भाषा)।

इटली के उत्तरी हिस्से में एक मवेशी फार्म पर भारतीय मूल के चार सिखों की सीवेज टैंक में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी है। संवाद समिति एएनएसए ने खबर दी है कि दक्षिण मिलान में पाविया के समीप एरिना पो में एक मवेशी फार्म पर गुरुवार को यह हादसा हुआ। इस हादसे में जिन चार लोगों की मौत हुई है, उनमें प्रेम (48) और तरसेम सिंह (45) भाई थे और मवेशी फार्म ये दोनों ही चला रहे थे। दोनों ने 2017 में अपने फार्म का पंजीकरण कराया था। अन्य दो उस फार्म पर काम करने वाले मजदूर अमरिंदर सिंह (29) और मनजिंदर सिंह (28) थे।

बीबीसी के अनुसार **बाकी पेज 8 पर**

जिन चार लोगों की मौत हुई है, उनमें प्रेम (48) और तरसेम सिंह (45) भाई थे

दरअसल

छात्रा का बेशकीमती सपना पूरा किया उपायुक्त ने | **मिसाल** | खुद उपायुक्त उसे अपनी कार में लेकर आए दफ्तर

दिव्यांग अनमोल बनी एक दिन की उपायुक्त

फिरोजपुर, 13 सितंबर (जनसत्ता)।

बौनेपन और गतिबाधा (लोकोमोटर डिसऑर्डर) से ग्रस्त 15 वर्षीय अनमोल बेरी का एक दिन का डीसी बनने का सपना तो खुद जिला उपायुक्त चंदर गैंड ने यहां शुक्रवार को साकार किया ही, साथ ही उसे शहरभर में चल रहे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' मुहिम का ब्रांड अंबेसडर भी बनाया है। अब उसकी तस्वीरें इस कार्यक्रम की प्रचार-प्रसार सामग्री में शहर के कोने-कोने में चस्पा नजर आएंगी। अब वह आगामी रविवार को इसी विषय पर होने वाले तीज उत्सव में भी पहुंचेगी। गैंड ने बताया, हम उसे यथासंभव अपने सरकारी कार्यक्रमों में लेकर जाने का प्रयास करेंगे ताकि शारीरिक दुर्बलताओं या विकलांगता ग्रस्त अन्य बच्चे भी प्रेरित हों। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इस दौरान उसकी पढ़ाई-लिखाई प्रभावित न हो।

अनमोल का कद मात्र 2 फीट 8 इंच है और वो फिरोजपुर के आरएसडी राज रतन स्कूल में 11वीं कला संकाय की छात्रा है।

स्कूल में उपायुक्त से मिलने के दौरान अनमोल ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया था।

उपायुक्त की जिम्मेदारी संभालते हुए उसने लावारिस मवेशियों, लचर सड़कों की हालत पर आला अधिकारियों और स्थानीय विधायक से किया जवाब-तलब।

उपायुक्त कार्यालय में अनमोल

अनमोल बेरी ने शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूरा दिन इस सीमांत जिले के उपायुक्त की कुर्सी संभाली। उसने शहर का दौरा करके वहां बंदोबस्त का जायजा लिया और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का फीता भी काटा। इससे पहले जिला उपायुक्त चंदर गैंड खुद उसे उसके घर से लेने के लिए अपनी कार से पहुंचे। जिला कार्यालय परिसर में उसका स्वागत रेड कारपेट से हुआ और फिर गैंड के बगल वाली सीट पर बैठकर वो पूरे दिन जरूरी काम निपटाती रही।

कार्यालय में अनमोल नगर निगम कर्मियों, पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और यहां तक कि विधायक **बाकी पेज 8 पर**

जनसत्ता रविवारी
15 सितंबर, 2019

हॉलीवुड में जाग रहा भारत प्रेम

ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय कलाकारों को हॉलीवुड आकर्षित करता है। हॉलीवुड के सितारों को भी भारतीय संस्कृति मोहती है। वे न सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, बल्कि उनमें से कई यहां की संस्कृति में खुद को ढाल चुके हैं। बता रहे हैं श्रीशचंद्र मिश्र।

• कविता/ संजय स्वतंत्र • कहानी/ बृज मोहन • प्रसंग/ ऋतुपर्ण दवे • समाज/ वंदना शर्मा • शख्सियत/ शरतचंद्र चट्टोपाध्याय • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

स्वतंत्रता सेनानी रहा है निर्मोही अखाड़ा

• राज सिंह
• कविता/ घमंडीलाल अग्रवाल
• कहानी/ शिखर चंद्र जैन

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Anchal Jain S/O Alok Kumar Jain R/O 5 Tanjong Rhu Road, the waterside 07-01, Singapore 436882 have changed name of my minor daughter, Indian Passport number P6313480 from Daanyah Kaur Chhatwal to Daanyah Kaur Jain-Chhatwal Vide Affidavit No IN-DL30762987535761R, dt 29/07/2019. 0050155041-1

We(1) Sarbjit Singh Bedi S/o I. S. Bedi (2)Navneet Kaur W/o Sarbjit Singh Bedi R/o-85-C Antriksh-Appartment Sector-14, Rohini Delhi-110085, have changed the name of our minor daughter Jeevan Jyot Bedi aged-14Years and she shall hereafter be known as Jeevanjot Kaur Bedi for all future purposes. 0040512277-5

I,Smt. Manju Spouse of No.8036061A NK Om Prakash Manth Resident of-Village & Post-Kari,Tehsil-Nawalgarh, Distt.-Jhunjhunu,Rajasthan-333311,have changed my name from Smt. Manju to Manju Devi for all future purposes. 0040512249-1

I,Sangeeta Singh W/o Akhileshwar Kumar Singh R/o C-703,Mahesh Apartments, Vasundhara Enclave,Delhi-110096,have changed my name to Sangita Singh for all future purposes. 0040512257-1

I,Ruchika Saxena W/o Manoj Johri R/o-E-3/60 Paradise Apartment,Sector-18,Rohini, New.Delhi-110085,have Changed my name to Ruchika Johri for all Future purposes. 0040512235-1

I, Vivek Kumar Chaturvedi s/o Vashisht Chaturvedi r/o F-2/224-25, Mangol Puri, Delhi-110083 have changed my name to VIVEK CHATURVEDI. 0040512224-2

I,Rakhi Girdhar W/o-Mr. Rajeev Girdhar R/o-A-4/C 146 Janakpuri,New.Delhi-110058, have changed my name from Rakhi Girdhar to Rakhee Girdhar for all Purposes. 0040512249-2

I,Rajbir Singh S/o-Chandan Singh,R/o-Village Hasanpur, P.O.Ujwa,New.Delhi-73,have Changed the name of my minor son Subham Singh to Shubham Singh for all Purposes 0040512257-2

I, hitherto known as Tony Kumari D/o Sh. Kanhya Lal employed as Senior Branch Manager, Bank of India, Indirapuram Branch, Distt. Ghaziabad U. P., residing at House No. 452, Shakti Khand-III, Indirapuram, Ghaziabad P/o Indirapuram, Distt. Ghaziabad have changed my name and shall thereafter the known as Tanya Singh. 0040512300-1

I, hitherto known as Ravi Vignesh s/o Sh.Ramasubbu Ravi, employed as PGT in Amrita Vidyalayam, Saket, New Delhi, residing at B-390 UGF, Greenfields, Faridabad, Haryana-121003, have changed my name and shall hereafter be known as Vignesh Ravi Iyer. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0070674109-1

I, Waseema W/o Mohd. Shahid R/o H.No.1088/47, Katra-Gulam Mohd. Lal-Kuan, New Delhi-06.have changed my name From to Waseema Shahid permanently. 0040512297-1

I, Vishnu Kumar Verma S/o Shri Gauri Shankar Verma R/o F-59, Gali No.7, Subhash Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, have changed my name from Vishanu Verma to Vishnu Kumar Verma forever. 0040512233-1

I, Vikram Singh S/O, Lalchand Yadav R/o DG02, Mahindra Aura Sector-110A, New Palam Vihar, Gurgaon HR 122017, have changed my name to Vikram Singh Yadav. 0040512333-1

I, Uday Kumar, S/o Baldeo Sah R/o-237/1 Gali No.1 Village-Chhlera Sector-44 Gautam Budh Nagar UP-201301 changed my name to Uday Kumar Sah. 0040512310-5

I, Tej Krishen Koul S/o Arjan Nath Kaul R/o B-1/91 Ground Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063 have changed my name to Tej Krishen Kaul for all purposes. 0040512211-1

I, Sushma W/o No.14831385F Sep/MT Dige Vishal Vasant R/o Vill. Kapsal, Tal. Chiplum, Distt-Ratnagiri (MH) 415605. have changed my name from Sushma to Sushama Vishal Dige, as per Affidavit No.1050/2019. 0040512228-2

I, Surinder Singh S/o Kulwant Singh R/o-D-16,1st floor,East of kailash,Delhi,have Changed my minor Son Name Jasnoor Singh to Jasnoor Singh Oberoi 0040512083-2

I Vinod Mandal S/o. Joginder Mandal R/o-C-111, Paryawaran-Complex, Mehrauli, South-delhi-110030. have changed my name to Ram Sikil Mandal, for future purposes. 0040512310-9

I Savita Sajwan S/O Ravindra Singh R/O House No-606, Type-2, R.K. Puram, Sector-5, Delhi-110022 Have Changed my Name to Savita. 0040512256-7

व्यक्तिगत

I, Surabhi Rajpoot W/o Mayank Singh R/o-GH-6/93, Prachin Apartment,Paschim Vihar,Delhi-110087,have changed my name to Surbhi Singh for all purposes. 0040512235-2

I, Sunita W/o Late Sh. Krishan Chand, R/o: H. No.-2259, Block No.-EE, Jahangir Puri, Delhi, do hereby informs that I have changed the name of my daughter from Kareena to Niharika in future for all purposes. 0040512253-1

I, Sunil Dixit S/o Sharda Ram R/o-Village & Post-Bhainsrawli Tehsil-Ballabgarh, Faridabad have Changed My Minor Son's name Khanek Dixit to Yuvraj Dixit 0040512213-1

I, Shyam Lal S/o Hari Chand, R/o House No-538, Ward No-10, Near Mata Darwaja, Gopal Colony, Rohtak, Haryana-124001, name of mine has been wrongly written as Shayamlal Sachdeva in my daughter Mamta Sachdeva School Certificate of 10th Class. The actual name of mine is Shyam Lal. 0070674107-1

I, Sneha Das R/o, C7/241 A Lawrence Road Keshav Puram, Delhi - 110035 have changed my to Sneha Dass. 0070674091-1

I, Sonu S/o Rambir Singh R/o A-2/578 Gali No.27 Gamri Delhi-110053 changed my name to Bhishm Singh for all purposes. 0040512277-6

I, Sheeja Sudhakaran W/o No-JC-699545-P RANK-SUB/MAJ. V V Sudhakaran R/o Valiya Valappil House, Sayoojyam, Narickode, Muzhappala, Distt-Kannur, Kerala-670611. have changed my name from Sheeja Sudhakaran to Sheeja K K, vide affidavit dated 02/09/2019. 0040512228-1

I, Shamy Cherian W/o Cherian Joseph R/o-D-II/44-B, MayurVihar, Phase-III, Delhi-110096,inform that my name has been wrongly written Shami Varghese in my minor son Thomas Cherian School Records, but actual name is Shamy Cherian. 0040512277-3

I, Shahid Ahmed S/o Mohd.Usman R/o-H.No. 1088/47, Katra-Gulam Mohd. Lal-Kuan, New Delhi-06 have changed my name From to Mohd. Shahid permanently. 0040512297-2

I, Satish Kumar Raikwar S/o Ram Charan Raikwar R/o PD-120-C, Pitampura Delhi-110034, have changed my name to Satish Kashyap permanently. 0040512254-1

I, Satish Aggarwal S/o Om Parkash Aggarwal R/o-C-144 Anand-Vihar Delhi-110092, have changed my name to Satish Kumar Aggarwal for all purposes. 0040512256-10

I, Satbir Singh S/o Nathu Ram R/o-H.No.116, Mundhela Khurd, New Delhi-110073, have changed minor daughter's name Sonu to Nyra Kharb. 0040512329-2

I, Sanjeev Kumar Sharma R/o-4/5, H2C, Sector-5, Rajender-Nagar Ghaziabad. have changed my son's name from Atharv Gaur to Atharv Sharma. 0040512297-7

I, Sanjai Kumar Yadava S/O Guru Prasad Yadava R/O-GH/D, Subzi-Mandi, Roshanara-Road, North Delhi-110007, Changed my name to Sanjay Kumar Yadav. 0040512297-3

I, Sangeeta Chakarverty W/o-Pralay Kumar Chakraborty R/o:Flat No-32, Pocket-10, Nasirpur, Dwarka, New Delhi-45.Have Changed My Name to Sangeeta Chakraborty. 0040512256-3

I, Sandeep Singh Bhatti S/o Sh.Chander Mohan Singh Bhatti R/o 1250, Rang Mahal, Behind Novelty Cinema, Delhi-110006 have changed my name to Gulshan Singh for all purposes. 0040512216-2

I, Sandeep Kumar S/O Satpal Singh R/O-Near Kanhiya Ram-Ankho Ka-Hospital, Ramganj-Mohalla-Bhiwani, Haryana-127021, Have Changed My Name To Sandeep Kumar Mehta. 0040512256-4

I, Sameer Masi S/o Ramesh Masi R/o 21, Village Patparganj, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi-110091, inform that name of mine, my wife name and my daughter's name wrongly written in my daughter's school record as Sameer Massey, Subreena Massey and Shiya Annie Massey instead of Sameer Masi, Subreena Masi and Shiya Annie Masi respectively. 0040512222-1

I, Rupesh Sharma S/o Satpal Sharma R/o-600/9, Mata-Colony, Ghookna, Opposite-Mariyam Nagar, Ghaziabad have changed my name to Roopesh Sharma. 0040512297-6

I Sanjay Kumar Mandal S/o Kolhay Mandal R/o 29, Village Amarpur, Post- Chutiya, Anchal-Banka, Distt-Banka, Bihar-813102, have changed my name to Ranjay Kumar 0070674095-1

I Ritika Kukreja W/o Kishor Kumar R/o G-22/291, Sector-7, Rohini, Delhi-110085 have changed my name from Arti Sachdev to Ritika Kukreja. 0040512230-1

I Mohammad Monis Meraj f/o Ayerah Meraj R/O G-45.A, East of kailash, New Delhi -110065 have changed my daughter's name to Aleeza Meraj. 0050155141-1

I, Radhey Shyam@Radhey Shyam Sharma@ R.S.Sharma S/o Ramanand R/o House.No.86, Second-Floor, Pocket-2, Sector-11 Rohini, Delhi have changed my name to Radhey Shyam Sharma, for all future purposes. 0040512297-8

I Suraj Parkash S/o Satpal Chopra R/o-A-33, Vivek-Vihar, PH-1, Delhi-have changed my name to Suraj Chopra. 0040512256-9

I, Parveen Mittal S/o-Om Prakash Mittal R/o-1, Upper Ground Floor, CU-Block, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Praveen Mittal for all purposes. 0040512276-1

I, Parbodh Kumar S/o Gopal Dass R/o 40/8472, 3rd Floor, Jaina Building, Roshnara Road, Delhi-110017 have changed my name to Parbodh Malhotra for all purposes. 0040512223-1

I, PUNKAJJ ARORA S/o-Janak Raj Arora R/o-E-3/12, Model-Town Delhi-110009. have changed my name from Pankaj Arora to PUNKAJJ ARORA, for all Purposes. 0040512329-1

I, Neeraj Arora S/o Mahesh Arora R/o AH-801, Amarpali Village, Nyay Khand-2, Indirapuram, Shipra Cun City, Ghaziabad, UP-201014, that name of my father has been wrongly written as Damodar Dass Kapoor in my Pan Number: BEQPK9432R. The actual name of my father is Mahesh Arora. 0070674108-1

I, Neelam B Sharma W/o-Shri Brij Vallabh Sharma R/o-Y-403, Siddartha Apartments, M.P. Enclave, Near Lok Vihar, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Neelam Brij Sharma for all purposes. 0040512272-1

I, Mohander Pal Singh S/o Rajinder Singh R/o DB-56E, DDA Flats, Hari Nagar, New Delhi-110064, do hereby solemnly affirm and informs that I have changed my name from Mohander Pal Singh to Mohinder Pal Singh for all future purposes. 0040512232-1

I, Mohammed Tasleem S/o. Mohammed Hamid R/O.-V-103, Taj-Enclave, Geeta Colony, Delhi-110031 have changed my name to Mohammed Tasleem Khan. 0040512256-1

I, Mohamad Haneef S/o Hazi Bashir Ahmed R/o-E-50 Behind Samrat-Cinema Shakurpur-Market Delhi-34,changed my name to Mohammed Hanif. also my DOB is wrongly mentioned 12.08.1954.in my passport but Correct DOB is 12.04.1958. 0040512138-10

I, Manoj Jain s/o Late Sh.Suresh Chand Jain R/o-C-272, Vivek-Vihar, Shahdara, Delhi-110095, have changed my name to Manoj Kumar Jain permanently. 0040512256-8

I, Madhawala Yadav W/o Arun Yadav R/o House No.59 Village & Post Office Begumpur Delhi-110086 changed my name to Madhu Bala 0040512277-1

I, Lt.Col.Romesh Chand Rattan (Retd.)alias Lt.Col. R.C.Rattan (Retd.) S/o Late Shri.Bishan Das R/o.Flat No.602, Mass-CGHS, Plot No.24, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 that Lt.Col.Romesh Chand Rattan (retd.) alias Lt.Col. R.C.Rattan (Retd.) are both the names of one and the same person i.e. me the dependent. 0040512256-5

I, Kusum verma W/o Sh.Sumit kumar verma R/o-H.No-A-1 Shambhu Dayal Bagh, Kalkaji New Delhi-110019, have changed my name Kushum Verma to Kusum Verma for all Purposes 0040512213-2

I, Kuldeep Singh Chauhan R/o 191, pocket-A, Sarita Viar, New Delhi-110076, have changed my name to Kuldeep Singh. 0070674097-1

I, Karuna Bala @ Karuna Sharma @ Karuna Bala Sharma W/o Sh.Ramesh Ganapathi D/o Sh.Kashmiri Lal R/o 127 B, 2nd Floor, DDA LIG Flats, Rajouri Garden, Delhi-110027 have changed my name to Karuna Bala Sharma for all purposes. 0040512216-1

I, Kamlesh Kumar at Sarkaghat, Himachal Pradesh do hereby declare vide affidavit.That my mother's actual & correct name is VEENA DEVI.But wrongly mentioned in my service records BEENA DEVI. 0040512228-3

I, Maheshanand S/o Bhola Dutt, R/o village Ulangra, Post office-Ulangra Chamoli Uttarakhand-246427, inform That Mahesh Prasad Kuniyal and Maheshanand Are same person. 0040512292-1

I, Kala Chauhan W/O-Late Shri.Surinder Singh R/O-H.NO 6, Near Shiv-Mandir, West-Ghonda, Gangotri-Vihar, Delhi-110053, have changed my name to Kalawati Chauhan. 0040512310-1

I Sanjeev Sharma S/o Kimti Lal Sharma R/o 18/9B, Moti Nagar, Delhi-15 have wrongly written my name is Sanjiv Sharma in my 10th Certificate (CBSE1989) instead of Sanjeev Sharma. 0040512256-2

I Gaurave Sawhney S/O Manish Kumar Sawhney R/O.WZ-55, A-169, Ganesh-Nagar, Tilak-Nagar, New Delhi-110018. have changed my name to Gaurav Sawhney, for all purposes. 0040512297-4

व्यक्तिगत

मै, श्रीमती पायल पत्नी लान्स नायक भूत विपुल कुमार, निवासिनी-ग्राम-आलिद्या, पोस्ट-मेन्दरडा, जिला-जूनागढ़, गुजरात, पिन-362260 ने कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ में दिनाँक-12.09.2019 को शपथ-पत्र देकर अपना नाम श्रीमती पायल से भूत पायलबेन विपुल कुमार करवा ली हूँ।

मैं अनूप कुमार उर्फ अनूप बाधवा पुत्र प्रेम देव भूषण, निवासी एन-३, दूसरा तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, ग्रीन पार्क मार्केट, हौज खास, नई दिल्ली-११००१६, ने अपना नाम अनूप कुमार उर्फ अनूप बाधवा से परिवर्तित कर अनूप बाधवा सभी उद्देश्यों हेतु रख लिया है।

I, Jagdish Lal Gera S/o Ram Lal Gera R/o-C-196 Third Floor Lajpat-Nagar-04 New Delhi-110024 changed my name to Jagdish Gera. 0040512310-6

I, Harish Chand Aggarwal S/o Late Roshan Lal R/o C-108, Gali No.6, Shastri Park, Delhi-53 have changed my name from Hari Chand Aggarwal to Harish Chand Aggarwal for all future purposes. 0040512248-1

I, Hamzar Dhabak S/o Abdul Salam Dhabak R/o-TA-13/1, Third Floor, Tughlakabad-Extn., Kalkaji, Delhi-110019. have changed my name to Hamjar Dhabak. 0040512329-4

I, Dropti D/o Shyam Lal and W/o Rajesh Kumar R/o Flat No-4, Type-2, NDMC Flats, 48 Babar Road, GPO, New Delhi-110001, declare that name of mine has been wrongly written as Draupadi in my minor daughter Geetanjali aged 15 years in her School Records. The actual name of mine is Dropti. 0070674093-1

I, Deepak S/o Sh. Bhajan Lal R/o DP-59 Pitampura Delhi-110034 have changed my name to Deepak Kumar for all purposes. 0040512277-2

I, Deepak Arora S/O P.L.Pahwa R/O H.No-1700, 3rd-Floor, Krishna Gali, Sohan Ganj, Near Kolhapur Road, Delhi-110007, Changed my name to Deepak Pahwa. 0040512297-9

I, Chandra Bhan Gupta R/O A-503, NPSC Society, Plot No 5, Sector 2, Dwarka, ND-75 informs that my Name was wrongly written as CB Gupta in my minor Son Pranjal Gupta's Xth Marksheet & Certificate. My actual full name is Chandra Bhan Gupta. 0040512342-1

I, Bismaya Panda S/o Late Sh.Bimbadhar Panda R/o B-2, 2nd-Floor, Shri.Ganesh Apartment, 121, Homes, Sector-121, Noida, Distt. Gautam Buddh Nagar, U.P have changed my name to Bismaya Prakash Panda for all purposes and Bismaya Panda & Bismaya Prakash Panda is one of the same person. 0040512310-2

I, Baljit Singh Sachdeva S/o late Labh Singh R/o-2/25, Phase-III, New Moti Nagar, New Delhi-15, changed my name to Baljit Singh. 0040512310-3

I, Avtar Kaur Sachdeva W/o Baljit Singh R/o-2/25, Phase-III, New MotiNagar, New Delhi-15, changed my name to Avtar Kaur. 0040512310-4

I, Annu Sharma W/o Vikram Sharma R/o-H.No.1/7347, Gali No-7, East-Gorakh-Park, Shahdara-North East Delhi-110032. have changed my name from Rajesh Sharma to Annu Sharma, for all future purposes. 0040512310-8

I, Anjali Grover D/o Ramesh Batra R/o-6/49 Ground Floor New Delhi-110060. have Changed my name to Anjali Batra. 0040512310-7

I, Amarjeet Singh, S/o Sh.Jaspal Singh R/o-9, Sant-Hazara Singh-Nagar, Sanaur, Patiala-147003. Presently at-New Delhi.,have changed my name to Inderjeet Singh, for all purposes in future. 0040512256-6

I, Alma Suman W/o Subhash Chander Suman (S.C. Suman) R/o TU-1 Vishakha Enclave Pitampura Delhi-110034 changed my name to Alma C Suman. 0040512277-4

I Sonia Sethi W/o Ramesh Kumar R/o-10/130 Geeta-Colony Delhi-110031. have changed my name to Satya Rani for all purposes 0040512297-10

I, 14629328XHAV, Armament, Tech Yeshpal Singh aged about 45years S/o Zela Singh, R/o-VPO-Bharsi, Tehsil & Distt-Shamli, Uttar Pradesh-247774, inform that in my army Service-Records, my son namely Sonu Panwar whose DOB is mentioned as 01-May-2000, whereas his correct-DOB is 01-May-2002 as per his educational records. 0040512329-3

I Vineet Kumar Monga S/O Satpal Monga R/O.37/7, first-floor, Ashok-Nagar, Tilak-Nagar, New Delhi-110018. have changed my name to Vineet Monga, for all purposes. 0040512297-5

I Vandana W/O Yogesh Chander Munjal R/O 159 Sector 15, Panchkula shall henceforth be known as Vandana instead of Vandana Munjal in the schoolrecord of my children Parisa Munjal and Punay Piyush Munjal vide affidavit (0003186966) sworn before Executive Magistrate Chandigarh 10/9/2019 0050155122-2

I, Sakshi Aggarwal w/o Suresh Chandra Pandey R/o H.No. 80-A ,Pocket B Mayur Vihar phase-2 Delhi-91 have changed the name of my minor son Keyvan Chandra Pandey aged 1 year and he shall hereafter be known as Keyvan. 0040511745-5

व्यक्तिगत

मै, लान्स नायक भूत विपुल कुमार, निवासी-ग्राम-आलिद्या, पोस्ट-मेन्दरडा, जिला-जूनागढ़, गुजरात, पिन-362260 ने कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ में दिनाँक-12.09.2019 को शपथ-पत्र देकर अपने बेटे का नाम पर्व से भूत पर्व विपुल कुमार करवा लिया हूँ।

CHANGE OF NAME

I, **PANKAJ PANWAR, S/o SHISHPAL**, residing at, Flat No B4/601, Tulip Orange, Gurgaon, Haryana, 122001, India, changed my name from PANKAJ to PANKAJ PANWAR vide affidavit dated **9.9.2019** sworn before Notary MAHENDER **S. PUNIA at GURUGRAM.** Henceforth, I shall be known as PANKAJ PANWAR for all purposes.

खोया+पाया

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main-Secondary Marksheet/Certificate-2007 and Roll No.6355152 , Senior Secondary Marksheet/ Certificate Examination of Year-2009 and 6645429 issued by CBSE has been actually lost. Urmila R/O-H.No.114, PKT-6, Sector-A5, Police-Colony, Narela, Delhi-110040 Tel.9711803148. 0040512329-11

It is notified for the information that my original mark-sheet of main secondary exam year-2012, Roll-No.8694961, passout from CBSE-Delhi has been actually lost. Deepali Manchanda. H.No.430, Pkt-1, Sec-A-6, Narela, Delhi-40. 0040512329-8

Lost original Last Endorsement Page of Perpetual lease for property No.E-112,Rewari Line Indsustrial Area, Phase-2, Mayapuri,New Delhi. Founder inform Manoj KumarTandon at: 9625773716. 0040512220-1

I, Aayushi Sharma D/O Subhash Sharma, have lost my Original CBSE Certificate of 10th Roll No-8655033, Year-2017. Finder Contact:- 9312651268. 0040512329-9

I, Anil Maggo S/o Late Bishamber Lal R/o B-22/2, Street No.7, South Anarkali, Delhi-110051 have lost my original Agreement to Sell & Receipt both executed on 21-09-1973 by Tripta Rani in favour of Bishamber Lal of abovesaid property. Finders may contact at above address. 0040512216-3

I, Shirsh Verma R/o 41B DDA Flats Jasola have lost my 10th and 12th marksheet issued by CBSE my roll no. are 7673846 and 8203414. 0040512114-1

I Arun Kumar Garg, S/o C.R.Garg R/o-Bj-111, Shalimar-Bagh West-Delhi-110088, have lost my Property-pepar payment receipts of my above-mentioned plot B-0255, Parsvnath-city, Sonipat were lost from Of residents address Bj-111, Shalimar-Bagh West-Delhi-110088. We were looking for the receipts on 5th-August-2019 and realised they were lost.Total of 9-receipts worth Rs.2112064. 0040512329-10

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client **RAJNI W/o Late INDERJEET SINGH R/o D-124, 4th- Floor Vijay Vihar Phase-2 Rohini Delhi-110085** have disowned and severed all her relations with her son **AMANDEEP SINGH @ ROKI** and his wife **DEEPIKA** and their daughter **SAMAIRA** debarred them from her movable and immovable properties/assets and their personal life Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/ their own risk cost and responsibility.

Sd/-
KAMAL SINGH
Advocate
Regn. No. D-748/14

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अनुपम देवी वर्मा पत्नी डा0 राम सूरत वर्मा निवासी 11B/202 सेक्टर 11 वृन्दावन कॉलोनी योजना सं0 3, लखनऊ की निवासी हूँ। मेरा आवास आवंटन पत्र संख्या 5680 दिनांक 26.09.2009 एवं म्यूटेशन पत्र संख्या 241 दिनांक 17.1.2011 कहीं गुम हो गया है। जिसकी प्राथमिकी दिनांक 07.09.2019 को मैंने उत्तर प्रदेश, वस्तु या अभिलेख खोने की रिपोर्ट क्रम संख्या 1547371 पर दर्ज की है। यह सम्पत्ति मेरी है और मैं इस सम्पत्ति पर निर्माण करा रही हूँ। श्रीमती अनुपम देवी वर्मा एवं डा0 राम सूरत वर्मा एस0बी0आई0 जवाहर भवन शाखा से गृहऋण लेना चाहते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति रखता हो तो कृपया 15 दिन के अन्दर शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 जवाहर भवन लखनऊ लैण्डलाइन नं0 0522-2286881 पर सूचित करें।

अनुपम देवी वर्मा एवं डा0 राम सूरत वर्मा
11, बी/202 सेक्टर 11 वृंदावन कालोनी, लखनऊ

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that W/s. Leena Promoters & Developers Pvt. Ltd. having its registered office at 2/3, (Also Known as 2-W/3), West Patel Nagar, New Delhi-110008 is owner of built up 1/2 (Half) undivided share of 2/3, (Also Known as 2-W/3), West Patel Nagar, New Delhi-110008, registered vide document No. 2226 in Addl. Book No. 1 Volume No. 6758 on Pages 80 to 155 dated 20.03.1995 and M/s Number One Construction Pvt. Ltd. having its registered office 2/3, (Also Known as 2-W/3), West Patel Nagar, New Delhi-110008 is owner of built up 1/2 (Half) undivided share of 2/3, (Also Known as 2-W/3), West Patel Nagar, New Delhi-110008 vide registered document No. 2225 in Addl. Book No. 1 Volume No. 6758 on Pages 1 to 79 dated 20.03.1995. Our both original Sale Deeds have been lost, if found send to 7, South Patel Nagar, New Delhi-110008. Mobile No. 9811211208.

Rattan Chand Taneja
Director
M/s. Leena Promoters & Developers Pvt. Ltd.
M/s Number One Construction Pvt. Ltd. &

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री भैरूराम एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीता दोनों निवासी मकान नं. सी-9/26, सुलतानपुरी, दिल्ली-110086 ने अपने पुत्र वेदप्रकाश व उसकी पत्नी श्रीमती प्रियंका के द्वारा दुर्व्यवहार एवं दुराचरण तथा मेरे मुवक्किलों के नियंत्रण से बाहर होने के कारण अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है तथा उनसे अपने सभी सामाजिक व पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिये हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे किसी प्रकार का लेन-देन या व्यवहार करता है तो वह अपने जोखिम पर करेगा। मेरे मुवक्किलों व इनके परिवार के किसी सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

हस्ता./-
(दिवाकर चौधरी)
अधिवक्ता

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण श्रीमती फुलकुमारी और महैन्द्र निवासी डी-2/ 348-349, नन्द नगरी, दिल्ली-93 ने अपनी पुत्री सुजाता के दुर्व्यवहार के चलते तथा एक शादी शुदा आदमी के बहकावे में आकर वह अपने माता पिता व अन्य परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है अतः हमारे मुवक्किलगण सुजाता से सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद करते हैं भविष्य में कोई भी व्यक्ति अगर सुजाता से लेन देन करता है तो उसके लिए जिम्मेदार स्वयं होगा हमारे मुवक्किलों व उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भवदीय
इलीन सारस्वत (एडवोकेट)

PUBLIC NOTICE

My client **Mr. Ram Kishan** S/o Sh. Ram Nath R/o H.No.534, T-Camp, Krishna Colony, Kali Basti Hastsal, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have severed their relations from his sons **(1) Rajesh Kumar (2) Raj Kumar** and **(3) Mukesh Kumar** all S/o Ram Kishan, and disowned and debarred them from all movable and immovable properties and shall not be responsible for any acts, deeds and things done by his sons **Rajesh Kumar, Raj Kumar** and **Mukesh Kumar**, in past, present and future. Any one who deals with them shall be doing at his/her/their own cost and risks and my client will not be held responsible of their acts. **Shiv Datt Atri** (Advocate) S.R.-11, Distt. Centre, Janakpuri, New Delhi-110058.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I AMLESH KUMAR, S/o SHRI DEVI SINGH residing at H.No.35, 3rd Floor Gali No.9, South Anarkali Extension, Krishna Nagar, East Delhi, Delhi-110051 declare that name of my minor daughter GREENA aged 15 years has been wrongly written as GREENA KUMAR in her 10th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of my minor daughter is GREENA, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Our clients (1) Shri Vinay Sharma S/o. Shri Harswaroop Sharma, and (2) Smt. Kamlesh Sharma W/o. Sh. Vinay Kumar Sharma, both R/o. House No. 5/308 D, Mohalla Sarai, Shahdara, Delhi -110032, hereby disown their son Shri Nitin Sharma S/o. Shri Vinay Kumar Sharma and their Daughter-in-law Smt. Tanu Sharma W/o. Sh. Nitin Sharma debar them from inheriting any movable or immovable property belonging to our clients. Any one dealing with the aforesaid son and daughter-in-law of our clients shall be doing so at his own risk and consequences.

MADHUR ARORA-ADVOCATE
5/25A, LGF, Janpura-B, New Delhi -110014

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client, Mrs. Indira Sethi, W/o Late Sh. Nand Lal Sethi, R/o C-54 Ratnakar Apartment, Plot 21 Sector 4, Dwarka, New Delhi has severed all her relations with her son Girish Sethi and disowned him from her properties and life as he has become disobedient, disloyal and disrespectful to my client and has been acting against her interest. Anybody dealing with Girish Sethi shall be doing so at his/her own risk, cost and responsibly and my client shall not held responsible in any manner whatsoever for any of his acts.

MRITUNJAY KUMAR SINGH (Advocate)
D-9, Ground Floor, Jangpura Extension, New Delhi-14

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Mr. Kamlesh Kumar S/o Sh. Anand Kumar R/o B-111, South City-1, Saini Khera, Gurgaon, Haryana, has lost the orginal document of property bearing No. E403, Pawittra Apartments, Vasundhra Enclave, New Delhi, belonging to his father Sh. Anand Kumar. The lost documents were original allotment letter, handing & taking over document, share certificate, conveyance deed etc., regarding which e-FIR No. SD-SA-001049 dated 8.9.2019 has been registered with e-Police Station (Saket, South District). If the above documents are found by anyone, they may kindly deposit the same with the police station or return to my above said client.

Sd/-
(Aman Mehta)
Advocate
Ch. No. 145, Patiala House Courts, New Delhi.
M-09818023754

PUBLIC NOTICE

Public at large hereby informed that my clients Shri Sati Ram Yadav S/o Sh. Balikaran and his wife Smt. Sonaji Devi both R/o Village-Katholi Distt. Azamgarh, P.S. Nizamabad, P.O. Mirja Pur, U.P. has debarred and disowned their Son namely Sh. Deep Chand (Eldest Son) and his wife namely Smt. Amla Devi and their children namely Master Prince & Baby Khushi, from their moveable and immoveable properties due to their adamant, arrogant & disrespectful behavior and also severed their relations with them. If anybody deals with them in any manner, he/she shall do so at his/her own risks, costs and consequences. My above said clients shall not in any manner be liable and responsible for the same.

Vasant Kumar (Advocate)
Ch. No. 181 Saket Courts, Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

"Be it known to public at large that my client Sh. Rajesh Kumar S/o Sh. Bhim Singh R/o H.No. 244, Village Nawada, New Delhi-110059 severes all his relations with his sons namely Tushar @ Twinkle and Ramandeep @ Rohit as their acts and deeds are prejudicious to the interest of my client and disown them from all his movable and immovable properties. Anybody dealing with them shall do the same at their own risk and consequences and my client shall not be responsible in any manner whatsover.

Sd/-
Vinod Kumar
(Advocate)
EN. NO. D-243/98R

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the general public at large for and on behalf of my clients that namely Sh. Dharam Pal S/o Sh. Hari Chand, & Smt. Birwati R/o 208, Shiv Mandir, Alipur, Gurgaon, Haryana-122102, that my clients have severed all their relations and connections with their son Sh. Lalit Dagar & daughter in law Smt. Pinki, and have disowned them from all their moveable and immovable properties. My clients will not be responsible for any of their acts and deeds. Any person whosoever deal with them in any manner shall be doing so at his/her own risk and responsibility.

Jitender Singh (Advocate)
Ch. No. 325 Saket Courts, Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

This is to inform the General Public at large in their own interest that my Client, SH. RAM NIWAS GARG S/O SH. MOMAN RAM GARG R/O HOUSE NO. 49, UPPER GROUND, POCKET 15A, SECTOR-24, ROHINI, DELHI-85, hereby disown his son MR. MUKESH GARG age 35 Years for his misconduct and alleged threat to my client's life. It is further declare that MR. MUKESH GARG will not participate in funeral events in case of my client's death. It is further declare that MR. MUKESH GARG shall not inherent any of my client's immovable or movable property and shall not be entitled to the grant of probate to my client's will. It is further declare that any business with MR. MUKESH GARG in respect to me is doing that in his/her own risk, will be doing so at his own peril and costs. It is further declare that any of unborn child of MR. MUKESH GARG shall not be inherent any of my client's immovable or movable property. General Public, Please Take Note.

Kul Bhushan Gakkhar (Advocate)

नवान्न चलो अभियान के दौरान हिंसक झड़प, कई घायल

जनसत्ता संवाददाता
कोलकाता, 13 सितंबर।

वामपंथी संगठनों के राज्य सचिवालय नवान्न चलो अभियान के दौरान शुक्रवार को इन संगठनों के कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया (डीवाईएफआई) समेत 12 वामपंथी संगठनों के सदस्यों ने शिक्षा से लेकर रोजगार तक की मांग में हुगली जिले के सिंगुर से हावड़ा जिले में स्थित राज्य सचिवालय नवान्न तक एक रैली की थी। सिंगुर वही जगह है जहां टाटा की लखटकिया कार परियोजना लगनी थी।।

वाम संगठनों की यह रैली 12 सितंबर को सिंगुर से रवाना हुई थी और उसे आज राज्य सचिवालय पहुंचना था। कल रात यह रैली डानकुनी में रुकी थी। वहां से सुबह रवाना होने के बाद पुलिस ने हावड़ा के मल्लिक फाटक इलाके में पहले बैरिकेड लगा कर रैली को रोकने का प्रयास किया। लेकिन रैली में शामिल लोग पुलिसवालों से भिड़ गए। रैली में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

पुलिसवालों के लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। दूसरी ओर, पुलिस का दावा है कि रैली में शामिल लोगों की ओर से पथराव के बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, पथराव में एक वरिष्ठ अधिकारी को सिर में चोटें आई हैं।

पुलिस और वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच होने वाली झड़पों की वजह से इलाके में आंतक फैल गया। इन झड़पों की वजह से कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक ठप हो गया और घंटों लंबा जाम लगा रहा। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया, रैली में शामिल लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया तो वह लोग पथराव करने लगे।

PUBLIC NOTICE

सभी को सूच

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Anchal Jain S/O Alok Kumar Jain R/O 5 Tanjong Rhu Road, the waterside 07-01, Singapore 436882 have changed name of my minor daughter, Indian Passport number P6313480 from Daanyah Kaur Chhatwal to Daanyah Kaur Jain-Chhatwal Vide Affidavit No IN-DL30762987535761R, dt 29/07/2019. 0050155041-1

We(1) Sarbjit Singh Bedi S/o I. S. Bedi (2)Navneet Kaur W/o Sarbjit Singh Bedi R/o-85-C Antriksh-Appartment Sector-14, Rohini Delhi-110085, have changed the name of our minor daughter Jeevan Jyot Bedi aged-14Years and she shall hereafter be known as Jeevanjot Kaur Bedi for all future purposes. 0040512277-5

I,Smt. Manju Spouse of No.8036061A NK Om Prakash Manth Resident of-Village & Post-Kari,Tehsil-Nawalgarh, Distt.-Jhunjhunu,Rajasthan-333311,have changed my name from Smt. Manju to Manju Devi for all future purposes. 0040512249-1

I,Sangeeta Singh W/o Akhileshwar Kumar Singh R/o C-703,Mahesh Apartments, Vasundhara Enclave,Delhi-110096,have changed my name to Sangita Singh for all future purposes. 0040512257-1

I,Ruchika Saxena W/o Manoj Johri R/o-E-3/60 Paradise Apartment,Sector-18,Rohini, New.Delhi-110085,have Changed my name to Ruchika Johri for all Future purposes. 0040512235-1

I, Vivek Kumar Chaturvedi s/o Vashisht Chaturvedi r/o F-2/224-25, Mangol Puri, Delhi-110083 have changed my name to VIVEK CHATURVEDI. 0040512224-2

I,Rakhi Girdhar W/o-Mr. Rajeev Girdhar R/o-A-4/C 146 Janakpuri,New.Delhi-110058, have changed my name from Rakhi Girdhar to Rakhee Girdhar for all Purposes. 0040512249-2

I,Rajbir Singh S/o-Chandan Singh,R/o-Village Hasanpur, P.O.Ujwa,New.Delhi-73,have Changed the name of my minor son Subham Singh to Shubham Singh for all Purposes 0040512257-2

I, hitherto known as Tony Kumari D/o Sh. Kanhya Lal employed as Senior Branch Manager, Bank of India, Indirapuram Branch, Distt. Ghaziabad U. P., residing at House No. 452, Shakti Khand-III, Indirapuram, Ghaziabad P/o Indirapuram, Distt. Ghaziabad have changed my name and shall thereafter the known as Tanya Singh. 0040512300-1

I, hitherto known as Ravi Vignesh s/o Sh.Ramasubbu Ravi, employed as PGT in Amrita Vidyalayam, Saket, New Delhi, residing at B-390 UGF, Greenfields, Faridabad, Haryana-121003, have changed my name and shall hereafter be known as Vignesh Ravi Iyer. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0070674109-1

I, Waseema W/o Mohd. Shahid R/o H.No.1088/47, Katra-Gulam Mohd. Lal-Kuan, New Delhi-06.have changed my name From to Waseema Shahid permanently. 0040512297-1

I, Vishnu Kumar Verma S/o Shri Gauri Shankar Verma R/o F-59, Gali No.7, Subhash Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, have changed my name from Vishanu Verma to Vishnu Kumar Verma forever. 0040512233-1

I, Vikram Singh S/O, Lalchand Yadav R/o DG02, Mahindra Aura Sector-110A, New Palam Vihar, Gurgaon HR 122017, have changed my name to Vikram Singh Yadav. 0040512333-1

I, Uday Kumar, S/o Baldeo Sah R/o-237/1 Gali No.1 Village-Chhlera Sector-44 Gautam Budh Nagar UP-201301 changed my name to Uday Kumar Sah. 0040512310-5

I, Tej Krishen Koul S/o Arjan Nath Kaul R/o B-1/91 Ground Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063 have changed my name to Tej Krishen Kaul for all purposes. 0040512211-1

I, Sushma W/o No.14831385F Sep/MT Dige Vishal Vasant R/o Vill. Kapsal, Tal. Chiplum, Distt-Ratnagiri (MH) 415605. have changed my name from Sushma to Sushama Vishal Dige, as per Affidavit No.1050/2019. 0040512228-2

I, Surinder Singh S/o Kulwant Singh R/o-D-16,1st floor,East of kailash,Delhi,have Changed my minor Son Name Jasnoor Singh to Jasnoor Singh Oberoi 0040512083-2

I Vinod Mandal S/o. Joginder Mandal R/o-C-111, Paryawaran-Complex, Mehrauli, South-delhi-110030. have changed my name to Ram Sikil Mandal, for future purposes. 0040512310-9

I Savita Sajwan S/O Ravindra Singh R/O House No-606, Type-2, R.K. Puram, Sector-5, Delhi-110022 Have Changed my Name to Savita. 0040512256-7

व्यक्तिगत

I, Surabhi Rajpoot W/o Mayank Singh R/o-GH-6/93, Prachin Apartment,Paschim Vihar,Delhi-110087,have changed my name to Surbhi Singh for all purposes. 0040512235-2

I, Sunita W/o Late Sh. Krishan Chand, R/o: H. No.-2259, Block No.-EE, Jahangir Puri, Delhi, do hereby informs that I have changed the name of my daughter from Kareena to Niharika in future for all purposes. 0040512253-1

I, Sunil Dixit S/o Sharda Ram R/o-Village & Post-Bhainsrawli Tehsil-Ballabgarh, Faridabad have Changed My Minor Son's name Khanek Dixit to Yuvraj Dixit 0040512213-1

I, Shyam Lal S/o Hari Chand, R/o House No-538, Ward No-10, Near Mata Darwaja, Gopal Colony, Rohtak, Haryana-124001, name of mine has been wrongly written as Shayamlal Sachdeva in my daughter Mamta Sachdeva School Certificate of 10th Class. The actual name of mine is Shyam Lal. 0070674107-1

I, Sneha Das R/o, C7/241 A Lawrence Road Keshav Puram, Delhi - 110035 have changed my to Sneha Dass. 0070674091-1

I, Sonu S/o Rambir Singh R/o A-2/578 Gali No.27 Gamri Delhi-110053 changed my name to Bhishm Singh for all purposes. 0040512277-6

I, Sheeja Sudhakaran W/o No-JC-699545-P RANK-SUB/MAJ. V V Sudhakaran R/o Valiya Valappil House, Sayoojyam, Narickode, Muzhappala, Distt-Kannur, Kerala-670611. have changed my name from Sheeja Sudhakaran to Sheeja K K, vide affidavit dated 02/09/2019. 0040512228-1

I, Shamy Cherian W/o Cherian Joseph R/o-D-II/44-B, MayurVihar, Phase-III, Delhi-110096,inform that my name has been wrongly written Shami Varghese in my minor son Thomas Cherian School Records, but actual name is Shamy Cherian. 0040512277-3

I, Shahid Ahmed S/o Mohd.Usman R/o-H.No. 1088/47, Katra-Gulam Mohd. Lal-Kuan, New Delhi-06 have changed my name From to Mohd. Shahid permanently. 0040512297-2

I, Satish Kumar Raikwar S/o Ram Charan Raikwar R/o PD-120-C, Pitampura Delhi-110034, have changed my name to Satish Kashyap permanently. 0040512254-1

I, Satish Aggarwal S/o Om Parkash Aggarwal R/o-C-144 Anand-Vihar Delhi-110092, have changed my name to Satish Kumar Aggarwal for all purposes. 0040512256-10

I, Satbir Singh S/o Nathu Ram R/o-H.No.116, Mundhela Khurd, New Delhi-110073, have changed minor daughter's name Sonu to Nyra Kharb. 0040512329-2

I, Sanjeev Kumar Sharma R/o-4/5, H2C, Sector-5, Rajender-Nagar Ghaziabad. have changed my son's name from Atharv Gaur to Atharv Sharma. 0040512297-7

I, Sanjai Kumar Yadava S/O Guru Prasad Yadava R/O-GH/D, Subzi-Mandi, Roshanara-Road, North Delhi-110007, Changed my name to Sanjay Kumar Yadav. 0040512297-3

I, Sangeeta Chakarverty W/o-Pralay Kumar Chakraborty R/o:Flat No-32, Pocket-10, Nasirpur, Dwarka, New Delhi-45.Have Changed My Name to Sangeeta Chakraborty. 0040512256-3

I, Sandeep Singh Bhatti S/o Sh.Chander Mohan Singh Bhatti R/o 1250, Rang Mahal, Behind Novelty Cinema, Delhi-110006 have changed my name to Gulshan Singh for all purposes. 0040512216-2

I, Sandeep Kumar S/O Satpal Singh R/O-Near Kanhiya Ram-Ankho Ka-Hospital, Ramganj-Mohalla-Bhiwani, Haryana-127021, Have Changed My Name To Sandeep Kumar Mehta. 0040512256-4

I, Sameer Masi S/o Ramesh Masi R/o 21, Village Patparganj, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi-110091, inform that name of mine, my wife name and my daughter's name wrongly written in my daughter's school record as Sameer Massey, Subreena Massey and Shiya Annie Massey instead of Sameer Masi, Subreena Masi and Shiya Annie Masi respectively. 0040512222-1

I, Rupesh Sharma S/o Satpal Sharma R/o-600/9, Mata-Colony, Ghookna, Opposite-Mariyam Nagar, Ghaziabad have changed my name to Roopesh Sharma. 0040512297-6

I Sanjay Kumar Mandal S/o Kolhay Mandal R/o 29, Village Amarpur, Post- Chutiya, Anchal-Banka, Distt-Banka, Bihar-813102, have changed my name to Ranjay Kumar 0070674095-1

I Ritika Kukreja W/o Kishor Kumar R/o G-22/291, Sector-7, Rohini, Delhi-110085 have changed my name from Arti Sachdev to Ritika Kukreja. 0040512230-1

I Mohammad Monis Meraj f/o Ayerah Meraj R/O G-45.A, East of kailash, New Delhi -110065 have changed my daughter's name to Aleeza Meraj. 0050155141-1

I, Radhey Shyam@Radhey Shyam Sharma@ R.S.Sharma S/o Ramanand R/o House.No.86, Second-Floor, Pocket-2, Sector-11 Rohini, Delhi have changed my name to Radhey Shyam Sharma, for all future purposes. 0040512297-8

I Suraj Parkash S/o Satpal Chopra R/o-A-33, Vivek-Vihar, PH-1, Delhi-have changed my name to Suraj Chopra. 0040512256-9

I, Parveen Mittal S/o-Om Prakash Mittal R/o-1, Upper Ground Floor, CU-Block, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Praveen Mittal for all purposes. 0040512276-1

I, Parbodh Kumar S/o Gopal Dass R/o 40/8472, 3rd Floor, Jaina Building, Roshnara Road, Delhi-110017 have changed my name to Parbodh Malhotra for all purposes. 0040512223-1

I, PUNKAJJ ARORA S/o-Janak Raj Arora R/o-E-3/12, Model-Town Delhi-110009. have changed my name from Pankaj Arora to PUNKAJJ ARORA, for all Purposes. 0040512329-1

I, Neeraj Arora S/o Mahesh Arora R/o AH-801, Amarpali Village, Nyay Khand-2, Indirapuram, Shipra Cun City, Ghaziabad, UP-201014, that name of my father has been wrongly written as Damodar Dass Kapoor in my Pan Number: BEQPK9432R. The actual name of my father is Mahesh Arora. 0070674108-1

I, Neelam B Sharma W/o-Shri Brij Vallabh Sharma R/o-Y-403, Siddartha Apartments, M.P. Enclave, Near Lok Vihar, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Neelam Brij Sharma for all purposes. 0040512272-1

I, Mohander Pal Singh S/o Rajinder Singh R/o DB-56E, DDA Flats, Hari Nagar, New Delhi-110064, do hereby solemnly affirm and informs that I have changed my name from Mohander Pal Singh to Mohinder Pal Singh for all future purposes. 0040512232-1

I, Mohammed Tasleem S/o. Mohammed Hamid R/O.-V-103, Taj-Enclave, Geeta Colony, Delhi-110031 have changed my name to Mohammed Tasleem Khan. 0040512256-1

I, Mohamad Haneef S/o Hazi Bashir Ahmed R/o-E-50 Behind Samrat-Cinema Shakurpur-Market Delhi-34,changed my name to Mohammed Hanif. also my DOB is wrongly mentioned 12.08.1954.in my passport but Correct DOB is 12.04.1958. 0040512138-10

I, Manoj Jain s/o Late Sh.Suresh Chand Jain R/o-C-272, Vivek-Vihar, Shahdara, Delhi-110095, have changed my name to Manoj Kumar Jain permanently. 0040512256-8

I, Madhawala Yadav W/o Arun Yadav R/o House No.59 Village & Post Office Begumpur Delhi-110086 changed my name to Madhu Bala 0040512277-1

I, Lt.Col.Romesh Chand Rattan (Retd.)alias Lt.Col. R.C.Rattan (Retd.) S/o Late Shri.Bishan Das R/o.Flat No.602, Mass-CGHS, Plot No.24, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 that Lt.Col.Romesh Chand Rattan (retd.) alias Lt.Col. R.C.Rattan (Retd.) are both the names of one and the same person i.e. me the dependent. 0040512256-5

I, Kusum verma W/o Sh.Sumit kumar verma R/o-H.No-A-1 Shambhu Dayal Bagh, Kalkaji New Delhi-110019, have changed my name Kushum Verma to Kusum Verma for all Purposes 0040512213-2

I, Kuldeep Singh Chauhan R/o 191, pocket-A, Sarita Viar, New Delhi-110076, have changed my name to Kuldeep Singh. 0070674097-1

I, Karuna Bala @ Karuna Sharma @ Karuna Bala Sharma W/o Sh.Ramesh Ganapathi D/o Sh.Kashmiri Lal R/o 127 B, 2nd Floor, DDA LIG Flats, Rajouri Garden, Delhi-110027 have changed my name to Karuna Bala Sharma for all purposes. 0040512216-1

I, Kamlesh Kumar at Sarkaghat, Himachal Pradesh do hereby declare vide affidavit.That my mother's actual & correct name is VEENA DEVI.But wrongly mentioned in my service records BEENA DEVI. 0040512228-3

I, Maheshanand S/o Bhola Dutt, R/o village Ulangra, Post office-Ulangra Chamoli Uttarakhand-246427, inform That Mahesh Prasad Kuniyal and Maheshanand Are same person. 0040512292-1

I, Kala Chauhan W/O-Late Shri.Surinder Singh R/O-H.NO 6, Near Shiv-Mandir, West-Ghonda, Gangotri-Vihar, Delhi-110053, have changed my name to Kalawati Chauhan. 0040512310-1

I Sanjeev Sharma S/o Kimti Lal Sharma R/o 18/9B, Moti Nagar, Delhi-15 have wrongly written my name is Sanjiv Sharma in my 10th Certificate (CBSE1989) instead of Sanjeev Sharma. 0040512256-2

I Gaurave Sawhney S/O Manish Kumar Sawhney R/O.WZ-55, A-169, Ganesh-Nagar, Tilak-Nagar, New Delhi-110018. have changed my name to Gaurav Sawhney, for all purposes. 0040512297-4

व्यक्तिगत

मै, श्रीमती पायल पत्नी लान्स नायक भूत विपुल कुमार, निवासिनी-ग्राम-आलिद्या, पोस्ट-मेन्दरडा, जिला-जूनागढ़, गुजरात, पिन-362260 ने कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ में दिनाँक-12.09.2019 को शपथ-पत्र देकर अपना नाम श्रीमती पायल से भूत पायलबेन विपुल कुमार करवा ली हूँ।

मैं अनूप कुमार उर्फ अनूप बाधवा पुत्र प्रेम देव भूषण, निवासी एन-३, दूसरा तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, ग्रीन पार्क मार्केट, हौज खास, नई दिल्ली-११००१६, ने अपना नाम अनूप कुमार उर्फ अनूप बाधवा से परिवर्तित कर अनूप बाधवा सभी उद्देश्यों हेतु रख लिया है।

I, Jagdish Lal Gera S/o Ram Lal Gera R/o-C-196 Third Floor Lajpat-Nagar-04 New Delhi-110024 changed my name to Jagdish Gera. 0040512310-6

I, Harish Chand Aggarwal S/o Late Roshan Lal R/o C-108, Gali No.6, Shastri Park, Delhi-53 have changed my name from Hari Chand Aggarwal to Harish Chand Aggarwal for all future purposes. 0040512248-1

I, Hamzar Dhabak S/o Abdul Salam Dhabak R/o-TA-13/1, Third Floor, Tughlakabad-Extn., Kalkaji, Delhi-110019. have changed my name to Hamjar Dhabak. 0040512329-4

I, Dropti D/o Shyam Lal and W/o Rajesh Kumar R/o Flat No-4, Type-2, NDMC Flats, 48 Babar Road, GPO, New Delhi-110001, declare that name of mine has been wrongly written as Draupadi in my minor daughter Geetanjali aged 15 years in her School Records. The actual name of mine is Dropti. 0070674093-1

I, Deepak S/o Sh. Bhajan Lal R/o DP-59 Pitampura Delhi-110034 have changed my name to Deepak Kumar for all purposes. 0040512277-2

I, Deepak Arora S/O P.L.Pahwa R/O H.No-1700, 3rd-Floor, Krishna Gali, Sohan Ganj, Near Kolhapur Road, Delhi-110007, Changed my name to Deepak Pahwa. 0040512297-9

I, Chandra Bhan Gupta R/O A-503, NPSC Society, Plot No 5, Sector 2, Dwarka, ND-75 informs that my Name was wrongly written as CB Gupta in my minor Son Pranjal Gupta's Xth Marksheet & Certificate. My actual full name is Chandra Bhan Gupta. 0040512342-1

I, Bismaya Panda S/o Late Sh.Bimbadhar Panda R/o B-2, 2nd-Floor, Shri.Ganesh Apartment, 121, Homes, Sector-121, Noida, Distt. Gautam Buddh Nagar, U.P have changed my name to Bismaya Prakash Panda for all purposes and Bismaya Panda & Bismaya Prakash Panda is one of the same person. 0040512310-2

I, Baljit Singh Sachdeva S/o late Labh Singh R/o-2/25, Phase-III, New Moti Nagar, New Delhi-15, changed my name to Baljit Singh. 0040512310-3

I, Avtar Kaur Sachdeva W/o Baljit Singh R/o-2/25, Phase-III, New MotiNagar, New Delhi-15, changed my name to Avtar Kaur. 0040512310-4

I, Annu Sharma W/o Vikram Sharma R/o-H.No.1/7347, Gali No-7, East-Gorakh-Park, Shahdara-North East Delhi-110032. have changed my name from Rajesh Sharma to Annu Sharma, for all future purposes. 0040512310-8

I, Anjali Grover D/o Ramesh Batra R/o-6/49 Ground Floor New Delhi-110060. have Changed my name to Anjali Batra. 0040512310-7

I, Amarjeet Singh, S/o Sh.Jaspal Singh R/o-9, Sant-Hazara Singh-Nagar, Sanaur, Patiala-147003. Presently at-New Delhi.,have changed my name to Inderjeet Singh, for all purposes in future. 0040512256-6

I, Alma Suman W/o Subhash Chander Suman (S.C. Suman) R/o TU-1 Vishakha Enclave Pitampura Delhi-110034 changed my name to Alma C Suman. 0040512277-4

I Sonia Sethi W/o Ramesh Kumar R/o-10/130 Geeta-Colony Delhi-110031. have changed my name to Satya Rani for all purposes 0040512297-10

I, 14629328XHAV, Armament, Tech Yeshpal Singh aged about 45years S/o Zela Singh, R/o-VPO-Bharsi, Tehsil & Distt-Shamli, Uttar Pradesh-247774, inform that in my army Service-Records, my son namely Sonu Panwar whose DOB is mentioned as 01-May-2000, whereas his correct-DOB is 01-May-2002 as per his educational records. 0040512329-3

I Vineet Kumar Monga S/O Satpal Monga R/O.37/7, first-floor, Ashok-Nagar, Tilak-Nagar, New Delhi-110018. have changed my name to Vineet Monga, for all purposes. 0040512297-5

I Vandana W/O Yogesh Chander Munjal R/O 159 Sector 15, Panchkula shall henceforth be known as Vandana instead of Vandana Munjal in the schoolrecord of my children Parisa Munjal and Punay Piyush Munjal vide affidavit (0003186966) sworn before Executive Magistrate Chandigarh 10/9/2019 0050155122-2

I, Sakshi Aggarwal w/o Suresh Chandra Pandey R/o H.No. 80-A ,Pocket B Mayur Vihar phase-2 Delhi-91 have changed the name of my minor son Keyvan Chandra Pandey aged 1 year and he shall hereafter be known as Keyvan. 0040511745-5

व्यक्तिगत

मै, लान्स नायक भूत विपुल कुमार, निवासी-ग्राम-आलिद्या, पोस्ट-मेन्दरडा, जिला-जूनागढ़, गुजरात, पिन-362260 ने कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ में दिनाँक-12.09.2019 को शपथ-पत्र देकर अपने बेटे का नाम पर्व से भूत पर्व विपुल कुमार करवा लिया हूँ।

CHANGE OF NAME

I, **PANKAJ PANWAR, S/o SHISHPAL**, residing at, Flat No B4/601, Tulip Orange, Gurgaon, Haryana, 122001, India, changed my name from PANKAJ to PANKAJ PANWAR vide affidavit dated **9.9.2019** sworn before Notary MAHENDER **S. PUNIA at GURUGRAM.** Henceforth, I shall be known as PANKAJ PANWAR for all purposes.

खोया+पाया

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main-Secondary Marksheet/Certificate-2007 and Roll No.6355152 , Senior Secondary Marksheet/ Certificate Examination of Year-2009 and 6645429 issued by CBSE has been actually lost. Urmila R/O-H.No.114, PKT-6, Sector-A5, Police-Colony, Narela, Delhi-110040 Tel.9711803148. 0040512329-11

It is notified for the information that my original mark-sheet of main secondary exam year-2012, Roll-No.8694961, passout from CBSE-Delhi has been actually lost. Deepali Manchanda. H.No.430, Pkt-1, Sec-A-6, Narela, Delhi-40. 0040512329-8

Lost original Last Endorsement Page of Perpetual lease for property No.E-112,Rewari Line Indsustrial Area, Phase-2, Mayapuri,New Delhi. Founder inform Manoj KumarTandon at: 9625773716. 0040512220-1

I, Aayushi Sharma D/O Subhash Sharma, have lost my Original CBSE Certificate of 10th Roll No-8655033, Year-2017. Finder Contact:- 9312651268. 0040512329-9

I, Anil Maggo S/o Late Bishamber Lal R/o B-22/2, Street No.7, South Anarkali, Delhi-110051 have lost my original Agreement to Sell & Receipt both executed on 21-09-1973 by Tripta Rani in favour of Bishamber Lal of abovesaid property. Finders may contact at above address. 0040512216-3

I, Shirsh Verma R/o 41B DDA Flats Jasola have lost my 10th and 12th marksheet issued by CBSE my roll no. are 7673846 and 8203414. 0040512114-1

I Arun Kumar Garg, S/o C.R.Garg R/o-Bj-111, Shalimar-Bagh West-Delhi-110088, have lost my Property-pepar payment receipts of my above-mentioned plot B-0255, Parsvnath-city, Sonipat were lost from Of residents address Bj-111, Shalimar-Bagh West-Delhi-110088. We were looking for the receipts on 5th-August-2019 and realised they were lost.Total of 9-receipts worth Rs.2112064. 0040512329-10

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client **RAJNI W/o Late INDERJEET SINGH R/o D-124, 4th- Floor Vijay Vihar Phase-2 Rohini Delhi-110085** have disowned and severed all her relations with her son **AMANDEEP SINGH @ ROKI** and his wife **DEEPIKA** and their daughter **SAMAIRA** debarred them from her movable and immovable properties/assets and their personal life Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/ their own risk cost and responsibility.

Sd/-
KAMAL SINGH
Advocate
Regn. No. D-748/14

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अनुपम देवी वर्मा पत्नी डा0 राम सूरत वर्मा निवासी 11B/202 सेक्टर 11 वृन्दावन कॉलोनी योजना सं0 3, लखनऊ की निवासी हूँ। मेरा आवास आवंटन पत्र संख्या 5680 दिनांक 26.09.2009 एवं म्यूटेशन पत्र संख्या 241 दिनांक 17.1.2011 कहीं गुम हो गया है। जिसकी प्राथमिकी दिनांक 07.09.2019 को मैंने उत्तर प्रदेश, वस्तु या अभिलेख खोने की रिपोर्ट क्रम संख्या 1547371 पर दर्ज की है। यह सम्पत्ति मेरी है और मैं इस सम्पत्ति पर निर्माण करा रही हूँ। श्रीमती अनुपम देवी वर्मा एवं डा0 राम सूरत वर्मा एस0बी0आई0 जवाहर भवन शाखा से गृहऋण लेना चाहते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति रखता हो तो कृपया 15 दिन के अन्दर शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 जवाहर भवन लखनऊ लैण्डलाइन नं0 0522-2286881 पर सूचित करें।

अनुपम देवी वर्मा एवं डा0 राम सूरत वर्मा
11, बी/202 सेक्टर 11 वृंदावन कालोनी, लखनऊ

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that W/s. Leena Promoters & Developers Pvt. Ltd. having its registered office at 2/3, (Also Known as 2-W/3), West Patel Nagar, New Delhi-110008 is owner of built up 1/2 (Half) undivided share of 2/3, (Also Known as 2-W/3), West Patel Nagar, New Delhi-110008, registered vide document No. 2226 in Addl. Book No. 1 Volume No. 6758 on Pages 80 to 155 dated 20.03.1995 and M/s Number One Construction Pvt. Ltd. having its registered office 2/3, (Also Known as 2-W/3), West Patel Nagar, New Delhi-110008 is owner of built up 1/2 (Half) undivided share of 2/3, (Also Known as 2-W/3), West Patel Nagar, New Delhi-110008 vide registered document No. 2225 in Addl. Book No. 1 Volume No. 6758 on Pages 1 to 79 dated 20.03.1995. Our both original Sale Deeds have been lost, if found send to 7, South Patel Nagar, New Delhi-110008. Mobile No. 9811211208.

Rattan Chand Taneja
Director
M/s. Leena Promoters & Developers Pvt. Ltd.
M/s Number One Construction Pvt. Ltd. &

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री भैरूराम एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीता दोनों निवासी मकान नं. सी-9/26, सुलतानपुरी, दिल्ली-110086 ने अपने पुत्र वेदप्रकाश व उसकी पत्नी श्रीमती प्रियंका के द्वारा दुर्व्यवहार एवं दुराचरण तथा मेरे मुवक्किलों के नियंत्रण से बाहर होने के कारण अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है तथा उनसे अपने सभी सामाजिक व पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिये हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे किसी प्रकार का लेन-देन या व्यवहार करता है तो वह अपने जोखिम पर करेगा। मेरे मुवक्किलों व इनके परिवार के किसी सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

हस्ता./-
(दिवाकर चौधरी)
अधिवक्ता

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण श्रीमती फुलकुमारी और महैन्द्र निवासी डी-2/ 348-349, नन्द नगरी, दिल्ली-93 ने अपनी पुत्री सुजाता के दुर्व्यवहार के चलते तथा एक शादी शुदा आदमी के बहकावे में आकर वह अपने माता पिता व अन्य परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है अतः हमारे मुवक्किलगण सुजाता से सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद करते हैं भविष्य में कोई भी व्यक्ति अगर सुजाता से लेन देन करता है तो उसके लिए जिम्मेदार स्वयं होगा हमारे मुवक्किलों व उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भवदीय
इलीन सारस्वत (एडवोकेट)

PUBLIC NOTICE

My client **Mr. Ram Kishan** S/o Sh. Ram Nath R/o H.No.534, T-Camp, Krishna Colony, Kali Basti Hastsal, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have severed their relations from his sons **(1) Rajesh Kumar (2) Raj Kumar** and **(3) Mukesh Kumar** all S/o Ram Kishan, and disowned and debarred them from all movable and immovable properties and shall not be responsible for any acts, deeds and things done by his sons **Rajesh Kumar, Raj Kumar** and **Mukesh Kumar**, in past, present and future. Any one who deals with them shall be doing at his/her/their own cost and risks and my client will not be held responsible of their acts. **Shiv Datt Atri** (Advocate) S.R.-11, Distt. Centre, Janakpuri, New Delhi-110058.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I AMLESH KUMAR, S/o SHRI DEVI SINGH residing at H.No.35, 3rd Floor Gali No.9, South Anarkali Extension, Krishna Nagar, East Delhi, Delhi-110051 declare that name of my minor daughter GREENA aged 15 years has been wrongly written as GREENA KUMAR in her 10th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of my minor daughter is GREENA, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Our clients (1) Shri Vinay Sharma S/o. Shri Harswaroop Sharma, and (2) Smt. Kamlesh Sharma W/o. Sh. Vinay Kumar Sharma, both R/o. House No. 5/308 D, Mohalla Sarai, Shahdara, Delhi -110032, hereby disown their son Shri Nitin Sharma S/o. Shri Vinay Kumar Sharma and their Daughter-in-law Smt. Tanu Sharma W/o. Sh. Nitin Sharma debar them from inheriting any movable or immovable property belonging to our clients. Any one dealing with the aforesaid son and daughter-in-law of our clients shall be doing so at his own risk and consequences.

MADHUR ARORA-ADVOCATE
5/25A, LGF, Janpura-B, New Delhi -110014

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client, Mrs. Indira Sethi, W/o Late Sh. Nand Lal Sethi, R/o C-54 Ratnakar Apartment, Plot 21 Sector 4, Dwarka, New Delhi has severed all her relations with her son Girish Sethi and disowned him from her properties and life as he has become disobedient, disloyal and disrespectful to my client and has been acting against her interest. Anybody dealing with Girish Sethi shall be doing so at his/her own risk, cost and responsibly and my client shall not held responsible in any manner whatsoever for any of his acts.

MRITUNJAY KUMAR SINGH (Advocate)
D-9, Ground Floor, Jangpura Extension, New Delhi-14

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Mr. Kamlesh Kumar S/o Sh. Anand Kumar R/o B-111, South City-1, Saini Khera, Gurgaon, Haryana, has lost the orginal document of property bearing No. E403, Pawittra Apartments, Vasundhra Enclave, New Delhi, belonging to his father Sh. Anand Kumar. The lost documents were original allotment letter, handing & taking over document, share certificate, conveyance deed etc., regarding which e-FIR No. SD-SA-001049 dated 8.9.2019 has been registered with e-Police Station (Saket, South District). If the above documents are found by anyone, they may kindly deposit the same with the police station or return to my above said client.

Sd/-
(Aman Mehta)
Advocate
Ch. No. 145, Patiala House Courts, New Delhi.
M-09818023754

PUBLIC NOTICE

Public at large hereby informed that my clients Shri Sati Ram Yadav S/o Sh. Balikaran and his wife Smt. Sonaji Devi both R/o Village-Katholi Distt. Azamgarh, P.S. Nizamabad, P.O. Mirja Pur, U.P. has debarred and disowned their Son namely Sh. Deep Chand (Eldest Son) and his wife namely Smt. Amla Devi and their children namely Master Prince & Baby Khushi, from their moveable and immoveable properties due to their adamant, arrogant & disrespectful behavior and also severed their relations with them. If anybody deals with them in any manner, he/she shall do so at his/her own risks, costs and consequences. My above said clients shall not in any manner be liable and responsible for the same.

Vasant Kumar (Advocate)
Ch. No. 181 Saket Courts, Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

"Be it known to public at large that my client Sh. Rajesh Kumar S/o Sh. Bhim Singh R/o H.No. 244, Village Nawada, New Delhi-110059 severes all his relations with his sons namely Tushar @ Twinkle and Ramandeep @ Rohit as their acts and deeds are prejudicious to the interest of my client and disown them from all his movable and immovable properties. Anybody dealing with them shall do the same at their own risk and consequences and my client shall not be responsible in any manner whatsover.

Sd/-
Vinod Kumar
(Advocate)
EN. NO. D-243/98R

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the general public at large for and on behalf of my clients that namely Sh. Dharam Pal S/o Sh. Hari Chand, & Smt. Birwati R/o 208, Shiv Mandir, Alipur, Gurgaon, Haryana-122102, that my clients have severed all their relations and connections with their son Sh. Lalit Dagar & daughter in law Smt. Pinki, and have disowned them from all their moveable and immovable properties. My clients will not be responsible for any of their acts and deeds. Any person whosoever deal with them in any manner shall be doing so at his/her own risk and responsibility.

Jitender Singh (Advocate)
Ch. No. 325 Saket Courts, Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

This is to inform the General Public at large in their own interest that my Client, SH. RAM NIWAS GARG S/O SH. MOMAN RAM GARG R/O HOUSE NO. 49, UPPER GROUND, POCKET 15A, SECTOR-24, ROHINI, DELHI-85, hereby disown his son MR. MUKESH GARG age 35 Years for his misconduct and alleged threat to my client's life. It is further declare that MR. MUKESH GARG will not participate in funeral events in case of my client's death. It is further declare that MR. MUKESH GARG shall not inherent any of my client's immovable or movable property and shall not be entitled to the grant of probate to my client's will. It is further declare that any business with MR. MUKESH GARG in respect to me is doing that in his/her own risk, will be doing so at his own peril and costs. It is further declare that any of unborn child of MR. MUKESH GARG shall not be inherent any of my client's immovable or movable property. General Public, Please Take Note.

Kul Bhushan Gakkhar (Advocate)

नवान्न चलो अभियान के दौरान हिंसक झड़प, कई घायल

जनसत्ता संवाददाता
कोलकाता, 13 सितंबर।

वामपंथी संगठनों के राज्य सचिवालय नवान्न चलो अभियान के दौरान शुक्रवार को इन संगठनों के कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया (डीवाईएफआई) समेत 12 वामपंथी संगठनों के सदस्यों ने शिक्षा से लेकर रोजगार तक की मांग में हुगली जिले के सिंगुर से हावड़ा जिले में स्थित राज्य सचिवालय नवान्न तक एक रैली की थी। सिंगुर वही जगह है जहां टाटा की लखटकिया कार परियोजना लगनी थी।।

वाम संगठनों की यह रैली 12 सितंबर को सिंगुर से रवाना हुई थी और उसे आज राज्य सचिवालय पहुंचना था। कल रात यह रैली डानकुनी में रुकी थी। वहां से सुबह रवाना होने के बाद पुलिस ने हावड़ा के मल्लिक फाटक इलाके में पहले बैरिकेड लगा कर रैली को रोकने का प्रयास किया। लेकिन रैली में शामिल लोग पुलिसवालों से भिड़ गए। रैली में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

पुलिसवालों के लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। दूसरी ओर, पुलिस का दावा है कि रैली में शामिल लोगों की ओर से पथराव के बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, पथराव में एक वरिष्ठ अधिकारी को सिर में चोटें आई हैं।

पुलिस और वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच होने वाली झड़पों की वजह से इलाके में आंतक फैल गया। इन झड़पों की वजह से कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक ठप हो गया और घंटों लंबा जाम लगा रहा। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया, रैली में शामिल लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया तो वह लोग पथराव करने लगे।

PUBLIC NOTICE

सभी को सूच

रसभरी आवाज से उपजी कॉमेडी

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

ड्रीम गर्ल

रेटिंग- ★★★

निर्देशक- राज शांडिल्य

कलाकार- आयुष्मान खुराना, नुसरत भरूचा, अन्नू कपूर, विजय राज, राजेश शर्मा, मनजोत सिंह

एक लड़का है करमवीर (आयुष्मान खुराना)। बचपन से ही लड़कियों की आवाज निकालने में माहिर। उसकी इसी खासियत की वजह से उसे रामलीला में हमेशा सीता की भूमिका मिलती है और कृष्णलीला में राधा की। हालांकि वो बड़ा हो चुका है और ये भूमिकाएं नहीं करना चाहता पर लोग उसकी आवाज पर फिदा हैं। लेकिन वो बेरोजगार है और नौकरी पाने के लिए काफी भटकता है। आखिरकार उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। पर वहां भी पूजा नाम की एक लड़की की आवाज निकालनी है जो फोन करनेवालों से रसभरी बातें करती है। कॉल सेंटर में फोन करने वालों के बीच करमवीर नाम के ये बंदा हिट हो जाता है। उसके कई दीवाने हो जाते हैं। इनमें एक पुलिस वाला (विजय राज) है और दूसरा खुद करमवीर का पिता (अन्नू कपूर) है और एक लड़की भी जो एक जगह संपादक है और मर्दों को नापसंद करती है। एक दीवाना तो उसके प्यार में अपनी नशें काट लेता है। अब करमवीर क्या करे? हालात अजीब हो रहे हैं।

'ड्रीम गर्ल' इसी लड़के करमवीर का किस्सा है और उसके साथ उन लोगों का भी जो किसी भी उम्र के हों, किसी वजह से ऊबे हुए हैं या दुनिया में तन्हा हैं और कॉल सेंटरों में घंटों फोन करते रहते हैं और उनकी आय बढ़ाते रहते हैं। बिना ये जाने कि जिससे फोन पर बात कर रहे हैं वो पुरुष है या स्त्री, उससे दोगुनी उम्र की है या आधे उम्र की। निर्देशक राज शांडिल्य ने इसी के इर्द-गिर्द एक हास्य फिल्म रची है, जिसमें कॉमेडी का भरपूर डोज है। बीच में करमवीर और माही (नुसरत भरूचा) की प्रेम कहानी भी है। पर इसकी अहमियत भी कॉमेडी को और फैलाने के लिए है।

फिल्म पूरी तरह से आयुष्मान खुराना के कंधों पर है। उनकी कॉमिक टाइमिंग गजब की है। उनके अलावा इस फिल्म में दो और अभिनेता हैं, जो कॉमेडी के डोज को डबल कर देते हैं। एक तो हैं विजय राज, वो एक ऐसे पुलिस कांस्टेबल की भूमिका में है जो शायर बनना चाहता है और हर बात में अपनी अजीबो-गरीब शेर सुनाया करता है। यहां तक कि थाने में एफआइआर लिखते हुए भी बीच में अपने शेर लिख देता है। दूसरे अभिनेता हैं अन्नू कपूर जिन्होंने करमवीर के पिता की भूमिका निभाई है, जो उम्र के इस दौर में शादी के लिए अपना मजहब भी बदलने को तैयार हो जाता है। निर्देशक ने हर दृश्य में हंसी पैदा करने की कोशिश की है और इस फिल्म के हर संवाद में एक नुकीलापन है। फिल्म में तीन गाने भी हैं। हालांकि वे आगे याद नहीं रखे जाएंगे पर फिल्म के भीतर ठीक लगते हैं।

कानूनी जिरह और इंसाफ

आप इस फिल्म का मजा तभी ले पाएंगे अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि किसी भी मुकदमे के सिलसिले में गवाहों से जिरह निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट में होती है हाई कोर्ट में नहीं। इस फिल्म में वकीलों के बीच बहस और गवाहों से जिरह हाई कोर्ट में होती है और इसमें कोई शक नहीं कि बतौर अदालती ड्रामा यह एक अच्छी फिल्म है। पर इस फिल्म का मुख्य मकसद यह बताना है कि निर्भया कांड के बाद महिलाओं के यौन शोषण को लेकर कानून में जो बदलाव हुए उनमें खामिया हैं और इसका चालाकी से दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसमें एक लड़की है अंजलि दामले (मीरा चोपड़ा)। वो मुंबई के मध्यवर्गीय इलाके में रहती है और फिल्म उद्योग में एसिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करती है। एक दिन वो बन रही एक फिल्म के निर्देशक रोहन खुराना (राहुल भट्ट) के यहां कॉस्ट्यूम दिखाने जाती है। खुराना उसका यौन शोषण करता है।

मामला अदालत में जाता है जहां से खुराना को दस साल की सजा हो जाती है। खुराना की पत्नी हाई कोर्ट जाती है जहां उसका वकील तरुण सलूजा (अक्षय खन्ना) अपनी दलीलें देकर ये साबित करने की कोशिश करता है कि खुराना को अंजलि ने अपने बनाए जाल में फंसाया है। अंजलि की वकील है हीरल (ऋचा चड्ढ़ा), जो खुराना को सजा दिलाने के लिए आमदा है।

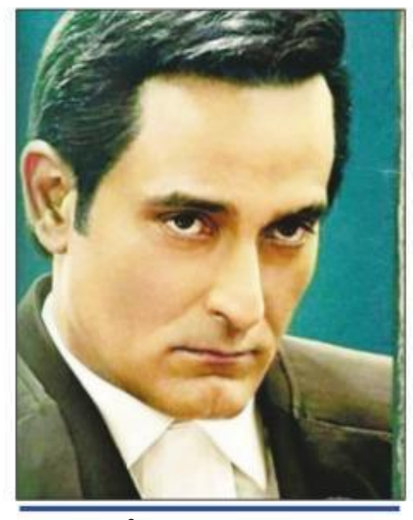

सेक्शन 375

रेटिंग- ★★★

निर्देशक- अजय बहल

कलाकार- अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढ़ा, मीरा चोपड़ा, राहुल भट्ट

क्या है हकीकत? जो अंजलि कह रही है या जो खुराना का वकील सलूजा कह रहा है? अदालत में दोनों की दलीलें एक दूसरे को काटने की कोशिश करती हैं।

पर फैसला किस ओर होगा? और क्या सिर्फ वकीलों के दलीलों के आधार पर होगा या मीडिया में जो चल रहा है उसका भी प्रभाव अदालती फैसले पर पड़ेगा? खुराना के खिलाफ अदालत में ही नहीं, मीडिया में मुकदमा चल रहा है और मीडिया ट्रायल का प्रभाव जजों पर भी होता है। बतौर अभिनेता देखें तो ये फिल्म अक्षय खन्ना की है, जिन्होंने जिस ठंडे तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष पेश किया है वो बेहद उम्दा है। सरकारी वकील की भूमिका में ऋचा चड्ढ़ा भी अदालती दृश्यों में जमी हैं। मीरा चोपड़ा ने अंजलि के किरदार में शुरू में मासूम दिखती हैं पर बाद में जटिलता आती है।

फिल्म की शुरुआत में वकील तरुण सलूजा का कानून के विद्यार्थियों के बीच एक व्याख्यान है, जिसमें वो कहता है कि कानून और इंसाफ अलग चीजें हैं और कई बार कानून जीतता है इंसाफ नहीं। यह फिल्म यही जताने के लिए बनाई गई है कि कई दफे कानून और मीडिया ट्रायल मिलकर इंसाफ को परे धकेल देते हैं। फिल्म में कोई गाना नहीं है और इसके संवाद भी चुस्त हैं।

दिल्ली में बसों की घटती संख्या

कठिन होगी सम-विषम की राह

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली में लगातार बसों की संख्या कम हो रही है। बसों की यह कमी आने वाली सम - विषम योजना में दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ा सकती है। कॉमनवेल्थ खेलों में खरीदी गई लाल हरी बसें भी अब पुरानी हो गई हैं और बीच राह में यात्रियों को छोड़ रही हैं। अधिक दबाव होने की वजह से इन बसों के ब्रेकडाउन बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में एकाएक निजी वाहन कम होते हैं तो यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि 8-10 माह के अंदर दिल्ली की सड़कों पर नई बसें उपलब्ध होंगी। दिल्ली सरकार 4000 बसें लाने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली सरकार अब तक क्लस्टर बस सेवा में शामिल की जा रही बसों के दम पर ही संख्या बढ़ने का दावा करती रही है। दिल्ली सरकार ने नई बसें लाने की कई योजनाओं को मंजूरी दी है लेकिन ये बसें अभी प्रक्रिया में हैं। इसी आधार पर दिल्ली सरकार नई चार हजार बसें लाने का दावा कर रही है। भाजपा नेता हरीश खुराना की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में डीटीसी की बसों में लगातार कमी आ रही है। इस कमी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2019 तक दिल्ली के पास 3600 डीटीसी की बसें उपलब्ध थीं। इन बसों से प्रतिदिन 20-25 लाख यात्री सफर कर रहे हैं, जबकि इस समय में 1679 क्लस्टर (संतरी) बसें चलाई जा रही हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली को करीब 20 हजार बसों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक डाटा के मुताबिक सबसे अधिक गाड़ियां बीते वर्ष अक्तूबर 2018 में ही ब्रेकडाउन हुई थीं। यह संख्या 145 थी जबकि यह सामान्य दिनों में 30-40 बस प्रतिदिन तक थी। दिल्ली में 'आप' सरकार ने दो बार सम-विषम की व्यवस्था को लागू किया है। इस दौरान भी वातावरण में पीएम 2.5 की मात्रा कम नहीं थी।

बसों की गिरती संख्या

वर्ष	बसों की संख्या
2010-11	6204
2011-12	5892
2012-13	5445
2013-14	5223
2014-15	4712
2015-16	4352
2016-17	4027
2017-18	3974
2018-19	3894
2019-20	3781

दिल्ली सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत खुद यह रिपोर्ट दी है। भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने बताया कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 को पहली सम-विषम व्यवस्था के दौरान सामने आया था कि प्रदूषण के प्रमुख चार केंद्र आरकेपुरम, मंदिर मार्ग, पंजाबी बाग और आनंद विहार में पीएम 2.5 की मात्रा अधिक थी। इन जगहों पर न्यूनतम स्तर पर पीएम 2.50 का आकलन 105 और अधिकतम 507 तक पहुंचा था। जो बेहद ही चिंता जनक हालत है। इसके अतिरिक्त जब 16-21 जनवरी के बीच इन्हीं जगहों की स्थिति का आकलन किया गया तो यह अधिकतम स्तर में 342 और न्यूनतम स्तर में 103 तक दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि खुद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया था कि इस योजना का लाभ दिल्ली को अधिक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हालांकि इस वजह से आम जनता को बसें नहीं मिलने से परेशानी हुई थी।

55 माह में फेल साबित हुई है दिल्ली सरकार : तिवारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली में पिछले 55 माह में दिल्ली सरकार फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व हुए सम-विषम पर भी दिल्ली सरकार ने 20 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए थे लेकिन कुछ दिन बाद ही जांच में सामने आया था कि प्रदूषण का स्तर सामान्य से अधिक था। भाजपा नेता विजय गोयल और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा।

प्रदूषण पर जवाब नहीं देते मुख्यमंत्री : यूसुफ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारुन यूसुफ ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में सम-विषम योजना लागू कर जनता का ध्यान उन्हें प्रभावित करने वाली समस्याओं से हटाना चाहती है। केजरीवाल को लगता है कि वह एक जादूगर की तरह हैं, जो यह भ्रम पैदा करने के लिए अपनी जादू की छड़ी को घुमाते हैं कि सम-विषम योजना से राजधानी में प्रदूषण और यातायात की समस्या को दूर कर सकते हैं, लेकिन वे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर कोई जवाब नहीं देते हैं।

हारुन यूसुफ ने कहा कि सभी जानते हैं कि 2016 में केजरीवाल सरकार की ओर से लागू की गई अंतिम सम-विषम योजना के बाद क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि सम-विषम योजना पर विभिन्न मुद्दों पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं कि इससे दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को नीचे नहीं लाया जा सका है। यूसुफ ने कहा कि केजरीवाल ने तब कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों के खेतों में जल रही पराली है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कई वादे भी किए थे और यहां तक कहा कि वह इस तथ्य से दुखी हूं कि प्रदूषण छोटे बच्चों के फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। यूसुफ ने पूछा कि केजरीवाल पिछले तीन सालों से चुप क्यों है? अब चुनाव आते यह घोषणा कर रहे हैं।

'बसों में लागू की जाए पैनिक बटन की व्यवस्था'

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार को आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक बसों में पैनिक बटन की व्यवस्था को लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया जाए कि सभी डीटीसी, क्लस्टर व स्कूल की बसों में महिला हेल्पलाइन नंबर स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किया जाए। ये आदेश उपराज्यपाल ने महिला सुरक्षा की टास्क फोर्स की बैठक में दिए।

उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि सभी डार्क स्पॉट्स की नियमित तौर पर जांच की जाए ताकि हादसों में कमी लाने में मदद मिले। 2016 में दिल्ली में 7438 डॉर्क स्पॉट्स थे, जो वर्ष 2019 में घटकर 2780 रह गए हैं। डीटीसी ने बैठक में यह भी जानकारी दी कि सीसीटीवी व पैनिक बटन वाली 1000 बसों को लाने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। ऐसी 25 बसें अगस्त में ही बेड़े में शामिल की गई हैं जबकि शिक्षा विभाग ने बताया कि 892 सरकारी स्कूलों में अब तक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अतिरिक्त 63 स्कूल के बार भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दिसम्बर तक सभी स्कूलों सीसीटीवी कैमरा निगरानी व्यवस्था लागू होगी।

ठेका कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाएगा विशेष बोर्ड : राय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

निजी संस्थानों में ठेके (अनुबंध) पर काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष सलाहकार बोर्ड बनाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इससे ठेका कर्मचारियों की समस्या का हल तेजी से निकाला जा सकेगा। श्रम मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को भूख हड़ताल पर बैठे कैट्स एंबुलेंस कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद यह हड़ताल समाप्त हुई है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने कैट्स कर्मचारियों का वेतन समय पर देने के आदेश दिए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि बैठक में तबादले को लेकर भी एक पारदर्शी नीति बनाने के आदेश दिए हैं ताकि इस प्रक्रिया में होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

नियुक्तियां

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
'NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED'
(A Govt. of India Undertaking)
Trusted Since 1906

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता-700071
सीआईएन नं0 : U10200WB1906GOI001713, आईआरडीए पंजीकरण सं0 58

साचिविक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए साचिविक लेखा-परीक्षा के संचालन हेतु प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पूर्ण स्वामित्वाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, प्रधान कार्यालय- कोलकाता आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट https://nationalinsurance.nic.co.in पर लॉग ऑन करें।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : 30 सितंबर, 2019

Ad UIN : 029a/19-20

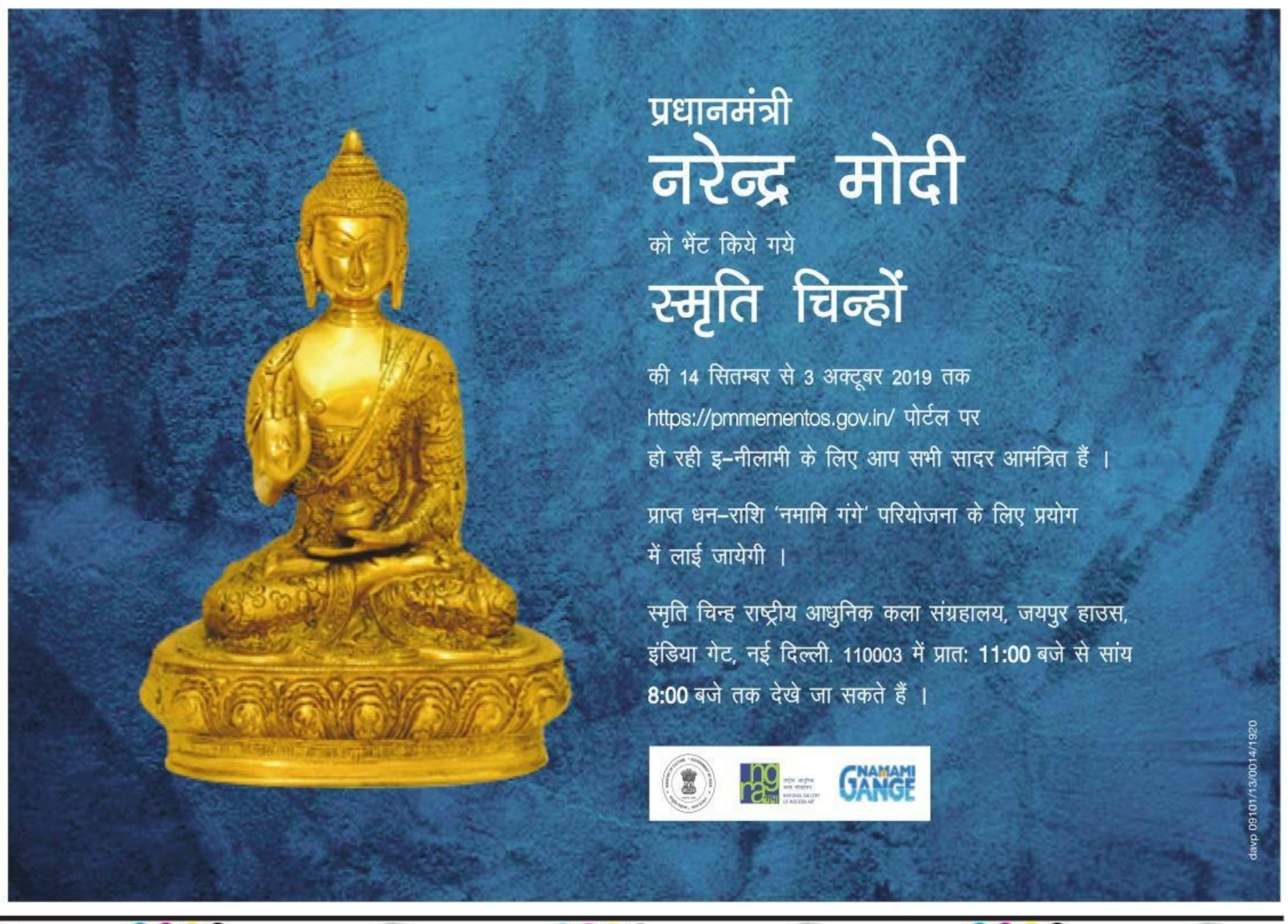

रसभरी आवाज से उपजी कॉमेडी

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

ड्रीम गर्ल

रेटिंग- ★★★

निर्देशक- राज शांडिल्य

कलाकार- आयुष्मान खुराना, नुसरत भरूचा, अन्नू कपूर, विजय राज, राजेश शर्मा, मनजोत सिंह

एक लड़का है करमवीर (आयुष्मान खुराना)। बचपन से ही लड़कियों की आवाज निकालने में माहिर। उसकी इसी खासियत की वजह से उसे रामलीला में हमेशा सीता की भूमिका मिलती है और कृष्णलीला में राधा की। हालांकि वो बड़ा हो चुका है और ये भूमिकाएं नहीं करना चाहता पर लोग उसकी आवाज पर फिदा हैं। लेकिन वो बेरोजगार है और नौकरी पाने के लिए काफी भटकता है। आखिरकार उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। पर वहां भी पूजा नाम की एक लड़की की आवाज निकालनी है जो फोन करनेवालों से रसभरी बातें करती है। कॉल सेंटर में फोन करने वालों के बीच करमवीर नाम के ये बंदा हिट हो जाता है। उसके कई दीवाने हो जाते हैं। इनमें एक पुलिस वाला (विजय राज) है और दूसरा खुद करमवीर का पिता (अन्नू कपूर) है और एक लड़की भी जो एक जगह संपादक है और मर्दों को नापसंद करती है। एक दीवाना तो उसके प्यार में अपनी नशें काट लेता है। अब करमवीर क्या करे? हालात अजीब हो रहे हैं।

'ड्रीम गर्ल' इसी लड़के करमवीर का किस्सा है और उसके साथ उन लोगों का भी जो किसी भी उम्र के हों, किसी वजह से ऊबे हुए हैं या दुनिया में तन्हा हैं और कॉल सेंटरों में घंटों फोन करते रहते हैं और उनकी आय बढ़ाते रहते हैं। बिना ये जाने कि जिससे फोन पर बात कर रहे हैं वो पुरुष है या स्त्री, उससे दोगुनी उम्र की है या आधे उम्र की। निर्देशक राज शांडिल्य ने इसी के इर्द-गिर्द एक हास्य फिल्म रची है, जिसमें कॉमेडी का भरपूर डोज है। बीच में करमवीर और माही (नुसरत भरूचा) की प्रेम कहानी भी है। पर इसकी अहमियत भी कॉमेडी को और फैलाने के लिए है।

फिल्म पूरी तरह से आयुष्मान खुराना के कंधों पर है। उनकी कॉमिक टाइमिंग गजब की है। उनके अलावा इस फिल्म में दो और अभिनेता हैं, जो कॉमेडी के डोज को डबल कर देते हैं। एक तो हैं विजय राज, वो एक ऐसे पुलिस कांस्टेबल की भूमिका में है जो शायर बनना चाहता है और हर बात में अपनी अजीबो-गरीब शेर सुनाया करता है। यहां तक कि थाने में एफआइआर लिखते हुए भी बीच में अपने शेर लिख देता है। दूसरे अभिनेता हैं अन्नू कपूर जिन्होंने करमवीर के पिता की भूमिका निभाई है, जो उम्र के इस दौर में शादी के लिए अपना मजहब भी बदलने को तैयार हो जाता है। निर्देशक ने हर दृश्य में हंसी पैदा करने की कोशिश की है और इस फिल्म के हर संवाद में एक नुकीलापन है। फिल्म में तीन गाने भी हैं। हालांकि वे आगे याद नहीं रखे जाएंगे पर फिल्म के भीतर ठीक लगते हैं।

कानूनी जिरह और इंसाफ

आप इस फिल्म का मजा तभी ले पाएंगे अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि किसी भी मुकदमे के सिलसिले में गवाहों से जिरह निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट में होती है हाई कोर्ट में नहीं। इस फिल्म में वकीलों के बीच बहस और गवाहों से जिरह हाई कोर्ट में होती है और इसमें कोई शक नहीं कि बतौर अदालती ड्रामा यह एक अच्छी फिल्म है। पर इस फिल्म का मुख्य मकसद यह बताना है कि निर्भया कांड के बाद महिलाओं के यौन शोषण को लेकर कानून में जो बदलाव हुए उनमें खामिया हैं और इसका चालाकी से दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसमें एक लड़की है अंजलि दामले (मीरा चोपड़ा)। वो मुंबई के मध्यवर्गीय इलाके में रहती है और फिल्म उद्योग में एसिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करती है। एक दिन वो बन रही एक फिल्म के निर्देशक रोहन खुराना (राहुल भट्ट) के यहां कॉस्ट्यूम दिखाने जाती है। खुराना उसका यौन शोषण करता है।

मामला अदालत में जाता है जहां से खुराना को दस साल की सजा हो जाती है। खुराना की पत्नी हाई कोर्ट जाती है जहां उसका वकील तरुण सलूजा (अक्षय खन्ना) अपनी दलीलें देकर ये साबित करने की कोशिश करता है कि खुराना को अंजलि ने अपने बनाए जाल में फंसाया है। अंजलि की वकील है हीरल (ऋचा चड्ढ़ा), जो खुराना को सजा दिलाने के लिए आमदा है।

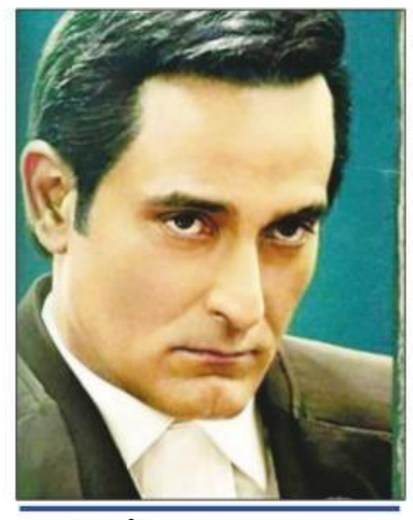

सेक्शन 375

रेटिंग- ★★★

निर्देशक- अजय बहल

कलाकार- अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढ़ा, मीरा चोपड़ा, राहुल भट्ट

क्या है हकीकत? जो अंजलि कह रही है या जो खुराना का वकील सलूजा कह रहा है? अदालत में दोनों की दलीलें एक दूसरे को काटने की कोशिश करती हैं।

पर फैसला किस ओर होगा? और क्या सिर्फ वकीलों के दलीलों के आधार पर होगा या मीडिया में जो चल रहा है उसका भी प्रभाव अदालती फैसले पर पड़ेगा? खुराना के खिलाफ अदालत में ही नहीं, मीडिया में मुकदमा चल रहा है और मीडिया ट्रायल का प्रभाव जजों पर भी होता है। बतौर अभिनेता देखें तो ये फिल्म अक्षय खन्ना की है, जिन्होंने जिस ठंडे तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष पेश किया है वो बेहद उम्दा है। सरकारी वकील की भूमिका में ऋचा चड्ढ़ा भी अदालती दृश्यों में जमी हैं। मीरा चोपड़ा ने अंजलि के किरदार में शुरू में मासूम दिखती हैं पर बाद में जटिलता आती है।

फिल्म की शुरुआत में वकील तरुण सलूजा का कानून के विद्यार्थियों के बीच एक व्याख्यान है, जिसमें वो कहता है कि कानून और इंसाफ अलग चीजें हैं और कई बार कानून जीतता है इंसाफ नहीं। यह फिल्म यही जताने के लिए बनाई गई है कि कई दफे कानून और मीडिया ट्रायल मिलकर इंसाफ को परे धकेल देते हैं। फिल्म में कोई गाना नहीं है और इसके संवाद भी चुस्त हैं।

दिल्ली में बसों की घटती संख्या

कठिन होगी सम-विषम की राह

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली में लगातार बसों की संख्या कम हो रही है। बसों की यह कमी आने वाली सम - विषम योजना में दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ा सकती है। कॉमनवेल्थ खेलों में खरीदी गई लाल हरी बसें भी अब पुरानी हो गई हैं और बीच राह में यात्रियों को छोड़ रही हैं। अधिक दबाव होने की वजह से इन बसों के ब्रेकडाउन बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में एकाएक निजी वाहन कम होते हैं तो यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि 8-10 माह के अंदर दिल्ली की सड़कों पर नई बसें उपलब्ध होंगी। दिल्ली सरकार 4000 बसें लाने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली सरकार अब तक क्लस्टर बस सेवा में शामिल की जा रही बसों के दम पर ही संख्या बढ़ने का दावा करती रही है। दिल्ली सरकार ने नई बसें लाने की कई योजनाओं को मंजूरी दी है लेकिन ये बसें अभी प्रक्रिया में हैं। इसी आधार पर दिल्ली सरकार नई चार हजार बसें लाने का दावा कर रही है। भाजपा नेता हरीश खुराना की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में डीटीसी की बसों में लगातार कमी आ रही है। इस कमी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2019 तक दिल्ली के पास 3600 डीटीसी की बसें उपलब्ध थीं। इन बसों से प्रतिदिन 20-25 लाख यात्री सफर कर रहे हैं, जबकि इस समय में 1679 क्लस्टर (संतरी) बसें चलाई जा रही हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली को करीब 20 हजार बसों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक डाटा के मुताबिक सबसे अधिक गाड़ियां बीते वर्ष अक्तूबर 2018 में ही ब्रेकडाउन हुई थीं। यह संख्या 145 थी जबकि यह सामान्य दिनों में 30-40 बस प्रतिदिन तक थी। दिल्ली में 'आप' सरकार ने दो बार सम-विषम की व्यवस्था को लागू किया है। इस दौरान भी वातावरण में पीएम 2.5 की मात्रा कम नहीं थी।

बसों की गिरती संख्या

वर्ष	बसों की संख्या
2010-11	6204
2011-12	5892
2012-13	5445
2013-14	5223
2014-15	4712
2015-16	4352
2016-17	4027
2017-18	3974
2018-19	3894
2019-20	3781

दिल्ली सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत खुद यह रिपोर्ट दी है। भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने बताया कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 को पहली सम-विषम व्यवस्था के दौरान सामने आया था कि प्रदूषण के प्रमुख चार केंद्र आरकेपुरम, मंदिर मार्ग, पंजाबी बाग और आनंद विहार में पीएम 2.5 की मात्रा अधिक थी। इन जगहों पर न्यूनतम स्तर पर पीएम 2.50 का आकलन 105 और अधिकतम 507 तक पहुंचा था। जो बेहद ही चिंता जनक हालत है। इसके अतिरिक्त जब 16-21 जनवरी के बीच इन्हीं जगहों की स्थिति का आकलन किया गया तो यह अधिकतम स्तर में 342 और न्यूनतम स्तर में 103 तक दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि खुद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया था कि इस योजना का लाभ दिल्ली को अधिक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हालांकि इस वजह से आम जनता को बसें नहीं मिलने से परेशानी हुई थी।

55 माह में फेल साबित हुई है दिल्ली सरकार : तिवारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली में पिछले 55 माह में दिल्ली सरकार फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व हुए सम-विषम पर भी दिल्ली सरकार ने 20 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए थे लेकिन कुछ दिन बाद ही जांच में सामने आया था कि प्रदूषण का स्तर सामान्य से अधिक था। भाजपा नेता विजय गोयल और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा।

प्रदूषण पर जवाब नहीं देते मुख्यमंत्री : यूसुफ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारुन यूसुफ ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में सम-विषम योजना लागू कर जनता का ध्यान उन्हें प्रभावित करने वाली समस्याओं से हटाना चाहती है। केजरीवाल को लगता है कि वह एक जादूगर की तरह हैं, जो यह भ्रम पैदा करने के लिए अपनी जादू की छड़ी को घुमाते हैं कि सम-विषम योजना से राजधानी में प्रदूषण और यातायात की समस्या को दूर कर सकते हैं, लेकिन वे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर कोई जवाब नहीं देते हैं।

हारुन यूसुफ ने कहा कि सभी जानते हैं कि 2016 में केजरीवाल सरकार की ओर से लागू की गई अंतिम सम-विषम योजना के बाद क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि सम-विषम योजना पर विभिन्न मुद्दों पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं कि इससे दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को नीचे नहीं लाया जा सका है। यूसुफ ने कहा कि केजरीवाल ने तब कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों के खेतों में जल रही पराली है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कई वादे भी किए थे और यहां तक कहा कि वह इस तथ्य से दुखी हूं कि प्रदूषण छोटे बच्चों के फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। यूसुफ ने पूछा कि केजरीवाल पिछले तीन सालों से चुप क्यों है? अब चुनाव आते यह घोषणा कर रहे हैं।

'बसों में लागू की जाए पैनिक बटन की व्यवस्था'

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार को आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक बसों में पैनिक बटन की व्यवस्था को लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया जाए कि सभी डीटीसी, क्लस्टर व स्कूल की बसों में महिला हेल्पलाइन नंबर स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किया जाए। ये आदेश उपराज्यपाल ने महिला सुरक्षा की टास्क फोर्स की बैठक में दिए।

उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि सभी डार्क स्पॉट्स की नियमित तौर पर जांच की जाए ताकि हादसों में कमी लाने में मदद मिले। 2016 में दिल्ली में 7438 डॉर्क स्पॉट्स थे, जो वर्ष 2019 में घटकर 2780 रह गए हैं। डीटीसी ने बैठक में यह भी जानकारी दी कि सीसीटीवी व पैनिक बटन वाली 1000 बसों को लाने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। ऐसी 25 बसें अगस्त में ही बेड़े में शामिल की गई हैं जबकि शिक्षा विभाग ने बताया कि 892 सरकारी स्कूलों में अब तक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अतिरिक्त 63 स्कूल के बार भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दिसम्बर तक सभी स्कूलों सीसीटीवी कैमरा निगरानी व्यवस्था लागू होगी।

ठेका कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाएगा विशेष बोर्ड : राय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

निजी संस्थानों में ठेके (अनुबंध) पर काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष सलाहकार बोर्ड बनाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इससे ठेका कर्मचारियों की समस्या का हल तेजी से निकाला जा सकेगा। श्रम मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को भूख हड़ताल पर बैठे कैट्स एंबुलेंस कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद यह हड़ताल समाप्त हुई है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने कैट्स कर्मचारियों का वेतन समय पर देने के आदेश दिए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि बैठक में तबादले को लेकर भी एक पारदर्शी नीति बनाने के आदेश दिए हैं ताकि इस प्रक्रिया में होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

नियुक्तियां

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
'NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED'
(A Govt. of India Undertaking)
Trusted Since 1906

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता-700071
सीआईएन नं0 : U10200WB1906GOI001713, आईआरडीए पंजीकरण सं0 58

साचिविक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए साचिविक लेखा-परीक्षा के संचालन हेतु प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पूर्ण स्वामित्वाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, प्रधान कार्यालय- कोलकाता आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट https://nationalinsurance.nic.co.in पर लॉग ऑन करें।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : 30 सितंबर, 2019

Ad UIN : 029a/19-20

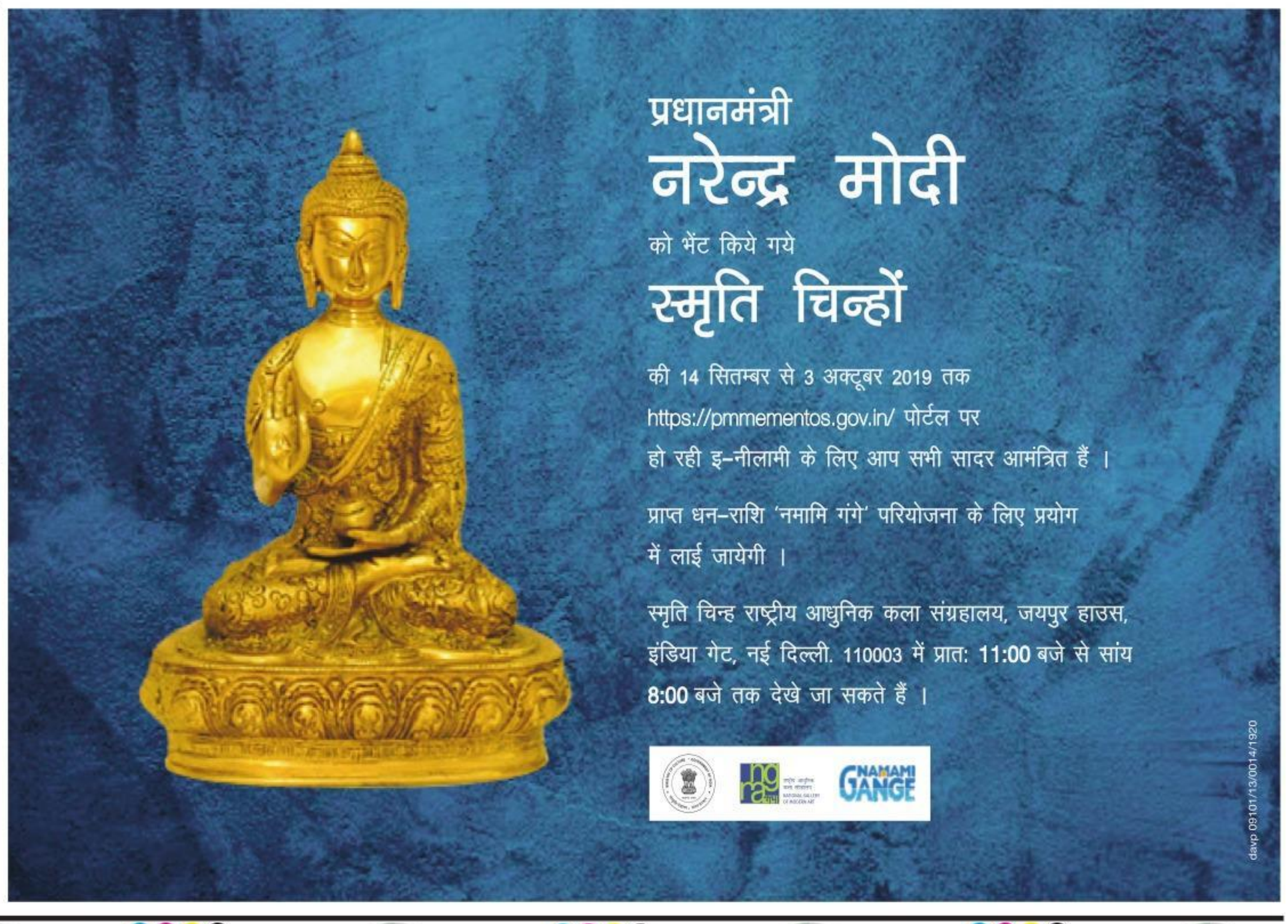

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	36.6 डि.से.	36.4 डि.से.	36.0 डि.से.	35.6 डि.से.
न्यूनतम	27.8 डि.से.	27.8 डि.से.	27.8 डि.से.	27.7 डि.से.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम घोषित

एबीवीपी तीन, एनएसयूआइ एक पद पर विजयी

सुशील राघव
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सह सचिव पद पर जबकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) उम्मीदवार ने सचिव पद पर जीत दर्ज की। दोनों छात्र संगठनों के उम्मीदवार पिछले साल भी इन्हीं पदों पर जीते थे।

किंग्सवे कैंप, पुलिस लाइन में शुक्रवार को करीब डेढ़ घंटे देरी से सुबह दस बजे मतगणना शुरू हुई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी शुरू से ही आगे रही जबकि सचिव और सह सचिव पद पर कांटे की टक्कर थी। हालांकि मतगणना के अंत तक सचिव पद पर एनएसयूआइ और सह सचिव पद पर एबीवीपी ने निर्णायक बढ़त बना ली थी।

एबीवीपी के अक्षित दहिया अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआइ की चेतना त्यागी से 19,039 मतों के अंतर से जीते, उन्हें कुल 29,685 मत मिले। चेतना को 10,646 मत मिले। तीसरे स्थान पर 5,886 मत लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की दामिनी कैन रहीं। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रदीप तंवर जीते। उन्हें कुल 19,858 मत मिले और उन्होंने एनएसयूआइ के अंकित भारती को 8,574 मतों से पराजित किया। अंकित को 11,284 मत प्राप्त हुए। आइसा के आफताब आलम 8,217 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे। सचिव पद पर एनएसयूआइ के आशीष लांबा 20,934 मत लेकर विजयी रहे। उन्होंने एबीवीपी के योगित त्यागी को 2,053 मतों के अंतर से हराया। योगित को कुल 18,881 मत प्राप्त हुए। आइसा के विकास कुमार को 6,804 मत प्राप्त हुए। सह सचिव पद पर एबीवीपी की शिवांगी खरवाल 17,234 मत प्राप्त कर जीतीं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआइ के अभिषेक चपराणा को 2,914 मतों से हराया। अभिषेक को कुल 14,320 मत मिले। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एबीवीपी की जीत पर संगठन को बधाई देते हुए कहा कि यह राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत है।

एनएसयूआइ उम्मीदवार आशीष लांबा ने सचिव पद पर जीत पाई। जीत के बाद उनके समर्थकों ने लांबा को कंधों पर उठा लिया।

एबीवीपी उम्मीदवार अक्षित दहिया अध्यक्ष पद पर विजय रहे (बीच में) साथ में शिवांगी खरवाल और प्रदीप तंवर।

रेकॉर्ड मतों से जीते अक्षित

डूसू चुनाव में एबीवीपी के अक्षित दाहिया ने अध्यक्ष पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नया रेकॉर्ड बनाया है। अक्षित ने 19039 मतों से एनएसयूआइ की चेतना त्यागी को पराजित किया है। एबीवीपी के मुताबिक अक्षित सबसे कम उम्र के डूसू अध्यक्ष बने हैं।

उनकी आयु अभी 20 साल है। इससे पहले सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने का रेकॉर्ड एनएसयूआइ के रोहित चौधरी के नाम था। रोहित ने 2003-04 में अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी एबीवीपी की शीतल शारदा को 12,951 मतों के अंतर से हराया था। 2003 में एनएसयूआइ ने चारों पदो पर जीत दर्ज की थी। डूसू जानकारों के मुताबिक अक्षित ने अध्यक्ष पद पर सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के साथ ही अब तक डूसू में किसी भी पद पर सर्वाधिक मतों से जीत के अंतर का रेकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। 2003 के डूसू चुनाव में ही रोहित ने जहां अध्यक्ष पद पर रेकॉर्ड जीत दर्ज की थी तो इसी साल एनएसयूआइ के पैनल से सचिव पद पर रागिनी नायक ने 15,600 के अंतर से जीत दर्ज की थी। सबसे बड़ी जीत भी अब अक्षित के नाम हो गई है।

विद्यार्थियों ने खूब दबाया नोटा

डूसू चुनावों में पिछले तीन साल से विद्यार्थी जमकर नोटा (इनमें से कोई नहीं) का बटन दबा रहे हैं। चारों सीटों पर पिछले तीन साल में 5000 से अधिक विद्यार्थियों ने नोटा का उपयोग किया। 2018 में भी सबसे अधिक नोटा का उपयोग सहसचिव पद पर ही हुआ था और 8273 विद्यार्थियों ने नोटा का बटन दबाया। 2019 में उपाध्यक्ष पद पर सबसे अधिक 7879 विद्यार्थियों ने नोटा का उपयोग किया है। पिछले दस सालों के मतदान फीसद पर नजर डालें तो पता चलता है कि इन दस सालों में मतदान कभी 45 फीसद तक भी नहीं हो पया है। पिछले दस सालों में सबसे अधिक मतदान 2018 में 44.40 फीसद रहा है। वहीं सबसे कम मतदान 2011 में 29 फीसद मतदान हुआ।

जीते उम्मीदवारों ने बताई प्राथमिकता

पारदर्शिता और छात्र हित में करेंगे काम : अक्षित दहिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

डूसू अध्यक्ष पद पर जीते अक्षित दहिया ने कहा कि कि एक बड़े जीत के अंतर के साथ मुझे जो विजय मिली है, उसके लिए मैं सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आभार प्रकट करता हूं। हमने जो घोषणापत्र विद्यार्थियों के सामने पेश किया है, उस पर हम अपने छात्र संघ के कार्यकाल के पहले दिन से काम करना शुरू करेंगे। हम छात्र हितैषी और पारदर्शी डूसू की स्थापना करेंगे। अक्षित को कुल 29,685 मत प्राप्त हुए और उन्होंने 19039 मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

अक्षित दहिया ने रामजस कॉलेज से बीएससी फिजिकल साइंस प्रोग्राम किया है। अभी वह डीयू से एलएलबी कर रहे हैं। वह बॉडी बिल्डिंग, टग ऑफ वॉर, क्रिकेट और वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी रहे हैं और विश्वविद्यालय में इन खेलों से जुड़ी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया है।

उपाध्यक्ष पद पर जीते प्रदीप तंवर ने कहा कि छात्र संघ के वर्तमान मॉडल में किस प्रकार से बदलाव हो सकता है, मैं इस पर ध्यान दूंगा। आज देश में पर्यावरण असंतुलन को ठीक करने, जल संरक्षण आदि के संदर्भ में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की भूमिका इन वैश्विक मसलों पर भी तय हो, इस बात को लेकर विद्यार्थियों के बीच जाऊंगा। 24 साल के प्रदीप तंवर दिल्ली के फतेहपुरी बेरी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने डीयू के पीजीडीएवी कॉलेज से स्नातक और अभी देशबंधु कॉलेज से हिंदी में एमए कर २२२२२२२रहे हैं। सह सचिव पद पर जीतीं शिवांगी खरवाल ने कहा कि यह मेरी नहीं डीयू की हर छात्रा की जीत है। पिछले साल एबीवीपी नीत डूसू ने महिला सशक्तीकरण के लिए कई कार्यक्रमों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण काम किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्नातक शिवांगी अभी बौद्ध अध्ययन विभाग में एमए पहले वर्ष की छात्रा हैं। उनके पिता सतपाल खरवाल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में विष्णु गार्डन वॉर्ड

खेल कोटे की सीटें बढ़ें : आशीष लांबा

सचिव पद पर जीते आशीष लांबा मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले हैं और किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम में स्नातक हैं। शुक्रवार को 20 साल के हुए लांबा वर्तमान में विधि संकाय में अंतिम वर्ष के छात्र हैं। हॉकी में किरोड़ीमल कॉलेज की ओर से तीन इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। दिल्ली हॉकी टीम को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर पहुंचे हैं। 2017 में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा खेल में भी खेल चुके हैं। वह डीयू में खेल कोटे के तहत सीटें बढ़वाने की कोशिश करेंगे। वहीं, विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी पूरी हो इसके लिए संघर्ष करेंगे।

इस बार हमारा मत फीसद बढ़ा : आइसा

आइसा ने अपने मत फीसद में सुधार पर खुशी जताई है। आइसा के एक पदाधिकारी ने कहा कि हमारे सह सचिव पद की उम्मीदवार चेतना को 10 हजार से अधिक वोट मिले। पिछले साल की तुलना में इस साल संगठन के मत फीसद में सुधार हुआ है। हम इसको लेकर खुश हैं। डूसू की इस असमान चुनाव प्रक्रिया में, धन, बाहुबल और सत्ता की ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए आइसा का वोट का बढ़ना नए बदलाव का संकेत है।

यूनानी चिकित्सा केंद्र की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाईक ने शुक्रवार को सफदरजंग अस्पताल में यूनानी मेडिकल सेंटर और सिद्ध क्लीनिकल रिसर्च यूनिट का उद्घाटन किया। यूनानी मेडिकल सेंटर की स्थापना कें द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) व सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट की स्थापना केंद्रीय सिद्ध औषधि अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) ने की है। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरगामी नजरिए के तहत आयुष प्रणालियों को पूरे विश्व में स्वीकृति मिल रही है।

मोबाइल ट्रैकर की मदद से झपटमार के घर पहुंची पीड़िता, गिरफ्तार करवाया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में एक युवती से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को लूटपाट करना महंगा पड़ गया। लूटपाट के बाद बदमाश तो फरार हो गए, लेकिन लूटे गए पर्स में रखे मोबाइल से उनका पता चल गया। युवती ने फोन कर अपने भाई को बुला लिया।

उसके मोबाइल में ट्रैकर लगा था। ट्रैकर की मदद से भाई-बहन पीछा करते हुए खड्डा कॉलोनी स्थित झपटमारों के घर पहुंच गए और दो बदमाशों को गिरफ्तार करवाया। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन उर्फ सोनू और रामजनी के रूप में हुई है। जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने दोनों भाई-बहन को सम्मानित भी किया है। पीड़िता चंदा कुमार जैतपुर की रहने वाली हैं। वह नोएडा में एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। 11 सितंबर को सुबह 8 बजे वह स्कूटी से स्कूल जा रही थीं। वह जब ओखला बैराज के पास पहुंची, तभी मोटरसाइकिल पर आए तीन बदमाशों ने उनका बैग झपट लिया। जिसमें नकदी और फोन था। छपटमारी के दौरान, पीड़िता स्कूटी से नीचे गिर गई। इस बीच आरोपी नोएडा की तरफ फरार हो गए। बाद में ट्रैकर की मदद से दोनों भाई-बहन आरोपी के घर पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।

राजघाट से जिनेवा तक बापू की शांति यात्रा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए साल भर चलने वाले गांधी यात्रा अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके दो घटक होंगे। दो अक्तूबर को दिल्ली के राजघाट से शुरू होने वाली 121 दिनों की यात्रा भारत के 12 राज्यों से होते हुए अमदाबाद में खत्म होगी, जबकि दूसरी यात्रा जो 244 दिनों की होगी।

वह ईरान से शुरू होगी और अर्मेनिया, जोर्जिया, सर्बिया, बोस्निया इत्यादि दस देशों से होती हुई 26 सितंबर, 2020 को जिनेवा में खत्म होगी। इसका आयोजन 'जय जगत ग्लोबल पीस मार्च' के बैनर तले किया जाएगा।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती

244 दिनों की यात्रा ईरान से शुरू होकर दस देशों से होती हुई जिनेवा तक जाएगी

जय जगत ग्लोबल पीस मार्च की अहमियत बताते आयोजक व सामाजिक कार्यकर्ता जिलकार हैरिस ने कहा कि न्याय और शांति हमारा उद्देश्य है। उन्होंने बापू की विचारधारा को केवल भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए भी प्रासंगिक बताया। साल भर चलने वाली इस यात्रा का समापन जिनेवा में क्यों होगा? इस बारे में पीवी राजगोपाल ने कहा- दुनिया में हम सब शांति और सामाजिक न्याय की तलाश में जी रहे हैं। यात्रा का एशिया और यूरोप से होकर गुजरना इसको दर्शाता है। जिनेवा में इसी तरह की यात्रा सेनेगल, फ्रांस, जमर्नी और ब्रिटेन जैसे देशों से भी पहुंचेगी।

इसके बाद अगले आठ दिनों तक जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजंसियों और एक समान सोच रखने वाले संगठनों की बैठक भी होगी। जिसमें सतत विकास के लक्ष्य जैसी गरीबी दूर करना, सामाजिक बहिष्कार का उन्मूलन, जलवायु संरक्षण एवं शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने जैसे चार लक्ष्यों पर चर्चा की जाएगी।

सौतेले पिता पर बच्ची को गरम करछी से जलाने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

आंबेडकर नगर थाना क्षेत्र में सौतेले पिता पर तीन साल की बेटी के साथ मारपीट और गरम करछी से जलाने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी पुलिस को शुक्रवार को मिली, जब परिजनों को पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी दी। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्ची की दादी बापा और मौसी रमना की शिकायत पुलिस को दी। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

बच्ची की दादी बापा ने बताया कि कुछ महीने पहले उसके बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो गई। उसके बाद उसकी बहू इलाके में ही रहने वाले शिवा नामक शख्स से शादी कर ली। शादी के बाद वह बच्ची को भी अपने साथ लेकर चली गई। कुछ दिनों पहले शिवा ने बच्ची के साथ मारपीट की थी।

उन्नाव कांड : बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता ने एम्स में लगी अस्थायी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया और इसके साथ ही बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी कर ली गई। बंद कमरे में होने वाली सुनवाई आम लोग और प्रेस को देखने की अनुमति नहीं थी। सुनवाई से अवगत एक वकील ने बताया कि पीड़िता ने जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के सम्मेलन कक्ष में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के सामने गवाही दी।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हेबीटाट सेंटर : हिंदी पर चर्चा, गुलमोहर सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : कर्नाटक संगीत उत्सव, सीडी देशमुख, 40 मैक्समूलर मार्ग, सेंटर परिसर, शाम साढ़े 6 बजे।

दुबई और सिंगापुर से आए अस्थिकलश का होगा भारत में विसर्जन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

श्री देवोत्थान सेवा समिति के पितृपक्ष की 18वीं अस्थि कलश विसर्जन यात्रा मे इस बार दुबई व सिंगापुर से आए आठ अस्थि कलश भी शामिल किए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष अनिल नरेंद्र ने बताया कि समिति 17 वर्षों में करीब एक लाख से अधिक अस्थि कलश का वैदिक रीति से प्रत्येक पितृपक्ष में विसर्जन कर चुकी है।

पाकिस्तान में वर्षों से रखे 295 अस्थि कलशों को क्रमशः 2011 में 135, 2016 में 160 लाकर भी मोक्ष दिलवा चुकी है। इस बार 18वीं यात्रा 20 सितंबर (शुक्रवार) को सुबह आम जनमानस के दर्शनार्थ पुष्पांजलि करने हेतु शहीदी पार्क, आइटीओ से शुरू होगी। पुष्पांजलि के बाद संतों, महंतों व राजनेताओं के सहयोग से हरिद्वार के लिए रवाना होगी। करीब 400 श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ यात्रा देर रात हरिद्वार पहुंचेगी और अगले दिन 21 सितंबर को हजारों अस्थि कलश का विसर्जन 100 किलो दूध के साथ कनखल के सती घाट पर किया जाएगा। यात्रा संयोजक विजय शर्मा ने बताया कि समिति की सदस्या बीना बुदकी के अथक प्रयास से सिंगापुर व दुबई से भी करीब 8 अस्थि कलश दिल्ली पहुंचे हैं।

76 साल में हुआ हिंदी से प्यार, बन गए वरिष्ठ विद्यार्थी

मीना
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

बुजुर्ग रामकृष्ण को हिंदी से इतना प्यार है कि उन्होंने 76 की उम्र में इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए हिंदी में दाखिला लिया है और प्रवेश परीक्षा में 82 फीसद अंक प्राप्त किए हैं। चेहरे पर झुर्रियां, लंबी सफेद दाढ़ी और मोटे चश्मे के फ्रेम के बीच रामकृष्ण की ढलती उम्र तो दिखती है लेकिन उनके अंदर पढ़ने का जज्बा जवान होते दिखता है।

1943 में जन्मे रामकृष्ण को हिंदी से इतना प्यार है कि 1971 में मेरठ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए करने के बाद 2019 में हिंदी में आगे पढ़ना चाहा। वे बताते हैं कि 2003 में एमएमटीसी से सेवानिवृत्त होने के बाद उनका रुझान लेखन की ओर हुआ। उन्होंने अपने अंदर कुलबुलाते विचारों को कोरे कागज पर उतारने के लिए हिंदी भाषा को चुना। वे कहते हैं कि 'मैं एक हिंदी पत्रिका के लिए धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर लेख लिखता हूं। पत्रिका में शुद्ध हिंदी में लिख पाऊं इसलिए हिंदी में पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद मैं शुद्ध हिंदी लिख पाऊंगा।' वे कहते हैं कि मैं विश्वविद्यालयी जीवन का आनंद ले रहा हूं। सब बहुत सम्मान से बात करते हैं और प्रोफेसर को भी अच्छा लगता है कि एक वरिष्ठ नागरिक उनकी कक्षा में पढ़ने आता है। मैं नौजवानों के बीच पढ़कर खुद को भी जवान महसूस करता हूं।

सुबह चार बजे तक पढ़ते हैं रामकृष्ण

दिल्ली के यमुना विहार में रहने वाले रामकृष्ण को हिंदी पढ़ने का इतना जुनून है कि वे रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ते हैं। फिर सुबह व्यायाम करने के बाद सात बजे से तब तक पढ़ते हैं जब तक कक्षा का समय नहीं हो जाता। वे बताते हैं कि कक्षा में जो आज पढ़ाया जाएगा उसे वे पहले ही पढ़ लेते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गोदान, मैला आंचल जैसे उपन्यास पहले ही पढ़कर नोट्स बना लिए हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी काम करो उसमें लगन और जुनून होना बहुत जरूरी है। यही लगन और जज्बा रामकृष्ण ने अपनी जिंदगी के हर पल में जिया है। वे बताते हैं कि वे दिल्ली से वैष्णो देवी पैदल यात्रा करने गए। अखबारों में क्रॉस वर्ड भरने का इतना शौक था कि सड़क पर भी अगर अखबार की कतरन में क्रॉस वर्ड दिख जाए तो उसे भी उठा लेते थे। वे कहते हैं कि मैंने जीवन में जो भी काम किया उस काम में पूरी तरह रम गया। अब हिंदी में पूरी तरह रम रहा हूं।

खबरों में शहर

'हिंदी को पेट की भाषा बनाने की जरूरत'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने हिंदी के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि हिंदी और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। सिन्हा ने महात्मा गांधी के जीवन पर भी रोशनी डाली और कहा कि गांधी सत्य का प्रयोग करते थे और वो ऐसा करने में किसी से डरते नही थे। जब भी हिंदी की बात आती है गांधी और नेल्सन मंडेला की बात जरूर होती है। हिंदी दिल की भाषा है लेकिन इसे पेट की भाषा बनाने की जरूरत है। वे विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित दो दिन के अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कर रही थी। महात्मा गांधी की 150वी जन्म जयंती को समर्पित हिंदी दिवस के मौके पर एनडीएमसी सभागार में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें राज्यपाल मृदुला सिन्हा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य डॉ इंद्रेश कुमार, विश्व हिंदी परिषद के महासचिव बिपिन कुमार, एनडीएमसी की सचिव रश्मि सिंह आदि ने विचार रखे। मौके पर उपस्थित नीति आयोग के मुख्य सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदी हमारे हृदय की भाषा है, गांधी जी ने कहा था कि तब तक कोई देश स्वतंत्र नही हो सकता जब तक वो अपनी राष्ट्रभाषा को गले नही लगाता।

28 कॉलेजों में फंड कटौती पर प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर 28 कॉलेजों में फंड कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के फंड कटौती से 28 कॉलेजों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने घोषणापत्र के अनुसार 20 नए कॉलेज खोलने में असफल रही है। पूर्व ईसी सदस्य डॉ अजय भागी ने कहा कि दिल्ली सरकार की शह पर इन कॉलेजों में मनोनीत प्रबंधन समितियों के सदस्यों ने पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर व्यवहार किया है। इनके मनोनीत सदस्यों ने कॉलेजों की प्रतिदिन की गतिविधियों और कामकाज में हस्तक्षेप किया है जो डीयू के मानदंडों का उल्लंघन है। धरने के बाद एनडीटीएफ प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। डीयू की विद्वत परिषद (एसी) के सदस्य डॉक्टर रसाल सिंह ने कहा कि 20 नए कॉलेज खोलने के वादे के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार 12 कॉलेजों को बंद करने पर तुली हुई है।

नई पार्टी बनाएंगे : जीके

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि वे नई पार्टी बनाकर शुद्ध धार्मिक सियासत करेंगे। नई पार्टी की औपचारिक घोषणा गांधी जयंती के मौके पर दो अक्तूबर को होगी। उन्होंने भाजपा में जाने की अटकलों को खत्म कर दिया है। पिछले साल सात दिसंबर को कमेटी अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार को उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वे किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। जीके ने कहा-मैं अपने पिता जत्थेदार संतोख सिंह की विरासत को आगे ले जाने का काम करूंगा। नई पंथक पार्टी आगामी दिल्ली कमेटी का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा-इस पार्टी का कोई भी सदस्य गुरुद्वारा चुनाव के अलावा सियासी चुनाव नही लड़ेगा। उनके कार्य श्रीगुरु ग्रंथ साहिब को समर्पित होंगे। अकाल तख्त साहिब पर राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना भी हमारे एजंडे में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का दिल्ली में मजबूत संगठन विकसित करने के लिए प्रदेश, जिला और वार्ड तक सभी समितियां बनाई जानी हैं। सभी आयु वर्ग व समुदाय के सभी तबकों को साथ लेकर चलने के लिए मुख्य इकाई के साथ ही महिला विंग, यूथ विंग, किरत विंग, बुद्धिजीवी विंग और धर्मप्रचार विंग का संगठन वार्ड स्तर तक बनाया जाएगा। दिल्ली कमेटी के 46 वार्डों के आधार पर पूरी दिल्ली को पांच जिलों में बांटा जाएगा।

फिलहाल उमस से नहीं मिल पाएगी राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि छिटपुट इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है इससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन बड़ी राहत फिलहाल नहीं है। उमस से त्रस्त राजधानी वासियों को बेचैन करने वाले मौसम से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली में इस साल सितंबर में उम्मीद से करीब 30 फीसद कम बारिश हुई।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	36.6 डि.से.	36.4 डि.से.	36.0 डि.से.	35.6 डि.से.
न्यूनतम	27.8 डि.से.	27.8 डि.से.	27.8 डि.से.	27.7 डि.से.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम घोषित

एबीवीपी तीन, एनएसयूआइ एक पद पर विजयी

सुशील राघव
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सह सचिव पद पर जबकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) उम्मीदवार ने सचिव पद पर जीत दर्ज की। दोनों छात्र संगठनों के उम्मीदवार पिछले साल भी इन्हीं पदों पर जीते थे।

किंग्सवे कैंप, पुलिस लाइन में शुक्रवार को करीब डेढ़ घंटे देरी से सुबह दस बजे मतगणना शुरू हुई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी शुरू से ही आगे रही जबकि सचिव और सह सचिव पद पर कांटे की टक्कर थी। हालांकि मतगणना के अंत तक सचिव पद पर एनएसयूआइ और सह सचिव पद पर एबीवीपी ने निर्णायक बढ़त बना ली थी।

एबीवीपी के अक्षित दहिया अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआइ की चेतना त्यागी से 19,039 मतों के अंतर से जीते, उन्हें कुल 29,685 मत मिले। चेतना को 10,646 मत मिले। तीसरे स्थान पर 5,886 मत लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की दामिनी कैन रहीं। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रदीप तंवर जीते। उन्हें कुल 19,858 मत मिले और उन्होंने एनएसयूआइ के अंकित भारती को 8,574 मतों से पराजित किया। अंकित को 11,284 मत प्राप्त हुए। आइसा के आफताब आलम 8,217 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे। सचिव पद पर एनएसयूआइ के आशीष लांबा 20,934 मत लेकर विजयी रहे। उन्होंने एबीवीपी के योगित त्यागी को 2,053 मतों के अंतर से हराया। योगित को कुल 18,881 मत प्राप्त हुए। आइसा के विकास कुमार को 6,804 मत प्राप्त हुए। सह सचिव पद पर एबीवीपी की शिवांगी खरवाल 17,234 मत प्राप्त कर जीतीं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआइ के अभिषेक चपराणा को 2,914 मतों से हराया। अभिषेक को कुल 14,320 मत मिले। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एबीवीपी की जीत पर संगठन को बधाई देते हुए कहा कि यह राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत है।

एनएसयूआइ उम्मीदवार आशीष लांबा ने सचिव पद पर जीत पाई। जीत के बाद उनके समर्थकों ने लांबा को कंधों पर उठा लिया।

एबीवीपी उम्मीदवार अक्षित दहिया अध्यक्ष पद पर विजय रहे (बीच में) साथ में शिवांगी खरवाल और प्रदीप तंवर।

रेकॉर्ड मतों से जीते अक्षित

डूसू चुनाव में एबीवीपी के अक्षित दाहिया ने अध्यक्ष पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नया रेकॉर्ड बनाया है। अक्षित ने 19039 मतों से एनएसयूआइ की चेतना त्यागी को पराजित किया है। एबीवीपी के मुताबिक अक्षित सबसे कम उम्र के डूसू अध्यक्ष बने हैं।

उनकी आयु अभी 20 साल है। इससे पहले सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने का रेकॉर्ड एनएसयूआइ के रोहित चौधरी के नाम था। रोहित ने 2003-04 में अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी एबीवीपी की शीतल शारदा को 12,951 मतों के अंतर से हराया था। 2003 में एनएसयूआइ ने चारों पदो पर जीत दर्ज की थी। डूसू जानकारों के मुताबिक अक्षित ने अध्यक्ष पद पर सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के साथ ही अब तक डूसू में किसी भी पद पर सर्वाधिक मतों से जीत के अंतर का रेकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। 2003 के डूसू चुनाव में ही रोहित ने जहां अध्यक्ष पद पर रेकॉर्ड जीत दर्ज की थी तो इसी साल एनएसयूआइ के पैनल से सचिव पद पर रागिनी नायक ने 15,600 के अंतर से जीत दर्ज की थी। सबसे बड़ी जीत भी अब अक्षित के नाम हो गई है।

विद्यार्थियों ने खूब दबाया नोटा

डूसू चुनावों में पिछले तीन साल से विद्यार्थी जमकर नोटा (इनमें से कोई नहीं) का बटन दबा रहे हैं। चारों सीटों पर पिछले तीन साल में 5000 से अधिक विद्यार्थियों ने नोटा का उपयोग किया। 2018 में भी सबसे अधिक नोटा का उपयोग सहसचिव पद पर ही हुआ था और 8273 विद्यार्थियों ने नोटा का बटन दबाया। 2019 में उपाध्यक्ष पद पर सबसे अधिक 7879 विद्यार्थियों ने नोटा का उपयोग किया है। पिछले दस सालों के मतदान फीसद पर नजर डालें तो पता चलता है कि इन दस सालों में मतदान कभी 45 फीसद तक भी नहीं हो पया है। पिछले दस सालों में सबसे अधिक मतदान 2018 में 44.40 फीसद रहा है। वहीं सबसे कम मतदान 2011 में 29 फीसद मतदान हुआ।

जीते उम्मीदवारों ने बताई प्राथमिकता

पारदर्शिता और छात्र हित में करेंगे काम : अक्षित दहिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

डूसू अध्यक्ष पद पर जीते अक्षित दहिया ने कहा कि कि एक बड़े जीत के अंतर के साथ मुझे जो विजय मिली है, उसके लिए मैं सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आभार प्रकट करता हूं। हमने जो घोषणापत्र विद्यार्थियों के सामने पेश किया है, उस पर हम अपने छात्र संघ के कार्यकाल के पहले दिन से काम करना शुरू करेंगे। हम छात्र हितैषी और पारदर्शी डूसू की स्थापना करेंगे। अक्षित को कुल 29,685 मत प्राप्त हुए और उन्होंने 19039 मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

अक्षित दहिया ने रामजस कॉलेज से बीएससी फिजिकल साइंस प्रोग्राम किया है। अभी वह डीयू से एलएलबी कर रहे हैं। वह बॉडी बिल्डिंग, टग ऑफ वॉर, क्रिकेट और वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी रहे हैं और विश्वविद्यालय में इन खेलों से जुड़ी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया है।

उपाध्यक्ष पद पर जीते प्रदीप तंवर ने कहा कि छात्र संघ के वर्तमान मॉडल में किस प्रकार से बदलाव हो सकता है, मैं इस पर ध्यान दूंगा। आज देश में पर्यावरण असंतुलन को ठीक करने, जल संरक्षण आदि के संदर्भ में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की भूमिका इन वैश्विक मसलों पर भी तय हो, इस बात को लेकर विद्यार्थियों के बीच जाऊंगा। 24 साल के प्रदीप तंवर दिल्ली के फतेहपुरी बेरी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने डीयू के पीजीडीएवी कॉलेज से स्नातक और अभी देशबंधु कॉलेज से हिंदी में एमए कर २२२२२२२रहे हैं। सह सचिव पद पर जीतीं शिवांगी खरवाल ने कहा कि यह मेरी नहीं डीयू की हर छात्रा की जीत है। पिछले साल एबीवीपी नीत डूसू ने महिला सशक्तीकरण के लिए कई कार्यक्रमों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण काम किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्नातक शिवांगी अभी बौद्ध अध्ययन विभाग में एमए पहले वर्ष की छात्रा हैं। उनके पिता सतपाल खरवाल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में विष्णु गार्डन वॉर्ड

खेल कोटे की सीटें बढ़ें : आशीष लांबा

सचिव पद पर जीते आशीष लांबा मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले हैं और किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम में स्नातक हैं। शुक्रवार को 20 साल के हुए लांबा वर्तमान में विधि संकाय में अंतिम वर्ष के छात्र हैं। हॉकी में किरोड़ीमल कॉलेज की ओर से तीन इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। दिल्ली हॉकी टीम को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर पहुंचे हैं। 2017 में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा खेल में भी खेल चुके हैं। वह डीयू में खेल कोटे के तहत सीटें बढ़वाने की कोशिश करेंगे। वहीं, विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी पूरी हो इसके लिए संघर्ष करेंगे।

इस बार हमारा मत फीसद बढ़ा : आइसा

आइसा ने अपने मत फीसद में सुधार पर खुशी जताई है। आइसा के एक पदाधिकारी ने कहा कि हमारे सह सचिव पद की उम्मीदवार चेतना को 10 हजार से अधिक वोट मिले। पिछले साल की तुलना में इस साल संगठन के मत फीसद में सुधार हुआ है। हम इसको लेकर खुश हैं। डूसू की इस असमान चुनाव प्रक्रिया में, धन, बाहुबल और सत्ता की ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए आइसा का वोट का बढ़ना नए बदलाव का संकेत है।

यूनानी चिकित्सा केंद्र की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाईक ने शुक्रवार को सफदरजंग अस्पताल में यूनानी मेडिकल सेंटर और सिद्ध क्लीनिकल रिसर्च यूनिट का उद्घाटन किया। यूनानी मेडिकल सेंटर की स्थापना कें द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) व सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट की स्थापना केंद्रीय सिद्ध औषधि अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) ने की है। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरगामी नजरिए के तहत आयुष प्रणालियों को पूरे विश्व में स्वीकृति मिल रही है।

मोबाइल ट्रैकर की मदद से झपटमार के घर पहुंची पीड़िता, गिरफ्तार करवाया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में एक युवती से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को लूटपाट करना महंगा पड़ गया। लूटपाट के बाद बदमाश तो फरार हो गए, लेकिन लूटे गए पर्स में रखे मोबाइल से उनका पता चल गया। युवती ने फोन कर अपने भाई को बुला लिया।

उसके मोबाइल में ट्रैकर लगा था। ट्रैकर की मदद से भाई-बहन पीछा करते हुए खड्डा कॉलोनी स्थित झपटमारों के घर पहुंच गए और दो बदमाशों को गिरफ्तार करवाया। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन उर्फ सोनू और रामजनी के रूप में हुई है। जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने दोनों भाई-बहन को सम्मानित भी किया है। पीड़िता चंदा कुमार जैतपुर की रहने वाली हैं। वह नोएडा में एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। 11 सितंबर को सुबह 8 बजे वह स्कूटी से स्कूल जा रही थीं। वह जब ओखला बैराज के पास पहुंची, तभी मोटरसाइकिल पर आए तीन बदमाशों ने उनका बैग झपट लिया। जिसमें नकदी और फोन था। छपटमारी के दौरान, पीड़िता स्कूटी से नीचे गिर गई। इस बीच आरोपी नोएडा की तरफ फरार हो गए। बाद में ट्रैकर की मदद से दोनों भाई-बहन आरोपी के घर पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।

राजघाट से जिनेवा तक बापू की शांति यात्रा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए साल भर चलने वाले गांधी यात्रा अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके दो घटक होंगे। दो अक्तूबर को दिल्ली के राजघाट से शुरू होने वाली 121 दिनों की यात्रा भारत के 12 राज्यों से होते हुए अमदाबाद में खत्म होगी, जबकि दूसरी यात्रा जो 244 दिनों की होगी।

वह ईरान से शुरू होगी और अर्मेनिया, जोर्जिया, सर्बिया, बोस्निया इत्यादि दस देशों से होती हुई 26 सितंबर, 2020 को जिनेवा में खत्म होगी। इसका आयोजन 'जय जगत ग्लोबल पीस मार्च' के बैनर तले किया जाएगा।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती

244 दिनों की यात्रा ईरान से शुरू होकर दस देशों से होती हुई जिनेवा तक जाएगी

जय जगत ग्लोबल पीस मार्च की अहमियत बताते आयोजक व सामाजिक कार्यकर्ता जिलकार हैरिस ने कहा कि न्याय और शांति हमारा उद्देश्य है। उन्होंने बापू की विचारधारा को केवल भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए भी प्रासंगिक बताया। साल भर चलने वाली इस यात्रा का समापन जिनेवा में क्यों होगा? इस बारे में पीवी राजगोपाल ने कहा- दुनिया में हम सब शांति और सामाजिक न्याय की तलाश में जी रहे हैं। यात्रा का एशिया और यूरोप से होकर गुजरना इसको दर्शाता है। जिनेवा में इसी तरह की यात्रा सेनेगल, फ्रांस, जमर्नी और ब्रिटेन जैसे देशों से भी पहुंचेगी।

इसके बाद अगले आठ दिनों तक जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजंसियों और एक समान सोच रखने वाले संगठनों की बैठक भी होगी। जिसमें सतत विकास के लक्ष्य जैसी गरीबी दूर करना, सामाजिक बहिष्कार का उन्मूलन, जलवायु संरक्षण एवं शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने जैसे चार लक्ष्यों पर चर्चा की जाएगी।

सौतेले पिता पर बच्ची को गरम करछी से जलाने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

आंबेडकर नगर थाना क्षेत्र में सौतेले पिता पर तीन साल की बेटी के साथ मारपीट और गरम करछी से जलाने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी पुलिस को शुक्रवार को मिली, जब परिजनों को पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी दी। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्ची की दादी बापा और मौसी रमना की शिकायत पुलिस को दी। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

बच्ची की दादी बापा ने बताया कि कुछ महीने पहले उसके बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो गई। उसके बाद उसकी बहू इलाके में ही रहने वाले शिवा नामक शख्स से शादी कर ली। शादी के बाद वह बच्ची को भी अपने साथ लेकर चली गई। कुछ दिनों पहले शिवा ने बच्ची के साथ मारपीट की थी।

उन्नाव कांड : बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता ने एम्स में लगी अस्थायी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया और इसके साथ ही बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी कर ली गई। बंद कमरे में होने वाली सुनवाई आम लोग और प्रेस को देखने की अनुमति नहीं थी। सुनवाई से अवगत एक वकील ने बताया कि पीड़िता ने जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के सम्मेलन कक्ष में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के सामने गवाही दी।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हेबीटाट सेंटर : हिंदी पर चर्चा, गुलमोहर सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : कर्नाटक संगीत उत्सव, सीडी देशमुख, 40 मैक्समूलर मार्ग, सेंटर परिसर, शाम साढ़े 6 बजे।

दुबई और सिंगापुर से आए अस्थिकलश का होगा भारत में विसर्जन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

श्री देवोत्थान सेवा समिति के पितृपक्ष की 18वीं अस्थि कलश विसर्जन यात्रा मे इस बार दुबई व सिंगापुर से आए आठ अस्थि कलश भी शामिल किए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष अनिल नरेंद्र ने बताया कि समिति 17 वर्षों में करीब एक लाख से अधिक अस्थि कलश का वैदिक रीति से प्रत्येक पितृपक्ष में विसर्जन कर चुकी है।

पाकिस्तान में वर्षों से रखे 295 अस्थि कलशों को क्रमशः 2011 में 135, 2016 में 160 लाकर भी मोक्ष दिलवा चुकी है। इस बार 18वीं यात्रा 20 सितंबर (शुक्रवार) को सुबह आम जनमानस के दर्शनार्थ पुष्पांजलि करने हेतु शहीदी पार्क, आइटीओ से शुरू होगी। पुष्पांजलि के बाद संतों, महंतों व राजनेताओं के सहयोग से हरिद्वार के लिए रवाना होगी। करीब 400 श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ यात्रा देर रात हरिद्वार पहुंचेगी और अगले दिन 21 सितंबर को हजारों अस्थि कलश का विसर्जन 100 किलो दूध के साथ कनखल के सती घाट पर किया जाएगा। यात्रा संयोजक विजय शर्मा ने बताया कि समिति की सदस्या बीना बुदकी के अथक प्रयास से सिंगापुर व दुबई से भी करीब 8 अस्थि कलश दिल्ली पहुंचे हैं।

76 साल में हुआ हिंदी से प्यार, बन गए वरिष्ठ विद्यार्थी

मीना
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

बुजुर्ग रामकृष्ण को हिंदी से इतना प्यार है कि उन्होंने 76 की उम्र में इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए हिंदी में दाखिला लिया है और प्रवेश परीक्षा में 82 फीसद अंक प्राप्त किए हैं। चेहरे पर झुर्रियां, लंबी सफेद दाढ़ी और मोटे चश्मे के फ्रेम के बीच रामकृष्ण की ढलती उम्र तो दिखती है लेकिन उनके अंदर पढ़ने का जज्बा जवान होते दिखता है।

1943 में जन्मे रामकृष्ण को हिंदी से इतना प्यार है कि 1971 में मेरठ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए करने के बाद 2019 में हिंदी में आगे पढ़ना चाहा। वे बताते हैं कि 2003 में एमएमटीसी से सेवानिवृत्त होने के बाद उनका रुझान लेखन की ओर हुआ। उन्होंने अपने अंदर कुलबुलाते विचारों को कोरे कागज पर उतारने के लिए हिंदी भाषा को चुना। वे कहते हैं कि 'मैं एक हिंदी पत्रिका के लिए धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर लेख लिखता हूं। पत्रिका में शुद्ध हिंदी में लिख पाऊं इसलिए हिंदी में पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद मैं शुद्ध हिंदी लिख पाऊंगा।' वे कहते हैं कि मैं विश्वविद्यालयी जीवन का आनंद ले रहा हूं। सब बहुत सम्मान से बात करते हैं और प्रोफेसर को भी अच्छा लगता है कि एक वरिष्ठ नागरिक उनकी कक्षा में पढ़ने आता है। मैं नौजवानों के बीच पढ़कर खुद को भी जवान महसूस करता हूं।

सुबह चार बजे तक पढ़ते हैं रामकृष्ण

दिल्ली के यमुना विहार में रहने वाले रामकृष्ण को हिंदी पढ़ने का इतना जुनून है कि वे रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ते हैं। फिर सुबह व्यायाम करने के बाद सात बजे से तब तक पढ़ते हैं जब तक कक्षा का समय नहीं हो जाता। वे बताते हैं कि कक्षा में जो आज पढ़ाया जाएगा उसे वे पहले ही पढ़ लेते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गोदान, मैला आंचल जैसे उपन्यास पहले ही पढ़कर नोट्स बना लिए हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी काम करो उसमें लगन और जुनून होना बहुत जरूरी है। यही लगन और जज्बा रामकृष्ण ने अपनी जिंदगी के हर पल में जिया है। वे बताते हैं कि वे दिल्ली से वैष्णो देवी पैदल यात्रा करने गए। अखबारों में क्रॉस वर्ड भरने का इतना शौक था कि सड़क पर भी अगर अखबार की कतरन में क्रॉस वर्ड दिख जाए तो उसे भी उठा लेते थे। वे कहते हैं कि मैंने जीवन में जो भी काम किया उस काम में पूरी तरह रम गया। अब हिंदी में पूरी तरह रम रहा हूं।

खबरों में शहर

'हिंदी को पेट की भाषा बनाने की जरूरत'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने हिंदी के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि हिंदी और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। सिन्हा ने महात्मा गांधी के जीवन पर भी रोशनी डाली और कहा कि गांधी सत्य का प्रयोग करते थे और वो ऐसा करने में किसी से डरते नही थे। जब भी हिंदी की बात आती है गांधी और नेल्सन मंडेला की बात जरूर होती है। हिंदी दिल की भाषा है लेकिन इसे पेट की भाषा बनाने की जरूरत है। वे विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित दो दिन के अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कर रही थी। महात्मा गांधी की 150वी जन्म जयंती को समर्पित हिंदी दिवस के मौके पर एनडीएमसी सभागार में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें राज्यपाल मृदुला सिन्हा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य डॉ इंद्रेश कुमार, विश्व हिंदी परिषद के महासचिव बिपिन कुमार, एनडीएमसी की सचिव रश्मि सिंह आदि ने विचार रखे। मौके पर उपस्थित नीति आयोग के मुख्य सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदी हमारे हृदय की भाषा है, गांधी जी ने कहा था कि तब तक कोई देश स्वतंत्र नही हो सकता जब तक वो अपनी राष्ट्रभाषा को गले नही लगाता।

28 कॉलेजों में फंड कटौती पर प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर 28 कॉलेजों में फंड कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के फंड कटौती से 28 कॉलेजों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने घोषणापत्र के अनुसार 20 नए कॉलेज खोलने में असफल रही है। पूर्व ईसी सदस्य डॉ अजय भागी ने कहा कि दिल्ली सरकार की शह पर इन कॉलेजों में मनोनीत प्रबंधन समितियों के सदस्यों ने पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर व्यवहार किया है। इनके मनोनीत सदस्यों ने कॉलेजों की प्रतिदिन की गतिविधियों और कामकाज में हस्तक्षेप किया है जो डीयू के मानदंडों का उल्लंघन है। धरने के बाद एनडीटीएफ प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। डीयू की विद्वत परिषद (एसी) के सदस्य डॉक्टर रसाल सिंह ने कहा कि 20 नए कॉलेज खोलने के वादे के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार 12 कॉलेजों को बंद करने पर तुली हुई है।

नई पार्टी बनाएंगे : जीके

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि वे नई पार्टी बनाकर शुद्ध धार्मिक सियासत करेंगे। नई पार्टी की औपचारिक घोषणा गांधी जयंती के मौके पर दो अक्तूबर को होगी। उन्होंने भाजपा में जाने की अटकलों को खत्म कर दिया है। पिछले साल सात दिसंबर को कमेटी अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार को उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वे किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। जीके ने कहा-मैं अपने पिता जत्थेदार संतोख सिंह की विरासत को आगे ले जाने का काम करूंगा। नई पंथक पार्टी आगामी दिल्ली कमेटी का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा-इस पार्टी का कोई भी सदस्य गुरुद्वारा चुनाव के अलावा सियासी चुनाव नही लड़ेगा। उनके कार्य श्रीगुरु ग्रंथ साहिब को समर्पित होंगे। अकाल तख्त साहिब पर राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना भी हमारे एजंडे में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का दिल्ली में मजबूत संगठन विकसित करने के लिए प्रदेश, जिला और वार्ड तक सभी समितियां बनाई जानी हैं। सभी आयु वर्ग व समुदाय के सभी तबकों को साथ लेकर चलने के लिए मुख्य इकाई के साथ ही महिला विंग, यूथ विंग, किरत विंग, बुद्धिजीवी विंग और धर्मप्रचार विंग का संगठन वार्ड स्तर तक बनाया जाएगा। दिल्ली कमेटी के 46 वार्डों के आधार पर पूरी दिल्ली को पांच जिलों में बांटा जाएगा।

फिलहाल उमस से नहीं मिल पाएगी राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि छिटपुट इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है इससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन बड़ी राहत फिलहाल नहीं है। उमस से त्रस्त राजधानी वासियों को बेचैन करने वाले मौसम से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली में इस साल सितंबर में उम्मीद से करीब 30 फीसद कम बारिश हुई।

चिन्मयानंद के बाद एसआइटी ने की पीड़िता से पूछताछ

शाहजहांपुर (उप्र), 13 सितंबर (जनसत्ता/भाषा)।

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से पूछताछ के बाद एसआइटी ने आरोप लगाने वाली पीड़िता से शुक्रवार को पूछताछ शुरू की। हाई कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) की टीम ने गुरूवार देर रात स्वामी चिन्मयानंद से सात घंटे तक कड़ी पूछताछ की। इस दौरान एसआइटी की टीम ने स्वामी चिन्मयानंद के दिव्य धाम स्थित बेडरूम को भी सील कर दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय पुलिस लड़की को चिन्मयानंद के निवास पर लाई जहां एसआइटी ने अपनी जांच जारी रखी और उसकी मौजूदगी में सबूत एकत्र किए। इस मौके पर फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर मौजूद रही।

वहीं चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम 6 बजकर 20 मिनट पर एसआइटी कार्यालय में स्वामी चिन्मयानंद से पूछताछ की गई। पूछताछ रात एक बजे तक चली। एसआइटी कड़ी सुरक्षा के बीच स्वामी चिन्मयानंद को आश्रम स्थित उनके आवास दिव्य धाम तक लेकर आई और चिन्मयानंद के बेडरूम का मुआयना किया। परंतु रात अधिक होने के कारण उसे सील कर दिया गया।

सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है की विशेष जांच दल ने स्वामी चिन्मयानंद से कहा है कि जब तक जांच चले वह शहर छोड़कर बाहर ना जाएं। हालांकि इस दौरान उनके आवास पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

शिवकुमार की ईडी हिरासत 17 तक बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की ईडी हिरासत अवधि 17 सितंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले अदालत ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने यह आदेश दिया। ईडी ने एक धनशोधन मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी नौ दिनों की हिरासत अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया।

ईडी ने अदालत को बताया कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिए धनशोधन किया गया। ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपए से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है ।

आयकर के ऑनलाइन निरीक्षण में अधिकारियों और करदाताओं के बीच आमना-सामना नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

सरकार ने करदाताओं की बेहतर सुविधा और आयकर विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आयकर की आनलाइन आकलन प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत करदाता और कर अधिकारी के बीच सीधे आमना-सामना नहीं होगा और किस करदाता के टैक्स रिटर्न का विश्लेषण किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी भी सामने नहीं आएगी। इलेक्ट्रानिक आकलन की इस प्रक्रिया को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचित कर दिया।

इस योजना के तहत एक राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र बनाया जाएगा। यह केंद्र करदाता को उसके मामले को आकलन के लिए चयन किए जाने की जानकारी देने के साथ ही नोटिस जारी करेगा। इसके बाद 15 दिन के भीतर जवाब मिलने पर यह केंद्र उस मामले को आकलन अधिकारी को आवंटित कर देगा। यह पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रानिक प्रणाली के जरिए होगी। इसमें करदाता और अधिकारी के बीच सीधे कोई आमना-सामना नहीं होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस नई प्रक्रिया को आठ अक्तूबर 'विजयदशमी' के दिन से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है- इस प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए आयकर प्राधिकरण के समक्ष या फिर राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र या इस योजना के तहत तैयार किए गए किसी भी इकाई के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

मोरारी बापू पर टिप्पणी के विरोध में पुरस्कार लौटाया

अहमदाबाद, 13 सितंबर (भाषा)।

रामकथा वाचक मोरारी बापू पर टिप्पणियों का विरोध करते हुए गुजरात के नौ लोक कलाकारों और एक जानेमाने स्तंभकार ने स्वामीनारायण संप्रदाय के एक समूह से मिले पुरस्कारों को लौटा दिया है। इन कलाकारों में भजन गायक हेमंत चौहान, लोक कलाकार मायाभाई अहीर, सैराम दवे, धीरू सरवैया और उस्मान मीर शामिल हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े लक्ष्मीनारायण देवपीठ (वडताल) के कुछ नेताओं ने मोरारी बापू की टिप्पणियों की आलोचना की है। बापू ने कहा था कि नीलकंठ केवल एक हैं, वह भगवान शिव हैं और अन्य किसी को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में बापू ने खेद जता दिया।

मेडिकल छात्र ने जहर का इंजेक्शन लगा की खुदकुशी

मदुरै, 13 सितंबर (भाषा)।

तमिलनाडु के मदुरै में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के 29 वर्षीय परास्नातक मेडिकल छात्र ने जहर का इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। घटनास्थल से कथित रूप से छात्र द्वारा लिखा नोट मिला है जिसमें उसने इस कदम के पीछे काम का दबाव बताया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को उदयराज को उसके किराए के मकान में मृत पाया गया। शव के पास सीरिंज और खाली शीशी मिली। उदयराज राज्य के वृदाचलम का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात को ड्यूटी से आने के बाद शुक्रवार देर तक उदयराज घर से नहीं निकला तब मकान मालिक को शक हुआ और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में घुसी तब जाकर खुदकुशी का पता चला।

खुदाई के दौरान शख्स को मिला बेशकीमती हीरा

पन्ना (मप्र), 13 सितंबर (भाषा)।

हीरों के खदानों के लिए प्रसिद्ध मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक व्यक्ति को खदान की खुदाई के दौरान शुक्रवार को 29 कैरेट 46 सेंट के वजन का उज्जवल क्वालिटी का एक बेशकीमती हीरा मिला है। नीलामी में यह डेढ़ से दो करोड़ रूपए में बिक सकता है।

पन्ना जिले के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि उपाध्याय ने इस हीरे को यहां हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है और जल्द ही इसे बेचने के लिए नीलामी में रखा जाएगा। इस हीरे की नीलामी से जो भी पैसा मिलेगा, उसमें से टैक्स काट कर बृजेश उपाध्याय को दिया जाएगा।

इसी बीच, बृजेश उपाध्याय ने बताया, 'मैं हीरा खोजने के लिए खदानें खोदने के काम का संचालन करता हूं। पिछले करीब 25 साल से यह काम कर रहा हूं। इतना बड़ा हीरा पहली बार मिला है।' हीरा की जानकारी रखने वालों के अनुसार इस हीरे की कीमत डेढ़ से दो करोड़ रूपए मिल सकती है।

आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1993PLC056347]
पंजी. कार्यालय : 7-सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
फोन : 0120-4152766, 4193799, वेबसाइट : www.adharshilacapital.in, ई-मेल - adharshilacapital@gmail.com

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू. लाख में)

विवरण	तिमाही समाप्त 30.06.2019 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.2018 (अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	9.94	8.58
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व #)	2.50	3.46
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात #)	2.50	3.46
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात #)	1.96	2.87
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	1.96	2.87
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक)	550.00	550.00
संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है।	30.25 (31.03.2019 को)	
प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का)		
मूल	0.04	0.05
तनुकृत	0.04	0.05

नोट :

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bselindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.adharshilacapital.in) पर उपलब्ध है।

ख) आईएनडी-एएस लागू किए जाने पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल समावेशी आय अथवा किसी अन्य संबद्ध वित्तीय मद(दों) पर प्रभाव निम्नानुसार प्रकट किया गया है :

विवरण	3 माह समाप्त 30.06.2018
पूर्व जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के अनुसार शुद्ध लाभ	0.93
आईएनडी एएस समायोजन	
जोड़ें :	
आईएनडी एएस के अनुसार ब्याज समायोजन	2.45
योग (क)	3.38
घटाएं :	
आय कर समायोजन	0.51
योग (ख)	0.51
आईएनडी एएस के अनुसार कुल समावेशी आय	2.87

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
हस्ता./-
हरनन्द त्यागी
निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13-09-2019

परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज़ लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1994PLC057377]
पंजी. कार्यालय : 7-सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
फोन : 0120-4152766, 4193799, वेबसाइट : www.pfil.in, ई-मेल - pariksha.delhi@gmail.com

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू. लाख में)

विवरण	तिमाही समाप्त 30.06.2019 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.2018 (अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	10.85	14.66
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व #)	(0.76)	(2.13)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात #)	(0.76)	(2.13)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात #)	(0.41)	(0.65)
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	(0.41)	(0.65)
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक)	375.05	375.05
संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है।	41.88 (31.03.2019 को)	
प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का)		
मूल	(0.01)	(0.02)
तनुकृत	(0.01)	(0.02)

नोट :

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bselindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.pfil.in) पर उपलब्ध है।

ख) आईएनडी-एएस लागू किए जाने पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल समावेशी आय अथवा किसी अन्य संबद्ध वित्तीय मद(दों) पर प्रभाव निम्नानुसार प्रकट किया गया है :

विवरण	3 माह समाप्त 30.06.2018
पूर्व जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के अनुसार शुद्ध लाभ	(2.87)
आईएनडी एएस समायोजन	
जोड़ें :	
आईएनडी एएस के अनुसार ब्याज समायोजन	1.84
योग (क)	(1.03)
घटाएं :	
आय कर समायोजन	0.38
योग (ख)	0.38
आईएनडी एएस के अनुसार कुल समावेशी आय	(0.65)

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज़ लिमिटेड
हस्ता./-
(हरनन्द त्यागी)
निदेशक

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 13-09-2019

फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः दानी कॉर्पोरेट पार्क, 5वाँ तल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (ई), मुंबई-400098, टेली.: 022-6794250, फैक्सः 022-67412313

CIN: U67190MH2007PTC168303, ई-मेलः info@phoenixarc.co.in,
वेबसाईटः www.phoenixarc.co.in/http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NDgw

परिसम्पत्तियों की ऑनलाईन ई-नीलामी बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफैसी अधिनियम के रूप में वर्णित) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (संक्षेप में नियमावली के रूप में वर्णित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में तथा प्रतिभूत ऋणों की वसूली के लिए उक्त सरफैसी अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी में निहित शक्तियों के अनुसार यहां नीचे वर्णित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी ने नीलामी बिक्री द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है।

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-8 के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड (फिनिक्स) के पास गिरवी रखी गयी नीचे वर्णित सम्पत्ति (एसाइन्मेंट अनुबंध तिथि 17.3.2017 के माध्यम से फिनिक्स के पक्ष में साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (एसआईबी) के द्वारा ऋणों के एसाइन्मेन्ट के अनुपालन में) की वेबसाईट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से **प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के** प्रावधानों के अनुसार नीचे वर्णित बकाए तथा आगे के ब्याज, शुल्कों एवं लागतों आदि की वसूली के लिए **''ऑनलाइन ई-नीलामी'' द्वारा ''जैसा है जहां है''** आधार तथा **''जो भी वहां है''** शर्त पर बिक्री की जाएगी।

ऋणधारक का नाम	**मै. तीरथ राम विनोद कुमार एंड क., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री विनोद कुमार शर्मा**
गारंटर का नाम	श्रीमती बनिता रानी
बकाया राशि	सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना तिथि 3.5.2016 के अनुसार आकस्मिक खर्चे, लागतों तथा चार्जेज के साथ संपूर्ण बकाये के भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ 31.3.2016 को रु. 3,97,54,793/- (रुपए तीन करोड़ सत्तानवे लाख चौवन हजार सात सौ तिड़ानवे मात्र)
सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत की गई कब्जा	भौतिक कब्जा तिथि 20.03.2019 को ली गई
निरीक्षण की तिथि एवं समय	11.10.2019 (शुक्रवार) 11.30 बजे पूर्वा. से 1.30 बजे अप. तक
बोली जमा करने अंतिम की तिथि (ई-नीलामी)	22.10.2019 (मंगलवार) बैंकिंग अवधि की समाप्ति से पूर्व
धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	ईएमडी का भुगतान ''फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-8'' चालू खाताः 0812529164, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, शाखाः बान्द्रा ईस्ट, आईएफएससी कोडः KKBK0001368 के पक्ष में आरटीजीएस के द्वारा जमा किया जाएगा। ईएमडी राशिः रु. 16,63,300/- (रुपए सोलह लाख तिरेसठ हजार तीन सौ मात्र)
आरक्षित मूल्य	रु. 1,66,33,000/- (रुपए एक करोड़ छियासठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
बोली वृद्धि	रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार) एवं उसके गुणकों में
ई-नीलामी की तिथि	23.10.2019 (बुधवार) 11 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक
ई-नीलामी की पद्धति	ऑन लाइन ई-नीलामी
नीलामी की जा रही प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	श्री विनोद कुमार शर्मा, पुत्र स्व. श्री तीरथ राम शर्मा के स्वामित्व में खसरा नं. 214, ग्राम नरेला, इन्दिरा कॉलोनी, दिल्ली-110040 में मकान सं. टी-209 में भवन तथा उसमें अन्य सुधारों के साथ आवासीय सम्पत्ति माप 162 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा जिसका विस्तृत विवरण एसआरओ VIA, पीतमपुरा, दिल्ली के बिक्री प्रलेख सं. 1785 तिथि 14.2.2018 में दिया गया है। चौहद्दीः उत्तरः जय प्रकाश शर्मा का मकान, दक्षिणः सड़क, पूर्वः महिन्दर सिंह दहिया का मकान, पश्चिमः गली।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें:

1. यह नीलामी बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी पद्धत्ति की मदद एवं माध्यम से सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। नीलामी/बिक्री केवल वेबसाईट http://www.bankeauctions.com के माध्यम से **''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति''** में ही होगी। ई-नीलामी मंच की व्यवस्था करने के लिए **M/s C1 India Private Limited** सेवा प्रदाता है।
2. यह नीलामी बोली दस्तावेजों के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली दस्तावेजों, नीलामी पर रखी गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरणों/ बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट www.phoenixarc.co.in **saleauction.php?id=NDgw** तथा सेवा प्रदाता की वेबसाईट www.bankeauctions.com देखें।
3. बोलीदाता अपने स्वयं के कार्यालय/पसंद की जगह से ई-नीलामी कोटिंग/बोली में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं ही इन्टरनेट कनैक्टिविटी की व्यवस्था करनी होगी। प्राधिकृत अधिकारी/फिनिक्स/सेवा प्रदाता इन्टरनेट कनैक्टिविटी, नेटवर्क की समस्या, सिस्टम की विफलता, बिजली आपूर्ति में बाधा आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. विवरणों, सहायता, ई-नीलामी, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता **M/s.C1India Private Limited के श्री हरीश गौड़ा/ श्री जय सिंह, संपर्क संख्याः** 91-124-4302020/ 2021/ 2022/ 2023/ 2024, +91-22-66865600, +91-7738866329, 91-9594597555/ 7291981124/ 25/ 26, **ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com** से सम्पर्क करें।
5. नीलामी में रखी गयी प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण की जांच करने/बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट www.phoenixarc.co.in भी देख सकते हैं।
6. ई-नीलामी यहां ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में आयोजित की जाएगी जब उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति की **''जैसा है जहां है आधार'' तथा ''जो भी वहां है''** शर्त पर बिक्री की जाएगी।
7. सभी इच्छुक क्रेताओं/ बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल http:// www.bankeauction.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा उपरोक्त तिथि एवं समय को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निशुल्क यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा।
8. ई नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 22.10.2019 (मंगलवार) को बैंकिंग अवधि की समाप्ति को या उससे पूर्व पैन कार्ड, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों तथा पता के प्रमाण को प्रतियों के साथ प्रतिभूत परिसंपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की प्रतिदेय धरोहर राशि के भुगतान के विवरणों को जमा करना होगा।
9. सफल क्रेता/ बोलीदाता को 23.10.2019 **(बुधवार)** अर्थात नीलामी की तिथि को बैंकिंग अवधि की समाप्ति से पूर्व यहां ऊपर वर्णित खाता में आरटीजीएस के द्वारा अपने प्रस्ताव की 25% (ईएमडी सहित) राशि का भुगतान करना होगा जिस भुगतान की पुष्टि फिनिक्स द्वारा की जाएगी अन्यथा बिक्री को विफल मानी जाएगी तथा उक्त सफल क्रेता/ बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
10. अन्य बोलीदाता जो ई-नीलामी में सफल नहीं होंगे, की ईएमडी नीलामी की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर फिनिक्स द्वारा वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
11. सफल क्रेता/ बोलीदाता को उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पूर्व अथवा प्राधिकृत अधकारी/प्रतिभूत क्रेडीटर की एकाकी इच्छा पर लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर क्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान करना होगा। डिफॉल्ट की स्थिति में उस समय तक जमा की गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा अधिक जानकारी के लिए संभावित बोलीदाता सुश्री पल्लवी चावान/ श्री हर्ष मैगिया से उपरोक्त पते पर अथवा **pallavi.chavan@phoenixarc.co.in/harsh.magia@phoenixarc.co.in (ई मेल) अथवा** 09167490366/ 07506107562 (मो.) पर संपर्क कर सकते हैं।
13. नीलामी के किसी भी चरण में प्राधिकृत अधिकारी उसका कोई भी कारण बताए बिना तथा बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/ प्रस्ताव को स्वीकार/ अस्वीकार/ संशोधित निरस्त या नीलामी को निलंबित कर सकते हैं।
14. लागू होने वाले कानून के अनुसार उनके/अपने पक्ष में संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सफल क्रेता/ बोलीदाता को जमा किए जाने के लिए वांछित किसी प्रकार के वैधानिक बकाए, कर, देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा।
15. सभी सांविधिक/ गैर-सांविधिक बकाये, कर, दर, गणना चार्जेज, शुल्क जो किसी भी व्यक्ति को देय हो, के भुगतान के लिए केवल सफल क्रेता ही उत्तरदायी होंगे।
16. उनके पक्ष में अधिकारों के अंतरण के लिए सोसायटी को देय किसी भी लागत/ खर्चे/ शुल्कों/ प्रभारों आदि के लिए सफल क्रेता/बोलीदाता ही एकाकी रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. ऋण धारक/ गारंटर्स जो उक्त बकाया राशि के देनदार हैं, वे उपरोक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8 (6) के अंतर्गत इस बिक्री सूचना को एक सूचना रूप में समझें।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड
फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-8

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 14.9.2019

चिन्मयानंद के बाद एसआइटी ने की पीड़िता से पूछताछ

शाहजहांपुर (उप्र), 13 सितंबर (जनसत्ता/भाषा)।

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से पूछताछ के बाद एसआइटी ने आरोप लगाने वाली पीड़िता से शुक्रवार को पूछताछ शुरू की। हाई कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) की टीम ने गुरूवार देर रात स्वामी चिन्मयानंद से सात घंटे तक कड़ी पूछताछ की। इस दौरान एसआइटी की टीम ने स्वामी चिन्मयानंद के दिव्य धाम स्थित बेडरूम को भी सील कर दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय पुलिस लड़की को चिन्मयानंद के निवास पर लाई जहां एसआइटी ने अपनी जांच जारी रखी और उसकी मौजूदगी में सबूत एकत्र किए। इस मौके पर फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर मौजूद रही।

वहीं चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम 6 बजकर 20 मिनट पर एसआइटी कार्यालय में स्वामी चिन्मयानंद से पूछताछ की गई। पूछताछ रात एक बजे तक चली। एसआइटी कड़ी सुरक्षा के बीच स्वामी चिन्मयानंद को आश्रम स्थित उनके आवास दिव्य धाम तक लेकर आई और चिन्मयानंद के बेडरूम का मुआयना किया। परंतु रात अधिक होने के कारण उसे सील कर दिया गया।

सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है की विशेष जांच दल ने स्वामी चिन्मयानंद से कहा है कि जब तक जांच चले वह शहर छोड़कर बाहर ना जाएं। हालांकि इस दौरान उनके आवास पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

शिवकुमार की ईडी हिरासत 17 तक बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की ईडी हिरासत अवधि 17 सितंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले अदालत ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने यह आदेश दिया। ईडी ने एक धनशोधन मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी नौ दिनों की हिरासत अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया।

ईडी ने अदालत को बताया कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिए धनशोधन किया गया। ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपए से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है ।

आयकर के ऑनलाइन निरीक्षण में अधिकारियों और करदाताओं के बीच आमना-सामना नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

सरकार ने करदाताओं की बेहतर सुविधा और आयकर विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आयकर की आनलाइन आकलन प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत करदाता और कर अधिकारी के बीच सीधे आमना-सामना नहीं होगा और किस करदाता के टैक्स रिटर्न का विश्लेषण किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी भी सामने नहीं आएगी। इलेक्ट्रानिक आकलन की इस प्रक्रिया को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचित कर दिया।

इस योजना के तहत एक राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र बनाया जाएगा। यह केंद्र करदाता को उसके मामले को आकलन के लिए चयन किए जाने की जानकारी देने के साथ ही नोटिस जारी करेगा। इसके बाद 15 दिन के भीतर जवाब मिलने पर यह केंद्र उस मामले को आकलन अधिकारी को आवंटित कर देगा। यह पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रानिक प्रणाली के जरिए होगी। इसमें करदाता और अधिकारी के बीच सीधे कोई आमना-सामना नहीं होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस नई प्रक्रिया को आठ अक्तूबर 'विजयदशमी' के दिन से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है- इस प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए आयकर प्राधिकरण के समक्ष या फिर राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र या इस योजना के तहत तैयार किए गए किसी भी इकाई के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

मोरारी बापू पर टिप्पणी के विरोध में पुरस्कार लौटाया

अहमदाबाद, 13 सितंबर (भाषा)।

रामकथा वाचक मोरारी बापू पर टिप्पणियों का विरोध करते हुए गुजरात के नौ लोक कलाकारों और एक जानेमाने स्तंभकार ने स्वामीनारायण संप्रदाय के एक समूह से मिले पुरस्कारों को लौटा दिया है। इन कलाकारों में भजन गायक हेमंत चौहान, लोक कलाकार मायाभाई अहीर, सैराम दवे, धीरू सरवैया और उस्मान मीर शामिल हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े लक्ष्मीनारायण देवपीठ (वडताल) के कुछ नेताओं ने मोरारी बापू की टिप्पणियों की आलोचना की है। बापू ने कहा था कि नीलकंठ केवल एक हैं, वह भगवान शिव हैं और अन्य किसी को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में बापू ने खेद जता दिया।

मेडिकल छात्र ने जहर का इंजेक्शन लगा की खुदकुशी

मदुरै, 13 सितंबर (भाषा)।

तमिलनाडु के मदुरै में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के 29 वर्षीय परास्नातक मेडिकल छात्र ने जहर का इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। घटनास्थल से कथित रूप से छात्र द्वारा लिखा नोट मिला है जिसमें उसने इस कदम के पीछे काम का दबाव बताया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को उदयराज को उसके किराए के मकान में मृत पाया गया। शव के पास सीरिंज और खाली शीशी मिली। उदयराज राज्य के वृदाचलम का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात को ड्यूटी से आने के बाद शुक्रवार देर तक उदयराज घर से नहीं निकला तब मकान मालिक को शक हुआ और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में घुसी तब जाकर खुदकुशी का पता चला।

खुदाई के दौरान शख्स को मिला बेशकीमती हीरा

पन्ना (मप्र), 13 सितंबर (भाषा)।

हीरों के खदानों के लिए प्रसिद्ध मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक व्यक्ति को खदान की खुदाई के दौरान शुक्रवार को 29 कैरेट 46 सेंट के वजन का उज्जवल क्वालिटी का एक बेशकीमती हीरा मिला है। नीलामी में यह डेढ़ से दो करोड़ रूपए में बिक सकता है।

पन्ना जिले के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि उपाध्याय ने इस हीरे को यहां हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है और जल्द ही इसे बेचने के लिए नीलामी में रखा जाएगा। इस हीरे की नीलामी से जो भी पैसा मिलेगा, उसमें से टैक्स काट कर बृजेश उपाध्याय को दिया जाएगा।

इसी बीच, बृजेश उपाध्याय ने बताया, 'मैं हीरा खोजने के लिए खदानें खोदने के काम का संचालन करता हूं। पिछले करीब 25 साल से यह काम कर रहा हूं। इतना बड़ा हीरा पहली बार मिला है।' हीरा की जानकारी रखने वालों के अनुसार इस हीरे की कीमत डेढ़ से दो करोड़ रूपए मिल सकती है।

आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1993PLC056347]
पंजी. कार्यालय : 7-सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
फोन : 0120-4152766, 4193799, वेबसाइट : www.adharshilacapital.in, ई-मेल - adharshilacapital@gmail.com

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू. लाख में)

विवरण	तिमाही समाप्त 30.06.2019 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.2018 (अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	9.94	8.58
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व #)	2.50	3.46
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात #)	2.50	3.46
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात #)	1.96	2.87
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	1.96	2.87
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक)	550.00	550.00
संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है।	30.25 (31.03.2019 को)	
प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का)		
मूल	0.04	0.05
तनुकृत	0.04	0.05

नोट :

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bselindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.adharshilacapital.in) पर उपलब्ध है।

ख) आईएनडी-एएस लागू किए जाने पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल समावेशी आय अथवा किसी अन्य संबद्ध वित्तीय मद(दों) पर प्रभाव निम्नानुसार प्रकट किया गया है :

विवरण	3 माह समाप्त 30.06.2018
पूर्व जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के अनुसार शुद्ध लाभ	0.93
आईएनडी एएस समायोजन	
जोड़ें :	
आईएनडी एएस के अनुसार ब्याज समायोजन	2.45
योग (क)	3.38
घटाएं :	
आय कर समायोजन	0.51
योग (ख)	0.51
आईएनडी एएस के अनुसार कुल समावेशी आय	2.87

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
हस्ता./-
हरनन्द त्यागी
निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13-09-2019

परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज़ लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1994PLC057377]
पंजी. कार्यालय : 7-सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
फोन : 0120-4152766, 4193799, वेबसाइट : www.pfil.in, ई-मेल - pariksha.delhi@gmail.com

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू. लाख में)

विवरण	तिमाही समाप्त 30.06.2019 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.2018 (अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	10.85	14.66
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व #)	(0.76)	(2.13)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात #)	(0.76)	(2.13)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात #)	(0.41)	(0.65)
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	(0.41)	(0.65)
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक)	375.05	375.05
संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है।	41.88 (31.03.2019 को)	
प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का)		
मूल	(0.01)	(0.02)
तनुकृत	(0.01)	(0.02)

नोट :

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bselindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.pfil.in) पर उपलब्ध है।

ख) आईएनडी-एएस लागू किए जाने पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल समावेशी आय अथवा किसी अन्य संबद्ध वित्तीय मद(दों) पर प्रभाव निम्नानुसार प्रकट किया गया है :

विवरण	3 माह समाप्त 30.06.2018
पूर्व जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के अनुसार शुद्ध लाभ	(2.87)
आईएनडी एएस समायोजन	
जोड़ें :	
आईएनडी एएस के अनुसार ब्याज समायोजन	1.84
योग (क)	(1.03)
घटाएं :	
आय कर समायोजन	0.38
योग (ख)	0.38
आईएनडी एएस के अनुसार कुल समावेशी आय	(0.65)

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज़ लिमिटेड
हस्ता./-
(हरनन्द त्यागी)
निदेशक

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 13-09-2019

फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः दानी कॉर्पोरेट पार्क, 5वाँ तल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (ई), मुंबई-400098, टेली.: 022-6794250, फैक्सः 022-67412313

CIN: U67190MH2007PTC168303, ई-मेलः info@phoenixarc.co.in,
वेबसाईटः www.phoenixarc.co.in/http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NDgw

परिसम्पत्तियों की ऑनलाईन ई-नीलामी बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफैसी अधिनियम के रूप में वर्णित) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (संक्षेप में नियमावली के रूप में वर्णित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में तथा प्रतिभूत ऋणों की वसूली के लिए उक्त सरफैसी अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी में निहित शक्तियों के अनुसार यहां नीचे वर्णित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी ने नीलामी बिक्री द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है।

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-8 के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड (फिनिक्स) के पास गिरवी रखी गयी नीचे वर्णित सम्पत्ति (एसाइन्मेंट अनुबंध तिथि 17.3.2017 के माध्यम से फिनिक्स के पक्ष में साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (एसआईबी) के द्वारा ऋणों के एसाइन्मेन्ट के अनुपालन में) की वेबसाईट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से **प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के** प्रावधानों के अनुसार नीचे वर्णित बकाए तथा आगे के ब्याज, शुल्कों एवं लागतों आदि की वसूली के लिए **''ऑनलाइन ई-नीलामी'' द्वारा ''जैसा है जहां है''** आधार तथा **''जो भी वहां है''** शर्त पर बिक्री की जाएगी।

ऋणधारक का नाम	**मै. तीरथ राम विनोद कुमार एंड क., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री विनोद कुमार शर्मा**
गारंटर का नाम	श्रीमती बनिता रानी
बकाया राशि	सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना तिथि 3.5.2016 के अनुसार आकस्मिक खर्चे, लागतों तथा चार्जेज के साथ संपूर्ण बकाये के भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ 31.3.2016 को रु. 3,97,54,793/- (रुपए तीन करोड़ सत्तानवे लाख चौवन हजार सात सौ तिड़ानवे मात्र)
सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत की गई कब्जा	भौतिक कब्जा तिथि 20.03.2019 को ली गई
निरीक्षण की तिथि एवं समय	11.10.2019 (शुक्रवार) 11.30 बजे पूर्वा. से 1.30 बजे अप. तक
बोली जमा करने अंतिम की तिथि (ई-नीलामी)	22.10.2019 (मंगलवार) बैंकिंग अवधि की समाप्ति से पूर्व
धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	ईएमडी का भुगतान ''फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-8'' चालू खाताः 0812529164, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, शाखाः बान्द्रा ईस्ट, आईएफएससी कोडः KKBK0001368 के पक्ष में आरटीजीएस के द्वारा जमा किया जाएगा। ईएमडी राशिः रु. 16,63,300/- (रुपए सोलह लाख तिरेसठ हजार तीन सौ मात्र)
आरक्षित मूल्य	रु. 1,66,33,000/- (रुपए एक करोड़ छियासठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
बोली वृद्धि	रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार) एवं उसके गुणकों में
ई-नीलामी की तिथि	23.10.2019 (बुधवार) 11 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक
ई-नीलामी की पद्धति	ऑन लाइन ई-नीलामी
नीलामी की जा रही प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	श्री विनोद कुमार शर्मा, पुत्र स्व. श्री तीरथ राम शर्मा के स्वामित्व में खसरा नं. 214, ग्राम नरेला, इन्दिरा कॉलोनी, दिल्ली-110040 में मकान सं. टी-209 में भवन तथा उसमें अन्य सुधारों के साथ आवासीय सम्पत्ति माप 162 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा जिसका विस्तृत विवरण एसआरओ VIA, पीतमपुरा, दिल्ली के बिक्री प्रलेख सं. 1785 तिथि 14.2.2018 में दिया गया है। चौहद्दीः उत्तरः जय प्रकाश शर्मा का मकान, दक्षिणः सड़क, पूर्वः महिन्दर सिंह दहिया का मकान, पश्चिमः गली।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें:

1. यह नीलामी बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी पद्धत्ति की मदद एवं माध्यम से सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। नीलामी/बिक्री केवल वेबसाईट http://www.bankeauctions.com के माध्यम से **''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति''** में ही होगी। ई-नीलामी मंच की व्यवस्था करने के लिए **M/s C1 India Private Limited** सेवा प्रदाता है।
2. यह नीलामी बोली दस्तावेजों के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली दस्तावेजों, नीलामी पर रखी गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरणों/ बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट www.phoenixarc.co.in **saleauction.php?id=NDgw** तथा सेवा प्रदाता की वेबसाईट www.bankeauctions.com देखें।
3. बोलीदाता अपने स्वयं के कार्यालय/पसंद की जगह से ई-नीलामी कोटिंग/बोली में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं ही इन्टरनेट कनैक्टिविटी की व्यवस्था करनी होगी। प्राधिकृत अधिकारी/फिनिक्स/सेवा प्रदाता इन्टरनेट कनैक्टिविटी, नेटवर्क की समस्या, सिस्टम की विफलता, बिजली आपूर्ति में बाधा आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. विवरणों, सहायता, ई-नीलामी, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता **M/s.C1India Private Limited के श्री हरीश गौड़ा/ श्री जय सिंह, संपर्क संख्याः** 91-124-4302020/ 2021/ 2022/ 2023/ 2024, +91-22-66865600, +91-7738866329, 91-9594597555/ 7291981124/ 25/ 26, **ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com** से सम्पर्क करें।
5. नीलामी में रखी गयी प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण की जांच करने/बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट www.phoenixarc.co.in भी देख सकते हैं।
6. ई-नीलामी यहां ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में आयोजित की जाएगी जब उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति की **''जैसा है जहां है आधार'' तथा ''जो भी वहां है''** शर्त पर बिक्री की जाएगी।
7. सभी इच्छुक क्रेताओं/ बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल http:// www.bankeauction.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा उपरोक्त तिथि एवं समय को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निशुल्क यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा।
8. ई नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 22.10.2019 (मंगलवार) को बैंकिंग अवधि की समाप्ति को या उससे पूर्व पैन कार्ड, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों तथा पता के प्रमाण को प्रतियों के साथ प्रतिभूत परिसंपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की प्रतिदेय धरोहर राशि के भुगतान के विवरणों को जमा करना होगा।
9. सफल क्रेता/ बोलीदाता को 23.10.2019 **(बुधवार)** अर्थात नीलामी की तिथि को बैंकिंग अवधि की समाप्ति से पूर्व यहां ऊपर वर्णित खाता में आरटीजीएस के द्वारा अपने प्रस्ताव की 25% (ईएमडी सहित) राशि का भुगतान करना होगा जिस भुगतान की पुष्टि फिनिक्स द्वारा की जाएगी अन्यथा बिक्री को विफल मानी जाएगी तथा उक्त सफल क्रेता/ बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
10. अन्य बोलीदाता जो ई-नीलामी में सफल नहीं होंगे, की ईएमडी नीलामी की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर फिनिक्स द्वारा वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
11. सफल क्रेता/ बोलीदाता को उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पूर्व अथवा प्राधिकृत अधकारी/प्रतिभूत क्रेडीटर की एकाकी इच्छा पर लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर क्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान करना होगा। डिफॉल्ट की स्थिति में उस समय तक जमा की गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा अधिक जानकारी के लिए संभावित बोलीदाता सुश्री पल्लवी चावान/ श्री हर्ष मैगिया से उपरोक्त पते पर अथवा **pallavi.chavan@phoenixarc.co.in/harsh.magia@phoenixarc.co.in (ई मेल) अथवा** 09167490366/ 07506107562 (मो.) पर संपर्क कर सकते हैं।
13. नीलामी के किसी भी चरण में प्राधिकृत अधिकारी उसका कोई भी कारण बताए बिना तथा बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/ प्रस्ताव को स्वीकार/ अस्वीकार/ संशोधित निरस्त या नीलामी को निलंबित कर सकते हैं।
14. लागू होने वाले कानून के अनुसार उनके/अपने पक्ष में संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सफल क्रेता/ बोलीदाता को जमा किए जाने के लिए वांछित किसी प्रकार के वैधानिक बकाए, कर, देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा।
15. सभी सांविधिक/ गैर-सांविधिक बकाये, कर, दर, गणना चार्जेज, शुल्क जो किसी भी व्यक्ति को देय हो, के भुगतान के लिए केवल सफल क्रेता ही उत्तरदायी होंगे।
16. उनके पक्ष में अधिकारों के अंतरण के लिए सोसायटी को देय किसी भी लागत/ खर्चे/ शुल्कों/ प्रभारों आदि के लिए सफल क्रेता/बोलीदाता ही एकाकी रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. ऋण धारक/ गारंटर्स जो उक्त बकाया राशि के देनदार हैं, वे उपरोक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8 (6) के अंतर्गत इस बिक्री सूचना को एक सूचना रूप में समझें।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड
फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-8

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 14.9.2019

जनसत्ता

14 सितंबर, 2019

दोहरा चरित्र

पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दूसरी बार राजनयिक पहुंच देने से इनकार कर एक बार फिर अपना दोहरा चरित्र दिखाया है। उसका यह व्यवहार बता रहा है कि वह भारत के साथ किसी तरह की शांति नहीं चाहता, बल्कि उसकी दिलचस्पी विवादों को बनाए में है। पाकिस्तान यह भूल रहा है कि जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराना उसकी जिम्मेदारी है और उसे यह आदेश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दिया है। जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं देकर वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को ठेंगा दिखा रहा है। दो सितंबर को पाकिस्तान ने पहली बार भारतीय उच्चायोग के प्रभारी उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया की जाधव से दो घंटे की मुलाकात करवाई थी। अगर भारतीय उप उच्चायुक्त जाधव से नहीं मिल पाते तो पता ही नहीं चलता कि जाधव किस हाल में हैं। इस मुलाकात से ही यह पता चला कि जाधव मानसिक तनाव और दबाव में थे। वे चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि कुछ हकीकत बयान कर सकें। उन्होंने उस मुलाकात में जो कुछ कहा उससे यह साफ था कि वे वही बोल रहे हैं जो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बोलने को कहा होगा। इन हालात को देखते हुए ही यह जरूरी हो गया है कि जाधव को भारतीय राजनयिक से नियमित रूप से मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए।

भारत ने जाधव को नियमित रूप से राजनयिक पहुंच देने की मांग करके कोई अनुचित बात नहीं की है। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान जाधव की मौत की सजा की समीक्षा करे और वियना संधि के तहत उन तक राजनयिक पहुंच सुनिश्चित कराए। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि एक बार ही राजनयिक पहुंच दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को धता बताते हुए अपनी मनमानी कर रहा है। राजनयिक संबंधों को लेकर वियना संधि के अनुच्छेद 36(1)(बी) में साफ कहा गया है कि अगर किसी एक देश के नागरिक को किसी दूसरे देश में गिरफ्तार किया जाता है तो दूसरे देश को बिना देरी किए पहले देश को जानकारी देनी होगी। इसी तरह इस संधि के अनुच्छेद 36(1)(सी) में कहा गया है कि पहले देश के अधिकारियों को उस देश में यात्रा करने का अधिकार है जिस देश में उसके नागरिक को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता देने का भी प्रावधान है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी दादागीरी दिखाते हुए वियना संधि को ताक पर रख दिया है।

इन दिनों पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ी हुई है कि कश्मीर मसले पर उसे दुनिया में कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के भारत के फैसले को अमेरिका सहित सारे देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री और विदेश मंत्री तक खुलेआम कह रहे हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान को किसी का साथ नहीं मिल रहा। इसीलिए पाकिस्तान जाधव की आड़ में अपनी खीझ निकाल रहा है। एक तरफ तो वह भारत से शांति, भाईचारे, इंसानियत की उम्मीदें रखता है मगर दूसरी ओर जाधव मामले में वह खुद कितनी अमानवीयता बरत रहा है, यह उसे नजर नहीं आ रहा। इंसानियत तो यह होती कि जाधव को बिना बाधा राजनयिक पहुंच दी जाती। जाधव कहीं भाग नहीं रहे हैं। भारत ने उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं भी नहीं मांगी। बात सिर्फ अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर ईमानदारी से अमल की है। बेहतर होता जाधव मामले में पाकिस्तान समझ-बूझ से काम लेता। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास का पुल तो बनता।

उच्च शिक्षा की तस्वीर

किसी भी देश की उच्च शिक्षा की तस्वीर यह बताती है कि वहां की सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा की जगह क्या है और वह इससे कितना सरोकार रखती है। पिछले कई सालों से लगातार जब भी दुनिया भर में बेहतर गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की सूची सामने आई है, उसमें शीर्ष दो या ढाई सौ तक की संख्या में हमारे देश के किसी भी उच्च शैक्षिक संस्थान को जगह नहीं मिली। इस तरह की सूची सामने आने का एक हासिल यह होना चाहिए कि सरकार और समूची व्यवस्था इस मामले में सुधार के लिए ठोस पहलकदमी करे, ताकि इस स्थिति में कुछ सुधार हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर अगले साल इस मामले में भारत की तस्वीर और चिंताजनक होती गई है। कुछ साल पहले जहां विश्व भर में शीर्ष दो सौ विश्वविद्यालयों में भारत के किसी भी संस्थान को जगह नहीं मिल सकी थी, अब उसमें और ज्यादा गिरावट आ चुकी है। पिछले साल के आखिर में ढाई सौ और अब ताजा अध्ययन में तीन सौ विश्वविद्यालयों में भी हमारे देश का एक भी उच्च शिक्षा संस्थान अपनी जगह नहीं बना सका ।

साफ है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समस्या और उसके कारण स्पष्ट होने के बावजूद उसके हल के लिए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे भविष्य के लिए कोई उम्मीद बंध सके। सवाल है कि सरकारों की ओर से किए जाने वाले लगातार दावों के बावजूद आखिर इस मामले में तस्वीर और क्यों बिगड़ती जा रही है! आंकड़ों में विकास का पैमाना नापते हुए क्या यह ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि अगर सबसे अहम उच्च शिक्षा का क्षेत्र उपेक्षित रह जाता है, तो उस विकास की बुनियाद कितनी मजबूत होगी? लंबे समय से यह सवाल बना हुआ है कि शिक्षण के मामले में दयनीय हालत की सबसे बड़ी वजह शिक्षकों की भारी कमी है। कुछ अन्य कारणों के अलावा सिर्फ इस वजह से पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है, लेकिन इसके हल की कोशिशें केंद्र में नहीं आ पा रही हैं। थोड़ी बेहतर स्थिति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कुछ संस्थानों की मानी जाती है। लेकिन इससे इतर देश भर के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसके रहते बेहतर शिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों की उम्मीद बेमानी है।

यों शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां करने से लेकर दूसरे मामलों में विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता हासिल है। लेकिन हाल के वर्षों में जब भी शिक्षकों की नियमित भर्ती का सवाल उठा तो धन की कमी सबसे मुख्य अड़चन बन कर सामने आई। दूसरे क्षेत्रों में धन के बेलगाम प्रवाह के बरक्स उच्च शिक्षा के मामले में धन की कमी कहां और किसकी ओर से पैदा हो रही है? यह किसी से छिपा नहीं है कि उच्च शिक्षा और उसके सहारे रोजगार के बीच बढ़ती खाई की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था नए 'ग्रेजुएट' तो पैदा कर रही है, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और शोध के मामले में जिस तरह की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, उनके रहते शैक्षणिक गुणवत्ता की किन कसौटियों को पूरा किया जा सकेगा? गौरतलब है कि संख्या के लिहाज से भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में इसे दुनिया के शीर्ष तीन सौ विश्वविद्यालयों में भी जगह नहीं मिल पा रही है। यह समूचे देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए।

कल्पमेधा

कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है। अच्छाई और बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं।

-शेक्सपीयर

आपदाएं और बचाव की चुनौती

भारत डोगरा

पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की एक बड़ी वजह तो यह है कि विभिन्न निर्माण कार्यों, विशेषकर बांध निर्माण और खनन के लिए विस्फोटकों का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है। इसको नियंत्रित और नियमित करना जरूरी है। वन-विनाश भी भूस्खलन की आशंका बढ़ने का एक अन्य बड़ा कारण रहा है। भूस्खलन अपने आप में बड़ी आपदा तो है ही, इससे बाढ़ भी उग्र रूप धारण कर लेती है।

चाहे बाढ़ हो या सूखा, समुद्री तूफान हो या भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं, गर्मी का बढ़ता प्रकोप हो या फिर वनों में लगी आग- इन सभी तरह की आपदाओं की पिछले कुछ दशकों में बिगड़ती स्थिति देखी गई है। ये आपदाएं अब भयानक रूप लेती जा रही हैं। यह स्थिति देश और दुनिया दोनों स्तरों पर नजर आ रही है। जहां कुछ आपदाओं की इस बिगड़ती स्थिति में जलवायु बदलाव की एक बड़ी भूमिका है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कुप्रबंधन, अनुचित निर्णयों और नीतियों के कारण स्थिति और उग्र हो जाती है।

केरल राज्य को लगातार दो वर्ष बाढ़ व भूस्खलन का अत्यधिक प्रकोप झेलना पड़ा है। यहां कुछ हद तक जलवायु बदलाव की भूमिका नजर आती है, तो स्थानीय कुप्रबंधन ने भी स्थिति को और बिगाड़ा है। विशेषकर अंधाधुंध निर्माण और जल-निकासी के प्राकृतिक मार्ग की अवहेलना की महंगी कीमत यहां चुकानी पड़ी है। केरल के मुख्य सचिव ने हाल ही में कहा था कि लाखों आवास खतरे की स्थिति में आ गए हैं और दस से बीस लाख लोगों का पुनर्वास करना बड़ी चुनौती है।

यही स्थिति प्रायः देश और दुनिया के अनेक ऐसे अन्य क्षेत्रों की है जिन्हें बार-बार किसी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा है। जलवायु संकट के दौर में ऐसे क्षेत्रों की विशेष सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष की स्थापना की चर्चा तो बहुत होती रही है, पर इस क्षेत्र में व्यावहारिक उपलब्धि बहुत कम है। इस स्थिति में यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम आपदाओं की क्षति को न्यूनतम करने के सतत और व्यापक प्रयास करें।

कुछ क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण एशिया के संदर्भ में अध्ययन बताते हैं कि पिछली लगभग एक शताब्दी के दौरान भूकम्प पहले से अधिक जानलेवा बन गए हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस दौरान भूकम्प से बचाव वाले भवन बनाने की तकनीक में काफी प्रगति होने के दावे किए गए। 'साइंस' पत्रिका में छपे एक लेख के मुताबिक वर्ष 1900 के बाद आए भूकम्पों में केवल भारत और पाकिस्तान में जितनी मौतें हुई हैं, वे इससे पहले की शताब्दियों में आए भूकम्पों के कारण हुई मौतों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। भूकम्पों में हुई अधिक मौतों का कारण इस दौर में इन देशों में निर्माण के ऐसे तौर-तरीकों का उपयोग है जो कम मजबूत साबित हुए हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां बेहतर तकनीक उपलब्ध नहीं है। वे उपलब्ध तो हैं, पर उनका उपयोग बहुत कम है। कई ठेकेदारों द्वारा निर्माण के नियम-कानूनों की उपेक्षा की जा रही है, जबकि स्वयं आवास बनाने वाले अनेक लोगों के पास जानकारी का भी अभाव है।

भूकम्प-प्रतिरोधी तकनीक का उपयोग सार्वजनिक इमारतों में तो प्रायः हो जाता है, लेकिन आवासीय भवनों में इसका उपयोग प्रायः नहीं होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जितनी जानकारी अभी उपलब्ध है, यदि केवल इसका उपयोग सुरक्षित निर्माण के लिए किया जाता है तो भविष्य में भूकम्प से होने वाली मानवीय जीवन की क्षति में भारी कमी लाई जा सकती है। दूसरी ओर, यदि निर्माण कार्यों में ऐसा सुधार नहीं किया गया तो भूकम्पीय चेतावनी के अधिक महंगे व खर्चीले उपाय भी मानवीय जीवन बचाने में कारगर सिद्ध नहीं होंगे। विशेषज्ञों की इस चेतावनी को हाल के कुछ भूकम्पों के इस अनुभव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि परंपरागत तकनीकों से बने कुछ भवन तो मजबूती से खड़े रहे, पर जल्दबाजी में बनाए गए कुछ महंगे निर्माण भरभराकर गिर गए। विशेषकर स्कूल बनाने में हुई लापरवाही बहुत महंगी सिद्ध हो सकती है। अतः स्कूल और अस्पतालों के निर्माण में सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों विशेषकर हिमालय में भूकम्पों के अधिक जानलेवा होने का एक बड़ा कारण यह है कि जहां पहले से पर्यावरण बहुत उजड़ा हुआ है और बहुत से भूस्खलन सक्रिय हैं, वहां भूकम्प से अधिक क्षति होती है। ऐसी स्थितियां आज हिमालय के बड़े इलाके में नजर आती हैं। हाल के वर्षों में भूस्खलनों से होने वाली भीषण क्षति के समाचार वैसे भी बढ़ते ही जा रहे हैं।

भूस्खलन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े सहजता से हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, पर बहुत-सी छिटपुट जानकारी विभिन्न पर्वतीय राज्यों में बिखरी हुई है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय

स्तर पर इस आपदा के महत्त्व को समझ कर इससे बचाव के उपायों पर समुचित ध्यान दिया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की एक बड़ी वजह तो यह है कि विभिन्न निर्माण कार्यों, विशेषकर बांध निर्माण और खनन के लिए, विस्फोटकों का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है। इसको नियंत्रित और नियमित करना जरूरी है। वन-विनाश भी भूस्खलन की आशंका बढ़ने का एक अन्य बड़ा कारण रहा है। भूस्खलन अपने आप में बड़ी आपदा तो है ही, इससे बाढ़ भी उग्र रूप धारण कर लेती है।

बाढ़ और बाढ़ नियंत्रण के बारे में कुछ नए सिरे से सोचने की जरूरत महसूस की जा रही है। 1953-2010 के बीच देश में बाढ़ नियंत्रण पर करीब सवा लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद लगभग पांच करोड़ हेक्टेयर भूमि आज बाढ़ प्रभावित है। जबकि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1980 में चार करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया था। अनेक बड़े बहुउद्देश्यीय बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए थे। पैंतीस हजार किलोमीटर के नदी तटबंध बनाए गए। इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बढ़ गया।

सवाल है आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके अनेक कारण बताए जाते हैं। जैसे जल निकासी के रास्तों को अवरुद्ध करते हुए नई बस्तियां बसाना (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में), सड़कों, नहरों और रेल मार्गों के निर्माण के समय निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न करना, संसाधनों के अभाव या दुरुपयोग के कारण वर्षा से पहले नालों की सफाई जैसे जरूरी कार्य न करना आदि। अलग-अलग जगहों पर ये सभी कारण महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, पर केवल इनके आधार पर यह नहीं समझा जा सकता कि बाढ़ नियंत्रण पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इतनी वृद्धि क्यों हुई है। वास्तविकता तो यह है कि बाढ़ का बढ़ता क्षेत्र और इसकी बढ़ती जानलेवा क्षमता को तभी समझा जा सकता है जब बाढ़ नियंत्रण के दो मुख्य उपायों- तटबंधों और बांधों पर खुली बहस द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाए कि अनेक स्थानों पर क्या बाढ़ नियंत्रण के इन उपायों ने ही बाढ़ की समस्या को नहीं बढ़ाया है और उसे अधिक जानलेवा बनाया है?

हमारे यहां वर्षा की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि यदि उसके जल के संग्रहण और संरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो यह जल बहुत-सी मिट्टी बहा कर निकट की नदी की ओर वेग से दौड़ेगा और नदी में बाढ़ आ जाएगी। चूंकि अधिकतर जल न एकत्र होगा न धरती में रिसेगा, अतः कुछ समय बाद जल संकट उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन दोनों विपदाओं को कम करने या दूर करने के लिए जीवनदायी जल का अधिकतम संरक्षण और संग्रहण आवश्यक है।

दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम यह है कि वर्षा का जो शेष पानी नदी की ओर बह रहा है, उसके अधिकतम संभव हिस्से को तालाबों या पोखरों में एकत्र कर लिया जाए। इस पानी को मोड़ कर सीधे खेतों में भी लाया जा सकता है। तालाब से होने वाले सीपेज का भी उपयोग हो सके, इसकी व्यवस्था हो सकती है। एक तालाब का अतिरिक्त पानी दूसरे में पहुंच सके और इस तरह तालाबों की एक श्रृंखला बन जाए, यह भी कुशलतापूर्वक करना संभव है।

रिवायत से आगे

अनीता यादव

दुनिया मेरे आगे

उस दिन महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बाद नए सत्र की शुरुआत थी। कक्षा 'हिंदी विशेष' के विद्यार्थियों की थी। कक्षा के दौरान एक दूसरे से परिचय का दौर चल रहा था। विद्यार्थी परिचय के रूप में अपना नाम, रुचियां, जन्म स्थान, जीवन में क्या बनना चाहते हैं और 'हिंदी विशेष' में ही प्रवेश क्यों लिया जैसी बातों के बारे में जानकारियां कक्षा में साझा कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि विद्यार्थी 'हिंदी विशेष' के थे, इसके बावजूद अधिकतर ने परिचय देने के लिए अंग्रेजी भाषा को चुना। मैं सबको बड़े ध्यान से सुन और उनके हाव-भाव परख रही थी। जो विद्यार्थी हिंदी में बोल रहे थे, उनमें अंग्रेजी भाषा में परिचय देने वालों के मुकाबले एक हिचक थी। अनजाना-सा भय व्याप्त था आवाज में। जबकि अंग्रेजी में परिचय देने वाले विद्यार्थी भले ही गलत अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज थे।

कुछ विद्यार्थी हिंदी मिश्रित अंग्रेजी यानी 'हिंग्लिश' का इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि मैं उनसे हिंदी में बातचीत कर उनके हिंदी ज्ञान को परखना चाहती थी। साठ बच्चों की कक्षा में एकाध विद्यार्थी ही हिंदी में परिचय देने वाला निकला। मैं सोचने पर मजबूर थी कि हिंदी भाषा के प्रति यह हीन भाव आखिर कहां से आया उनमें? जवाब कठिन नहीं था! हिंदी भाषी समाज में हिंदी को लेकर जो नकारात्मक भाव व्याप्त है, उसी भाव से ग्रस्त वे विद्यार्थी भी थे। दरअसल, हमने अंग्रेजी को भाषा न मान कर उसे बुद्धिमता का पैमाना मान लिया है! आप हिंदी समेत कितनी ही भारतीय भाषाओं के ज्ञाता हो और आपने इन भाषाओं में कितना ही गूढ़ ज्ञान अर्जित किया हो, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपका यह सब ज्ञान बेमानी है। यही ज्ञान अगर अंग्रेजी में प्राप्त किया है तो ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक 'इंटेलिजेंट' यानी अपार बुद्धिमान है। यही सोच भारतीय परिवेश में पुख्ता है।

मेरा उद्देश्य यहां किसी भाषा विशेष को कमतर करके आंकना कतई नहीं है। मैं केवल इस ओर इंगित करना चाहती हूं कि हिंदी भाषा को लेकर हमारी सोच, हमारे मानस में इतना संकुचन और कुंठा क्यों है! अन्य देशों की ओर नजर डालें, फिर वह चीन हो, जापान, पाकिस्तान या फ्रांस, इटली या फिर जर्मनी जैसे यूरोपीय देश। पाएंगे कि भाषा को लेकर इन देशों में कोई द्वंद्व नहीं है। इन देशों के लोग भारतीयों की तरह अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए हीनता का भाव नहीं महसूस करते। जबकि हम अंग्रेजी शासन से भले स्वतंत्र हो गए हों, लेकिन अंग्रेजी भाषा की मानसिक गुलामी का दौर अभी जारी है। माना कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है और इसके ज्ञान से हम वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक और आर्थिक मजबूती की राह पर आसानी से अग्रसर हो सकते हैं! लेकिन अपनी भाषा के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार निंदनीय है। हिंदी को संविधान में सन 1950 में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी को सह-राजभाषा के रूप में मात्र पंद्रह वर्ष के लिए बनाया गया था। लेकिन विडंबना ही है कि आज भी अंग्रेजी को हम सह राजभाषा के पद से विरत नहीं कर पाए! क्यों नहीं कर पाए? जवाब ढूंढना होगा!

आज हिंदी न केवल राजनीति का शिकार है, बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही है। 'हिंदी दिवस', 'हिंदी पखवाड़ा' या 'हिंदी सप्ताह' मनाना इसी अस्तित्व की लड़ाई के विभिन्न चरण हैं। साल भर में केवल सितंबर माह में हिंदी मानो जीवित हो उठती है। हिंदी दिवस को उत्सव का तरह मनाने के लिए सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर-सरकारी- सभी संस्थान अलग से बजट रखते हैं। अंग्रेजीदां बुद्धिजीवी हिंदी दिवस पर हिंदी में भाषण झाड़ कर हिंदी पर उपकार-सा करते हैं। इन दिनों सरकारी कार्यालयों समेत बैंकों तक में 'हिंदी भाषा का प्रयोग करें' की सीख देती पट्टी खिड़की पर सज जाती है।

विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी वैश्विक स्तर पर हिंदी को बचाने की अगली कड़ी है। यानी हिंदी दिवस, सप्ताह या पखवाड़ा या फिर विश्व हिंदी सम्मेलन मात्र औपचारिकता भर हैं। क्या हम नहीं जानते कि किसी भी भाषा का विकास या उसकी अभिवृद्धि उसके व्यावहारिक प्रयोग से ही संभव है? एक दिन या एक सप्ताह या महीना भर कार्यक्रम के रूप में भाषणबाजी से भाषा का अस्तित्व नहीं बच सकता। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने हिंदी साहित्य के इतिहास में ब्रज और अवधी हैं जो भक्ति काल में पठन-पाठन और साहित्य लेखन के कारण भाषा थीं। लेकिन बाद में धीरे-धीरे साहित्य लिखा जाना कम हुआ और वे भाषाएं बोली के रूप में सिमट कर रह गईं। इसके विपरीत खड़ी बोली का विकसित रूप हिंदी वर्तमान में हमारे सामने है। यानी एक 'भाषा' सीमित व्यावहारिक प्रयोग के कारण 'बोली' बन उठती है और विस्तृत प्रयोग से 'बोली' भाषा बन जाती है। हिंदी भाषा 'बोली' न बन जाए, इसके लिए हिंदी का अधिकाधिक व्यावहारिक प्रयोग आवश्यक है, न कि औपचारिकता के रूप में दिवस मानना या भारी-भरकम बजट के सम्मेलन करना!

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जलते जंगल

सदियों से दुनिया की प्राणवायु माने जाने वाले अमेजन के जंगल आज जल रहे हैं। दुनिया की करीब बीस प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड को सोखने के कारण पर्यावरणविदों द्वारा इन्हें पृथ्वी के फेफड़े, गुर्दे और एक 'कार्बन सिंक' की संज्ञा दी गई है। ये विश्व के सबसे बड़े वर्षा वन हैं। वहां पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं जो भाप बन कर ऊपर जाता है और बाद में बारिश के रूप में बरस जाता है। इसके कारण वहां मौसम हमेशा नम रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं से निकलती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के करीब दोगुने में ये जंगल फैले हुए हैं जो कुल 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण अमेरिका के कई देशों पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर और गुयाना तक फैले हुए हैं। लेकिन इनका सबसे ज्यादा करीब साठ प्रतिशत हिस्सा ब्राजील में है। अगर ये जंगल जल गए तो कार्बन डाईऑक्साइड को सोखने का चक्र बंद हो जाएगा।

वर्षा वनों के इस जंगल में पौधों और जंतुओं की करीब तीस हजार प्रजातियां और करीब 113 आदिम जनजातियां हैं। जितनी जैव विविधता अमेजन में है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है जो आज तबाह हो रही है। जब ये जंगल जल जाएंगे तो ऑक्सीजन की जगह हमें और अधिक कार्बन डाईऑक्साइड मिलेगी जिससे दुनियाभर में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होगी। ये जंगल मानव शरीर के गुर्दे की तरह पूरे सिस्टम की सफाई करता रहता है। मौसम प्रणाली के नियमन के लिए अमेजन से बड़ा कोई पारिस्थितिकीय तंत्र नहीं है। पहले ही दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तापमान बढ़ रहा है, सूखा और बाढ़ बढ़ रहे हैं। अमेजन को हो रहा नुकसान पूरी दुनिया की जलवायु पर बुरा असर डाल सकता है। अगर समय रहते पूरे विश्व ने एकजुट होकर अमेजन की आग को बढ़ने से नहीं रोका तो वहां धुआं गहराता जाएगा और इस काले धुएं में दुनिया के तंदुरुस्त फेफड़े कमजोर और बीमार होकर काल के गाल में समा जाएंगे। उसके बाद आने वाली तबाही के लिए संपूर्ण मानव जाति स्वयं जिम्मेदार होगी।

● *कुलदीप बालियान, कोटा, राजस्थान*

मुआवजा भी

नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यकीनन सबको इन नियमों का पालन करना चाहिए लेकिन जुर्माना बढ़ाया गया है तो सरकार को सड़कों को भी चकाचक और सुविधाओं से लैस करना चाहिए। सड़कें खराब होने की स्थिति में गाड़ी खराब होने और दुर्घटनाओं के लिए भारी मुआवजा मिलने का भी प्रावधान होना चाहिए।

● *जफर अहमद, रामपुर डेहरू, मधेपुरा*

भाषाई गुलामी

आजादी के बहत्तर साल बाद भी भाषाई तौर पर हम अंग्रेजी और अंग्रेज मानसिकता की गुलामी से नहीं उबर पाए हैं। 'देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी' भारतीय संविधान की धारा 343 की इस घोषणा के बाद भी हमारे यहां प्राथमिक व उच्च शिक्षा व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था तक में अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व बना रहना बेहद अफसोसनाक है। आज भले ही हम हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा व हिंदी सप्ताह जैसे कई रस्म अदायगी वाले कार्यक्रम आयोजित कर लें मगर सच यही है कि हिंदी के प्रति हमारी दकियानूसी सोच ने इसे अंग्रेजी की दासी बना रखा है। हिंदी दिवस पर महज औपचारिकता पूर्ति की जगह सरकार व समाज दोनों को साथ मिलकर हिंदी को उसका समुचित हक दिलाने में मदद करनी चाहिए। हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हम सबको एक साथ मजबूत इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है।

● *अंकित कुमार मिश्रा, अजीम प्रेमजी विवि, बंगलुरु*

विकल्प की दरकार

प्रधानमंत्री 2022 तक देश को प्लास्टिक मुक्त करने का दावा कर रहे हैं। क्या यह संभव है? एकल इस्तेमाल प्लास्टिक भी तभी हटाया जा सकता है जब हम उसका विकल्प खोज लेंगे। सिर्फ खोजने से काम नहीं चलेगा उसकी लागत को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। प्लास्टिक हमारी दिनचर्या का अंग बन गया है। इसमें दवाएं रखी जाती हैं, इसमें पानी रखा जाता है। मशीनों के कलपुर्जों के रूप में यह इस्तेमाल होता है। खाने की चीज नरम न हो जाए उसकी पैकिंग में इसे काम में लाया जाता है। सबसे बड़ी बात इस उद्योग में निवेशकों ने करोड़ों रुपए लगाए हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। झट से बंद कर देने का आदेश दे देना उचित नहीं होगा। हमें हर पहलू पर मंथन कर लेना चाहिए क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है। दुनियाभर में लगभग 300 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से 130 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक समुद्र और नदियों में बहा दिया जाता है। सरकार प्रतिबंध जरूर लगाए मगर इसके नफा-नुकसान के बारे में सोच कर।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

हिंदी के साथ

हर वर्ष चौदह सितंबर को हम रस्मी तौर पर हिंदी दिवस मनाते हैं पर खेद की बात है कि हिंदी को सही ढंग से बोलने, लिखने और पढ़ने के प्रति हमारा रुझान कम होता जा रहा है। शुद्ध हिंदी लेखन, व्याकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में नई पीढ़ी को नहीं के बराबर जानकारी है। राज्य सरकार का कामकाज तो हिंदी में हो रहा है पर केंद्र सरकार के विभागीय परिपत्रों में आज भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है। हिंदी उत्तर भारत की एक प्रमुख भाषा है जिसे सभी जानते और समझते हैं। यह भाषा सहज-सरल है। हिंदी दिवस मनाना तभी सार्थक हो सकता है जब हम प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को सही रूप में हिंदी भाषा सिखा सकें। उच्च शिक्षा भी हिंदी में दी जानी चाहिए।

विदेशों में हिंदी सीखने की ललक बढ़ रही है और वे इसके लिए तरह-तरह के जतन कर रहे हैं पर हमारे देश में ही राष्ट्रभाषा की उपेक्षा होना समझ से परे है। हमारा दायित्व बनता है कि हिंदी भाषा अपनाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। अपने कामकाज में हिंदी को शामिल करें। विज्ञापनों का लेखन हिंदी में हो। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है पर उसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पर हावी नहीं होने देना चाहिए।

● *ललित महालकरी, इंदौर, मध्यप्रदेश*

epaper.jansatta.com

जनसत्ता

14 सितंबर, 2019

दोहरा चरित्र

पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दूसरी बार राजनयिक पहुंच देने से इनकार कर एक बार फिर अपना दोहरा चरित्र दिखाया है। उसका यह व्यवहार बता रहा है कि वह भारत के साथ किसी तरह की शांति नहीं चाहता, बल्कि उसकी दिलचस्पी विवादों को बनाए में है। पाकिस्तान यह भूल रहा है कि जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराना उसकी जिम्मेदारी है और उसे यह आदेश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दिया है। जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं देकर वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को ठेंगा दिखा रहा है। दो सितंबर को पाकिस्तान ने पहली बार भारतीय उच्चायोग के प्रभारी उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया की जाधव से दो घंटे की मुलाकात करवाई थी। अगर भारतीय उप उच्चायुक्त जाधव से नहीं मिल पाते तो पता ही नहीं चलता कि जाधव किस हाल में हैं। इस मुलाकात से ही यह पता चला कि जाधव मानसिक तनाव और दबाव में थे। वे चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि कुछ हकीकत बयान कर सकें। उन्होंने उस मुलाकात में जो कुछ कहा उससे यह साफ था कि वे वही बोल रहे हैं जो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बोलने को कहा होगा। इन हालात को देखते हुए ही यह जरूरी हो गया है कि जाधव को भारतीय राजनयिक से नियमित रूप से मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए।

भारत ने जाधव को नियमित रूप से राजनयिक पहुंच देने की मांग करके कोई अनुचित बात नहीं की है। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान जाधव की मौत की सजा की समीक्षा करे और वियना संधि के तहत उन तक राजनयिक पहुंच सुनिश्चित कराए। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि एक बार ही राजनयिक पहुंच दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को धता बताते हुए अपनी मनमानी कर रहा है। राजनयिक संबंधों को लेकर वियना संधि के अनुच्छेद 36(1)(बी) में साफ कहा गया है कि अगर किसी एक देश के नागरिक को किसी दूसरे देश में गिरफ्तार किया जाता है तो दूसरे देश को बिना देरी किए पहले देश को जानकारी देनी होगी। इसी तरह इस संधि के अनुच्छेद 36(1)(सी) में कहा गया है कि पहले देश के अधिकारियों को उस देश में यात्रा करने का अधिकार है जिस देश में उसके नागरिक को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता देने का भी प्रावधान है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी दादागीरी दिखाते हुए वियना संधि को ताक पर रख दिया है।

इन दिनों पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ी हुई है कि कश्मीर मसले पर उसे दुनिया में कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के भारत के फैसले को अमेरिका सहित सारे देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री और विदेश मंत्री तक खुलेआम कह रहे हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान को किसी का साथ नहीं मिल रहा। इसीलिए पाकिस्तान जाधव की आड़ में अपनी खीझ निकाल रहा है। एक तरफ तो वह भारत से शांति, भाईचारे, इंसानियत की उम्मीदें रखता है मगर दूसरी ओर जाधव मामले में वह खुद कितनी अमानवीयता बरत रहा है, यह उसे नजर नहीं आ रहा। इंसानियत तो यह होती कि जाधव को बिना बाधा राजनयिक पहुंच दी जाती। जाधव कहीं भाग नहीं रहे हैं। भारत ने उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं भी नहीं मांगी। बात सिर्फ अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर ईमानदारी से अमल की है। बेहतर होता जाधव मामले में पाकिस्तान समझ-बूझ से काम लेता। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास का पुल तो बनता।

उच्च शिक्षा की तस्वीर

किसी भी देश की उच्च शिक्षा की तस्वीर यह बताती है कि वहां की सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा की जगह क्या है और वह इससे कितना सरोकार रखती है। पिछले कई सालों से लगातार जब भी दुनिया भर में बेहतर गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की सूची सामने आई है, उसमें शीर्ष दो या ढाई सौ तक की संख्या में हमारे देश के किसी भी उच्च शैक्षिक संस्थान को जगह नहीं मिली। इस तरह की सूची सामने आने का एक हासिल यह होना चाहिए कि सरकार और समूची व्यवस्था इस मामले में सुधार के लिए ठोस पहलकदमी करे, ताकि इस स्थिति में कुछ सुधार हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर अगले साल इस मामले में भारत की तस्वीर और चिंताजनक होती गई है। कुछ साल पहले जहां विश्व भर में शीर्ष दो सौ विश्वविद्यालयों में भारत के किसी भी संस्थान को जगह नहीं मिल सकी थी, अब उसमें और ज्यादा गिरावट आ चुकी है। पिछले साल के आखिर में ढाई सौ और अब ताजा अध्ययन में तीन सौ विश्वविद्यालयों में भी हमारे देश का एक भी उच्च शिक्षा संस्थान अपनी जगह नहीं बना सका ।

साफ है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समस्या और उसके कारण स्पष्ट होने के बावजूद उसके हल के लिए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे भविष्य के लिए कोई उम्मीद बंध सके। सवाल है कि सरकारों की ओर से किए जाने वाले लगातार दावों के बावजूद आखिर इस मामले में तस्वीर और क्यों बिगड़ती जा रही है! आंकड़ों में विकास का पैमाना नापते हुए क्या यह ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि अगर सबसे अहम उच्च शिक्षा का क्षेत्र उपेक्षित रह जाता है, तो उस विकास की बुनियाद कितनी मजबूत होगी? लंबे समय से यह सवाल बना हुआ है कि शिक्षण के मामले में दयनीय हालत की सबसे बड़ी वजह शिक्षकों की भारी कमी है। कुछ अन्य कारणों के अलावा सिर्फ इस वजह से पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है, लेकिन इसके हल की कोशिशें केंद्र में नहीं आ पा रही हैं। थोड़ी बेहतर स्थिति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कुछ संस्थानों की मानी जाती है। लेकिन इससे इतर देश भर के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसके रहते बेहतर शिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों की उम्मीद बेमानी है।

यों शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां करने से लेकर दूसरे मामलों में विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता हासिल है। लेकिन हाल के वर्षों में जब भी शिक्षकों की नियमित भर्ती का सवाल उठा तो धन की कमी सबसे मुख्य अड़चन बन कर सामने आई। दूसरे क्षेत्रों में धन के बेलगाम प्रवाह के बरक्स उच्च शिक्षा के मामले में धन की कमी कहां और किसकी ओर से पैदा हो रही है? यह किसी से छिपा नहीं है कि उच्च शिक्षा और उसके सहारे रोजगार के बीच बढ़ती खाई की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था नए 'ग्रेजुएट' तो पैदा कर रही है, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और शोध के मामले में जिस तरह की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, उनके रहते शैक्षणिक गुणवत्ता की किन कसौटियों को पूरा किया जा सकेगा? गौरतलब है कि संख्या के लिहाज से भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में इसे दुनिया के शीर्ष तीन सौ विश्वविद्यालयों में भी जगह नहीं मिल पा रही है। यह समूचे देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए।

कल्पमेधा

कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है। अच्छाई और बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं।

-शेक्सपीयर

आपदाएं और बचाव की चुनौती

भारत डोगरा

पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की एक बड़ी वजह तो यह है कि विभिन्न निर्माण कार्यों, विशेषकर बांध निर्माण और खनन के लिए विस्फोटकों का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है। इसको नियंत्रित और नियमित करना जरूरी है। वन-विनाश भी भूस्खलन की आशंका बढ़ने का एक अन्य बड़ा कारण रहा है। भूस्खलन अपने आप में बड़ी आपदा तो है ही, इससे बाढ़ भी उग्र रूप धारण कर लेती है।

चाहे बाढ़ हो या सूखा, समुद्री तूफान हो या भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं, गर्मी का बढ़ता प्रकोप हो या फिर वनों में लगी आग- इन सभी तरह की आपदाओं की पिछले कुछ दशकों में बिगड़ती स्थिति देखी गई है। ये आपदाएं अब भयानक रूप लेती जा रही हैं। यह स्थिति देश और दुनिया दोनों स्तरों पर नजर आ रही है। जहां कुछ आपदाओं की इस बिगड़ती स्थिति में जलवायु बदलाव की एक बड़ी भूमिका है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कुप्रबंधन, अनुचित निर्णयों और नीतियों के कारण स्थिति और उग्र हो जाती है।

केरल राज्य को लगातार दो वर्ष बाढ़ व भूस्खलन का अत्यधिक प्रकोप झेलना पड़ा है। यहां कुछ हद तक जलवायु बदलाव की भूमिका नजर आती है, तो स्थानीय कुप्रबंधन ने भी स्थिति को और बिगाड़ा है। विशेषकर अंधाधुंध निर्माण और जल-निकासी के प्राकृतिक मार्ग की अवहेलना की महंगी कीमत यहां चुकानी पड़ी है। केरल के मुख्य सचिव ने हाल ही में कहा था कि लाखों आवास खतरे की स्थिति में आ गए हैं और दस से बीस लाख लोगों का पुनर्वास करना बड़ी चुनौती है।

यही स्थिति प्रायः देश और दुनिया के अनेक ऐसे अन्य क्षेत्रों की है जिन्हें बार-बार किसी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा है। जलवायु संकट के दौर में ऐसे क्षेत्रों की विशेष सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष की स्थापना की चर्चा तो बहुत होती रही है, पर इस क्षेत्र में व्यावहारिक उपलब्धि बहुत कम है। इस स्थिति में यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम आपदाओं की क्षति को न्यूनतम करने के सतत और व्यापक प्रयास करें।

कुछ क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण एशिया के संदर्भ में अध्ययन बताते हैं कि पिछली लगभग एक शताब्दी के दौरान भूकम्प पहले से अधिक जानलेवा बन गए हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस दौरान भूकम्प से बचाव वाले भवन बनाने की तकनीक में काफी प्रगति होने के दावे किए गए। 'साइंस' पत्रिका में छपे एक लेख के मुताबिक वर्ष 1900 के बाद आए भूकम्पों में केवल भारत और पाकिस्तान में जितनी मौतें हुई हैं, वे इससे पहले की शताब्दियों में आए भूकम्पों के कारण हुई मौतों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। भूकम्पों में हुई अधिक मौतों का कारण इस दौर में इन देशों में निर्माण के ऐसे तौर-तरीकों का उपयोग है जो कम मजबूत साबित हुए हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां बेहतर तकनीक उपलब्ध नहीं है। वे उपलब्ध तो हैं, पर उनका उपयोग बहुत कम है। कई ठेकेदारों द्वारा निर्माण के नियम-कानूनों की उपेक्षा की जा रही है, जबकि स्वयं आवास बनाने वाले अनेक लोगों के पास जानकारी का भी अभाव है।

भूकम्प-प्रतिरोधी तकनीक का उपयोग सार्वजनिक इमारतों में तो प्रायः हो जाता है, लेकिन आवासीय भवनों में इसका उपयोग प्रायः नहीं होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जितनी जानकारी अभी उपलब्ध है, यदि केवल इसका उपयोग सुरक्षित निर्माण के लिए किया जाता है तो भविष्य में भूकम्प से होने वाली मानवीय जीवन की क्षति में भारी कमी लाई जा सकती है। दूसरी ओर, यदि निर्माण कार्यों में ऐसा सुधार नहीं किया गया तो भूकम्पीय चेतावनी के अधिक महंगे व खर्चीले उपाय भी मानवीय जीवन बचाने में कारगर सिद्ध नहीं होंगे। विशेषज्ञों की इस चेतावनी को हाल के कुछ भूकम्पों के इस अनुभव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि परंपरागत तकनीकों से बने कुछ भवन तो मजबूती से खड़े रहे, पर जल्दबाजी में बनाए गए कुछ महंगे निर्माण भरभराकर गिर गए। विशेषकर स्कूल बनाने में हुई लापरवाही बहुत महंगी सिद्ध हो सकती है। अतः स्कूल और अस्पतालों के निर्माण में सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों विशेषकर हिमालय में भूकम्पों के अधिक जानलेवा होने का एक बड़ा कारण यह है कि जहां पहले से पर्यावरण बहुत उजड़ा हुआ है और बहुत से भूस्खलन सक्रिय हैं, वहां भूकम्प से अधिक क्षति होती है। ऐसी स्थितियां आज हिमालय के बड़े इलाके में नजर आती हैं। हाल के वर्षों में भूस्खलनों से होने वाली भीषण क्षति के समाचार वैसे भी बढ़ते ही जा रहे हैं।

भूस्खलन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े सहजता से हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, पर बहुत-सी छिटपुट जानकारी विभिन्न पर्वतीय राज्यों में बिखरी हुई है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय

स्तर पर इस आपदा के महत्त्व को समझ कर इससे बचाव के उपायों पर समुचित ध्यान दिया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की एक बड़ी वजह तो यह है कि विभिन्न निर्माण कार्यों, विशेषकर बांध निर्माण और खनन के लिए, विस्फोटकों का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है। इसको नियंत्रित और नियमित करना जरूरी है। वन-विनाश भी भूस्खलन की आशंका बढ़ने का एक अन्य बड़ा कारण रहा है। भूस्खलन अपने आप में बड़ी आपदा तो है ही, इससे बाढ़ भी उग्र रूप धारण कर लेती है।

बाढ़ और बाढ़ नियंत्रण के बारे में कुछ नए सिरे से सोचने की जरूरत महसूस की जा रही है। 1953-2010 के बीच देश में बाढ़ नियंत्रण पर करीब सवा लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद लगभग पांच करोड़ हेक्टेयर भूमि आज बाढ़ प्रभावित है। जबकि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1980 में चार करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया था। अनेक बड़े बहुउद्देश्यीय बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए थे। पैंतीस हजार किलोमीटर के नदी तटबंध बनाए गए। इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बढ़ गया।

सवाल है आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके अनेक कारण बताए जाते हैं। जैसे जल निकासी के रास्तों को अवरुद्ध करते हुए नई बस्तियां बसाना (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में), सड़कों, नहरों और रेल मार्गों के निर्माण के समय निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न करना, संसाधनों के अभाव या दुरुपयोग के कारण वर्षा से पहले नालों की सफाई जैसे जरूरी कार्य न करना आदि। अलग-अलग जगहों पर ये सभी कारण महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, पर केवल इनके आधार पर यह नहीं समझा जा सकता कि बाढ़ नियंत्रण पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इतनी वृद्धि क्यों हुई है। वास्तविकता तो यह है कि बाढ़ का बढ़ता क्षेत्र और इसकी बढ़ती जानलेवा क्षमता को तभी समझा जा सकता है जब बाढ़ नियंत्रण के दो मुख्य उपायों- तटबंधों और बांधों पर खुली बहस द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाए कि अनेक स्थानों पर क्या बाढ़ नियंत्रण के इन उपायों ने ही बाढ़ की समस्या को नहीं बढ़ाया है और उसे अधिक जानलेवा बनाया है?

हमारे यहां वर्षा की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि यदि उसके जल के संग्रहण और संरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो यह जल बहुत-सी मिट्टी बहा कर निकट की नदी की ओर वेग से दौड़ेगा और नदी में बाढ़ आ जाएगी। चूंकि अधिकतर जल न एकत्र होगा न धरती में रिसेगा, अतः कुछ समय बाद जल संकट उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन दोनों विपदाओं को कम करने या दूर करने के लिए जीवनदायी जल का अधिकतम संरक्षण और संग्रहण आवश्यक है।

दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम यह है कि वर्षा का जो शेष पानी नदी की ओर बह रहा है, उसके अधिकतम संभव हिस्से को तालाबों या पोखरों में एकत्र कर लिया जाए। इस पानी को मोड़ कर सीधे खेतों में भी लाया जा सकता है। तालाब से होने वाले सीपेज का भी उपयोग हो सके, इसकी व्यवस्था हो सकती है। एक तालाब का अतिरिक्त पानी दूसरे में पहुंच सके और इस तरह तालाबों की एक श्रृंखला बन जाए, यह भी कुशलतापूर्वक करना संभव है।

रिवायत से आगे

अनीता यादव

दुनिया मेरे आगे

उस दिन महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बाद नए सत्र की शुरुआत थी। कक्षा 'हिंदी विशेष' के विद्यार्थियों की थी। कक्षा के दौरान एक दूसरे से परिचय का दौर चल रहा था। विद्यार्थी परिचय के रूप में अपना नाम, रुचियां, जन्म स्थान, जीवन में क्या बनना चाहते हैं और 'हिंदी विशेष' में ही प्रवेश क्यों लिया जैसी बातों के बारे में जानकारियां कक्षा में साझा कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि विद्यार्थी 'हिंदी विशेष' के थे, इसके बावजूद अधिकतर ने परिचय देने के लिए अंग्रेजी भाषा को चुना। मैं सबको बड़े ध्यान से सुन और उनके हाव-भाव परख रही थी। जो विद्यार्थी हिंदी में बोल रहे थे, उनमें अंग्रेजी भाषा में परिचय देने वालों के मुकाबले एक हिचक थी। अनजाना-सा भय व्याप्त था आवाज में। जबकि अंग्रेजी में परिचय देने वाले विद्यार्थी भले ही गलत अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज थे।

कुछ विद्यार्थी हिंदी मिश्रित अंग्रेजी यानी 'हिंग्लिश' का इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि मैं उनसे हिंदी में बातचीत कर उनके हिंदी ज्ञान को परखना चाहती थी। साठ बच्चों की कक्षा में एकाध विद्यार्थी ही हिंदी में परिचय देने वाला निकला। मैं सोचने पर मजबूर थी कि हिंदी भाषा के प्रति यह हीन भाव आखिर कहां से आया उनमें? जवाब कठिन नहीं था! हिंदी भाषी समाज में हिंदी को लेकर जो नकारात्मक भाव व्याप्त है, उसी भाव से ग्रस्त वे विद्यार्थी भी थे। दरअसल, हमने अंग्रेजी को भाषा न मान कर उसे बुद्धिमता का पैमाना मान लिया है! आप हिंदी समेत कितनी ही भारतीय भाषाओं के ज्ञाता हो और आपने इन भाषाओं में कितना ही गूढ़ ज्ञान अर्जित किया हो, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपका यह सब ज्ञान बेमानी है। यही ज्ञान अगर अंग्रेजी में प्राप्त किया है तो ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक 'इंटेलिजेंट' यानी अपार बुद्धिमान है। यही सोच भारतीय परिवेश में पुख्ता है।

मेरा उद्देश्य यहां किसी भाषा विशेष को कमतर करके आंकना कतई नहीं है। मैं केवल इस ओर इंगित करना चाहती हूं कि हिंदी भाषा को लेकर हमारी सोच, हमारे मानस में इतना संकुचन और कुंठा क्यों है! अन्य देशों की ओर नजर डालें, फिर वह चीन हो, जापान, पाकिस्तान या फ्रांस, इटली या फिर जर्मनी जैसे यूरोपीय देश। पाएंगे कि भाषा को लेकर इन देशों में कोई द्वंद्व नहीं है। इन देशों के लोग भारतीयों की तरह अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए हीनता का भाव नहीं महसूस करते। जबकि हम अंग्रेजी शासन से भले स्वतंत्र हो गए हों, लेकिन अंग्रेजी भाषा की मानसिक गुलामी का दौर अभी जारी है। माना कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है और इसके ज्ञान से हम वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक और आर्थिक मजबूती की राह पर आसानी से अग्रसर हो सकते हैं! लेकिन अपनी भाषा के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार निंदनीय है। हिंदी को संविधान में सन 1950 में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी को सह-राजभाषा के रूप में मात्र पंद्रह वर्ष के लिए बनाया गया था। लेकिन विडंबना ही है कि आज भी अंग्रेजी को हम सह राजभाषा के पद से विरत नहीं कर पाए! क्यों नहीं कर पाए? जवाब ढूंढना होगा!

आज हिंदी न केवल राजनीति का शिकार है, बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही है। 'हिंदी दिवस', 'हिंदी पखवाड़ा' या 'हिंदी सप्ताह' मनाना इसी अस्तित्व की लड़ाई के विभिन्न चरण हैं। साल भर में केवल सितंबर माह में हिंदी मानो जीवित हो उठती है। हिंदी दिवस को उत्सव का तरह मनाने के लिए सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर-सरकारी- सभी संस्थान अलग से बजट रखते हैं। अंग्रेजीदां बुद्धिजीवी हिंदी दिवस पर हिंदी में भाषण झाड़ कर हिंदी पर उपकार-सा करते हैं। इन दिनों सरकारी कार्यालयों समेत बैंकों तक में 'हिंदी भाषा का प्रयोग करें' की सीख देती पट्टी खिड़की पर सज जाती है।

विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी वैश्विक स्तर पर हिंदी को बचाने की अगली कड़ी है। यानी हिंदी दिवस, सप्ताह या पखवाड़ा या फिर विश्व हिंदी सम्मेलन मात्र औपचारिकता भर हैं। क्या हम नहीं जानते कि किसी भी भाषा का विकास या उसकी अभिवृद्धि उसके व्यावहारिक प्रयोग से ही संभव है? एक दिन या एक सप्ताह या महीना भर कार्यक्रम के रूप में भाषणबाजी से भाषा का अस्तित्व नहीं बच सकता। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने हिंदी साहित्य के इतिहास में ब्रज और अवधी हैं जो भक्ति काल में पठन-पाठन और साहित्य लेखन के कारण भाषा थीं। लेकिन बाद में धीरे-धीरे साहित्य लिखा जाना कम हुआ और वे भाषाएं बोली के रूप में सिमट कर रह गईं। इसके विपरीत खड़ी बोली का विकसित रूप हिंदी वर्तमान में हमारे सामने है। यानी एक 'भाषा' सीमित व्यावहारिक प्रयोग के कारण 'बोली' बन उठती है और विस्तृत प्रयोग से 'बोली' भाषा बन जाती है। हिंदी भाषा 'बोली' न बन जाए, इसके लिए हिंदी का अधिकाधिक व्यावहारिक प्रयोग आवश्यक है, न कि औपचारिकता के रूप में दिवस मानना या भारी-भरकम बजट के सम्मेलन करना!

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जलते जंगल

सदियों से दुनिया की प्राणवायु माने जाने वाले अमेजन के जंगल आज जल रहे हैं। दुनिया की करीब बीस प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड को सोखने के कारण पर्यावरणविदों द्वारा इन्हें पृथ्वी के फेफड़े, गुर्दे और एक 'कार्बन सिंक' की संज्ञा दी गई है। ये विश्व के सबसे बड़े वर्षा वन हैं। वहां पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं जो भाप बन कर ऊपर जाता है और बाद में बारिश के रूप में बरस जाता है। इसके कारण वहां मौसम हमेशा नम रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं से निकलती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के करीब दोगुने में ये जंगल फैले हुए हैं जो कुल 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण अमेरिका के कई देशों पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर और गुयाना तक फैले हुए हैं। लेकिन इनका सबसे ज्यादा करीब साठ प्रतिशत हिस्सा ब्राजील में है। अगर ये जंगल जल गए तो कार्बन डाईऑक्साइड को सोखने का चक्र बंद हो जाएगा।

वर्षा वनों के इस जंगल में पौधों और जंतुओं की करीब तीस हजार प्रजातियां और करीब 113 आदिम जनजातियां हैं। जितनी जैव विविधता अमेजन में है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है जो आज तबाह हो रही है। जब ये जंगल जल जाएंगे तो ऑक्सीजन की जगह हमें और अधिक कार्बन डाईऑक्साइड मिलेगी जिससे दुनियाभर में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होगी। ये जंगल मानव शरीर के गुर्दे की तरह पूरे सिस्टम की सफाई करता रहता है। मौसम प्रणाली के नियमन के लिए अमेजन से बड़ा कोई पारिस्थितिकीय तंत्र नहीं है। पहले ही दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तापमान बढ़ रहा है, सूखा और बाढ़ बढ़ रहे हैं। अमेजन को हो रहा नुकसान पूरी दुनिया की जलवायु पर बुरा असर डाल सकता है। अगर समय रहते पूरे विश्व ने एकजुट होकर अमेजन की आग को बढ़ने से नहीं रोका तो वहां धुआं गहराता जाएगा और इस काले धुएं में दुनिया के तंदुरुस्त फेफड़े कमजोर और बीमार होकर काल के गाल में समा जाएंगे। उसके बाद आने वाली तबाही के लिए संपूर्ण मानव जाति स्वयं जिम्मेदार होगी।

● *कुलदीप बालियान, कोटा, राजस्थान*

मुआवजा भी

नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यकीनन सबको इन नियमों का पालन करना चाहिए लेकिन जुर्माना बढ़ाया गया है तो सरकार को सड़कों को भी चकाचक और सुविधाओं से लैस करना चाहिए। सड़कें खराब होने की स्थिति में गाड़ी खराब होने और दुर्घटनाओं के लिए भारी मुआवजा मिलने का भी प्रावधान होना चाहिए।

● *जफर अहमद, रामपुर डेहरू, मधेपुरा*

भाषाई गुलामी

आजादी के बहत्तर साल बाद भी भाषाई तौर पर हम अंग्रेजी और अंग्रेज मानसिकता की गुलामी से नहीं उबर पाए हैं। 'देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी' भारतीय संविधान की धारा 343 की इस घोषणा के बाद भी हमारे यहां प्राथमिक व उच्च शिक्षा व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था तक में अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व बना रहना बेहद अफसोसनाक है। आज भले ही हम हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा व हिंदी सप्ताह जैसे कई रस्म अदायगी वाले कार्यक्रम आयोजित कर लें मगर सच यही है कि हिंदी के प्रति हमारी दकियानूसी सोच ने इसे अंग्रेजी की दासी बना रखा है। हिंदी दिवस पर महज औपचारिकता पूर्ति की जगह सरकार व समाज दोनों को साथ मिलकर हिंदी को उसका समुचित हक दिलाने में मदद करनी चाहिए। हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हम सबको एक साथ मजबूत इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है।

● *अंकित कुमार मिश्रा, अजीम प्रेमजी विवि, बंगलुरु*

विकल्प की दरकार

प्रधानमंत्री 2022 तक देश को प्लास्टिक मुक्त करने का दावा कर रहे हैं। क्या यह संभव है? एकल इस्तेमाल प्लास्टिक भी तभी हटाया जा सकता है जब हम उसका विकल्प खोज लेंगे। सिर्फ खोजने से काम नहीं चलेगा उसकी लागत को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। प्लास्टिक हमारी दिनचर्या का अंग बन गया है। इसमें दवाएं रखी जाती हैं, इसमें पानी रखा जाता है। मशीनों के कलपुर्जों के रूप में यह इस्तेमाल होता है। खाने की चीज नरम न हो जाए उसकी पैकिंग में इसे काम में लाया जाता है। सबसे बड़ी बात इस उद्योग में निवेशकों ने करोड़ों रुपए लगाए हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। झट से बंद कर देने का आदेश दे देना उचित नहीं होगा। हमें हर पहलू पर मंथन कर लेना चाहिए क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है। दुनियाभर में लगभग 300 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से 130 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक समुद्र और नदियों में बहा दिया जाता है। सरकार प्रतिबंध जरूर लगाए मगर इसके नफा-नुकसान के बारे में सोच कर।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

हिंदी के साथ

हर वर्ष चौदह सितंबर को हम रस्मी तौर पर हिंदी दिवस मनाते हैं पर खेद की बात है कि हिंदी को सही ढंग से बोलने, लिखने और पढ़ने के प्रति हमारा रुझान कम होता जा रहा है। शुद्ध हिंदी लेखन, व्याकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में नई पीढ़ी को नहीं के बराबर जानकारी है। राज्य सरकार का कामकाज तो हिंदी में हो रहा है पर केंद्र सरकार के विभागीय परिपत्रों में आज भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है। हिंदी उत्तर भारत की एक प्रमुख भाषा है जिसे सभी जानते और समझते हैं। यह भाषा सहज-सरल है। हिंदी दिवस मनाना तभी सार्थक हो सकता है जब हम प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को सही रूप में हिंदी भाषा सिखा सकें। उच्च शिक्षा भी हिंदी में दी जानी चाहिए।

विदेशों में हिंदी सीखने की ललक बढ़ रही है और वे इसके लिए तरह-तरह के जतन कर रहे हैं पर हमारे देश में ही राष्ट्रभाषा की उपेक्षा होना समझ से परे है। हमारा दायित्व बनता है कि हिंदी भाषा अपनाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। अपने कामकाज में हिंदी को शामिल करें। विज्ञापनों का लेखन हिंदी में हो। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है पर उसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पर हावी नहीं होने देना चाहिए।

● *ललित महालकरी, इंदौर, मध्यप्रदेश*

epaper.jansatta.com

भज गोविंदम

सत्ता में आए अब एक साल होने को हैं लेकिन राजस्थान में कांग्रेसियों की पदलिप्सा पूरी नहीं हो पाई है। हर कोई किसी न किसी रूप में मलाईदार पद पाकर सत्ता सुख भोगने के लिए व्यग्र है। चूंकि सूबे में पार्टी के दो केंद्र बने हैं सो हर कोई अपने हिसाब से खेमेबंदी कर रहा है। किसी को अशोक गहलोत से उम्मीद है तो कोई सचिन पायलट की ड्योढ़ी पर चक्कर काट रहा है। अभी तो पायलट उप मुख्यमंत्री और सूबेदार दोनों ठहरे। उनके विरोधी एक व्यक्ति एक पद का राग अलाप रहे हैं। अपने समर्थकों की हौसला अफजाई के बहाने पायलट सूबे की सत्ता में पार्टी की वापसी का श्रेय भी लेने से नहीं चूकते। कब से फरमा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बलबूते ही 21 विधायकों की हैसियत वाली पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया। लिहाजा कार्यकर्ताओं को इनाम दिलाना उनका फर्ज है। गहलोत ने अभी तक स्पष्ट संकेत नहीं दिया कि कब करेंगे व्यग्र कार्यकर्ताओं और नेताओं पर रेवड़ियों की बौछार। शहरी निकाय और पंचायत चुनाव से पहले तो मूड में नहीं लग रहे गहलोत। ऐसे में फिलहाल भज गोविंदम के सिवा कोई चारा नहीं दावेदारों के सामने।

बेबाक बोल

2014 के आम चुनावों के बाद सबसे ज्यादा बहस विकल्प पर हुई थी। खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उम्मीद की गई थी कि वह अपने सामंती ढांचे से निकल खुद को फिर से खड़ा करेगी। लेकिन कांग्रेस में महापरिवर्तन की उम्मीदों की बयार तभी थम सी गई जब लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद एक कदम पीछे जाकर उनकी माता को पार्टी की कमान सौंपी गई। हरियाणा जैसे राज्य में जब भाजपा के नेता अबकी बार पचहत्तर पार का नारा लगा रहे थे तो हुड्डा की हुंकार आई कि मैं नहीं तो पार्टी नहीं और उनके सामने समर्पण करते हुए गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद आपके पुत्र का समय आएगा। भाजपा की नई राजनीति की परिभाषा लिखने के दौर में कांग्रेस अपने सामंती मलबे के ढेर से उठना ही नहीं चाहती है। विकल्प से लेकर विकल्पहीनता तक पहुंची इस बहस पर बेबाक बोल।

ऐसे कैसे चलेगा!

मुकेश भारद्वाज

पहले युवाओं को तरजीह देने, सब कुछ बदल देने की बात करते हैं फिर अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे समर्पण कर देते हैं। जब राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था तो युवा-युवा की राष्ट्रीय धुन बजाई गई थी, मानो देश में सब कुछ युवाओं को सौंप दिया जाएगा। वहीं जब राज्यसभा में सदस्य भेजने की बात आई तो उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना गया जिनकी उदारवादी आर्थिक नीतियों को लेकर जनता अनुदार हो गई। जिन आर्थिक नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के मैदान में गरज रहे थे उसी के अगुआ को उस समय कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाया गया जब भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति की परिभाषा बदल डाली है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अपने परिवार के इतर कांग्रेस अध्यक्ष ढूंढ़ने की शर्त लगा पद छोड़ दिया। लेकिन लंबी कवायद के बाद एक कदम पीछे जाकर पुत्र की जगह माता को पार्टी की कमान दे दी गई। तो ऐसे कैसे चलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस!

विरोधाभासों पर व्यंग्य कसने के लिए सोशल मीडिया पर 'ऐसे कैसे चलेगा' का जो संक्रमण फैला था, उसे अगर कांग्रेस पर लागू किया जाए तो व्यंग्य की कड़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। इसी स्तंभ में एक बार हमने लिखा था कि कांग्रेस उन सभी राजनीतिक टिप्पणीकारों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देती है जो कांग्रेस के फिर से जी उठने की उम्मीदें जगाते हैं। जो कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए देश की 134 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का उठ खड़ा होना जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जिन राज्यों में अहम चुनाव हैं वहां कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी देख यकीन हो गया है कि सामंती मलबे के ढेर पर खड़ी यह पार्टी नई बुनियाद रखना ही नहीं चाह रही है।

2019 के चुनावों के पहले भी हिंदी प्रदेश के तीन राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल माना गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को उम्मीद की तरह देखा गया था कि इन राज्यों में जीत के बाद पार्टी भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी। लेकिन इन राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस गहलोत और कमलनाथ के सामंती चेहरों से आगे बढ़ ही नहीं पाई। राजस्थान में चुनाव जीतने में पार्टी ने जितनी मेहनत नहीं की थी उससे ज्यादा मेहनत वहां के मुख्यमंत्री को चुनने में लगी और उसके बाद एक बगल गहलोत, एक बगल पायलट और बीच में राहुल वाली कांग्रेस की जो सवारी निकली उसे देख कर ही लग गया था कि पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा है। जिस मध्य प्रदेश में जनांदोलनों की वजह से भाजपा सत्ता से बेदखल हुई थी वहां कमलनाथ जैसे दिल्ली से पैराशूट से उतरे हुए हुए चेहरे को चुना गया। राहुल गांधी ने बेबसी में बताया कि मुख्यमंत्री अपने बेटों को जिताने में लगे रहे और बुजुर्ग मुख्यमंत्री कानों में रुई डाल कर कहते रहे कि राहुल तुम अध्यक्ष बने रहो, हम तुम्हारे साथ हैं।

2019 के बाद फिर से विधानसभा चुनाव हैं और इस बार सेमीफाइनल तो छोड़िए कांग्रेस की हालत देख उसे क्वालिफाइंग के लायक भी नहीं माना जा रहा है। जिस हरियाणा में विपक्ष को पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना था वहां कांग्रेसियों ने

एक-दूसरे की जड़ें खोदने का कीर्तिमान कायम कर लिया। नब्बे विधानसभा सीटों वाले राज्य में भाजपा कह रही है, अबकी बार पचहत्तर पार। यह नारा लगाते वक्त भाजपा ने कुछ नरमी बरती थी कि कम से कम पंद्रह सीटें तो विपक्ष को जीतनी ही चाहिए। लेकिन भाजपा को क्या पता था कि विपक्ष कहेगा कि अबकी बार 72 पार, सीट को लेकर नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुआई को लेकर।

हरियाणा के रोहतक में हुड्डा की रैली ने पूरे देश को संदेश दिया कि यह कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए है और नेतृत्व ने बुजुर्ग नेता की सभी शर्त मान कर संदेश दे दिया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी नया कुछ सीखने को तैयार नहीं है। अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की उनकी मांग के साथ ही हुड्डा को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी पेश कर दिया गया।

रोहतक रैली में हुड्डा ने अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार का पक्ष लेते हुए कहा, 'अब कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही'। लेकिन इस रैली के बाद पार्टी जिस तरह से उनके सामने दंडवत हुई उसे देख कर तो यही लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल पहले जैसी है। सोनिया गांधी की कमान में हुड्डा का तुष्टीकरण कर उनके संदेशवाहक गुलाम नबी आजाद ने चंडीगढ़ में कहा, 'अगली बार मैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभवतः राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। अगला समय दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा का होगा...।' वंशवाद पर इतनी लानत-मलानत के बाद भी गुलाम नबी आजाद हुड्डा के वंशज से आगे नहीं बढ़ पाए। अगली बार यानी पांच साल बाद या ताजा चुनावों में ही कांग्रेस पार्टी की क्या हालत होगी यह सोचा होता तो आजाद साहब अभी से ही हुड्डा के पुत्र की ताजपोशी नहीं कर बैठते।

हरियाणा में हुड्डा के दबाव में कांग्रेस 'परिवर्तन रैली' निकाल चुकी तो महाराष्ट्र में उर्मिला मातोंडकर और कृपाशंकर सिंह ने इस्तीफा देकर बता दिया कि किस तरह से कांग्रेस नेताओं की पूरी फौज की भाजपा या अन्य पार्टियों में जाने की महारैली निकली है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में पार्टी सांगठिक स्तर पर चरमराई हुई है। दिल्ली में इतने घमासान के बाद भी शीला दीक्षित का विकल्प नहीं खोजा जा सका है।

हम राजनीतिक टिप्पणीकार पिछले पांच सालों से लगातार लिखते आ रहे हैं कि कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से है। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद यह साबित हो गया कि फिलहाल कांग्रेस का मुकाबला खुद से ही है। पिछले चुनावों में 52 सीटों पर सिमटी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अपने बेटों की जीत तय करने में जुटे रहे, प्रियंका गांधी ने सरेआम आरोप लगाया कि रफाल से लेकर अन्य मुद्दों पर मेरा भाई अकेले लड़ता रहा, सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। इस बार तो चुनावों के पहले ही दिख गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद और अपनी संतानों के सिवाय कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। जिस पार्टी के युवा अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया उस पार्टी के वरिष्ठ नेता संभावित पद के लिए पार्टी को छोड़ने और तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इस समय हम प्रियंका गांधी की पीड़ा महसूस कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में राहुल कितने अकेले थे।

आज हम हरियाणा के संदर्भ में देखें तो भाजपा ने विकल्पहीनता की स्थिति पैदा कर दी है। जाट आधारित राजनीति से शुरू कर वंश की धुरी पर घूमने वाले कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों का जनता से पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। एक खानदान जेल में, दूसरा खानदान आधे इधर, आधे उधर, बाकी मेरे साथ वाली स्थिति में तो एक खानदान जनता नहीं पार्टी को ही अपनी शक्ति दिखा रहा है। हरियाणा के मैदान से कांग्रेस ने राजनीतिक चिंतकों को संदेश दिया है कि आगामी चुनावों में विकल्प नहीं विकल्पहीनता पर बात होगी।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

प्रकृति ने ही भारत को राष्ट्र बनाया

बेबाक बोल 'श्याम संस्कृति' में भारतीयता की खोज का स्वागत होना चाहिए। आपका यह स्तंभ सुसंगत विचार की व्याख्या करता है और बहस के लिए आमंत्रित करता है। यह काम केवल जनसत्ता करता है। आपने भारत में विविधता के साथ देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधने के सत्य का उद्घाटन किया है। लेकिन आप देखें कि प्रकृति ने ही भारत को एक राष्ट्र बनाया है। यह प्रकृति और संस्कृति का सत्य है कि भारत एक राष्ट्र है और उसमें वैभिन्यपूर्ण जीवन का प्रवाह अपनी-अपनी गति से चलता रहता है। यदि हम यह कहें कि एकता में विभिन्नता है तो एक राष्ट्र इकाई की अधिक अनुभूति होती है और प्रकृति एवं संस्कृति से बना एक राष्ट्र बोध निर्मित होता है। भारत की सांस्कृतिक एकता में सारी विभिन्नता अंतर्भूत है और यही भारतीयता है और यही गंगा-यमुनी संस्कृति है और यही श्याम संस्कृति है। बस एक बात और कि यमुनी संस्कृति को गंगा के साथ संगम की तरह मिलने की जरूरत है। प्रयागराज का संगम दो भिन्न अस्तित्वों को एक रूप देता है। मैं इस विचारोत्तेजक बेबाक बोल के लिए बधाई देता हूं। आप ऐसे सवालों पर लिखते रहें तो पाठक को सही रोशनी मिलती रहे।

– **कमल किशोर गोयनका**, ए-98, अशोक विहार, फेज प्रथम, दिल्ली।

मानववाद की आत्मा श्याम संस्कृति

'श्याम संस्कृति' का वर्णन आज के बिखरते मूल्यों पर सात्विक चिंतन की एक महाऔषधि है। सामाजिक तानेबाने के तिरष्कृत तारतम्य आज परंपरागत मूल्यों को कहीं स्वार्थ के डोर से बांधे रखा है तो कहीं कृत्रिम सौहार्द का प्रतिबिंब प्रदर्शित करता दिखता है। गणेश पंडाल की भौतिक भव्यता और तात्कालिक आडंबर की तरंगें यदि सही रूप से हमारी चेतना को स्पर्श करे तो श्याम संस्कृति के आयाम हमारे जीवन पथ के कंटकाकीर्ण अंशों को दूर कर

राजकाज
बेबाक बोल
श्याम संस्कृति
राजपाट

सकते हैं। देश के विशालकाय मंदिरों के गुप्त भंडार के चढ़ावे और दान की संपदा यदि उसी राज्य के लोककल्याण के प्रकल्पों से जुड़े तो शायद उस राज्य की गरीबी रेखा में जी रहे प्राणियों का क्लेश हर सके।

–**डॉक्टर अशोक कुमार**, पटना, बिहार।

इंसानियत हो धर्म

आदिकाल में 'धर्म' की स्थापना भले ही मानवीय गुणों की स्थापना के लिए हुई हो लेकिन आज धर्म की इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता कि धर्म के नाम पर आज तक इंसानियत की जितनी हत्याएं हुई हैं वह अब तक हुए सभी युद्धों में नहीं हुई। एक धर्म के 'धंधेबाज' दूसरे धर्मों और उनके मानने वालों के प्रति अपने अनुयायियों में नफरत के बीज बोते रहते हैं, इसलिए आज विभिन्न धर्मों के मतावलंबियों द्वारा दूसरे धर्मों के रीति-रिवाजों में शरीक होने पर उनका यह व्यवहार हमें आज आश्चर्यचकित करता है। अब तो इस धरती के सभी इंसानों की जाति केवल इंसान और उसका धर्म केवल 'इंसानियत ही हो जानी चाहिए। इसी में इस धरती के सभी इंसानों की भलाई है।

–**निर्मल कुमार शर्मा**, गाजियाबाद।

पूरा विश्व परिवार है

प्रेम और मजहब को लेकर मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'पंचपरमेश्वर' की याद आती है जिसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख आपस में गहरे दोस्त हैं और बखूबी से मानवता का फर्ज निभाते हुए वे कभी दूर नहीं हुए। मजहबी और जातीय कट्टरवाद तो मूर्खता, अशिक्षा और घटिया राजनीति की देन है जिससे कभी किसी का भला नहीं हो सकता।

–**वेद**, मामूरपुर, नरेला।

राजपाट

सूरमा बिहारी

सच्चा है, अच्छा है। चलो, नीतीश के साथ चलें। क्यूं करें विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। क्यों ना करें विचार, बिहार जो है बीमार। ये नारे बिहार की राजधानी पटना के प्रमुख चौराहों पर लगी विशालकाय होर्डिंग पर अभी से प्रकट हो गए हैं। बिहार में हालांकि चुनाव इस साल नहीं है। अभी तो बारी हरियाणा व महाराष्ट्र की ठहरी। दरअसल नीतीश के समर्थन वाले इन नारों के पीछे नीतीश की पार्टी जनता दल (एकी) ने एक तीर से दो शिकार की रणनीति अपनाई है। एक तरफ यह संदेश दिया है कि बिहार में नीतीश सरकार ठीक काम कर रही है। पर दूसरा संदेश गूढ़ है। कहीं महाराष्ट्र जैसी चाल न चल दे भाजपा। जहां उसने शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने की अपनी पुरानी नीति को पिछले विधानसभा चुनाव में पलट दिया था। शिवसेना से ज्यादा सीटें जीतकर पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना लिया था। नीतीश एक दौर में भले दिल्ली की सत्ता का सपना देखते रहे हों पर जब से मोदी का वर्चस्व कायम हुआ है वे बिहार में ही अपना राज रखने की रणनीति अपना चुके हैं। कहने को भाजपा और जद (एकी) गठबंधन की सरकार बिहार में निर्बाध चल रही है। भाजपा ने अभी तो नीतीश को नेता मान ही रखा है पर मतभेद तो हैं। मसलन तीन तलाक और धारा 370 पर जद (एकी) ने संसद में सरकार का दूसरे सहयोगियों की तरह खुला समर्थन नहीं किया। जद (एकी) को केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं दी। ऊपर से सीपी ठाकुर जैसे पुराने भाजपाई कह रहे हैं कि अभी से नीतीश की मुख्यमंत्री पद की अगली पारी की दावेदारी ठीक नहीं। भाजपाई खुलकर भले न कह रहे हों पर चाहते यही हैं कि अब नीतीश दिल्ली जाएं। केंद्र में मंत्री बनें और बिहार की अगली सरकार का नेतृत्व भाजपा को करने दें। राजद तो विपक्ष में है सो नीतीश समर्थक नारों के प्रतिवाद में उसे कहना पड़ा कि क्यों ना करें विचार। यह बात अलग है कि राजद और जद (एकी) के दोबारा गठबंधन की संभावना को भी अभी से नकारना ठीक नहीं। राजद के धुरंधर शिवानंद तिवारी ने परोक्ष रूप से पेशकश भी कर दी है। वे फरमा रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों के लिए नीतीश को फिर 2015 वाले गठबंधन की सोचनी चाहिए। वे पहल करेंगे तो राजद उनका नेतृत्व बिहार के हित में स्वीकार कर लेगा। तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के संदर्भ में तिवारी की इस पेशकश के हर कोई अपने अंदाज में खोज रहा है निहितार्थ। पर नीतीश अभी इस विवाद में मौनी बाबा ही बने हैं।

वोट की दरकार

दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर सियासी रंग यों वाममोर्चे की सरकार के आखिरी दौर में ही चढ़ने लगा था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता संभालने के बाद इस परंपरा को और मजबूत कर दिया। ज्यादातर दुर्गा पूजा समारोह की आयोजन समितियों का बजट करोड़ों में है। कमोबेश इन पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के नेता ही हैं। कहीं संरक्षक की हैसियत से तो कहीं अध्यक्ष। मंत्री, सांसद और विधायक तक इस मोह से परे नहीं। दरअसल दुर्गा पूजा को सियासी फायदे के लिए भुनाने की ममता बनर्जी की पार्टी की रणनीति कामयाब रही है। तभी तो विपक्षी भाजपा को भी भूत सवार हुआ है पूजा समितियों को कब्जाने का। भाजपा ने तो आकर्षण पैदा करने के मकसद से कई पुरस्कार भी शुरू कर दिए हैं। कमाल देखिए कि ममता बनर्जी के इलाके की एक दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने खुद भाजपा आलाकमान कोलकाता आएंगे। भाजपा भी मान चुकी है कि आम आदमी तक पहुंचने का दुर्गा पूजा समारोह एक सुनहरा अवसर हैं। तभी तो केंद्रीय मंत्रियों को भी संकेत हो चुका है इन आयोजनों में मौजूदगी दर्ज कराने का। इस बार की पूजा के दौरान भाजपा ने खुद को बंगालियों की पार्टी के रूप में स्थापित करने की सोची है। पार्टी के सूबेदार दिलीप घोष खुद कई पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे। हैरानी की बात है कि कुछ दिन पहले ही आयकर विभाग ने कोलकाता की कई प्रमुख पूजा समितियों को नोटिस भेजे थे। तब तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर दुर्गा पूजा विरोधी मुहिम चलाने का आरोप जड़ा था। ममता बनर्जी ने विरोध किया तो आयकर की सफाई आ गई कि नोटिस पुराने हैं।

वक्त का फेर

स्वामी चिन्मयानंद इस बार विरोधियों के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। हरिद्वार और शाहजहांपुर में भव्य आश्रमों और लाखों-करोड़ों श्रद्धालु अनुयायियों की परंपरा के उत्तराधिकारी इस संन्यासी का सियासी जलवा भी गजब का था। तभी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्य मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे। विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन की नाव पर सवार होकर कूदे थे सियासी सागर में। राजपूत होने का प्रचार तक करना पड़ा चुनाव जीतने के चक्कर में। जबकि सयानों ने कहा है कि साधू की कोई जात नहीं होती। राजपूत होने के बावजूद राजनाथ सिंह से कभी पटरी नहीं बैठी। लिहाजा उमा भारती की पार्टी में क्या गए, भाजपा में दोबारा सम्मान पूर्वक दाखिल नहीं हो पाए। गनीमत है कि योगी आदित्यनाथ की लाटरी खुल गई और वे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। चिन्मयानंद को फिलहाल तो योगी से निकटता ने ही बचा रखा है। अन्यथा अपने आश्रम के कालेज की कानून की छात्रा द्वारा किए गए यौन शोषण के आरोप में कब के चिदंबरम की गति को प्राप्त हो गए होते। बहरहाल मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक आइजी की अगुआई में विशेष जांच दल ने भी जांच शुरू कर दी है। आपत्तिजनक वीडियो क्लिप सामने आ जाने के बाद कुछ भी कहने की हालत में नहीं बचे हैं स्वामी जी। पैरवी में नामचीन वकीलों की खोज जरूर जुटी है। कुछ साल पहले भी उनकी एक महिला शिष्य ने उन पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए थे। स्वामी चिन्मयानंद स्वामी धर्मानंद सरस्वती के चेले हैं। उनके हरिद्वार के परमार्थ आश्रम की बड़ी साख रही है लेकिन फिलहाल तो इसी आश्रम में क्यों शाहजहांपुर और बद्रीनाथ के आश्रमों में भी सन्नाटा है। रही परनिंदा रस का सुख लेने की बात तो उनके बहाने हरिद्वार के दूसरे अखाड़ों, आश्रमों और मठों के कई साधु संन्यासियों के निजी जीवन से जुड़े किस्सों को भी चटखारे लेकर सुन और सुना रहे हैं लोग।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

भज गोविंदम

सत्ता में आए अब एक साल होने को हैं लेकिन राजस्थान में कांग्रेसियों की पदलिप्सा पूरी नहीं हो पाई है। हर कोई किसी न किसी रूप में मलाईदार पद पाकर सत्ता सुख भोगने के लिए व्यग्र है। चूंकि सूबे में पार्टी के दो केंद्र बने हैं सो हर कोई अपने हिसाब से खेमेबंदी कर रहा है। किसी को अशोक गहलोत से उम्मीद है तो कोई सचिन पायलट की ड्योढ़ी पर चक्कर काट रहा है। अभी तो पायलट उप मुख्यमंत्री और सूबेदार दोनों ठहरे। उनके विरोधी एक व्यक्ति एक पद का राग अलाप रहे हैं। अपने समर्थकों की हौसला अफजाई के बहाने पायलट सूबे की सत्ता में पार्टी की वापसी का श्रेय भी लेने से नहीं चूकते। कब से फरमा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बलबूते ही 21 विधायकों की हैसियत वाली पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया। लिहाजा कार्यकर्ताओं को इनाम दिलाना उनका फर्ज है। गहलोत ने अभी तक स्पष्ट संकेत नहीं दिया कि कब करेंगे व्यग्र कार्यकर्ताओं और नेताओं पर रेवड़ियों की बौछार। शहरी निकाय और पंचायत चुनाव से पहले तो मूड में नहीं लग रहे गहलोत। ऐसे में फिलहाल भज गोविंदम के सिवा कोई चारा नहीं दावेदारों के सामने।

बेबाक बोल

2014 के आम चुनावों के बाद सबसे ज्यादा बहस विकल्प पर हुई थी। खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उम्मीद की गई थी कि वह अपने सामंती ढांचे से निकल खुद को फिर से खड़ा करेगी। लेकिन कांग्रेस में महापरिवर्तन की उम्मीदों की बयार तभी थम सी गई जब लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद एक कदम पीछे जाकर उनकी माता को पार्टी की कमान सौंपी गई। हरियाणा जैसे राज्य में जब भाजपा के नेता अबकी बार पचहत्तर पार का नारा लगा रहे थे तो हुड्डा की हुंकार आई कि मैं नहीं तो पार्टी नहीं और उनके सामने समर्पण करते हुए गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद आपके पुत्र का समय आएगा। भाजपा की नई राजनीति की परिभाषा लिखने के दौर में कांग्रेस अपने सामंती मलबे के ढेर से उठना ही नहीं चाहती है। विकल्प से लेकर विकल्पहीनता तक पहुंची इस बहस पर बेबाक बोल।

ऐसे कैसे चलेगा!

मुकेश भारद्वाज

पहले युवाओं को तरजीह देने, सब कुछ बदल देने की बात करते हैं फिर अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे समर्पण कर देते हैं। जब राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था तो युवा-युवा की राष्ट्रीय धुन बजाई गई थी, मानो देश में सब कुछ युवाओं को सौंप दिया जाएगा। वहीं जब राज्यसभा में सदस्य भेजने की बात आई तो उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना गया जिनकी उदारवादी आर्थिक नीतियों को लेकर जनता अनुदार हो गई। जिन आर्थिक नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के मैदान में गरज रहे थे उसी के अगुआ को उस समय कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाया गया जब भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति की परिभाषा बदल डाली है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अपने परिवार के इतर कांग्रेस अध्यक्ष ढूंढ़ने की शर्त लगा पद छोड़ दिया। लेकिन लंबी कवायद के बाद एक कदम पीछे जाकर पुत्र की जगह माता को पार्टी की कमान दे दी गई। तो ऐसे कैसे चलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस!

विरोधाभासों पर व्यंग्य कसने के लिए सोशल मीडिया पर 'ऐसे कैसे चलेगा' का जो संक्रमण फैला था, उसे अगर कांग्रेस पर लागू किया जाए तो व्यंग्य की कड़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। इसी स्तंभ में एक बार हमने लिखा था कि कांग्रेस उन सभी राजनीतिक टिप्पणीकारों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देती है जो कांग्रेस के फिर से जी उठने की उम्मीदें जगाते हैं। जो कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए देश की 134 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का उठ खड़ा होना जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जिन राज्यों में अहम चुनाव हैं वहां कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी देख यकीन हो गया है कि सामंती मलबे के ढेर पर खड़ी यह पार्टी नई बुनियाद रखना ही नहीं चाह रही है।

2019 के चुनावों के पहले भी हिंदी प्रदेश के तीन राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल माना गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को उम्मीद की तरह देखा गया था कि इन राज्यों में जीत के बाद पार्टी भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी। लेकिन इन राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस गहलोत और कमलनाथ के सामंती चेहरों से आगे बढ़ ही नहीं पाई। राजस्थान में चुनाव जीतने में पार्टी ने जितनी मेहनत नहीं की थी उससे ज्यादा मेहनत वहां के मुख्यमंत्री को चुनने में लगी और उसके बाद एक बगल गहलोत, एक बगल पायलट और बीच में राहुल वाली कांग्रेस की जो सवारी निकली उसे देख कर ही लग गया था कि पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा है। जिस मध्य प्रदेश में जनांदोलनों की वजह से भाजपा सत्ता से बेदखल हुई थी वहां कमलनाथ जैसे दिल्ली से पैराशूट से उतरे हुए हुए चेहरे को चुना गया। राहुल गांधी ने बेबसी में बताया कि मुख्यमंत्री अपने बेटों को जिताने में लगे रहे और बुजुर्ग मुख्यमंत्री कानों में रुई डाल कर कहते रहे कि राहुल तुम अध्यक्ष बने रहो, हम तुम्हारे साथ हैं।

2019 के बाद फिर से विधानसभा चुनाव हैं और इस बार सेमीफाइनल तो छोड़िए कांग्रेस की हालत देख उसे क्वालिफाइंग के लायक भी नहीं माना जा रहा है। जिस हरियाणा में विपक्ष को पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना था वहां कांग्रेसियों ने

एक-दूसरे की जड़ें खोदने का कीर्तिमान कायम कर लिया। नब्बे विधानसभा सीटों वाले राज्य में भाजपा कह रही है, अबकी बार पचहत्तर पार। यह नारा लगाते वक्त भाजपा ने कुछ नरमी बरती थी कि कम से कम पंद्रह सीटें तो विपक्ष को जीतनी ही चाहिए। लेकिन भाजपा को क्या पता था कि विपक्ष कहेगा कि अबकी बार 72 पार, सीट को लेकर नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुआई को लेकर।

हरियाणा के रोहतक में हुड्डा की रैली ने पूरे देश को संदेश दिया कि यह कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए है और नेतृत्व ने बुजुर्ग नेता की सभी शर्त मान कर संदेश दे दिया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी नया कुछ सीखने को तैयार नहीं है। अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की उनकी मांग के साथ ही हुड्डा को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी पेश कर दिया गया।

रोहतक रैली में हुड्डा ने अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार का पक्ष लेते हुए कहा, 'अब कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही'। लेकिन इस रैली के बाद पार्टी जिस तरह से उनके सामने दंडवत हुई उसे देख कर तो यही लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल पहले जैसी है। सोनिया गांधी की कमान में हुड्डा का तुष्टीकरण कर उनके संदेशवाहक गुलाम नबी आजाद ने चंडीगढ़ में कहा, 'अगली बार मैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभवतः राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। अगला समय दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा का होगा...।' वंशवाद पर इतनी लानत-मलानत के बाद भी गुलाम नबी आजाद हुड्डा के वंशज से आगे नहीं बढ़ पाए। अगली बार यानी पांच साल बाद या ताजा चुनावों में ही कांग्रेस पार्टी की क्या हालत होगी यह सोचा होता तो आजाद साहब अभी से ही हुड्डा के पुत्र की ताजपोशी नहीं कर बैठते।

हरियाणा में हुड्डा के दबाव में कांग्रेस 'परिवर्तन रैली' निकाल चुकी तो महाराष्ट्र में उर्मिला मातोंडकर और कृपाशंकर सिंह ने इस्तीफा देकर बता दिया कि किस तरह से कांग्रेस नेताओं की पूरी फौज की भाजपा या अन्य पार्टियों में जाने की महारैली निकली है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में पार्टी सांगठिक स्तर पर चरमराई हुई है। दिल्ली में इतने घमासान के बाद भी शीला दीक्षित का विकल्प नहीं खोजा जा सका है।

हम राजनीतिक टिप्पणीकार पिछले पांच सालों से लगातार लिखते आ रहे हैं कि कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से है। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद यह साबित हो गया कि फिलहाल कांग्रेस का मुकाबला खुद से ही है। पिछले चुनावों में 52 सीटों पर सिमटी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अपने बेटों की जीत तय करने में जुटे रहे, प्रियंका गांधी ने सरेआम आरोप लगाया कि रफाल से लेकर अन्य मुद्दों पर मेरा भाई अकेले लड़ता रहा, सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। इस बार तो चुनावों के पहले ही दिख गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद और अपनी संतानों के सिवाय कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। जिस पार्टी के युवा अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया उस पार्टी के वरिष्ठ नेता संभावित पद के लिए पार्टी को छोड़ने और तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इस समय हम प्रियंका गांधी की पीड़ा महसूस कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में राहुल कितने अकेले थे।

आज हम हरियाणा के संदर्भ में देखें तो भाजपा ने विकल्पहीनता की स्थिति पैदा कर दी है। जाट आधारित राजनीति से शुरू कर वंश की धुरी पर घूमने वाले कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों का जनता से पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। एक खानदान जेल में, दूसरा खानदान आधे इधर, आधे उधर, बाकी मेरे साथ वाली स्थिति में तो एक खानदान जनता नहीं पार्टी को ही अपनी शक्ति दिखा रहा है। हरियाणा के मैदान से कांग्रेस ने राजनीतिक चिंतकों को संदेश दिया है कि आगामी चुनावों में विकल्प नहीं विकल्पहीनता पर बात होगी।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

प्रकृति ने ही भारत को राष्ट्र बनाया

बेबाक बोल 'श्याम संस्कृति' में भारतीयता की खोज का स्वागत होना चाहिए। आपका यह स्तंभ सुसंगत विचार की व्याख्या करता है और बहस के लिए आमंत्रित करता है। यह काम केवल जनसत्ता करता है। आपने भारत में विविधता के साथ देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधने के सत्य का उद्घाटन किया है। लेकिन आप देखें कि प्रकृति ने ही भारत को एक राष्ट्र बनाया है। यह प्रकृति और संस्कृति का सत्य है कि भारत एक राष्ट्र है और उसमें वैभिन्यपूर्ण जीवन का प्रवाह अपनी-अपनी गति से चलता रहता है। यदि हम यह कहें कि एकता में विभिन्नता है तो एक राष्ट्र इकाई की अधिक अनुभूति होती है और प्रकृति एवं संस्कृति से बना एक राष्ट्र बोध निर्मित होता है। भारत की सांस्कृतिक एकता में सारी विभिन्नता अंतर्भूत है और यही भारतीयता है और यही गंगा-यमुनी संस्कृति है और यही श्याम संस्कृति है। बस एक बात और कि यमुनी संस्कृति को गंगा के साथ संगम की तरह मिलने की जरूरत है। प्रयागराज का संगम दो भिन्न अस्तित्वों को एक रूप देता है। मैं इस विचारोत्तेजक बेबाक बोल के लिए बधाई देता हूं। आप ऐसे सवालों पर लिखते रहें तो पाठक को सही रोशनी मिलती रहे।

– **कमल किशोर गोयनका**, ए-98, अशोक विहार, फेज प्रथम, दिल्ली।

मानववाद की आत्मा श्याम संस्कृति

'श्याम संस्कृति' का वर्णन आज के बिखरते मूल्यों पर सात्विक चिंतन की एक महाऔषधि है। सामाजिक तानेबाने के तिरष्कृत तारतम्य आज परंपरागत मूल्यों को कहीं स्वार्थ के डोर से बांधे रखा है तो कहीं कृत्रिम सौहार्द का प्रतिबिंब प्रदर्शित करता दिखता है। गणेश पंडाल की भौतिक भव्यता और तात्कालिक आडंबर की तरंगें यदि सही रूप से हमारी चेतना को स्पर्श करे तो श्याम संस्कृति के आयाम हमारे जीवन पथ के कंटकाकीर्ण अंशों को दूर कर

राजकाज
बेबाक बोल
श्याम संस्कृति
राजपाट

सकते हैं। देश के विशालकाय मंदिरों के गुप्त भंडार के चढ़ावे और दान की संपदा यदि उसी राज्य के लोककल्याण के प्रकल्पों से जुड़े तो शायद उस राज्य की गरीबी रेखा में जी रहे प्राणियों का क्लेश हर सके।

–**डॉक्टर अशोक कुमार**, पटना, बिहार।

इंसानियत हो धर्म

आदिकाल में 'धर्म' की स्थापना भले ही मानवीय गुणों की स्थापना के लिए हुई हो लेकिन आज धर्म की इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता कि धर्म के नाम पर आज तक इंसानियत की जितनी हत्याएं हुई हैं वह अब तक हुए सभी युद्धों में नहीं हुई। एक धर्म के 'धंधेबाज' दूसरे धर्मों और उनके मानने वालों के प्रति अपने अनुयायियों में नफरत के बीज बोते रहते हैं, इसलिए आज विभिन्न धर्मों के मतावलंबियों द्वारा दूसरे धर्मों के रीति-रिवाजों में शरीक होने पर उनका यह व्यवहार हमें आज आश्चर्यचकित करता है। अब तो इस धरती के सभी इंसानों की जाति केवल इंसान और उसका धर्म केवल 'इंसानियत ही हो जानी चाहिए। इसी में इस धरती के सभी इंसानों की भलाई है।

–**निर्मल कुमार शर्मा**, गाजियाबाद।

पूरा विश्व परिवार है

प्रेम और मजहब को लेकर मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'पंचपरमेश्वर' की याद आती है जिसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख आपस में गहरे दोस्त हैं और बखूबी से मानवता का फर्ज निभाते हुए वे कभी दूर नहीं हुए। मजहबी और जातीय कट्टरवाद तो मूर्खता, अशिक्षा और घटिया राजनीति की देन है जिससे कभी किसी का भला नहीं हो सकता।

–**वेद**, मामूरपुर, नरेला।

राजपाट

सूरमा बिहारी

सच्चा है, अच्छा है। चलो, नीतीश के साथ चलें। क्यूं करें विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। क्यों ना करें विचार, बिहार जो है बीमार। ये नारे बिहार की राजधानी पटना के प्रमुख चौराहों पर लगी विशालकाय होर्डिंग पर अभी से प्रकट हो गए हैं। बिहार में हालांकि चुनाव इस साल नहीं है। अभी तो बारी हरियाणा व महाराष्ट्र की ठहरी। दरअसल नीतीश के समर्थन वाले इन नारों के पीछे नीतीश की पार्टी जनता दल (एकी) ने एक तीर से दो शिकार की रणनीति अपनाई है। एक तरफ यह संदेश दिया है कि बिहार में नीतीश सरकार ठीक काम कर रही है। पर दूसरा संदेश गूढ़ है। कहीं महाराष्ट्र जैसी चाल न चल दे भाजपा। जहां उसने शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने की अपनी पुरानी नीति को पिछले विधानसभा चुनाव में पलट दिया था। शिवसेना से ज्यादा सीटें जीतकर पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना लिया था। नीतीश एक दौर में भले दिल्ली की सत्ता का सपना देखते रहे हों पर जब से मोदी का वर्चस्व कायम हुआ है वे बिहार में ही अपना राज रखने की रणनीति अपना चुके हैं। कहने को भाजपा और जद (एकी) गठबंधन की सरकार बिहार में निर्बाध चल रही है। भाजपा ने अभी तो नीतीश को नेता मान ही रखा है पर मतभेद तो हैं। मसलन तीन तलाक और धारा 370 पर जद (एकी) ने संसद में सरकार का दूसरे सहयोगियों की तरह खुला समर्थन नहीं किया। जद (एकी) को केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं दी। ऊपर से सीपी ठाकुर जैसे पुराने भाजपाई कह रहे हैं कि अभी से नीतीश की मुख्यमंत्री पद की अगली पारी की दावेदारी ठीक नहीं। भाजपाई खुलकर भले न कह रहे हों पर चाहते यही हैं कि अब नीतीश दिल्ली जाएं। केंद्र में मंत्री बनें और बिहार की अगली सरकार का नेतृत्व भाजपा को करने दें। राजद तो विपक्ष में है सो नीतीश समर्थक नारों के प्रतिवाद में उसे कहना पड़ा कि क्यों ना करें विचार। यह बात अलग है कि राजद और जद (एकी) के दोबारा गठबंधन की संभावना को भी अभी से नकारना ठीक नहीं। राजद के धुरंधर शिवानंद तिवारी ने परोक्ष रूप से पेशकश भी कर दी है। वे फरमा रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों के लिए नीतीश को फिर 2015 वाले गठबंधन की सोचनी चाहिए। वे पहल करेंगे तो राजद उनका नेतृत्व बिहार के हित में स्वीकार कर लेगा। तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के संदर्भ में तिवारी की इस पेशकश के हर कोई अपने अंदाज में खोज रहा है निहितार्थ। पर नीतीश अभी इस विवाद में मौनी बाबा ही बने हैं।

वोट की दरकार

दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर सियासी रंग यों वाममोर्चे की सरकार के आखिरी दौर में ही चढ़ने लगा था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता संभालने के बाद इस परंपरा को और मजबूत कर दिया। ज्यादातर दुर्गा पूजा समारोह की आयोजन समितियों का बजट करोड़ों में है। कमोबेश इन पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के नेता ही हैं। कहीं संरक्षक की हैसियत से तो कहीं अध्यक्ष। मंत्री, सांसद और विधायक तक इस मोह से परे नहीं। दरअसल दुर्गा पूजा को सियासी फायदे के लिए भुनाने की ममता बनर्जी की पार्टी की रणनीति कामयाब रही है। तभी तो विपक्षी भाजपा को भी भूत सवार हुआ है पूजा समितियों को कब्जाने का। भाजपा ने तो आकर्षण पैदा करने के मकसद से कई पुरस्कार भी शुरू कर दिए हैं। कमाल देखिए कि ममता बनर्जी के इलाके की एक दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने खुद भाजपा आलाकमान कोलकाता आएंगे। भाजपा भी मान चुकी है कि आम आदमी तक पहुंचने का दुर्गा पूजा समारोह एक सुनहरा अवसर हैं। तभी तो केंद्रीय मंत्रियों को भी संकेत हो चुका है इन आयोजनों में मौजूदगी दर्ज कराने का। इस बार की पूजा के दौरान भाजपा ने खुद को बंगालियों की पार्टी के रूप में स्थापित करने की सोची है। पार्टी के सूबेदार दिलीप घोष खुद कई पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे। हैरानी की बात है कि कुछ दिन पहले ही आयकर विभाग ने कोलकाता की कई प्रमुख पूजा समितियों को नोटिस भेजे थे। तब तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर दुर्गा पूजा विरोधी मुहिम चलाने का आरोप जड़ा था। ममता बनर्जी ने विरोध किया तो आयकर की सफाई आ गई कि नोटिस पुराने हैं।

वक्त का फेर

स्वामी चिन्मयानंद इस बार विरोधियों के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। हरिद्वार और शाहजहांपुर में भव्य आश्रमों और लाखों-करोड़ों श्रद्धालु अनुयायियों की परंपरा के उत्तराधिकारी इस संन्यासी का सियासी जलवा भी गजब का था। तभी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्य मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे। विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन की नाव पर सवार होकर कूदे थे सियासी सागर में। राजपूत होने का प्रचार तक करना पड़ा चुनाव जीतने के चक्कर में। जबकि सयानों ने कहा है कि साधू की कोई जात नहीं होती। राजपूत होने के बावजूद राजनाथ सिंह से कभी पटरी नहीं बैठी। लिहाजा उमा भारती की पार्टी में क्या गए, भाजपा में दोबारा सम्मान पूर्वक दाखिल नहीं हो पाए। गनीमत है कि योगी आदित्यनाथ की लाटरी खुल गई और वे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। चिन्मयानंद को फिलहाल तो योगी से निकटता ने ही बचा रखा है। अन्यथा अपने आश्रम के कालेज की कानून की छात्रा द्वारा किए गए यौन शोषण के आरोप में कब के चिदंबरम की गति को प्राप्त हो गए होते। बहरहाल मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक आइजी की अगुआई में विशेष जांच दल ने भी जांच शुरू कर दी है। आपत्तिजनक वीडियो क्लिप सामने आ जाने के बाद कुछ भी कहने की हालत में नहीं बचे हैं स्वामी जी। पैरवी में नामचीन वकीलों की खोज जरूर जुटी है। कुछ साल पहले भी उनकी एक महिला शिष्य ने उन पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए थे। स्वामी चिन्मयानंद स्वामी धर्मानंद सरस्वती के चेले हैं। उनके हरिद्वार के परमार्थ आश्रम की बड़ी साख रही है लेकिन फिलहाल तो इसी आश्रम में क्यों शाहजहांपुर और बद्रीनाथ के आश्रमों में भी सन्नाटा है। रही परनिंदा रस का सुख लेने की बात तो उनके बहाने हरिद्वार के दूसरे अखाड़ों, आश्रमों और मठों के कई साधु संन्यासियों के निजी जीवन से जुड़े किस्सों को भी चटखारे लेकर सुन और सुना रहे हैं लोग।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

कोरेगांव-भीमा : हाई कोर्ट ने नवलखा के खिलाफ मामला खारिज करने से किया मना

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने कोरेगांव-भीमा हिंसा और माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया तथ्य दिखता है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे के पीठ ने कहा, 'मामले की व्यापकता को देखते हुए हमें लगता है कि पूरी छानबीन जरूरी है।' पीठ ने कहा कि यह बिना आधार और सबूत वाला मामला नहीं है। पीठ ने नवलखा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की थी। एल्गार परिषद द्वारा 31 दिसंबर 2017 को पुणे जिले के कोरेगांव भीमा में कार्यक्रम के एक दिन बाद कथित रूप से हिंसा भड़क गई थी।

पुलिस का आरोप है कि मामले में नवलखा और अन्य आरोपियों का माओवादियों से जुड़ाव था और वे सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में काम कर रहे थे। अदालत ने कहा, 'अपराध कोरेगांव-भीमा हिंसा तक सीमित नहीं है। इसमें कई पहलू हैं। इसलिए हमें जांच की जरूरत लगती है।' पीठ ने जब अपना आदेश सुनाया तो नवलखा के वकील युग चौधरी ने हाई कोर्ट द्वारा नवलखा को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की।

सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार से जोड़ने पर

सुप्रीम कोर्ट जल्द लेगा निर्णय

● सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं करेगी और सिर्फ मद्रास, बंबई और मप्र उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की फेसबुक की याचिका पर निर्णय करेगी।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइलों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा- इस समय हमें नहीं मालूम कि क्या हम इस मुद्दे पर निर्णय कर सकते हैं या हाई कोर्ट फैसला करेगा। पीठ ने यह भी कहा कि कि वह इस मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं करेगी और सिर्फ मद्रास, बंबई और मप्र उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की फेसबुक की याचिका पर निर्णय करेगी।

केंद्र की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इन मामलों को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को अदालत में दावा किया था कि फेसबुक इंक और अन्य सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानून का अनुपालन नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अराजकता बढ़ रही है और अपराधों की पहचान में मुश्किल आ रही है।

उसने अदालत से उसके 20 अगस्त के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया था कि वह सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखे लेकिन कोई प्रभावी आदेश पारित करने से बचे। प्रदेश सरकार ने कहा था कि हाई कोर्ट में सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है लेकिन सर्वोच्च अदालत के 20 अगस्त के आदेश की वजह से उसने उन याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी थी।

विभिन्न आपराधिक मामलों का संदर्भ देते हुए प्रदेश सरकार ने कहा था कि स्थानीय विधि प्रवर्तन अधिकारियों ने इन कंपनियों से कई मामलों पर जांच और अपराधियों की पहचान के लिए जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि ये कंपनियां भारतीय धरती से संचालित होने के बावजूद अधिकारियों से अनुरोध पत्र भेजने को कहती हैं और सभी मामलों में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहीं। प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि मद्रास, बंबई और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को सर्वोच्च अदालत स्थानांतरित करने का फेसबुक का अनुरोध झूठे और भ्रामक कथनों से भरा हुआ है और यह अदालत को अपनी परोक्ष मंशाओं को लेकर दिग्भ्रमित करने का सीधा प्रयास है।

अदालत ने 20 अगस्त को केंद्र, गूगल, वाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को फेसबुक की याचिका पर नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। फेसबुक ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि सेवा प्रदाता आपराधिक मामलों की जांच में जांच एजंसियों से आंकड़ा साझा कर सकता है या नहीं इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाने की जरूरत है।

श्रीनगर में भूखंड कब्जाने के मामलों की जांच का आदेश

श्रीनगर, 13 सितंबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अब निरस्त कर दिए गए एक कानून का दुरूपयोग करके जम्मू और श्रीनगर में बेशकीमती भूखंडों को कब्जे में ले लेने की कथित घटनाओं की एसीबी जांच का आदेश दिया है। मलिक ने अब निरस्त कर दिए गए इस कानून के अनियमित या फर्जीवाड़े तरीके से क्रियान्वयन के मार्फत बेशकीमती भूखंडों पर कब्जा जमाने की ढेरों शिकायतों की जांच का आदेश दिया है। यह कानून जमीन पर कब्जा करने वालों को बाजार भाव पर मूल्य का भुगतान करने पर उन्हें उसका मालिकाना हक देकर अतिक्रमण से निपटने के लिए बनाया गया था।

रामायण महोत्सव 17 सितंबर से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आइसीसीआर) 17 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली में 5वां अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित करने जा रही है। यह आयोजन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के भारत की सौम्य संपदा या साफ्ट पावर के जरिए सांस्कृतिक आयामों को पेश करने की पहल का हिस्सा है। आइसीसीआर के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे जिसमें थाईलैंड, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ट्रिनिदाद व टोबैगो, फिजी सहित आठ देशों के कला समूह हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली के बाद यह महोत्सव 20 से 22 सितंबर तक पुणे, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों के समूह अयोध्या जाएंगे जो भगवान राम की जन्मस्थली है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वे रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे, सहस्रबुद्धे ने कहा, 'यह स्वभाविक है।' हालांकि, अयोध्या में इन कला समूहों द्वारा कोई प्रस्तुति नहीं दी जाएगी। आइसीसीआर के अध्यक्ष ने कहा कि सौम्य संपदा या साफ्ट पावर का एक महत्त्वपूर्ण आयाम सांस्कृतिक पक्ष है और केंद्र सरकार इसे मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। इसी श्रृंखला में 2015 में पहली बार रामायण महोत्सव की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि आइसीसीआर अगले वर्ष जनवरी में 'डेस्टिनेशन इंडिया' सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है जो भारत आने वाले छात्रों के संदर्भ में है।

नव-उदारवादी नीतियों की समीक्षा करे सरकार : गोविंदाचार्य

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

जाने माने चिंतक केएन गोविंदाचार्य ने आर्थिक मंदी की वर्तमान आहट के लिए 1991 की उदारीकरण की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए शुक्रवार को सरकार से नव-उदारवाद की नीतियों की समीक्षा करने की मांग की। गोविंदाचार्य ने संवाददाताओं से कहा-भारत की आर्थिक नीतियां घरेलू उत्पादन और उपभोग के आधार पर बननी चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) गणना को ही विकास समझ लेना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास की प्रकृति केंद्रित अवधारणा को अपनाना चाहिए और उपभोग पर आधारित जीडीपी आकलन के बजाए अंतिम व्यक्ति के हक और हित के साथ-साथ प्रकृति संपोषण को विकास का आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने पानी के व्यवसाय को गैरकानूनी घोषित करने की भी मांग की है।

वे शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की आगामी रूप रेखा पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। इस मौके पर आंदोलन के संयोजक पवन श्रीवास्तव और प्रवक्ता अभिमन्यु कोहाट भी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक रहे गोविंदाचार्य ने सरकार से गूगल जैसे इंटरनेट व्यवसाय पर सामाजिक व आर्थिक नियंत्रण के लिए कानून बनाने और अयोध्या मसले पर संवेदनशील रुख अपनाने की भी मांग की।

'समान नागरिक संहिता की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए'

पेज 1 का बाकी

गौर करना दिलचस्प है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े भाग चार में संविधान के अनुच्छेद 44 में निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा। लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीठ ने 31 पृष्ठ के अपने फैसले में कहा, 'हालांकि हिंदू अधिनियमों को वर्ष 1956 में संहिताबद्ध किया गया था, लेकिन इस अदालत के प्रोत्साहन के बाद भी देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है...।' शीर्ष अदालत ने इस सवाल पर भी गौर किया कि क्या पुर्तगाली नागरिक संहिता को विदेशी कानून कहा जा सकता है।

चिदंबरम की याचिका खारिज, समय आने पर गिरफ्तार करेगी ईडी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण करने के अनुरोध वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज हो गई। उनकी याचिका विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने खारिज की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को गुरुवार को बताया था कि आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी जरूरी है और उचित समय आने पर ऐसा किया जाएगा। चिदंबरम के वकील ने कहा था कि ईडी की दलील दुर्भावनापूर्ण है और उसकी मंशा चिदंबरम को परेशान करने की है।

चिदंबरम (73) आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। ईडी ने अदालत को बताया कि क्योंकि चिदंबरम पहले से ही सीबीआइ मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, लिहाजा वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं हैं। चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने 20 और 21 अगस्त को उनके घर पहुंची थी, लेकिन अब वह उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने के लिए ऐसा करना चाहती है।

महान्यायवादी तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने से पहले कुछ पहलुओं की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि एजंसी चिदंबरम से हिरासत में सवाल पूछने से पहले छह अन्य लोगों से पूछताछ करना चाहती है और वो धनशोधन के ऐसे मामले की जांच कर रही है, जो देश के बाहर तक फैला हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी जांच को निर्देशित नहीं कर सकता और उन्हें अभी हिरासत में लेने का आदेश देना जांच एजंसी की कार्य-स्वतंत्रता को बाधित करेगा।

मेहता ने कहा कि उनको गिरफ्तार करने की जरूरत थी और दूसरे मामले में भी है। उन्होंने कहा कि उचित समय पर चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद वे उनका सामना जुटाए गए साक्ष्यों से करना चाहेंगे। पांच सितंबर को चिदंबरम को सीबीआइ की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में 19 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसी दिन अदालत ने धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण करने की चिदंबरम की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था।

गणेश विसर्जन के दौरान हादसों में 29 लोगों की मौत

पेज 1 का बाकी

की है। इसके अलावा भोपाल नगर निगम ने भी दो-दो लाख की सहायता की घोषणा की है। पहले, राज्य सरकार ने चार-चार लाख की मुआवजा राशि की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा द्वारा 25 लाख के मुआवजे की मांग के बाद इसे बढ़ाकर 11 लाख रुपए किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के बाद से ही मैं जिला प्रशासन के संपर्क में रहा और बचाव अभियान की जानकारी लेता रहा। यह घटना कैसे हुई, क्या इसमें किसी स्तर पर लापरवाही हुई है, जैसे सभी बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोनों नावों पर सवार लोगों में से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखा था। जिस नाव में प्रतिमा थी, वह प्रतिमा का विसर्जन करते हुए पलट गई और उसमें सवार लोग दूसरी नाव पर कूदने लगे। लिहाजा, उस नाव का संतुलन भी बिगड़ गया और वह भी पलट गई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि एक नाव प्रतिमा को तालाब में विसर्जित करने के दौरान पलट जाती है। इसके बाद लोग दूसरी नाव में कूदने लगते हैं, जिससे वह भी डूब गई।

एससी/एसटी कानून पर याचिका तीन सदस्यीय पीठ को

पेज 1 का बाकी

फिर से विचार किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के संगठनों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। इस फैसले का समर्थन करने वाले कुछ दलों ने दलील दी थी कि केंद्र की पुनर्विचार याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि संसद पहले ही इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति (ज्यादतियों की रोकथाम) संशोधन कानून, 2018 पारित कर चुकी है। इन दलों ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका पर फैसला होने तक संशोधित कानून पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि इस फैसले में कुछ गलत हुआ हो तो उसे पुनर्विचार याचिका के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अदालत ने 30 अगस्त को संशोधित कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यह संशोधित कानून अग्रिम जमानत की व्यवस्था खत्म करने के प्रावधान को बहाल करने से संबंधित था। संसद ने पिछले साल नौ अगस्त को इस कानून के तहत गिरफ्तारी के मामले में कुछ उपाय करने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले को निष्प्रभावी करने के इरादे से एक विधेयक पारित किया था। शीर्ष अदालत ने 20 मार्च को अपने फैसले में अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के कठोर प्रावधानों का सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए कहा था कि इस कानून के तहत दायर किसी भी शिकायत पर तत्काल कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अदालत ने कहा था कि अनेक मामलों में निर्दोष नागरिकों को आरोपी बनाया गया और लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से गुरेज करने लगे। जबकि कानून बनाते समय विधायिका की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि इस कानून के तहत दर्ज शिकायत पहली नजर में दुर्भावनापूर्ण लगती है और ऐसा लगता है कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है तो इस कानून के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत देने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है।

दिव्यांग अनमोल बनी एक दिन की उपायुक्त

पेज 1 का बाकी

परमिंदर सिंह पिंकी से मुलाकात के दौरान वह अपने सवालों के साथ तैयार थी। अनमोल ने पिंकी से सवाल किया, 'शहर में लावारिस मवेशियों की समस्या के लिए क्या कार्ययोजना है? मैं रोजाना अखबार पढ़ती हूं कि आए दिन इनकी वजह से प्रदेशभर में सड़क हादसे होते रहते हैं और लोगों की जान जाती रहती है।' पिंकी ने कहा, 'हमने मुख्यमंत्री कोष से 3.2 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है और शहर में गोशाला खोलने के लिए उपयुक्त भूखंड की तलाश जारी है।'

फिरोजपुर नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी चरणजीत सिंह की ओर मुखातिब होते हुए अनमोल ने कहा, 'सड़कों की हालत तो ठीक है लेकिन अब भी ज्यादा अच्छी नहीं। हमारे शहर की सड़कों का कायाकल्प कब होगा?' इस पर सिंह ने कहा, 'हमने सड़कों की मरम्मत के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं और काम अक्तूबर के अंत तक पूरा हो जाएगा।' इसके बाद अनमोल की नजर एसपी मुख्यालय से पहुंचे गुरमीत सिंह पर पड़ी तो उन्हें पूछा, 'शहर में छीना-झपटी की वारदात बढ़ती जा रही हैं और यहां तक कि हमारे युवा नशाखोरी से दूर विदेशों में जा बसने को उत्सुक हैं। यह सीमांत जिला समस्याओं से घिरा है तो ऐसे में पुलिस विभाग क्या कर रहा है?' इसके जवाब में एसपी ने कहा, 'हम नशाखोरी से निपट रहे हैं ओर रोजाना सीमा से सटे गांव में नशा पकड़ा जाता है जबकि हमारी टीमें शहर में अपराध पर लगाम कसने में जुटी है।'

दोपहर में अनमोल चंदर गैंड के साथ प्रेस क्लब पहुंची और वहां पत्रकारों से मुखातिब हुई। अनमोल ने कहा, 'मैं आइएएस बनना चाहती हूं और सीमांत जिले की डीसी बनना चाहती हूं। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि डीसी सर ने एक दिन का डीसी बनने का सपना पूरा किया। वे एक महीने पहले मुझसे स्कूल में मिले थे।'

इस बीच, अनमोल ने डीसी कार्यालय में दोपहर का खाना खाया जहां उसके माता-पिता भी पहुंचे थे। अनमोल ने कहा, 'यदि हम आम लोगों की समस्याओं का निवारण करा पाने में सक्षम हों तो ही इतने ऊंचे ओहदे पर बैठने का फायदा है और लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई।' शाम करीब 5.35 बजे उसे डीसी कार्यालय से शानदार विदाई दी गई। खुद डीसी उसे अपनी कार से बैंक कॉलोनी स्थित उसके घर छोड़ने गए।

खुशी का नहीं था ठिकाना : अनमोल बीते गुरुवार से ही फूली नहीं समा रही जब उसे पता चला कि वह एक दिन के लिए फिरोजपुर की डीसी 'बनने' वाली है। उसका कद मात्र 2 फीट 8 इंच है जो उसे हमउम्र बच्चों से जुदा करता है। वो फिरोजपुर के आरएसडी राज रतन स्कूल में 11वीं कला संकाय की छात्रा है। स्कूल के प्राचार्य प्रवीण औल का कहना है, 'वह पहली से 8वीं तक अव्वल आती रही है। हम सभी को उससे बड़ी उम्मीदें हैं।'

उसके पिता अमित बेरी कहते हैं कि वह जन्म से ही ऐसी है और चार बार सर्जरी के बावजूद उसकी शारीरिक संरचाना दुरुस्त नहीं हो पाई। माता चंचल बेरी का कहना है कि घर से बाहर निकलने पर लोग उसके कद को लेकर हंसते हैं लेकिन स्कूल में सब उसका हौसला बढ़ाते हैं।

कश्मीरियों को निराश नहीं करेंगे : इमरान

पेज 1 का बाकी

के खोखले दावे करते हुए इमरान ने लोगों को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा, 'मुझे आपके जज्बे का पता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों मुझे पता है आपमें जज्बा और जुनून है। लेकिन ... मैं आपको बताऊंगा कब जाना है। पहले मुझे संयुक्त राष्ट्र जाने दो। दुनिया के नेताओं को बताने दो। कश्मीर का केस लड़ने दो। कश्मीर का मसला हल नहीं किया, तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा।'

इमरान खान ने 27 सितंबर को प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र आम सभा में अपने संब-ोधन के बारे में कहा, 'मैं कश्मीर के लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं कश्मीरियों के अधिकारों के लिए उस तरह खड़ा होऊंगा, जैसा कि इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा।' खान ने कहा कि 50 साल में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस पर चर्चा होने के साथ ही कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। इमरान खान ने दावा किया, 'पहली बार यूरोपीय संघ ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्ता राष्ट्र प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए। ओआइसी (इस्लामिक सहयोग संगठन) और 58 देशों ने कश्मीर में हो रहे उत्पीड़न पर पाकिस्तान का समर्थन किया और कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू हटाना चाहिए।' पाक प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत के कदम से कश्मीर में चरमपंथ बढ़ेगा।

उन्होंने गीदड़भभकी दी कि पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का पूरा जवाब देगा। उन्होंने कहा, 'अगर भारत ईट फेंकेगा, तो हम उसका जवाब पत्थर से देंगे।' इमरान ने आरोप लगाया कि योजना भारत से मुसलमानों के नस्लीय सफाए की है और दुनिया भर के 1.2 अब मुसलमान कश्मीर के हालात देख रहे हैं।

सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया

पेज 1 का बाकी

उन्हें जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और साथ ही पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद से होने वाले खतरे को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। विजय ठाकुर सिंह ने गुरुवार को जिनेवा में बैचलेट से मुलाकात की। इससे कुछ दिन पहले ही मानवाधिकार के लिए संरा उच्चायुक्त ने कश्मीर में प्रतिबंधों के प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि सिंह ने बैचलेट को जम्मू कश्मीर में धीरे-धीरे सामान्य स्थित की बहाली के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। संरा मानवाधिकार उच्चायुक्त से अपनी मुलाकात के दौरान सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीमा पार आतंकवाद पर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। इससे पहले संरा मानवाधिकार परिषद के 42वें सत्र को मंगलवार को संबोधित करने के दौरान सिंह ने कश्मीर पर दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद के लिए उसकी निंदा की। पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं वो अपने देश में उन्हें रौंद रहे हैं।

दिल्ली में फिर सम-विषम

पेज 1 का बाकी

धुंआ होता है। इससे दिल्ली गैस चैंबर बन जाती है। इसे बचाने के लिए दिल्ली सरकार आम जनता को मुफ्त मास्क वितरित करेगी। सरकार की योजना है कि ऐसे 50 से 60 लाख मास्क खरीदे जाए। अक्तूबर से दिल्ली सरकार ये मास्क आम जनता को उपलब्ध कराना शुरू कर देगी। ये सभी मास्क एम 95 श्रेणी के होंगे।

ई बसों को बढ़ाने के लिए काम कर रही है सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि ई वाहन पॉलिसी जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। एक हजार बसें लाई जा रही है। इस बसों के अनुभव के आधार पर नई बसें लाई जाएंगी। इसके अतिरक्ति सरकार ने बसों का रूट का मूल्यांकन शुरू किया है। इससे मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था को लागू करने में दो से तीन साल करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मेट्रो के चौथे चरण को सभी जगह से मंजूरी मिल चुकी है। इस पर काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली के सभी बस स्टॉप को मार्डन बस स्टॉप में तब्दील किया जाएगा। इन पर बस स्टॉप पर यात्री को बस पहुंचने की जानकारी होगी। इससे यात्री आसानी से सार्वजनिक सेवाओं का प्रयोग कर सकेंगे।

पुराने अनुभव से सीख लेगी सरकार : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकर पिछले सम-विषम की योजनाओं के आधार पर सीख ली जाएगी, जो भी खामियां उसमें सामने आएंगी। उनको दिल्ली में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे थे। उन्हें करीब 1200 सुझाव मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चालान की नई व्यवस्था से सड़कों पर सड़क प्रबंधन में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वजह से प्रदूषण केंद्र में लंबी-लंबी लाइन लग रही है। इससे पर्यावरण में और सुधार होगा। विभिन्न प्रावधानों का सरकार बारीकी से अध्ययन कर रही है। कहीं आवश्यकता होगी और सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा तो उसमें राहत देने के लिए काम किया जाएगा।

इस कदम की कोई जरूरत नहीं : गडकरी

पेज 1 का बाकी

परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यमुना की सफाई और दूसरे काम भी जारी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली अगले दो सालों में प्रदूषण मुक्त होगी।

निर्यात में अगस्त में छह फीसद की गिरावट

पेज 1 का बाकी

ज्यादा गिरावट आई है। तब आयात 14 फीसद कम रहा था जबकि इस अगस्त में इसमें 13.45 फीसद की गिरावट आई।

भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि निर्यात में इस तरह की गिरावट से वैश्विक मांग कमजोर रहने, उसमें अनिश्चितता होने और बढ़ते शुल्क युद्ध का पता चलता है। लुधियाना स्थित निर्यातक एससी रल्हन ने कहा कि सरकार के लिए यह उचित समय है कि वह प्रोत्साहनों की घोषणा करे। भारत से वाणिज्यिक वस्तुओं की निर्यात योजना (एमईआइएस) को वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

अगस्त 2019 में निर्यात वाले 30 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से 22 में गिरावट दर्ज की गई।

पार्टी में बिगड़ते अनुशासन पर सोनिया ने की चर्चा

पेज 1 का बाकी

मुख्यमंत्रियों में मध्य प्रदेश के कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, पुडुचेरी के वी नारायणसामी, राजस्थान के अशोक गहलोत, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल हुए। इन सभी के अलावा अहमद पटेल, दीपक बावरिया, पीएल पूनिया, अविनाश पांडे, मुकुल वासनिक, एके एंटनी, आशा कुमारी, सुनील जाखड़ समेत कई नेता पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों में छत्तीसगढ़ के मोहन मरकम नहीं पहुंचे थे।

बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र को लागू करने और सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। सचिन पायलट ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ बैठक में सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन साथ मिलकर काम करेंगे।

इटली में सीवेज टैंक में डूबने से चार सिखों की मौत

पेज 1 का बाकी

शुरुआती जांच से खुलासा हुआ है कि तीन लोग एक मजदूर को बचाने के लिए टैंक में कूद गए। वह मजदूर टैंक से गोबर की खाद निकाल रहा था। बीबीसी के अनुसार जांचकर्ताओं को संदेह है कि गाय के गोबर वाली खाद से निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते चारों की जान गई।

दिल्ली में भी डूबने से चार की गई जान

पेज 1 का बाकी

जुट गए, लेकिन रात को अंधेरा होने की वजह से कामयाबी नहीं मिली। शुक्रवार को चलाए गए तलाशी अभियान के बाद सभी का शव नदी से बाहर निकाला जा सका। छात्र-छात्राओं की पहचान निहाल विहार निवासी उमेश यादव, पिंकी, प्रियंका और निकित के तौर पर हुई है।

पुलिस ने बताया कि इन सभी को नदी की ओर जाने से रोका गया था, लेकिन ये पुलिस का चकमा देकर नदी के अंदर तक चले गए थे। फिलहाल पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल में रखवा दिया है।

epaper.jansatta.com

कोरेगांव-भीमा : हाई कोर्ट ने नवलखा के खिलाफ मामला खारिज करने से किया मना

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने कोरेगांव-भीमा हिंसा और माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया तथ्य दिखता है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे के पीठ ने कहा, 'मामले की व्यापकता को देखते हुए हमें लगता है कि पूरी छानबीन जरूरी है।' पीठ ने कहा कि यह बिना आधार और सबूत वाला मामला नहीं है। पीठ ने नवलखा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की थी। एल्गार परिषद द्वारा 31 दिसंबर 2017 को पुणे जिले के कोरेगांव भीमा में कार्यक्रम के एक दिन बाद कथित रूप से हिंसा भड़क गई थी।

पुलिस का आरोप है कि मामले में नवलखा और अन्य आरोपियों का माओवादियों से जुड़ाव था और वे सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में काम कर रहे थे। अदालत ने कहा, 'अपराध कोरेगांव-भीमा हिंसा तक सीमित नहीं है। इसमें कई पहलू हैं। इसलिए हमें जांच की जरूरत लगती है।' पीठ ने जब अपना आदेश सुनाया तो नवलखा के वकील युग चौधरी ने हाई कोर्ट द्वारा नवलखा को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की।

सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार से जोड़ने पर

सुप्रीम कोर्ट जल्द लेगा निर्णय

● सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं करेगी और सिर्फ मद्रास, बंबई और मप्र उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की फेसबुक की याचिका पर निर्णय करेगी।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइलों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा- इस समय हमें नहीं मालूम कि क्या हम इस मुद्दे पर निर्णय कर सकते हैं या हाई कोर्ट फैसला करेगा। पीठ ने यह भी कहा कि कि वह इस मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं करेगी और सिर्फ मद्रास, बंबई और मप्र उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की फेसबुक की याचिका पर निर्णय करेगी।

केंद्र की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इन मामलों को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को अदालत में दावा किया था कि फेसबुक इंक और अन्य सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानून का अनुपालन नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अराजकता बढ़ रही है और अपराधों की पहचान में मुश्किल आ रही है।

उसने अदालत से उसके 20 अगस्त के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया था कि वह सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखे लेकिन कोई प्रभावी आदेश पारित करने से बचे। प्रदेश सरकार ने कहा था कि हाई कोर्ट में सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है लेकिन सर्वोच्च अदालत के 20 अगस्त के आदेश की वजह से उसने उन याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी थी।

विभिन्न आपराधिक मामलों का संदर्भ देते हुए प्रदेश सरकार ने कहा था कि स्थानीय विधि प्रवर्तन अधिकारियों ने इन कंपनियों से कई मामलों पर जांच और अपराधियों की पहचान के लिए जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि ये कंपनियां भारतीय धरती से संचालित होने के बावजूद अधिकारियों से अनुरोध पत्र भेजने को कहती हैं और सभी मामलों में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहीं। प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि मद्रास, बंबई और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को सर्वोच्च अदालत स्थानांतरित करने का फेसबुक का अनुरोध झूठे और भ्रामक कथनों से भरा हुआ है और यह अदालत को अपनी परोक्ष मंशाओं को लेकर दिग्भ्रमित करने का सीधा प्रयास है।

अदालत ने 20 अगस्त को केंद्र, गूगल, वाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को फेसबुक की याचिका पर नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। फेसबुक ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि सेवा प्रदाता आपराधिक मामलों की जांच में जांच एजंसियों से आंकड़ा साझा कर सकता है या नहीं इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाने की जरूरत है।

श्रीनगर में भूखंड कब्जाने के मामलों की जांच का आदेश

श्रीनगर, 13 सितंबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अब निरस्त कर दिए गए एक कानून का दुरूपयोग करके जम्मू और श्रीनगर में बेशकीमती भूखंडों को कब्जे में ले लेने की कथित घटनाओं की एसीबी जांच का आदेश दिया है। मलिक ने अब निरस्त कर दिए गए इस कानून के अनियमित या फर्जीवाड़े तरीके से क्रियान्वयन के मार्फत बेशकीमती भूखंडों पर कब्जा जमाने की ढेरों शिकायतों की जांच का आदेश दिया है। यह कानून जमीन पर कब्जा करने वालों को बाजार भाव पर मूल्य का भुगतान करने पर उन्हें उसका मालिकाना हक देकर अतिक्रमण से निपटने के लिए बनाया गया था।

रामायण महोत्सव 17 सितंबर से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आइसीसीआर) 17 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली में 5वां अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित करने जा रही है। यह आयोजन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के भारत की सौम्य संपदा या साफ्ट पावर के जरिए सांस्कृतिक आयामों को पेश करने की पहल का हिस्सा है। आइसीसीआर के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे जिसमें थाईलैंड, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ट्रिनिदाद व टोबैगो, फिजी सहित आठ देशों के कला समूह हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली के बाद यह महोत्सव 20 से 22 सितंबर तक पुणे, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों के समूह अयोध्या जाएंगे जो भगवान राम की जन्मस्थली है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वे रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे, सहस्रबुद्धे ने कहा, 'यह स्वभाविक है।' हालांकि, अयोध्या में इन कला समूहों द्वारा कोई प्रस्तुति नहीं दी जाएगी। आइसीसीआर के अध्यक्ष ने कहा कि सौम्य संपदा या साफ्ट पावर का एक महत्त्वपूर्ण आयाम सांस्कृतिक पक्ष है और केंद्र सरकार इसे मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। इसी श्रृंखला में 2015 में पहली बार रामायण महोत्सव की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि आइसीसीआर अगले वर्ष जनवरी में 'डेस्टिनेशन इंडिया' सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है जो भारत आने वाले छात्रों के संदर्भ में है।

नव-उदारवादी नीतियों की समीक्षा करे सरकार : गोविंदाचार्य

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

जाने माने चिंतक केएन गोविंदाचार्य ने आर्थिक मंदी की वर्तमान आहट के लिए 1991 की उदारीकरण की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए शुक्रवार को सरकार से नव-उदारवाद की नीतियों की समीक्षा करने की मांग की। गोविंदाचार्य ने संवाददाताओं से कहा-भारत की आर्थिक नीतियां घरेलू उत्पादन और उपभोग के आधार पर बननी चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) गणना को ही विकास समझ लेना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास की प्रकृति केंद्रित अवधारणा को अपनाना चाहिए और उपभोग पर आधारित जीडीपी आकलन के बजाए अंतिम व्यक्ति के हक और हित के साथ-साथ प्रकृति संपोषण को विकास का आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने पानी के व्यवसाय को गैरकानूनी घोषित करने की भी मांग की है।

वे शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की आगामी रूप रेखा पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। इस मौके पर आंदोलन के संयोजक पवन श्रीवास्तव और प्रवक्ता अभिमन्यु कोहाट भी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक रहे गोविंदाचार्य ने सरकार से गूगल जैसे इंटरनेट व्यवसाय पर सामाजिक व आर्थिक नियंत्रण के लिए कानून बनाने और अयोध्या मसले पर संवेदनशील रुख अपनाने की भी मांग की।

'समान नागरिक संहिता की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए'

पेज 1 का बाकी

गौर करना दिलचस्प है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े भाग चार में संविधान के अनुच्छेद 44 में निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा। लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीठ ने 31 पृष्ठ के अपने फैसले में कहा, 'हालांकि हिंदू अधिनियमों को वर्ष 1956 में संहिताबद्ध किया गया था, लेकिन इस अदालत के प्रोत्साहन के बाद भी देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है...।' शीर्ष अदालत ने इस सवाल पर भी गौर किया कि क्या पुर्तगाली नागरिक संहिता को विदेशी कानून कहा जा सकता है।

चिदंबरम की याचिका खारिज, समय आने पर गिरफ्तार करेगी ईडी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण करने के अनुरोध वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज हो गई। उनकी याचिका विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने खारिज की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को गुरुवार को बताया था कि आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी जरूरी है और उचित समय आने पर ऐसा किया जाएगा। चिदंबरम के वकील ने कहा था कि ईडी की दलील दुर्भावनापूर्ण है और उसकी मंशा चिदंबरम को परेशान करने की है।

चिदंबरम (73) आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। ईडी ने अदालत को बताया कि क्योंकि चिदंबरम पहले से ही सीबीआइ मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, लिहाजा वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं हैं। चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने 20 और 21 अगस्त को उनके घर पहुंची थी, लेकिन अब वह उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने के लिए ऐसा करना चाहती है।

महान्यायवादी तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने से पहले कुछ पहलुओं की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि एजंसी चिदंबरम से हिरासत में सवाल पूछने से पहले छह अन्य लोगों से पूछताछ करना चाहती है और वो धनशोधन के ऐसे मामले की जांच कर रही है, जो देश के बाहर तक फैला हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी जांच को निर्देशित नहीं कर सकता और उन्हें अभी हिरासत में लेने का आदेश देना जांच एजंसी की कार्य-स्वतंत्रता को बाधित करेगा।

मेहता ने कहा कि उनको गिरफ्तार करने की जरूरत थी और दूसरे मामले में भी है। उन्होंने कहा कि उचित समय पर चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद वे उनका सामना जुटाए गए साक्ष्यों से करना चाहेंगे। पांच सितंबर को चिदंबरम को सीबीआइ की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में 19 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसी दिन अदालत ने धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण करने की चिदंबरम की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था।

गणेश विसर्जन के दौरान हादसों में 29 लोगों की मौत

पेज 1 का बाकी

की है। इसके अलावा भोपाल नगर निगम ने भी दो-दो लाख की सहायता की घोषणा की है। पहले, राज्य सरकार ने चार-चार लाख की मुआवजा राशि की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा द्वारा 25 लाख के मुआवजे की मांग के बाद इसे बढ़ाकर 11 लाख रुपए किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के बाद से ही मैं जिला प्रशासन के संपर्क में रहा और बचाव अभियान की जानकारी लेता रहा। यह घटना कैसे हुई, क्या इसमें किसी स्तर पर लापरवाही हुई है, जैसे सभी बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोनों नावों पर सवार लोगों में से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखा था। जिस नाव में प्रतिमा थी, वह प्रतिमा का विसर्जन करते हुए पलट गई और उसमें सवार लोग दूसरी नाव पर कूदने लगे। लिहाजा, उस नाव का संतुलन भी बिगड़ गया और वह भी पलट गई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि एक नाव प्रतिमा को तालाब में विसर्जित करने के दौरान पलट जाती है। इसके बाद लोग दूसरी नाव में कूदने लगते हैं, जिससे वह भी डूब गई।

एससी/एसटी कानून पर याचिका तीन सदस्यीय पीठ को

पेज 1 का बाकी

फिर से विचार किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के संगठनों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। इस फैसले का समर्थन करने वाले कुछ दलों ने दलील दी थी कि केंद्र की पुनर्विचार याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि संसद पहले ही इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति (ज्यादतियों की रोकथाम) संशोधन कानून, 2018 पारित कर चुकी है। इन दलों ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका पर फैसला होने तक संशोधित कानून पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि इस फैसले में कुछ गलत हुआ हो तो उसे पुनर्विचार याचिका के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अदालत ने 30 अगस्त को संशोधित कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यह संशोधित कानून अग्रिम जमानत की व्यवस्था खत्म करने के प्रावधान को बहाल करने से संबंधित था। संसद ने पिछले साल नौ अगस्त को इस कानून के तहत गिरफ्तारी के मामले में कुछ उपाय करने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले को निष्प्रभावी करने के इरादे से एक विधेयक पारित किया था। शीर्ष अदालत ने 20 मार्च को अपने फैसले में अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के कठोर प्रावधानों का सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए कहा था कि इस कानून के तहत दायर किसी भी शिकायत पर तत्काल कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अदालत ने कहा था कि अनेक मामलों में निर्दोष नागरिकों को आरोपी बनाया गया और लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से गुरेज करने लगे। जबकि कानून बनाते समय विधायिका की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि इस कानून के तहत दर्ज शिकायत पहली नजर में दुर्भावनापूर्ण लगती है और ऐसा लगता है कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है तो इस कानून के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत देने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है।

दिव्यांग अनमोल बनी एक दिन की उपायुक्त

पेज 1 का बाकी

परमिंदर सिंह पिंकी से मुलाकात के दौरान वह अपने सवालों के साथ तैयार थी। अनमोल ने पिंकी से सवाल किया, 'शहर में लावारिस मवेशियों की समस्या के लिए क्या कार्ययोजना है? मैं रोजाना अखबार पढ़ती हूं कि आए दिन इनकी वजह से प्रदेशभर में सड़क हादसे होते रहते हैं और लोगों की जान जाती रहती है।' पिंकी ने कहा, 'हमने मुख्यमंत्री कोष से 3.2 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है और शहर में गोशाला खोलने के लिए उपयुक्त भूखंड की तलाश जारी है।'

फिरोजपुर नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी चरणजीत सिंह की ओर मुखातिब होते हुए अनमोल ने कहा, 'सड़कों की हालत तो ठीक है लेकिन अब भी ज्यादा अच्छी नहीं। हमारे शहर की सड़कों का कायाकल्प कब होगा?' इस पर सिंह ने कहा, 'हमने सड़कों की मरम्मत के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं और काम अक्तूबर के अंत तक पूरा हो जाएगा।' इसके बाद अनमोल की नजर एसपी मुख्यालय से पहुंचे गुरमीत सिंह पर पड़ी तो उन्हें पूछा, 'शहर में छीना-झपटी की वारदात बढ़ती जा रही हैं और यहां तक कि हमारे युवा नशाखोरी से दूर विदेशों में जा बसने को उत्सुक हैं। यह सीमांत जिला समस्याओं से घिरा है तो ऐसे में पुलिस विभाग क्या कर रहा है?' इसके जवाब में एसपी ने कहा, 'हम नशाखोरी से निपट रहे हैं ओर रोजाना सीमा से सटे गांव में नशा पकड़ा जाता है जबकि हमारी टीमें शहर में अपराध पर लगाम कसने में जुटी है।'

दोपहर में अनमोल चंदर गैंड के साथ प्रेस क्लब पहुंची और वहां पत्रकारों से मुखातिब हुई। अनमोल ने कहा, 'मैं आइएएस बनना चाहती हूं और सीमांत जिले की डीसी बनना चाहती हूं। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि डीसी सर ने एक दिन का डीसी बनने का सपना पूरा किया। वे एक महीने पहले मुझसे स्कूल में मिले थे।'

इस बीच, अनमोल ने डीसी कार्यालय में दोपहर का खाना खाया जहां उसके माता-पिता भी पहुंचे थे। अनमोल ने कहा, 'यदि हम आम लोगों की समस्याओं का निवारण करा पाने में सक्षम हों तो ही इतने ऊंचे ओहदे पर बैठने का फायदा है और लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई।' शाम करीब 5.35 बजे उसे डीसी कार्यालय से शानदार विदाई दी गई। खुद डीसी उसे अपनी कार से बैंक कॉलोनी स्थित उसके घर छोड़ने गए।

खुशी का नहीं था ठिकाना : अनमोल बीते गुरुवार से ही फूली नहीं समा रही जब उसे पता चला कि वह एक दिन के लिए फिरोजपुर की डीसी 'बनने' वाली है। उसका कद मात्र 2 फीट 8 इंच है जो उसे हमउम्र बच्चों से जुदा करता है। वो फिरोजपुर के आरएसडी राज रतन स्कूल में 11वीं कला संकाय की छात्रा है। स्कूल के प्राचार्य प्रवीण औल का कहना है, 'वह पहली से 8वीं तक अव्वल आती रही है। हम सभी को उससे बड़ी उम्मीदें हैं।'

उसके पिता अमित बेरी कहते हैं कि वह जन्म से ही ऐसी है और चार बार सर्जरी के बावजूद उसकी शारीरिक संरचाना दुरुस्त नहीं हो पाई। माता चंचल बेरी का कहना है कि घर से बाहर निकलने पर लोग उसके कद को लेकर हंसते हैं लेकिन स्कूल में सब उसका हौसला बढ़ाते हैं।

कश्मीरियों को निराश नहीं करेंगे : इमरान

पेज 1 का बाकी

के खोखले दावे करते हुए इमरान ने लोगों को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा, 'मुझे आपके जज्बे का पता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों मुझे पता है आपमें जज्बा और जुनून है। लेकिन ... मैं आपको बताऊंगा कब जाना है। पहले मुझे संयुक्त राष्ट्र जाने दो। दुनिया के नेताओं को बताने दो। कश्मीर का केस लड़ने दो। कश्मीर का मसला हल नहीं किया, तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा।'

इमरान खान ने 27 सितंबर को प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र आम सभा में अपने संब-ोधन के बारे में कहा, 'मैं कश्मीर के लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं कश्मीरियों के अधिकारों के लिए उस तरह खड़ा होऊंगा, जैसा कि इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा।' खान ने कहा कि 50 साल में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस पर चर्चा होने के साथ ही कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। इमरान खान ने दावा किया, 'पहली बार यूरोपीय संघ ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्ता राष्ट्र प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए। ओआइसी (इस्लामिक सहयोग संगठन) और 58 देशों ने कश्मीर में हो रहे उत्पीड़न पर पाकिस्तान का समर्थन किया और कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू हटाना चाहिए।' पाक प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत के कदम से कश्मीर में चरमपंथ बढ़ेगा।

उन्होंने गीदड़भभकी दी कि पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का पूरा जवाब देगा। उन्होंने कहा, 'अगर भारत ईट फेंकेगा, तो हम उसका जवाब पत्थर से देंगे।' इमरान ने आरोप लगाया कि योजना भारत से मुसलमानों के नस्लीय सफाए की है और दुनिया भर के 1.2 अब मुसलमान कश्मीर के हालात देख रहे हैं।

सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया

पेज 1 का बाकी

उन्हें जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और साथ ही पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद से होने वाले खतरे को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। विजय ठाकुर सिंह ने गुरुवार को जिनेवा में बैचलेट से मुलाकात की। इससे कुछ दिन पहले ही मानवाधिकार के लिए संरा उच्चायुक्त ने कश्मीर में प्रतिबंधों के प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि सिंह ने बैचलेट को जम्मू कश्मीर में धीरे-धीरे सामान्य स्थित की बहाली के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। संरा मानवाधिकार उच्चायुक्त से अपनी मुलाकात के दौरान सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीमा पार आतंकवाद पर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। इससे पहले संरा मानवाधिकार परिषद के 42वें सत्र को मंगलवार को संबोधित करने के दौरान सिंह ने कश्मीर पर दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद के लिए उसकी निंदा की। पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं वो अपने देश में उन्हें रौंद रहे हैं।

दिल्ली में फिर सम-विषम

पेज 1 का बाकी

धुंआ होता है। इससे दिल्ली गैस चैंबर बन जाती है। इसे बचाने के लिए दिल्ली सरकार आम जनता को मुफ्त मास्क वितरित करेगी। सरकार की योजना है कि ऐसे 50 से 60 लाख मास्क खरीदे जाए। अक्तूबर से दिल्ली सरकार ये मास्क आम जनता को उपलब्ध कराना शुरू कर देगी। ये सभी मास्क एम 95 श्रेणी के होंगे।

ई बसों को बढ़ाने के लिए काम कर रही है सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि ई वाहन पॉलिसी जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। एक हजार बसें लाई जा रही है। इस बसों के अनुभव के आधार पर नई बसें लाई जाएंगी। इसके अतिरक्ति सरकार ने बसों का रूट का मूल्यांकन शुरू किया है। इससे मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था को लागू करने में दो से तीन साल करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मेट्रो के चौथे चरण को सभी जगह से मंजूरी मिल चुकी है। इस पर काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली के सभी बस स्टॉप को मार्डन बस स्टॉप में तब्दील किया जाएगा। इन पर बस स्टॉप पर यात्री को बस पहुंचने की जानकारी होगी। इससे यात्री आसानी से सार्वजनिक सेवाओं का प्रयोग कर सकेंगे।

पुराने अनुभव से सीख लेगी सरकार : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकर पिछले सम-विषम की योजनाओं के आधार पर सीख ली जाएगी, जो भी खामियां उसमें सामने आएंगी। उनको दिल्ली में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे थे। उन्हें करीब 1200 सुझाव मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चालान की नई व्यवस्था से सड़कों पर सड़क प्रबंधन में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वजह से प्रदूषण केंद्र में लंबी-लंबी लाइन लग रही है। इससे पर्यावरण में और सुधार होगा। विभिन्न प्रावधानों का सरकार बारीकी से अध्ययन कर रही है। कहीं आवश्यकता होगी और सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा तो उसमें राहत देने के लिए काम किया जाएगा।

इस कदम की कोई जरूरत नहीं : गडकरी

पेज 1 का बाकी

परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यमुना की सफाई और दूसरे काम भी जारी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली अगले दो सालों में प्रदूषण मुक्त होगी।

निर्यात में अगस्त में छह फीसद की गिरावट

पेज 1 का बाकी

ज्यादा गिरावट आई है। तब आयात 14 फीसद कम रहा था जबकि इस अगस्त में इसमें 13.45 फीसद की गिरावट आई।

भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि निर्यात में इस तरह की गिरावट से वैश्विक मांग कमजोर रहने, उसमें अनिश्चितता होने और बढ़ते शुल्क युद्ध का पता चलता है। लुधियाना स्थित निर्यातक एससी रल्हन ने कहा कि सरकार के लिए यह उचित समय है कि वह प्रोत्साहनों की घोषणा करे। भारत से वाणिज्यिक वस्तुओं की निर्यात योजना (एमईआइएस) को वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

अगस्त 2019 में निर्यात वाले 30 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से 22 में गिरावट दर्ज की गई।

पार्टी में बिगड़ते अनुशासन पर सोनिया ने की चर्चा

पेज 1 का बाकी

मुख्यमंत्रियों में मध्य प्रदेश के कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, पुडुचेरी के वी नारायणसामी, राजस्थान के अशोक गहलोत, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल हुए। इन सभी के अलावा अहमद पटेल, दीपक बावरिया, पीएल पूनिया, अविनाश पांडे, मुकुल वासनिक, एके एंटनी, आशा कुमारी, सुनील जाखड़ समेत कई नेता पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों में छत्तीसगढ़ के मोहन मरकम नहीं पहुंचे थे।

बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र को लागू करने और सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। सचिन पायलट ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ बैठक में सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन साथ मिलकर काम करेंगे।

इटली में सीवेज टैंक में डूबने से चार सिखों की मौत

पेज 1 का बाकी

शुरुआती जांच से खुलासा हुआ है कि तीन लोग एक मजदूर को बचाने के लिए टैंक में कूद गए। वह मजदूर टैंक से गोबर की खाद निकाल रहा था। बीबीसी के अनुसार जांचकर्ताओं को संदेह है कि गाय के गोबर वाली खाद से निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते चारों की जान गई।

दिल्ली में भी डूबने से चार की गई जान

पेज 1 का बाकी

जुट गए, लेकिन रात को अंधेरा होने की वजह से कामयाबी नहीं मिली। शुक्रवार को चलाए गए तलाशी अभियान के बाद सभी का शव नदी से बाहर निकाला जा सका। छात्र-छात्राओं की पहचान निहाल विहार निवासी उमेश यादव, पिंकी, प्रियंका और निकित के तौर पर हुई है।

पुलिस ने बताया कि इन सभी को नदी की ओर जाने से रोका गया था, लेकिन ये पुलिस का चकमा देकर नदी के अंदर तक चले गए थे। फिलहाल पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल में रखवा दिया है।

epaper.jansatta.com

डाबर इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली – 110002
Tel. No.011-23253488, Fax No.011-23222051,
CIN - L24230DL1975PLC007908, Website: www.dabur.com
e-mail ID for investors: investors@mail.dabur

शेयरधारकों के लिए सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के पास कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचनापत्र कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखाकर्म, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम 2016 (नियम) जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए गए हैं के अंतर्गत दिया जा रहा है। आईईपीएफ नियम 2016 में ऐसे सभी शेयरों जिनके संबंध में लगातार सात सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश की अदायगी अथवा शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, की विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल है।

अतः ऐसे सभी अंतर्निहित शेयरों को, जिनके सम्बन्ध में गत सात वर्षों, वित्तीय वर्ष 2012–2013 से (अन्तरिम लाभांश) लाभांश की अदायगी / दावा नहीं किया गया है, को कथित नियम के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में हस्तांतरित किया जाना है।

नियमों में स्थापित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुपालन में, कम्पनी ने ऐसे संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी है जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाएगा। नियमों में लिखित उपयुक्त कार्य के अंतर्गत नियत शेयरधारकों का नाम, फोलियो नं./डीपीआईडी – ग्राहक आईडी कम्पनी की वेबसाइट www.dabur.com पर उपलब्ध है।

अदत्त/अभिभाषित लाभांश का दावा करने के लिए संबंधित शेयरधारक, कम्पनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट नं–31–32 गाचीबावली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500032, टैली नं.–040–67162222, ईमेल–einward.ris@karvy.com से संपर्क कर सकते हैं।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे शेयरधारक जिनके शेयरों को अंतरित किया जाएगा, यह ध्यान रखें कि कम्पनी डीमेट पद्धति में रूपांतरण के उद्देश्य से तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के तहत खुले डीमेट खाते में आगामी स्थानांतरण के लिए उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। शेयर जारी करने के उपरांत उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा इसे गैर परक्राम्य माना जाएगा। शेयरधारक जो डीमेट पद्धति में शेयर धारित करते हैं, उनके शेयरों का स्थानांतरण संबंधित निक्षेपस्थान के द्वारा कॉर्पोरेट प्रक्रिया के माध्यम से आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में कम्पनी द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।

यदि नवम्बर 25, 2019 तक शेयरधारकों से कोई भी सूचना नहीं प्राप्त होती है तो कम्पनी कोष प्रधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा अंतरण और वापसी) नियमों के अनुसार उन शेयरधारकों के शेयर आईईपीफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाएगें।

शेयरधारकों से अनुरोध है, कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त शेयरधारकों की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, उसे कम्पनी द्वारा नए प्रमाणपत्र निर्गमन जिनका अंतरण आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में किए जाना है, उसके संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

संबंधित शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि अंतरित शेयरों और लाभांशों को आईईपीएफ प्रधिकरण से पुनःदावा करके प्राप्त किया जा सकता है, जिनका विवरण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

कृते डाबर इंडिया लिमिटेड
ए. के. जैन
ई.वी.पी.(फाईनेन्स) एवं कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः सितम्बर 1, 2019

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
Resolution Recovery & Law कलस्टर
(दक्षिण और पूरब) 92/ई1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली–110067, फोन : 26108530, 26108531, ई–मेलः rrl_7670@obc.co.in

शुद्धि-पत्र

दिनांक 10.09.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना जिसमें **ई–नीलामी की तारीख 27.09.2019** के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि खाता मैसर्स प्योर प्ले स्पोर्ट्स (क्र.सं. 18) की प्रथम सम्पत्ति का विवरण : साम्यिक बंधक प्लॉट नं. 58, ग्रीनवूड सिटी, सैक्टर–45, गुड़गाँव, गाँव कन्हाई और झारसा, तहसील और जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित के स्थान पर साम्यिक बंधक मकान नं. 58, ग्रीनवूड सिटी, सैक्टर–46, गुड़गाँव, गाँव कन्हाई और झारसा, तहसील और जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित
पढ़ा जाऐ।
ई–नीलामी के शेष नियम व शर्ते पहले के अनुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

बुलेवॉर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सी–23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट–1,
नई दिल्ली–110048
U70200DL2010PTC203764

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली ने 8 फरवरी 2019 को मैसर्स बुलेवॉर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश दिये हैं और आदेश को देखते हुए समाचारपत्रों में "फार्म ए" में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रकाशित की गई है और इस सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा मैसर्स बुलेवॉर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 27 फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा गया है।

अब, उन सभी लेनदारों, कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है जिन्होंने अभी तक अपने दावें जमा नहीं किये हैं और वे अधोहस्ताक्षरी के पास इस प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों की अवधि तक अपने दावे जमा कर सकते हैं और इसके बाद चाहे जैसा भी हो, कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दावों के झूठे या गलत प्रमाण जमा करना दण्डनीय होगा।

हस्ता/–
अमित अग्रवाल
बुलेवॉर्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के आरपी
(सीआईआरपी के तहत)
पंजीकरण सं.: IIBBI/IPA-02/IP-N00185/2017-18/10456
एच–63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
ई–मेलः boulevard.amitagcs@gmail.com

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon!

बी/ओः फाउन्टेन चौक, गुड़गाँव

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अभिलेखों के स्थानांतरण के दौरान निम्न दस्तावेज गुम हो गए हैं तथा नहीं मिल रहे हैं।

मूल पुनर्आबंटन पत्र, मेमो नं. 4025 तिथि 05.07.1996; मूल कॉन्वीयन्स प्रलेख, वसीका नं. 11645 तिथि, तिथि 3.12.1997 जो उप–रजिस्ट्रार, गुड़गाँव के कार्यालय में पंजीकृत हैं, मूल कब्जा प्रमाणपत्र, मेमो नं. 5744 तिथि 13.11.1997 तथा मूल ऑक्युपेशन प्रमाणपत्र, मेमो नं. 213 तिथि 24.12.1998 जो मकान सं. 636, माप 286 वर्ग मी. से संबंधित है जो सेक्टर–10ए, अर्बण इस्टेट गुड़गाँव में स्थित है तथा श्रीमती हेम लता शर्मा, पुत्री श्री चन्दर शेखर शर्मा, निवासी मकान सं. 636, सेक्टर–10ए, गुड़गाँव के स्वामित्व में है, शिक्षा ऋण, आवास ऋण तथा ओवर ड्राफ्ट सुविधा के रूप में बैंक द्वारा स्वीकृत साख सुविधा के लिये बैंक के पक्ष में इक्विटैबल मार्टगैज के दौरान।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दस्तावेजों के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

शाखा प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक

न्यायालय श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर

वाद सख्यां सन् 2019
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सार्व सहारनपुर रोड देहरादून (उत्तराखण्ड) .....वादी
बनाम
1. मेसर्स डी.एम. एजेन्सी रजि0 कार्यालय गुलशन विहार जानसठ रोड मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)
2. श्रीमति रजनी गर्ग पत्नि श्री मुकेश कुमार गर्ग
3. श्री आर्यन गर्ग
4. अशुंल गर्ग
निवासीगण गुलशन विहार जानसठ रोड मुजफ्फरनगर डी, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)
.....प्रतिवादीगण

चूंकि उपरोक्त वादी बैंक द्वारा बन्धक सम्पत्ति पर कब्जा हेतू आवेदन धारा अर्न्तगत 14 सरफासी एक्ट 2002 प्रस्तुत किया है

अतः आपको एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आप उस आवेदन के खिलाफ संदर्भित करने के लिए 2019 के सितम्बर माह के 26 दिवस को पूर्वान्ह में स्वयं या सम्यक रूपक अनर्दिस्ट अपने अधिवक्ता द्वारा प्रातः 10 बजे उपस्थित हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा और आधारित किया जाएगा।

आज्ञा से
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर

---

archies

The most special way to say you care

ARCHIES LIMITED

Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050.
CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.com
Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

(As per Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016)

NOTICE is hereby given to the Shareholders of Archies Limited ("Company") that in compliance with the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") and provisions of the Companies Act, 2013, the Company is required to transfer all the unclaimed / unpaid shares in respect of which dividends remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account established by the Central Government.

Hence, all the underlying shares in respect of which dividends are not paid/claimed for the last 7(Seven) years for the Year 2011-2012, have to be transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

A list of such Shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IEPF Account, is displayed on the website of the Company https://www.archiesonline.com/public/htdocs/list-of-shareholders.pdf.

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Account as per the said Rules for taking appropriate action and submitting requisite documents to claim the shares and unclaimed dividend amount(s) before its credit to IEPF Account. Shareholders are requested to forward the requisite documents as per the communications to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited to claim the Shares and unclaimed dividend amount(s). Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the Shareholder, the Company would be transferring the said shares and dividend amount(s) to the IEPF Account without further notice in accordance with the requirements of the said Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Account pursuant to the said Rules. Please note that, upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with dividends from IEPF, for which details are available at www.iepf.gov.in

For any information / clarifications on this matter, the concerned shareholders may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent – Designated Person, Mr. Swapan Kumar Naskar, M/s. Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st floor, Plot NH 2, c-1 block LSC, Near Savitri market, Janakpuri, New Delhi - 110058.

Email: swapann@linkintime.co.in or delhi@linkintime.co.in ; Tel.: 011 - 49411000.

By order of the Board
For Archies Limited
Sd/-
Hitesh Kumar
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 13.09.2019

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि न दि न प अधिनियम, 1994 की धारा 221/224/225 के अंतर्गत तथा डब्ल्यूपी (सी) नं. 1985 के 13029 जिसका शीर्षक ''एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य'' है, में पारित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, तिथि 2.9.2019 के अनुसार सार्वजनिक भूमि/सरकारी भूमि का अतिक्रमण एक अपराध है।

एतद्द्वारा आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि सार्वजनिक भूमि/सरकारी भूमि से सभी प्रकार के अतिक्रमणों को तत्काल हटा लें जिसमें विफल रहने पर आगे कोई भी सूचना दिये बिना उल्लंघन–कर्ताओं/अपराधियों के विरुद्ध न.दि.न.प. अधिनियम, 1994 की धारा 221/224/225/226/369/372/373 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने/अभियोजन की कार्रवाई की जायेगी तथा सार्वजनिक भूमि/सरकारी भूमि पर रखी गई वस्तुओं को अतिक्रमण–कर्ता की लागत पर जब्त कर लिया जायेगा।

आदेशानुसार
सचिव, न.दि.न.प.

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PVT. LTD.

RELEVANT PARTICULARS		
1	Name of Corporate Debtor	PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PVT. LTD.
2	Date of incorporation of corporate debtor	09/06/2006
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies –Delhi
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70109DL2006PTC149560
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: B-45, Shakti Apartments Sector 9, Rohini New Delhi -110085 Principal office: 104, Pal Tower, M.G. Road, Sikanderpur, Gurgaon, Haryana -122002.
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	Date of order: 05.09.2019 Date of Intimation to IRP:11.09.2019
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	180 days from the commencement resolution process i.e 03.03.2020
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Dilip Kumar Niranjan IBBI/IPA-002/IP-N00552/2017-2018/11690.
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	RZP-237, Rajnagar-II, Gali No-IV, Palam Colony, Dwarka Sector 8, New Delhi - 110077 **Email Id:** dilip.niranjan@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Correspondence Address**: 136, First Floor, Rajendra Bhawan,Rajendra Place, New Delhi -110008. Email: palinfra@dknip.in
11	Last date for submission of claims	25.09.2019
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the Class(es) **Class 1: 'Allottes under Real Estate Project'**
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. Alok Chandra Singh Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00381/2017-2018/11124 2. Nitesh Kumar Sinha Reg. No: IBBI/IPA-002/N00280/2017-2018/10883. 3. Mukul Kumar Reg. No: IBBI.IPA-001/IP-P01670/2019-2020/12642
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads **Physical Addresses:** 1. Alok Chandra Singh Address: G-10, Express Apartment, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad Email: alok@alokchandra.com 2. Nitesh Kumar Sinha Address: 8A UG CS, Ansal Plaza, Vaishali, Sector 1, Ghaziabad Email: info@csnitesh.com 3. Mukul Kumar D-3/1304, The Legend, Sushant lok, Phase 3, Sector 57, Gurgoan, Haryana – 122011. Email. adv.mksingh@gmail.com

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PVT. LTD.** on **05.09.2019.**

The creditors of **PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PVT. LTD.,** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 25.09.2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. **10.**

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class I in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd.
Dilip Kumar Niranjan
IBBI/IPA-002/IP-N00552/2017-2018/11690

Date: 13.09.2019
New Delhi.

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Faithful. Friendly

सिंडिकेट बैंक, फरीदाबाद ब्रांच

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिये) (अधिनियम– नियम 8 (1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.3.2019 जारी कर ऋणधारक ई 2एस इन्फ्रानेट प्रा.लि. (ऋणधारक फर्म) श्री चन्दर शेखर कुकरेजा (निदेशक), श्रीमती निशा कुकरेजा (निदेशक एवं गारन्टरों, चन्दर शेखर कुकरेजा, श्रीमती निशा कुकरेजा, अशोक कुमार गांधी, कौशल गांधी, सुभाष चन्द एवं श्रीमती लाजवन्ती को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में नीचे वर्णित राशि रु. 3,15,19,590.98 (रुपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ नब्बे एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) के साथ उस पर ब्याज एवं लागत आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.12.2018 को रु. 3,15,19,590.98 (रुपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ नब्बे एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) के साथ उस पर ब्याज एवं लागत आदि, 01.01.2019 से, की राशि के लिये सिंडिकेट बैंक, फरीदाबाद शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

लाजवन्ती, पत्नी श्री ज्ञान चंद के स्वामित्व में मकान सं. 1313/एलआईजी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 18, फरीदाबाद।
चौहद्दी: उत्तरः मकान सं. 1312, दक्षिणः मकान सं. 1314, पूर्वः मकान सं. 1296, पश्चिमः 60 फीट चौड़ी सड़क।

तिथि: 14.9.2019
स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष
नई दिल्ली पीठ–III, नई दिल्ली
सीपी. (सीएए) 117/एनडी/2019
सम्बंधित
सी.ए (सीएए)–98(एनडी)/2019
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के मामलों में
और
निम्न के समामेलन की योजना के मामलें में

मोबीमेड हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
..... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 1 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 1**
और
टोपमोस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
..... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 2 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 2**
और
वाई के सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
..... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 3 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 3**
के साथ
ग्लाइडर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
.....**हस्तांतरी कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 4**
और
उनके संबंधित शेयरधारकों और ऋणदाताओं
याचिका की सूचना

ध्यान रहे कि एक याचिका जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत मोबीमेड हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'हस्तांतरणकर्ता कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 1' के नाम से संदर्भित) और टोपमोस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 2 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 2' के नाम से संदर्भित) और वाई के सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 3 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 3' के नाम से संदर्भित) के साथ ग्लाइडर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'हस्तांतरी कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी सं0 4' के नाम से संदर्भित) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना की स्वीकृति/अनुमोदन के लिए माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उपरोक्त ''याचिकाकर्ता कंपनियों'' द्वारा 02 अगस्त, 2019 को प्रस्तुत किया गया था और उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 09 अगस्त, 2019 के लिए घोषित किया गया था। अब उक्त याचिका को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 27 सितम्बर, 2019 को 10:30 बजे अथवा उसके तुरंत बाद निश्चित की गई है। याचिकाकर्ता कंपनियों का पंजीकृत कार्यालय 12वां फ्लोर, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 में है।

उक्त आवेदन का समर्थन अथवा विरोध करने की इच्छुक कोई व्यक्ति अपना/अपनी हस्ताक्षरित अथवा अपना/अपनी अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपना/अपनी इरादें की सूचना अपना/अपनी पूर्ण नाम व पते के साथ आवेदक के अधिवक्ता के पास उसके अधोलिखित पते पर भिजवाएं, जो आवेदक के अधिवक्ता के पास आवेदन की सुनवाई को नियत तिथि से 2 (दो) दिन पहले तक पहुंच जाना चाहिए। आवेदन का विरोध करने की इच्छुक कोई भी व्यक्ति उक्त सूचना के साथ विरोध का आधार अथवा आवेदन का विरोध करने में प्रयुक्त अपने इरादे के हलफनामे की प्रति प्रस्तुत करें। आवेदन की प्रति चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर आवेदक के अधिवक्ता की ओर से प्रदान किया जाएगा।

हस्ता/–
सौरभ कालिया/पालाश अग्रवाल
याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिवक्ता
कृते शास्त्र लीगल
एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स
बिल्डिंग नं0. 8बी, 4 फ्लोर (4बी), जंगपुरा बी, मथूरा रोड, नई दिल्ली–110014
लैंडलाइनः– 011–41038797–98

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 13 सितम्बर, 2019

प्रपत्र सं आइएनसी 26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
एडीओ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं 11, सैक्टर–57, फेस–4 इन्डस्ट्रीयल एरिया कुंडली, सोनीपत–131028, हरियाणा में स्थित है के मामले में
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हरियाणा राज्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थानातरित करने के लिए तारीख सोमवार 02 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संगम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रकप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे दिये गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

प्लॉट नं 11, सैक्टर–57, फेस–4 इन्डस्ट्रीयल एरिया कुंडली, सोनीपत–131028, हरियाणा

उनके लिए और निदेशक मंडल की ओर से
एडीओ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
सेमसेटिन हजार
निदेशक
डीआईएन : 07393285

स्थान : सोनीपत
तिथि : 12.09.2019

प्रपत्र आईएनसी – 26
[कंपनी (निगमन ओर आकस्मिक) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कम्पनी मामलो का मंत्रालय, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
जीआरजी पाईपस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
(CIN NO: U74999DL2010PTC210679)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ए–307, अंसल चैम्बर्स–आई 3, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 स्थित है, के मामले में
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पंजाब राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख बुधवार 11 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित संकल्प के सदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक आपत्ति प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :

आवेदक की ओर से और उसके लिए
कृत्ते जीआरजी पाईपस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
विशाल गुप्ता
(निदेशक)
डीआईएन : 03192675

तिथि : 13.09.2019
स्थान : दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखाः बीसी–88, शालीमार बाग, दिल्ली–110088, फोन : 011-27472921

(सरफेसी ऐक्ट) 2002 के दफा 13 (2) के अन्तर्गत सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नांकित कर्जदारो ने **पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसका शाखा कार्यालय : बीसी–88, शालीमार बाग, दिल्ली–110088,** से ऋण सुविधा ली है, अतः कर्जदार अपने ऋण की का ब्याज / ईएमआई, बैंक को चुकाने में असफल होने के कारण यह सुचना जारी कि जा रही है एवं आर. बी. आई के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके खाते को देय बैंक द्वारा एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है। कर्जदारो द्वारा निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित आस्तियों के रूप में बैंक मे बंधक रखा है जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है। कर्जदार द्वारा ऋण और बकाया राशि का विवरण भी नीचे दर्शायी गई है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कर्जदारों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्ष

डाबर इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली – 110002
Tel. No.011-23253488, Fax No.011-23222051,
CIN - L24230DL1975PLC007908, Website: www.dabur.com
e-mail ID for investors: investors@mail.dabur

शेयरधारकों के लिए सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के पास कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचनापत्र कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखाकर्म, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम 2016 (नियम) जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए गए हैं के अंतर्गत दिया जा रहा है। आईईपीएफ नियम 2016 में ऐसे सभी शेयरों जिनके संबंध में लगातार सात सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश की अदायगी अथवा शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, की विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल है।

अतः ऐसे सभी अंतर्निहित शेयरों को, जिनके सम्बन्ध में गत सात वर्षों, वित्तीय वर्ष 2012–2013 से (अन्तरिम लाभांश) लाभांश की अदायगी / दावा नहीं किया गया है, को कथित नियम के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में हस्तांतरित किया जाना है।

नियमों में स्थापित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुपालन में, कम्पनी ने ऐसे संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी है जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाएगा। नियमों में लिखित उपयुक्त कार्य के अंतर्गत नियत शेयरधारकों का नाम, फोलियो नं./डीपीआईडी – ग्राहक आईडी कम्पनी की वेबसाइट www.dabur.com पर उपलब्ध है।

अदत्त/अभिभाषित लाभांश का दावा करने के लिए संबंधित शेयरधारक, कम्पनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट नं–31–32 गाचीबावली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500032, टैली नं.–040–67162222, ईमेल–einward.ris@karvy.com से संपर्क कर सकते हैं।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे शेयरधारक जिनके शेयरों को अंतरित किया जाएगा, यह ध्यान रखें कि कम्पनी डीमेट पद्धति में रूपांतरण के उद्देश्य से तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के तहत खुले डीमेट खाते में आगामी स्थानांतरण के लिए उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। शेयर जारी करने के उपरांत उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा इसे गैर परक्राम्य माना जाएगा। शेयरधारक जो डीमेट पद्धति में शेयर धारित करते हैं, उनके शेयरों का स्थानांतरण संबंधित निक्षेपस्थान के द्वारा कॉर्पोरेट प्रक्रिया के माध्यम से आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में कम्पनी द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।

यदि नवम्बर 25, 2019 तक शेयरधारकों से कोई भी सूचना नहीं प्राप्त होती है तो कम्पनी कोष प्रधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा अंतरण और वापसी) नियमों के अनुसार उन शेयरधारकों के शेयर आईईपीफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाएगें।

शेयरधारकों से अनुरोध है, कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त शेयरधारकों की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, उसे कम्पनी द्वारा नए प्रमाणपत्र निर्गमन जिनका अंतरण आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में किए जाना है, उसके संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

संबंधित शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि अंतरित शेयरों और लाभांशों को आईईपीएफ प्रधिकरण से पुनःदावा करके प्राप्त किया जा सकता है, जिनका विवरण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

कृते डाबर इंडिया लिमिटेड
ए. के. जैन
ई.वी.पी.(फाईनेन्स) एवं कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः सितम्बर 1, 2019

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
Resolution Recovery & Law कलस्टर
(दक्षिण और पूरब) 92/ई1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली–110067, फोन : 26108530, 26108531, ई–मेलः rrl_7670@obc.co.in

शुद्धि-पत्र

दिनांक 10.09.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना जिसमें **ई–नीलामी की तारीख 27.09.2019** के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि खाता मैसर्स प्योर प्ले स्पोर्ट्स (क्र.सं. 18) की प्रथम सम्पत्ति का विवरण : साम्यिक बंधक प्लॉट नं. 58, ग्रीनवूड सिटी, सैक्टर–45, गुड़गाँव, गाँव कन्हाई और झारसा, तहसील और जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित के स्थान पर साम्यिक बंधक मकान नं. 58, ग्रीनवूड सिटी, सैक्टर–46, गुड़गाँव, गाँव कन्हाई और झारसा, तहसील और जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित
पढ़ा जाऐ।
ई–नीलामी के शेष नियम व शर्ते पहले के अनुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

बुलेवॉर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सी–23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट–1,
नई दिल्ली–110048
U70200DL2010PTC203764

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली ने 8 फरवरी 2019 को मैसर्स बुलेवॉर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश दिये हैं और आदेश को देखते हुए समाचारपत्रों में "फार्म ए" में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रकाशित की गई है और इस सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा मैसर्स बुलेवॉर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 27 फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा गया है।

अब, उन सभी लेनदारों, कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है जिन्होंने अभी तक अपने दावें जमा नहीं किये हैं और वे अधोहस्ताक्षरी के पास इस प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों की अवधि तक अपने दावे जमा कर सकते हैं और इसके बाद चाहे जैसा भी हो, कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दावों के झूठे या गलत प्रमाण जमा करना दण्डनीय होगा।

हस्ता/–
अमित अग्रवाल
बुलेवॉर्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के आरपी
(सीआईआरपी के तहत)
पंजीकरण सं.: IIBBI/IPA-02/IP-N00185/2017-18/10456
एच–63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
ई–मेलः boulevard.amitagcs@gmail.com

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon!

बी/ओः फाउन्टेन चौक, गुड़गाँव

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अभिलेखों के स्थानांतरण के दौरान निम्न दस्तावेज गुम हो गए हैं तथा नहीं मिल रहे हैं।

मूल पुनर्आबंटन पत्र, मेमो नं. 4025 तिथि 05.07.1996; मूल कॉन्वीयन्स प्रलेख, वसीका नं. 11645 तिथि, तिथि 3.12.1997 जो उप–रजिस्ट्रार, गुड़गाँव के कार्यालय में पंजीकृत हैं, मूल कब्जा प्रमाणपत्र, मेमो नं. 5744 तिथि 13.11.1997 तथा मूल ऑक्युपेशन प्रमाणपत्र, मेमो नं. 213 तिथि 24.12.1998 जो मकान सं. 636, माप 286 वर्ग मी. से संबंधित है जो सेक्टर–10ए, अर्बण इस्टेट गुड़गाँव में स्थित है तथा श्रीमती हेम लता शर्मा, पुत्री श्री चन्दर शेखर शर्मा, निवासी मकान सं. 636, सेक्टर–10ए, गुड़गाँव के स्वामित्व में है, शिक्षा ऋण, आवास ऋण तथा ओवर ड्राफ्ट सुविधा के रूप में बैंक द्वारा स्वीकृत साख सुविधा के लिये बैंक के पक्ष में इक्विटैबल मार्टगैज के दौरान।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दस्तावेजों के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

शाखा प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक

न्यायालय श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर

वाद सख्यां सन् 2019
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सार्व सहारनपुर रोड देहरादून (उत्तराखण्ड) .....वादी
बनाम
1. मेसर्स डी.एम. एजेन्सी रजि0 कार्यालय गुलशन विहार जानसठ रोड मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)
2. श्रीमति रजनी गर्ग पत्नि श्री मुकेश कुमार गर्ग
3. श्री आर्यन गर्ग
4. अशुंल गर्ग
निवासीगण गुलशन विहार जानसठ रोड मुजफ्फरनगर डी, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)
.....प्रतिवादीगण

चूंकि उपरोक्त वादी बैंक द्वारा बन्धक सम्पत्ति पर कब्जा हेतू आवेदन धारा अर्न्तगत 14 सरफासी एक्ट 2002 प्रस्तुत किया है

अतः आपको एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आप उस आवेदन के खिलाफ संदर्भित करने के लिए 2019 के सितम्बर माह के 26 दिवस को पूर्वान्ह में स्वयं या सम्यक रूपक अनर्दिस्ट अपने अधिवक्ता द्वारा प्रातः 10 बजे उपस्थित हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा और आधारित किया जाएगा।

आज्ञा से
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर

---

archies

The most special way to say you care

ARCHIES LIMITED

Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050.
CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.com
Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

(As per Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016)

NOTICE is hereby given to the Shareholders of Archies Limited ("Company") that in compliance with the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") and provisions of the Companies Act, 2013, the Company is required to transfer all the unclaimed / unpaid shares in respect of which dividends remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account established by the Central Government.

Hence, all the underlying shares in respect of which dividends are not paid/claimed for the last 7(Seven) years for the Year 2011-2012, have to be transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

A list of such Shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IEPF Account, is displayed on the website of the Company https://www.archiesonline.com/public/htdocs/list-of-shareholders.pdf.

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Account as per the said Rules for taking appropriate action and submitting requisite documents to claim the shares and unclaimed dividend amount(s) before its credit to IEPF Account. Shareholders are requested to forward the requisite documents as per the communications to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited to claim the Shares and unclaimed dividend amount(s). Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the Shareholder, the Company would be transferring the said shares and dividend amount(s) to the IEPF Account without further notice in accordance with the requirements of the said Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Account pursuant to the said Rules. Please note that, upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with dividends from IEPF, for which details are available at www.iepf.gov.in

For any information / clarifications on this matter, the concerned shareholders may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent – Designated Person, Mr. Swapan Kumar Naskar, M/s. Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st floor, Plot NH 2, c-1 block LSC, Near Savitri market, Janakpuri, New Delhi - 110058.

Email: swapann@linkintime.co.in or delhi@linkintime.co.in ; Tel.: 011 - 49411000.

By order of the Board
For Archies Limited
Sd/-
Hitesh Kumar
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 13.09.2019

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि न दि न प अधिनियम, 1994 की धारा 221/224/225 के अंतर्गत तथा डब्ल्यूपी (सी) नं. 1985 के 13029 जिसका शीर्षक ''एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य'' है, में पारित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, तिथि 2.9.2019 के अनुसार सार्वजनिक भूमि/सरकारी भूमि का अतिक्रमण एक अपराध है।

एतद्द्वारा आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि सार्वजनिक भूमि/सरकारी भूमि से सभी प्रकार के अतिक्रमणों को तत्काल हटा लें जिसमें विफल रहने पर आगे कोई भी सूचना दिये बिना उल्लंघन–कर्ताओं/अपराधियों के विरुद्ध न.दि.न.प. अधिनियम, 1994 की धारा 221/224/225/226/369/372/373 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने/अभियोजन की कार्रवाई की जायेगी तथा सार्वजनिक भूमि/सरकारी भूमि पर रखी गई वस्तुओं को अतिक्रमण–कर्ता की लागत पर जब्त कर लिया जायेगा।

आदेशानुसार
सचिव, न.दि.न.प.

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PVT. LTD.

RELEVANT PARTICULARS		
1	Name of Corporate Debtor	PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PVT. LTD.
2	Date of incorporation of corporate debtor	09/06/2006
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies –Delhi
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70109DL2006PTC149560
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: B-45, Shakti Apartments Sector 9, Rohini New Delhi -110085 Principal office: 104, Pal Tower, M.G. Road, Sikanderpur, Gurgaon, Haryana -122002.
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	Date of order: 05.09.2019 Date of Intimation to IRP:11.09.2019
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	180 days from the commencement resolution process i.e 03.03.2020
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Dilip Kumar Niranjan IBBI/IPA-002/IP-N00552/2017-2018/11690.
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	RZP-237, Rajnagar-II, Gali No-IV, Palam Colony, Dwarka Sector 8, New Delhi - 110077 **Email Id:** dilip.niranjan@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Correspondence Address**: 136, First Floor, Rajendra Bhawan,Rajendra Place, New Delhi -110008. Email: palinfra@dknip.in
11	Last date for submission of claims	25.09.2019
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the Class(es) **Class 1: 'Allottes under Real Estate Project'**
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. Alok Chandra Singh Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00381/2017-2018/11124 2. Nitesh Kumar Sinha Reg. No: IBBI/IPA-002/N00280/2017-2018/10883. 3. Mukul Kumar Reg. No: IBBI.IPA-001/IP-P01670/2019-2020/12642
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads **Physical Addresses:** 1. Alok Chandra Singh Address: G-10, Express Apartment, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad Email: alok@alokchandra.com 2. Nitesh Kumar Sinha Address: 8A UG CS, Ansal Plaza, Vaishali, Sector 1, Ghaziabad Email: info@csnitesh.com 3. Mukul Kumar D-3/1304, The Legend, Sushant lok, Phase 3, Sector 57, Gurgoan, Haryana – 122011. Email. adv.mksingh@gmail.com

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PVT. LTD.** on **05.09.2019.**

The creditors of **PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PVT. LTD.,** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 25.09.2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. **10.**

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class I in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd.
Dilip Kumar Niranjan
IBBI/IPA-002/IP-N00552/2017-2018/11690

Date: 13.09.2019
New Delhi.

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Faithful. Friendly

सिंडिकेट बैंक, फरीदाबाद ब्रांच

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिये) (अधिनियम– नियम 8 (1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.3.2019 जारी कर ऋणधारक ई 2एस इन्फ्रानेट प्रा.लि. (ऋणधारक फर्म) श्री चन्दर शेखर कुकरेजा (निदेशक), श्रीमती निशा कुकरेजा (निदेशक एवं गारन्टरों, चन्दर शेखर कुकरेजा, श्रीमती निशा कुकरेजा, अशोक कुमार गांधी, कौशल गांधी, सुभाष चन्द एवं श्रीमती लाजवन्ती को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में नीचे वर्णित राशि रु. 3,15,19,590.98 (रुपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ नब्बे एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) के साथ उस पर ब्याज एवं लागत आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.12.2018 को रु. 3,15,19,590.98 (रुपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ नब्बे एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) के साथ उस पर ब्याज एवं लागत आदि, 01.01.2019 से, की राशि के लिये सिंडिकेट बैंक, फरीदाबाद शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

लाजवन्ती, पत्नी श्री ज्ञान चंद के स्वामित्व में मकान सं. 1313/एलआईजी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 18, फरीदाबाद।
चौहद्दी: उत्तरः मकान सं. 1312, दक्षिणः मकान सं. 1314, पूर्वः मकान सं. 1296, पश्चिमः 60 फीट चौड़ी सड़क।

तिथि: 14.9.2019
स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष
नई दिल्ली पीठ–III, नई दिल्ली
सीपी. (सीएए) 117/एनडी/2019
सम्बंधित
सी.ए (सीएए)–98(एनडी)/2019
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के मामलों में
और
निम्न के समामेलन की योजना के मामलें में

मोबीमेड हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
..... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 1 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 1**
और
टोपमोस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
..... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 2 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 2**
और
वाई के सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
..... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 3 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 3**
के साथ
ग्लाइडर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
.....**हस्तांतरी कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 4**
और
उनके संबंधित शेयरधारकों और ऋणदाताओं
याचिका की सूचना

ध्यान रहे कि एक याचिका जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत मोबीमेड हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'हस्तांतरणकर्ता कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 1' के नाम से संदर्भित) और टोपमोस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 2 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 2' के नाम से संदर्भित) और वाई के सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0 3 / याचिकाकर्ता कंपनी सं0 3' के नाम से संदर्भित) के साथ ग्लाइडर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'हस्तांतरी कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी सं0 4' के नाम से संदर्भित) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना की स्वीकृति/अनुमोदन के लिए माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उपरोक्त ''याचिकाकर्ता कंपनियों'' द्वारा 02 अगस्त, 2019 को प्रस्तुत किया गया था और उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 09 अगस्त, 2019 के लिए घोषित किया गया था। अब उक्त याचिका को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 27 सितम्बर, 2019 को 10:30 बजे अथवा उसके तुरंत बाद निश्चित की गई है। याचिकाकर्ता कंपनियों का पंजीकृत कार्यालय 12वां फ्लोर, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 में है।

उक्त आवेदन का समर्थन अथवा विरोध करने की इच्छुक कोई व्यक्ति अपना/अपनी हस्ताक्षरित अथवा अपना/अपनी अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपना/अपनी इरादें की सूचना अपना/अपनी पूर्ण नाम व पते के साथ आवेदक के अधिवक्ता के पास उसके अधोलिखित पते पर भिजवाएं, जो आवेदक के अधिवक्ता के पास आवेदन की सुनवाई को नियत तिथि से 2 (दो) दिन पहले तक पहुंच जाना चाहिए। आवेदन का विरोध करने की इच्छुक कोई भी व्यक्ति उक्त सूचना के साथ विरोध का आधार अथवा आवेदन का विरोध करने में प्रयुक्त अपने इरादे के हलफनामे की प्रति प्रस्तुत करें। आवेदन की प्रति चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर आवेदक के अधिवक्ता की ओर से प्रदान किया जाएगा।

हस्ता/–
सौरभ कालिया/पालाश अग्रवाल
याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिवक्ता
कृते शास्त्र लीगल
एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स
बिल्डिंग नं0. 8बी, 4 फ्लोर (4बी), जंगपुरा बी, मथूरा रोड, नई दिल्ली–110014
लैंडलाइनः– 011–41038797–98

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 13 सितम्बर, 2019

प्रपत्र सं आइएनसी 26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
एडीओ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं 11, सैक्टर–57, फेस–4 इन्डस्ट्रीयल एरिया कुंडली, सोनीपत–131028, हरियाणा में स्थित है के मामले में
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हरियाणा राज्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थानातरित करने के लिए तारीख सोमवार 02 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संगम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रकप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे दिये गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

प्लॉट नं 11, सैक्टर–57, फेस–4 इन्डस्ट्रीयल एरिया कुंडली, सोनीपत–131028, हरियाणा

उनके लिए और निदेशक मंडल की ओर से
एडीओ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
सेमसेटिन हजार
निदेशक
डीआईएन : 07393285

स्थान : सोनीपत
तिथि : 12.09.2019

प्रपत्र आईएनसी – 26
[कंपनी (निगमन ओर आकस्मिक) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कम्पनी मामलो का मंत्रालय, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
जीआरजी पाईपस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
(CIN NO: U74999DL2010PTC210679)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ए–307, अंसल चैम्बर्स–आई 3, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 स्थित है, के मामले में
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पंजाब राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख बुधवार 11 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित संकल्प के सदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक आपत्ति प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :

आवेदक की ओर से और उसके लिए
कृत्ते जीआरजी पाईपस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
विशाल गुप्ता
(निदेशक)
डीआईएन : 03192675

तिथि : 13.09.2019
स्थान : दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखाः बीसी–88, शालीमार बाग, दिल्ली–110088, फोन : 011-27472921

(सरफेसी ऐक्ट) 2002 के दफा 13 (2) के अन्तर्गत सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नांकित कर्जदारो ने **पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसका शाखा कार्यालय : बीसी–88, शालीमार बाग, दिल्ली–110088,** से ऋण सुविधा ली है, अतः कर्जदार अपने ऋण की का ब्याज / ईएमआई, बैंक को चुकाने में असफल होने के कारण यह सुचना जारी कि जा रही है एवं आर. बी. आई के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके खाते को देय बैंक द्वारा एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है। कर्जदारो द्वारा निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित आस्तियों के रूप में बैंक मे बंधक रखा है जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है। कर्जदार द्वारा ऋण और बकाया राशि का विवरण भी नीचे दर्शायी गई है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कर्जदारों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्ष

खबर कोना

बर्न में शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करते स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति यूली मूरर ।

बांग्लादेश ने सीमावर्ती स्तंभों से पाकिस्तान के नाम हटाए

ढाका, 13 सितंबर (भाषा)।

भारत से पाकिस्तान के विभाजन के बाद बांग्लादेश की सीमा पर लगाये गये स्तंभों में उकेरे गए पाकिस्तान के नाम को बांग्लादेश की आजादी के 48 साल बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के आदेश पर हटा दिया गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेशी सीमा पर सभी स्तंभों का नाम पाकिस्तान/पाक की जगह बांग्लादेश/बीडी कर दिया गया है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीमावर्ती इलाकों के कुछ स्तंभों पर अब भी पाकिस्तान का नाम देखने के बाद इन्हें हटाने का आदेश दिया था जिसके बाद बीजीबी ने नाम हटाने शुरू किए।

डेली स्टार की खबर के अनुसार 1947 में भारत-पाकिस्तान के विभाजन के बाद 8000 से ज्यादा स्तंभ लगाए गए थे जिनमें भारत-पाकिस्तान अंकित किया गया था। बीजीबी ने अपने पैसे से बहुत कम समय में इस भारी-भरकम काम को पूरा कर लिया।

नेतन्याहू ने वाइट हाउस के पास जासूसी से किया इनकार

वाशिंगटन, 13 सितंबर (एएफपी)।

इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया में आई उन खबरों को सिरे से खारिज किया है कि उनके देश ने वाइट हाउस के आसपास मोबाइल फोनों की जासूसी की। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर भरोसा जताया है।

रूस की यात्रा पर गए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय के आसपास मोबाइल फोनों की कोई जासूसी नहीं की गई। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जासूसी करने से इनकार किया।

उन्होंने कहा, 'मुझे निर्देश है : अमेरिका में कोई खुफिया संपर्क नहीं है, कोई जासूसी नहीं। बिना किसी अपवाद के इसे सख्ती से लागू किया गया। यह पूरी तरह झूठ है।' ऑनलाइन न्यूज आउटलेट पोलिटिको ने खबर दी कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि कॉल्स और संदेशों का गुपचुप तरीके से पता लगाने के लिए की गई कथित जासूसी के पीछे इजराइल का हाथ है।

इंफोसिस की 'लाइव एंटरप्राइज स्वीट' पेश करने की घोषणा

बंगलुरु, 13 सितंबर (भाषा)।

इंफोसिस ने 'लाइव एंटरप्राइजेज स्वीट' पेश करने की घोषणा की है। यह डिजिटल सेवाओं, समाधानों का एक समग्र मंच होगा जो मौजूदा कारोबारों को उनके डिजिटलीकरण की प्रगति में मदद करेगा।

कंपनी ने एक बयान में कहा- लाइव एंटरप्राइजेज स्वीट संगठनों (कारोबारों) को अपनी प्रक्रिया तेज करने, ग्राहक सुविधाएं देने और वास्तविक समय में उनकी मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने में सक्षम बनाएगा। यह डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से संगठनों को उनके कर्मचारियों, ग्राहकों व सहयोगियों के अनुभवों को नए तरीके से विस्तारित करने में मदद करेगा।

कंपनी ने कहा कि वह लाइव एंटरप्राइजेज स्वीट का प्रयोग आंतरिक तौर पर अप्रैल 2019 से कर रही है।

रियो के अस्पताल में आग से 11 की मौत

रियो द जिनेरियो, 13 सितंबर (एएफपी)।

ब्राजील के रियो द जिनेरियो में एक अस्पताल में गुरुवार को लगी आग में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ब्राजीलियाई अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रियो के उत्तर में स्थित बादिम अस्पताल में सूर्यास्त के समय यह आग लगी। इसके बाद मरीजों और उनके परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग के मुताबिक आग बुझाने के दौरान चार दमकल कर्मी घायल हो गए जबकि करीब 90 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित करना पड़ा। अधिकारी आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं।

लोगों को निकालने की प्रक्रिया में मरीजों को स्ट्रेचर पर आस पास की दूसरी सड़कों तक ले जाया गया क्योंकि भीड़ की वजह से एंबुलेंस को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही थी। एंबुलेंस के पास खड़ी महिला ने ब्राजील के ग्लोबोन्यूज टेलीविजन को बताया कि वह अस्पताल में भर्ती अपनी 76 वर्षीय मां को नहीं तलाश पा रहीं।

> *दमकल* विभाग के मुताबिक करीब 90 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित करना पड़ा।
> *अधिकारी* आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं।

रियो के मेजर मार्सेलो स्त्रिवेला ने कहा, 'मैं यहां हूं, फंसा हूं और मैं क्या करूं? मैं कहां भागूं? मैं कहां जाऊं? कोई मुझे बता सकता है? मैं हताश हूं।' उन्होंने कहा कि हादसे में 11 लोगों की जान गई है। उन्होंने शुक्रवार सुबह अस्पताल का दौरा किया और तीन दिनों के सरकारी शोक की घोषणा की।

आग पर स्थानीय समयानुसार रात करीब आठ बजे काबू पाया जा सका। दमकलकर्मी शुक्रवार सुबह तक मौके से शवों की तलाश कर रहे थे।

पोंपिओ अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं होंगे : ट्रंप

वाशिंगटन, 13 सितंबर (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ देश के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पोम्पिओ से जॉन बोल्टन की जगह लेने के लिए कहेंगे, इस पर ट्रंप ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, 'वह (पोम्पिओ) वहां अपने साथ किसी के रहने का समर्थन करते हैं और मैं भी।' ट्रंप ने पोम्पिओ को 'शानदार' शख्स बताया और कहा कि वह उनके साथ बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समन्वय करने के काम को लेकर 15 उम्मीदवारों की समीक्षा कर रहे हैं। बोल्टन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से हटाए जाने के बाद से मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि ट्रंप पोम्पिओ को विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद भी संभालने के लिए कह सकते हैं।

दुनिया पाकिस्तान पर नहीं, भारत पर विश्वास करती है : पाक मंत्री

इस्लामाबाद, 13 सितंबर (भाषा)।

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से समर्थन पाने में नाकाम रहा है। इस्लामाबाद के प्रयासों के बावजूद दुनिया भारत की बात पर ही विश्वास करती है। ये बातें इमरान खान सरकार में गृह मंत्री ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एजाज अहमद शाह ने गुरुवार को कही। शाह ने एक चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि सत्तासीन बड़े लोगों ने उनके देश को बरबाद कर दिया है।

> *इमरान खान* सरकार में गृह मंत्री ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एजाज अहमद शाह ने गुरुवार को यह बात कही।

इमरान खान ने दावा किया था कि कश्मीर पर 58 देशों ने पाकिस्तान के रूख का समर्थन किया है। इसके बाद शाह की यह टिप्पणी आई है। खान ने 26 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे।

शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने जमात उद दावा जैसे प्रतिबंधित संगठनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं और अब उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के समूहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। शाह ने कहा कि राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत सभी जिहादियों पर नियंत्रण के सरकार के फैसले का ही परिणाम है कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद अदालतों में मुकदमों का सामना कर रहा है।

सऊदी अरब की 'बागी' महिलाएं छोड़ रही हैं बुर्का

रियाद, 13 सितंबर (एएफपी)।

सऊदी अरब में कुछ महिलाएं पारंपरिक अबाया (बुर्का) पहनना बंद कर रही हैं। रियाद के एक मॉल में बिना अबाया पहने जब एक महिला गई तो उन्हें आते-जाते घूरती नजरों का सामना करना पड़ा और कुछ ने तो पुलिस बुलाने की धमकी भी दे दी।

दरअसल, इस इस्लामिक देश में काले रंग का पारंपरिक अबाया पहनना महिलाओं के कपड़े में शुमार है और इसे महिलाओं की पवित्रता के रूप में देखा जाता है।

पिछले साल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 'सीबीएस' के साथ साक्षात्कार में कहा था कि ड्रेस कोड में छूट दी जा सकती है। उनका कहना था कि यह पोशाक इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कोई औपचारिक नियम नहीं बनने के कारण यह चलन बरकरार है।

हालांकि कुछ महिलाओं ने सोशल मीडिया पर कपड़े पर इस तरह के प्रतिबंध के खिलाफ आवाज भी उठाई और अपने अबाया से इतर पोशाक में तस्वीरें भी डाली। यह घटना सऊदी अरब में दुर्लभ ही है।

अब कुछ महिलाएं चमकीले रंगों का अबाया सार्वजनिक तौर पर पहन रही हैं। मशाल-अल-जालुद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब बुर्का पहनना ही बंद कर दिया। 33 साल की जालुद पिछले सप्ताह एक मॉल में ट्राउजर और गहरे गुलाबी रंग के टॉप में दिखी। भीड़ में से कई लोग उन पर सवाल कर रहे थे।

जालुद के अलावा 25 वर्षीय मनाहेल-अल ओतैबी ने भी अबाया पहनना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, 'पिछले चार महीने से रियाद में मैं बिना अबाया के रह रही हूं।' उन्होंने कहा, 'मैं उसी तरह जीना चाहती हूं, जैसा मैं चाहती हूं। बिना प्रतिबंधों के मैं मुक्त जीना चाहती हूं। किसी को भी मुझे वह पहनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, जो मैं चाहती ही नहीं हूं।' वहीं जालुद का कहना है कि बिना किसी स्पष्ट नियम के, बिना सुरक्षा के उन्हें खतरा हो सकता है। जुलाई में उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था रियाद के एक और मॉल ने उन्हें बिना अबाया यानी बुर्के के प्रवेश नहीं दिया।

राष्ट्रपति ट्रंप से दो बार मिलेंगे इमरान खान

इस्लामाबाद, 13 सितंबर (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के पहले सत्र में हिस्सा लेने के लिए इस माह के आखिर में अमेरिका जा रहे पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ दो बार मुलाकात का मौका मिल सकता है। एक खबर में बताया गया है कि खान के कार्यक्रम के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात दोपहर के भोजन पर होगी, जबकि दूसरी मुलाकात चाय पर होगी।

खबर में कहा गया है कि अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की होने वाली बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। खान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र में भाग लेने के लिए 21 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वह 27 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। अगस्त 2018 में पद संभालने के बाद से यह उनका पहला यूएनजीए सत्र होगा। वह विश्व के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें भारत द्वारा 5 अगस्त को कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद कश्मीर में कथित तौर पर तनावपूर्ण स्थिति के बारे में भी

अवगत कराएंगे। यह खान की अमेरिका की दूसरी यात्रा होगी।

जुलाई में खान ने ट्रम्प के साथ एक बैठक की थी, जिसके दौरान उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बनने की पेशकश की थी। ट्रम्प ने तब दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था। हालांकि, भारत सरकार ने राष्ट्रपति ट्रम्प के आश्चर्यजनक दावे से इनकार किया था।

अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार घाटे पर चिंता जाहिर की

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार घाटा और यहां निवेश करने में अमेरिकी कंपनियों के समक्ष आ रही चुनौतियों को लेकर शुक्रवार को चिताएं जाहिर की।

अमेरिका की वाणिज्य दूत ऐलीन नंदी ने यहां भारत-अमेरिका आर्थिक सम्मेलन में ये चिताएं प्रकट कीं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जतायी कि भारत-अमेरिका कारोबार सीईओ फोरम दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को लेकर कोई समाधान निकालेगा। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में भारत ने अमेरिका को 52.40 अरब डॉलर का निर्यात किया जबकि अमेरिका से 35.55 अरब डॉलर का आयात किया गया। आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 2017-18 के 21.26 अरब डॉलर से कम होकर 16.85 अरब डॉलर पर आ गया। नंदी ने कहा- भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध विस्तृत व जटिल हैं। दोनों देशों के बीच हालिया समय में हर साल व्यापार बढ़ा है। हालांकि भारत के साथ व्यापार घाटा को लेकर हम चितित हैं।

चमड़ा निर्यात के लिए रूस में व्यापक संभावनाएं

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

घरेलू चमड़ा और फुटवियर उद्योग के लिए रूस में व्यापक निर्यात संभावनाएं मौजूद हैं। यह बात शुक्रवार को चमड़ा निर्यात परिषद ने कही। परिषद के चेयरमैन पनारुना अकील अहमद ने कहा- 2018 में रूस ने 3.9 अरब डॉलर मूल्य के चमड़ा और फुटवियर (जूते-चप्पल) का आयात किया। जबकि भारत का रूस को निर्यात मात्र 5.26 करोड़ डॉलर का रहा।

अकील ने बयान में कहा- आंकड़े स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं कि रूस के बाजार में घरेलू कारोबारियों के लिए निर्यात के व्यापक अवसर हैं। आने वाले सालों में दोहरे अंकों की निर्यात वृद्धि दर के लक्ष्य को हासिल करने में यह अहम भूमिका निभाएगा। रूस दुनिया का 13वां सबसे बड़ा चमड़ा, चमड़ा उत्पाद और फुटवियर आयातक देश है।

उन्होंने कहा कि रूस के बाजार में दखल बढ़ाने के लिए परिषद ना सिर्फ वहां के व्यापार मेलों का रुख कर रही है, बल्कि वहां के व्यापार संगठनों के साथ साझेदारियों कर रही है और उन्हें देश में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भी आमंत्रित कर रही है।

ब्रोकरेज कंपनियों की राय, ब्याज दरों में कटौती करेगा रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने मौद्रिक समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में और कमी कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप रहने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय बैंक दरों में और कटौती कर सकता है। घरेलू और वैश्विक ब्रोकरेज कंपनियों के अनुसार मुद्रास्फीति में कमी और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सुस्त पड़ने से केंद्रीय बैंक मौद्रिक रुख नरम कर सकता है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली वृद्धि के साथ 3.21 फीसद रही है। जुलाई में यह 3.15 फीसद के स्तर पर थी। खाद्य वस्तुएं महंगी होने से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह जुलाई महीने में औद्योगिक उत्पादन (आइआइपी) की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 4.3 फीसद रही है। विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से आईआईपी की रफ्तार सुस्त हुई है।

जापान की वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी नोमुरा के शोध नोट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति के स्थिरता और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सुस्त पड़ने की वजह से अक्तूबर की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में और कटौती की उम्मीद है। हमारा अनुमान है कि चौथी तिमाही में कुल मिलाकर नीतिगत दरों में 0.40 फीसद की कटौती की जाएगी। नोमुरा ने कहा कि रिजर्व बैंक का चालू वित्त वर्ष के लिए 6.9 फीसद की वृद्धि दर का अनुमान कुछ अधिक आशावादी है। चार अक्तूबर की मौद्रिक समीक्षा में इस अनुमान को कम किया जा सकता है। बैंक आफ अमेरिका मेरिल लिच (बोफाएमएल) के अनुसार निवेश को प्रोत्साहन के लिए वास्तविक बयाज दरों को नीचे लाना जरूरी है। ऐसे में रिजर्व बैंक को नीतिगत दरों में और कमी करनी होगी।

बोफाएमएल के शोध नोट में कहा गया है कि चार अक्तूबर की मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में 0.50 फीसद की कटौती की गुंजाइश बनती है। अगस्त महीने में मुद्रास्फीति उम्मीद से कम यानी 3.2 फीसद रही है इसलिए नीतिगत दरों में कटौती की संभावना है।

मजबूत वैश्विक रुख से शेयर बाजार में लौटी रौनक

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा)।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में नरमी के संकेत से वैश्विक बाजारों में तेजी और मुद्रास्फीति बढ़ने से नीतिगत दर में कटौती की उम्मीदों से सूचकांक और निफ्टी में शुक्रवार को तेजी का रुख रहा। कारोबारियों ने कहा कि रुपए में मजबूती और विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ने से भी बाजार का उत्साह बढ़ा हुआ था।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 413 अंक के उतार-चढ़ाव के बाद 280.71 अंक यानी 0.76 फीसद बढ़कर 37,384.99 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 93.10 अंक यानी 0.85 फीसद की बढ़त के साथ 11,075.90 अंक पर बंद हुआ। सप्ताह के दौरान, सूचकांक कुल मिला कर 403.22 अंक यानी 1.09 फीसद और निफ्टी 129.70 अंक यानी 1.18 फीसद सुधार में रहा।

बृहस्पतिवार को बाजार बंद होने के बाद जारी आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर 3.21 फीसद हो गई, जबकि जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 4.3 फीसद पर रह गई। इससे भारतीय रिजर्व बैंक पर नीतिगत ब्याज दर (रेपो) में कटौती करने का दबाव एक बार फिर बढ़ गया है। सूचकांक के 30 शेयरों में वेदांता, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, पावरग्रिड, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा तेजी रही। इन कंपनियों के शेयर 2.72 फीसद तक चढ़े। दूसरी ओर सनफार्मा, भारती एअरटेल, एचडीएफसी बैंक, एस बैंक, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में गिरावट आई।

कारोबारियों ने कहा कि रिजर्व बैंक अगले महीने होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत दर में कटौती कर सकता है। इसी उम्मीद में घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली।

राजस्व को ध्यान में रख राहतों पर फैसला करेगी जीएसटी परिषद

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

जीएसटी परिषद 20 सितंबर को कार से लेकर बिस्कुट जैसे उत्पादों के बाजार में नरमी को देखते हुए इन पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का भार कम किए जाने की मांगों पर विचार करेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि साथ ही परिषद राजस्व की स्थिति को भी ध्यान में रखेगी क्योंकि जीएसटी दरों में कटौती का सीधा असर राज्यों की आय पर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई में जीएसटी परिषद की बैठक 20 सितंबर को गोवा में होगी। इसमें राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती को दूर करने के लिए विभिन्न उद्योग जीएसटी में कटौती की मांग कर रहे हैं।

> *बैठक* 20 सितंबर को गोवा में, दरें घटाने पर राज्य सरकारों की सहमति आसान नहीं

अधिकारी ने कहा कि आर्थिक सुस्ती के मद्देनजर बिस्कुट से लेकर वाहन उद्योग और एफएमसीजी (रोजमर्रा उपभोग की वस्तु बनाने वाली कंपनी) से लेकर होटल क्षेत्र ने जीएसटी दरों में कटौती की मांग की है। उनकी ओर से तर्क दिया जा रहा है कि घरेलू मांग और खपत को बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में कटौती की जाए। अधिकारी ने कहा कि हालांकि, उनका यह तर्क राज्यों के नजरिए को नहीं बदल सकता है। अधिकांश राज्यों का मानना है कि इन क्षेत्रों में सुस्ती चक्रीय और संरचनात्मक मुद्दों के कारण है न कि जीएसटी दरों के कारण है। मामले से जुड़े अधिकारी ने कहा कि यदि जीएसटी परिषद के समक्ष किसी भी क्षेत्र के लिए कर में कटौती का प्रस्ताव आता है तो सदस्य पहले राजस्व स्थिति की समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे।

बताते चलें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर गिरकर छह साल के निचले स्तर पांच फीसद पर आ गई। सरकार ने आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।

सेना के लिए दो हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

रक्षा मंत्रालय ने दो हजार करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य साजो- सामान की खरीद को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। खरीद को लेकर मंत्रालय के सर्वोच्च निर्णय निकाय 'रक्षा खरीद परिषद्' (डीएसी) ने प्रस्तावों को मंजूरी दी।

रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया, 'रक्षा मंत्री राजनाथ सिह के नेतृत्व में डीएसी ने करीब दो हजार करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी।' डीएसी ने टी72 और टी90 टैंकों के लिए गोला-बारूद के स्वदेश में ही भारतीय उद्योगों द्वारा विकास और उत्पादन को मंजूरी प्रदान की।

प्रवक्ता के मुताबिक, 'डीएसी ने डीआरडीओ द्वारा विकसित और उद्योग निर्मित मिकैनिकल माइन लेयर की खरीद को भी मंजूरी दी, ताकि भारतीय सेना की स्वचालित सुरंग बिछाने की क्षमता में बढ़ोतरी हो।'

'सरकार के आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को मानने के लिए बाध्य नहीं'

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने शुक्रवार को कहा कि वित्त आयोग सरकार के आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यों को वित्त आबंटन के लिए फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में इस मामले में आयोग का अपना स्वतंत्र आकलन होगा। पंद्रहवें वित्त आयोग को 30 नवंबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

सलाहकार समिति के साथ बैठक के बाद सिंह ने कहा कि आयोग केंद्र सरकार और उसके मंत्रालयों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ पहले ही विचार-विमर्श कर चुका है। उन्होंने कहा कि हालांकि, जम्मू-कश्मीर के मामले में फैसला 31 अक्तूबर के बाद लिया जाएगा। इस दिन से राज्य दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में विभक्त होगा।

सिंह ने माना कि आयोग के पास कम समय बचा है क्योंकि उसे नवंबर अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आयोग रिपोर्ट जमा करने की तिथि को बढ़ाने की मांग करेगा।

सिंह ने जीडीपी अनुमानों को लेकर कहा कि बैठक के दौरान अर्थशास्त्रियों से आर्थिक वृद्धि पर मिले-जुले अनुमान प्राप्त हुए हैं। कुछ का मानना है कि आर्थिक सुस्ती अस्थायी और बहुत कम समय के लिए है जबकि कुछ मानना है कि यह जारी रहेगी।

उन्होंने कहा, मैं या आयोग वर्तमान बाजार मूल्य पर दिए गए जीडीपी आंकड़ों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। जैसा कि केंद्र सरकार के समझौते ज्ञापन में या फिर संसद में पेश मध्यम अवधि राजकोषीय नीति बयान में दिए गए हैं। सिंह ने कहा कि आयोग संविधान के तहत अपने स्तर पर स्वतंत्र निर्णय के आधार पर काम करने के लिये बाध्य है।

अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने को लेकर पूछे जाने पर सिह ने चुटकी लेते हुए कहा, राजकोषीय प्रोत्साहन की गुंजाइश कहां हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि सरकार निर्णय लेने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है , जो कि परिस्थिति को ठीक करने के लिए उचित है। आर्थिक वृद्धि को रफ्तार को देने के लिए उपायों को लागू करने को लेकर सकंल्प या इरादे की कोई कमी नहीं है।

खबर कोना

बर्न में शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करते स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति यूली मूरर ।

बांग्लादेश ने सीमावर्ती स्तंभों से पाकिस्तान के नाम हटाए

ढाका, 13 सितंबर (भाषा)।

भारत से पाकिस्तान के विभाजन के बाद बांग्लादेश की सीमा पर लगाये गये स्तंभों में उकेरे गए पाकिस्तान के नाम को बांग्लादेश की आजादी के 48 साल बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के आदेश पर हटा दिया गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेशी सीमा पर सभी स्तंभों का नाम पाकिस्तान/पाक की जगह बांग्लादेश/बीडी कर दिया गया है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीमावर्ती इलाकों के कुछ स्तंभों पर अब भी पाकिस्तान का नाम देखने के बाद इन्हें हटाने का आदेश दिया था जिसके बाद बीजीबी ने नाम हटाने शुरू किए।

डेली स्टार की खबर के अनुसार 1947 में भारत-पाकिस्तान के विभाजन के बाद 8000 से ज्यादा स्तंभ लगाए गए थे जिनमें भारत-पाकिस्तान अंकित किया गया था। बीजीबी ने अपने पैसे से बहुत कम समय में इस भारी-भरकम काम को पूरा कर लिया।

नेतन्याहू ने वाइट हाउस के पास जासूसी से किया इनकार

वाशिंगटन, 13 सितंबर (एएफपी)।

इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया में आई उन खबरों को सिरे से खारिज किया है कि उनके देश ने वाइट हाउस के आसपास मोबाइल फोनों की जासूसी की। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर भरोसा जताया है।

रूस की यात्रा पर गए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय के आसपास मोबाइल फोनों की कोई जासूसी नहीं की गई। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जासूसी करने से इनकार किया।

उन्होंने कहा, 'मुझे निर्देश है : अमेरिका में कोई खुफिया संपर्क नहीं है, कोई जासूसी नहीं। बिना किसी अपवाद के इसे सख्ती से लागू किया गया। यह पूरी तरह झूठ है।' ऑनलाइन न्यूज आउटलेट पोलिटिको ने खबर दी कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि कॉल्स और संदेशों का गुपचुप तरीके से पता लगाने के लिए की गई कथित जासूसी के पीछे इजराइल का हाथ है।

इंफोसिस की 'लाइव एंटरप्राइज स्वीट' पेश करने की घोषणा

बंगलुरु, 13 सितंबर (भाषा)।

इंफोसिस ने 'लाइव एंटरप्राइजेज स्वीट' पेश करने की घोषणा की है। यह डिजिटल सेवाओं, समाधानों का एक समग्र मंच होगा जो मौजूदा कारोबारों को उनके डिजिटलीकरण की प्रगति में मदद करेगा।

कंपनी ने एक बयान में कहा- लाइव एंटरप्राइजेज स्वीट संगठनों (कारोबारों) को अपनी प्रक्रिया तेज करने, ग्राहक सुविधाएं देने और वास्तविक समय में उनकी मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने में सक्षम बनाएगा। यह डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से संगठनों को उनके कर्मचारियों, ग्राहकों व सहयोगियों के अनुभवों को नए तरीके से विस्तारित करने में मदद करेगा।

कंपनी ने कहा कि वह लाइव एंटरप्राइजेज स्वीट का प्रयोग आंतरिक तौर पर अप्रैल 2019 से कर रही है।

रियो के अस्पताल में आग से 11 की मौत

रियो द जिनेरियो, 13 सितंबर (एएफपी)।

ब्राजील के रियो द जिनेरियो में एक अस्पताल में गुरुवार को लगी आग में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ब्राजीलियाई अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रियो के उत्तर में स्थित बादिम अस्पताल में सूर्यास्त के समय यह आग लगी। इसके बाद मरीजों और उनके परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग के मुताबिक आग बुझाने के दौरान चार दमकल कर्मी घायल हो गए जबकि करीब 90 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित करना पड़ा। अधिकारी आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं।

लोगों को निकालने की प्रक्रिया में मरीजों को स्ट्रेचर पर आस पास की दूसरी सड़कों तक ले जाया गया क्योंकि भीड़ की वजह से एंबुलेंस को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही थी। एंबुलेंस के पास खड़ी महिला ने ब्राजील के ग्लोबोन्यूज टेलीविजन को बताया कि वह अस्पताल में भर्ती अपनी 76 वर्षीय मां को नहीं तलाश पा रहीं।

> *दमकल* विभाग के मुताबिक करीब 90 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित करना पड़ा।
> *अधिकारी* आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं।

रियो के मेजर मार्सेलो स्त्रिवेला ने कहा, 'मैं यहां हूं, फंसा हूं और मैं क्या करूं? मैं कहां भागूं? मैं कहां जाऊं? कोई मुझे बता सकता है? मैं हताश हूं।' उन्होंने कहा कि हादसे में 11 लोगों की जान गई है। उन्होंने शुक्रवार सुबह अस्पताल का दौरा किया और तीन दिनों के सरकारी शोक की घोषणा की।

आग पर स्थानीय समयानुसार रात करीब आठ बजे काबू पाया जा सका। दमकलकर्मी शुक्रवार सुबह तक मौके से शवों की तलाश कर रहे थे।

पोंपिओ अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं होंगे : ट्रंप

वाशिंगटन, 13 सितंबर (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ देश के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पोम्पिओ से जॉन बोल्टन की जगह लेने के लिए कहेंगे, इस पर ट्रंप ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, 'वह (पोम्पिओ) वहां अपने साथ किसी के रहने का समर्थन करते हैं और मैं भी।' ट्रंप ने पोम्पिओ को 'शानदार' शख्स बताया और कहा कि वह उनके साथ बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समन्वय करने के काम को लेकर 15 उम्मीदवारों की समीक्षा कर रहे हैं। बोल्टन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से हटाए जाने के बाद से मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि ट्रंप पोम्पिओ को विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद भी संभालने के लिए कह सकते हैं।

दुनिया पाकिस्तान पर नहीं, भारत पर विश्वास करती है : पाक मंत्री

इस्लामाबाद, 13 सितंबर (भाषा)।

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से समर्थन पाने में नाकाम रहा है। इस्लामाबाद के प्रयासों के बावजूद दुनिया भारत की बात पर ही विश्वास करती है। ये बातें इमरान खान सरकार में गृह मंत्री ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एजाज अहमद शाह ने गुरुवार को कही। शाह ने एक चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि सत्तासीन बड़े लोगों ने उनके देश को बरबाद कर दिया है।

> *इमरान खान* सरकार में गृह मंत्री ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एजाज अहमद शाह ने गुरुवार को यह बात कही।

इमरान खान ने दावा किया था कि कश्मीर पर 58 देशों ने पाकिस्तान के रूख का समर्थन किया है। इसके बाद शाह की यह टिप्पणी आई है। खान ने 26 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे।

शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने जमात उद दावा जैसे प्रतिबंधित संगठनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं और अब उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के समूहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। शाह ने कहा कि राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत सभी जिहादियों पर नियंत्रण के सरकार के फैसले का ही परिणाम है कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद अदालतों में मुकदमों का सामना कर रहा है।

सऊदी अरब की 'बागी' महिलाएं छोड़ रही हैं बुर्का

रियाद, 13 सितंबर (एएफपी)।

सऊदी अरब में कुछ महिलाएं पारंपरिक अबाया (बुर्का) पहनना बंद कर रही हैं। रियाद के एक मॉल में बिना अबाया पहने जब एक महिला गई तो उन्हें आते-जाते घूरती नजरों का सामना करना पड़ा और कुछ ने तो पुलिस बुलाने की धमकी भी दे दी।

दरअसल, इस इस्लामिक देश में काले रंग का पारंपरिक अबाया पहनना महिलाओं के कपड़े में शुमार है और इसे महिलाओं की पवित्रता के रूप में देखा जाता है।

पिछले साल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 'सीबीएस' के साथ साक्षात्कार में कहा था कि ड्रेस कोड में छूट दी जा सकती है। उनका कहना था कि यह पोशाक इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कोई औपचारिक नियम नहीं बनने के कारण यह चलन बरकरार है।

हालांकि कुछ महिलाओं ने सोशल मीडिया पर कपड़े पर इस तरह के प्रतिबंध के खिलाफ आवाज भी उठाई और अपने अबाया से इतर पोशाक में तस्वीरें भी डाली। यह घटना सऊदी अरब में दुर्लभ ही है।

अब कुछ महिलाएं चमकीले रंगों का अबाया सार्वजनिक तौर पर पहन रही हैं। मशाल-अल-जालुद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब बुर्का पहनना ही बंद कर दिया। 33 साल की जालुद पिछले सप्ताह एक मॉल में ट्राउजर और गहरे गुलाबी रंग के टॉप में दिखी। भीड़ में से कई लोग उन पर सवाल कर रहे थे।

जालुद के अलावा 25 वर्षीय मनाहेल-अल ओतैबी ने भी अबाया पहनना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, 'पिछले चार महीने से रियाद में मैं बिना अबाया के रह रही हूं।' उन्होंने कहा, 'मैं उसी तरह जीना चाहती हूं, जैसा मैं चाहती हूं। बिना प्रतिबंधों के मैं मुक्त जीना चाहती हूं। किसी को भी मुझे वह पहनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, जो मैं चाहती ही नहीं हूं।' वहीं जालुद का कहना है कि बिना किसी स्पष्ट नियम के, बिना सुरक्षा के उन्हें खतरा हो सकता है। जुलाई में उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था रियाद के एक और मॉल ने उन्हें बिना अबाया यानी बुर्के के प्रवेश नहीं दिया।

राष्ट्रपति ट्रंप से दो बार मिलेंगे इमरान खान

इस्लामाबाद, 13 सितंबर (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के पहले सत्र में हिस्सा लेने के लिए इस माह के आखिर में अमेरिका जा रहे पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ दो बार मुलाकात का मौका मिल सकता है। एक खबर में बताया गया है कि खान के कार्यक्रम के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात दोपहर के भोजन पर होगी, जबकि दूसरी मुलाकात चाय पर होगी।

खबर में कहा गया है कि अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की होने वाली बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। खान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र में भाग लेने के लिए 21 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वह 27 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। अगस्त 2018 में पद संभालने के बाद से यह उनका पहला यूएनजीए सत्र होगा। वह विश्व के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें भारत द्वारा 5 अगस्त को कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद कश्मीर में कथित तौर पर तनावपूर्ण स्थिति के बारे में भी

अवगत कराएंगे। यह खान की अमेरिका की दूसरी यात्रा होगी।

जुलाई में खान ने ट्रम्प के साथ एक बैठक की थी, जिसके दौरान उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बनने की पेशकश की थी। ट्रम्प ने तब दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था। हालांकि, भारत सरकार ने राष्ट्रपति ट्रम्प के आश्चर्यजनक दावे से इनकार किया था।

अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार घाटे पर चिंता जाहिर की

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार घाटा और यहां निवेश करने में अमेरिकी कंपनियों के समक्ष आ रही चुनौतियों को लेकर शुक्रवार को चिताएं जाहिर की।

अमेरिका की वाणिज्य दूत ऐलीन नंदी ने यहां भारत-अमेरिका आर्थिक सम्मेलन में ये चिताएं प्रकट कीं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जतायी कि भारत-अमेरिका कारोबार सीईओ फोरम दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को लेकर कोई समाधान निकालेगा। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में भारत ने अमेरिका को 52.40 अरब डॉलर का निर्यात किया जबकि अमेरिका से 35.55 अरब डॉलर का आयात किया गया। आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 2017-18 के 21.26 अरब डॉलर से कम होकर 16.85 अरब डॉलर पर आ गया। नंदी ने कहा- भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध विस्तृत व जटिल हैं। दोनों देशों के बीच हालिया समय में हर साल व्यापार बढ़ा है। हालांकि भारत के साथ व्यापार घाटा को लेकर हम चितित हैं।

चमड़ा निर्यात के लिए रूस में व्यापक संभावनाएं

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

घरेलू चमड़ा और फुटवियर उद्योग के लिए रूस में व्यापक निर्यात संभावनाएं मौजूद हैं। यह बात शुक्रवार को चमड़ा निर्यात परिषद ने कही। परिषद के चेयरमैन पनारुना अकील अहमद ने कहा- 2018 में रूस ने 3.9 अरब डॉलर मूल्य के चमड़ा और फुटवियर (जूते-चप्पल) का आयात किया। जबकि भारत का रूस को निर्यात मात्र 5.26 करोड़ डॉलर का रहा।

अकील ने बयान में कहा- आंकड़े स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं कि रूस के बाजार में घरेलू कारोबारियों के लिए निर्यात के व्यापक अवसर हैं। आने वाले सालों में दोहरे अंकों की निर्यात वृद्धि दर के लक्ष्य को हासिल करने में यह अहम भूमिका निभाएगा। रूस दुनिया का 13वां सबसे बड़ा चमड़ा, चमड़ा उत्पाद और फुटवियर आयातक देश है।

उन्होंने कहा कि रूस के बाजार में दखल बढ़ाने के लिए परिषद ना सिर्फ वहां के व्यापार मेलों का रुख कर रही है, बल्कि वहां के व्यापार संगठनों के साथ साझेदारियों कर रही है और उन्हें देश में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भी आमंत्रित कर रही है।

ब्रोकरेज कंपनियों की राय, ब्याज दरों में कटौती करेगा रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने मौद्रिक समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में और कमी कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप रहने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय बैंक दरों में और कटौती कर सकता है। घरेलू और वैश्विक ब्रोकरेज कंपनियों के अनुसार मुद्रास्फीति में कमी और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सुस्त पड़ने से केंद्रीय बैंक मौद्रिक रुख नरम कर सकता है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली वृद्धि के साथ 3.21 फीसद रही है। जुलाई में यह 3.15 फीसद के स्तर पर थी। खाद्य वस्तुएं महंगी होने से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह जुलाई महीने में औद्योगिक उत्पादन (आइआइपी) की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 4.3 फीसद रही है। विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से आईआईपी की रफ्तार सुस्त हुई है।

जापान की वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी नोमुरा के शोध नोट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति के स्थिरता और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सुस्त पड़ने की वजह से अक्तूबर की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में और कटौती की उम्मीद है। हमारा अनुमान है कि चौथी तिमाही में कुल मिलाकर नीतिगत दरों में 0.40 फीसद की कटौती की जाएगी। नोमुरा ने कहा कि रिजर्व बैंक का चालू वित्त वर्ष के लिए 6.9 फीसद की वृद्धि दर का अनुमान कुछ अधिक आशावादी है। चार अक्तूबर की मौद्रिक समीक्षा में इस अनुमान को कम किया जा सकता है। बैंक आफ अमेरिका मेरिल लिच (बोफाएमएल) के अनुसार निवेश को प्रोत्साहन के लिए वास्तविक बयाज दरों को नीचे लाना जरूरी है। ऐसे में रिजर्व बैंक को नीतिगत दरों में और कमी करनी होगी।

बोफाएमएल के शोध नोट में कहा गया है कि चार अक्तूबर की मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में 0.50 फीसद की कटौती की गुंजाइश बनती है। अगस्त महीने में मुद्रास्फीति उम्मीद से कम यानी 3.2 फीसद रही है इसलिए नीतिगत दरों में कटौती की संभावना है।

मजबूत वैश्विक रुख से शेयर बाजार में लौटी रौनक

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा)।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में नरमी के संकेत से वैश्विक बाजारों में तेजी और मुद्रास्फीति बढ़ने से नीतिगत दर में कटौती की उम्मीदों से सूचकांक और निफ्टी में शुक्रवार को तेजी का रुख रहा। कारोबारियों ने कहा कि रुपए में मजबूती और विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ने से भी बाजार का उत्साह बढ़ा हुआ था।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 413 अंक के उतार-चढ़ाव के बाद 280.71 अंक यानी 0.76 फीसद बढ़कर 37,384.99 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 93.10 अंक यानी 0.85 फीसद की बढ़त के साथ 11,075.90 अंक पर बंद हुआ। सप्ताह के दौरान, सूचकांक कुल मिला कर 403.22 अंक यानी 1.09 फीसद और निफ्टी 129.70 अंक यानी 1.18 फीसद सुधार में रहा।

बृहस्पतिवार को बाजार बंद होने के बाद जारी आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर 3.21 फीसद हो गई, जबकि जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 4.3 फीसद पर रह गई। इससे भारतीय रिजर्व बैंक पर नीतिगत ब्याज दर (रेपो) में कटौती करने का दबाव एक बार फिर बढ़ गया है। सूचकांक के 30 शेयरों में वेदांता, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, पावरग्रिड, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा तेजी रही। इन कंपनियों के शेयर 2.72 फीसद तक चढ़े। दूसरी ओर सनफार्मा, भारती एअरटेल, एचडीएफसी बैंक, एस बैंक, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में गिरावट आई।

कारोबारियों ने कहा कि रिजर्व बैंक अगले महीने होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत दर में कटौती कर सकता है। इसी उम्मीद में घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली।

राजस्व को ध्यान में रख राहतों पर फैसला करेगी जीएसटी परिषद

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

जीएसटी परिषद 20 सितंबर को कार से लेकर बिस्कुट जैसे उत्पादों के बाजार में नरमी को देखते हुए इन पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का भार कम किए जाने की मांगों पर विचार करेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि साथ ही परिषद राजस्व की स्थिति को भी ध्यान में रखेगी क्योंकि जीएसटी दरों में कटौती का सीधा असर राज्यों की आय पर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई में जीएसटी परिषद की बैठक 20 सितंबर को गोवा में होगी। इसमें राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती को दूर करने के लिए विभिन्न उद्योग जीएसटी में कटौती की मांग कर रहे हैं।

> *बैठक* 20 सितंबर को गोवा में, दरें घटाने पर राज्य सरकारों की सहमति आसान नहीं

अधिकारी ने कहा कि आर्थिक सुस्ती के मद्देनजर बिस्कुट से लेकर वाहन उद्योग और एफएमसीजी (रोजमर्रा उपभोग की वस्तु बनाने वाली कंपनी) से लेकर होटल क्षेत्र ने जीएसटी दरों में कटौती की मांग की है। उनकी ओर से तर्क दिया जा रहा है कि घरेलू मांग और खपत को बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में कटौती की जाए। अधिकारी ने कहा कि हालांकि, उनका यह तर्क राज्यों के नजरिए को नहीं बदल सकता है। अधिकांश राज्यों का मानना है कि इन क्षेत्रों में सुस्ती चक्रीय और संरचनात्मक मुद्दों के कारण है न कि जीएसटी दरों के कारण है। मामले से जुड़े अधिकारी ने कहा कि यदि जीएसटी परिषद के समक्ष किसी भी क्षेत्र के लिए कर में कटौती का प्रस्ताव आता है तो सदस्य पहले राजस्व स्थिति की समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे।

बताते चलें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर गिरकर छह साल के निचले स्तर पांच फीसद पर आ गई। सरकार ने आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।

सेना के लिए दो हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

रक्षा मंत्रालय ने दो हजार करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य साजो- सामान की खरीद को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। खरीद को लेकर मंत्रालय के सर्वोच्च निर्णय निकाय 'रक्षा खरीद परिषद्' (डीएसी) ने प्रस्तावों को मंजूरी दी।

रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया, 'रक्षा मंत्री राजनाथ सिह के नेतृत्व में डीएसी ने करीब दो हजार करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी।' डीएसी ने टी72 और टी90 टैंकों के लिए गोला-बारूद के स्वदेश में ही भारतीय उद्योगों द्वारा विकास और उत्पादन को मंजूरी प्रदान की।

प्रवक्ता के मुताबिक, 'डीएसी ने डीआरडीओ द्वारा विकसित और उद्योग निर्मित मिकैनिकल माइन लेयर की खरीद को भी मंजूरी दी, ताकि भारतीय सेना की स्वचालित सुरंग बिछाने की क्षमता में बढ़ोतरी हो।'

'सरकार के आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को मानने के लिए बाध्य नहीं'

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने शुक्रवार को कहा कि वित्त आयोग सरकार के आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यों को वित्त आबंटन के लिए फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में इस मामले में आयोग का अपना स्वतंत्र आकलन होगा। पंद्रहवें वित्त आयोग को 30 नवंबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

सलाहकार समिति के साथ बैठक के बाद सिंह ने कहा कि आयोग केंद्र सरकार और उसके मंत्रालयों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ पहले ही विचार-विमर्श कर चुका है। उन्होंने कहा कि हालांकि, जम्मू-कश्मीर के मामले में फैसला 31 अक्तूबर के बाद लिया जाएगा। इस दिन से राज्य दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में विभक्त होगा।

सिंह ने माना कि आयोग के पास कम समय बचा है क्योंकि उसे नवंबर अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आयोग रिपोर्ट जमा करने की तिथि को बढ़ाने की मांग करेगा।

सिंह ने जीडीपी अनुमानों को लेकर कहा कि बैठक के दौरान अर्थशास्त्रियों से आर्थिक वृद्धि पर मिले-जुले अनुमान प्राप्त हुए हैं। कुछ का मानना है कि आर्थिक सुस्ती अस्थायी और बहुत कम समय के लिए है जबकि कुछ मानना है कि यह जारी रहेगी।

उन्होंने कहा, मैं या आयोग वर्तमान बाजार मूल्य पर दिए गए जीडीपी आंकड़ों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। जैसा कि केंद्र सरकार के समझौते ज्ञापन में या फिर संसद में पेश मध्यम अवधि राजकोषीय नीति बयान में दिए गए हैं। सिंह ने कहा कि आयोग संविधान के तहत अपने स्तर पर स्वतंत्र निर्णय के आधार पर काम करने के लिये बाध्य है।

अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने को लेकर पूछे जाने पर सिह ने चुटकी लेते हुए कहा, राजकोषीय प्रोत्साहन की गुंजाइश कहां हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि सरकार निर्णय लेने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है , जो कि परिस्थिति को ठीक करने के लिए उचित है। आर्थिक वृद्धि को रफ्तार को देने के लिए उपायों को लागू करने को लेकर सकंल्प या इरादे की कोई कमी नहीं है।

बाबरी विध्वंस मामला

सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अयोध्या में दिसंबर, 1992 में विवादास्पद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा अदालत के आदेश पर अमल करने के बारे में पेश हलफनामे और आफिस मेमो का अवलोकन किया।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन किया जा चुका है और विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल अयोध्या विध्वंस मामले मे फैसला सुनाए जाने की अवधि तक बढ़ा दिया गया है। मामले का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा– हम संतुष्ट हैं कि आवश्यक कदम उठाए गए हैं। शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त को उप्र सरकार से कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव द्वारा अदालत को भेजे गए पत्र में किए गए अनुरोध पर गौर किया जाए।

अदालत ने 19 जुलाई को विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने और फैसला सुनाए जाने की तारीख तक बढ़ा दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल सिर्फ इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करने और फैसला सुनाने के लिए ही बढ़ाया जा रहा है। पीठ ने विशेष न्यायाधीश से कहा था कि इस मामले में नौ महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। इस मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती के अलावा भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा पर भी आपराधिक साजिश रचने का आरोप शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल, 2017 को बहाल कर दिया था। इस मामले में तीन प्रमुख आरोपी आचार्य गिरिराज किशोर, विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया का निधन हो जाने के कारण उनके खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने विशेष न्यायाधीश को इस मुकदमे की रोजाना सुनवाई कर इसे दो साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने इन नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप खत्म करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 फरवरी, 2001 के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताया था।

उप्र के मुख्यमंत्री, मंत्री अब आयकर का भुगतान खुद करेंगे

लखनऊ, 13 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981' के तहत सभी मंत्रियों के आयकर बिल का भुगतान अभी तक राज्य सरकार के कोष से किया जाता रहा है।

खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि अब सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। सरकारी खजाने से अब मंत्रियों के आयकर बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक्ट के इस प्रावधान को समाप्त किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लगभग चार दशक पुराना एक कानून मंत्रियों के आयकर का भुगतान राजकोष से सुनिश्चित करता था। हालांकि नेता इसके बारे में जानकारी नहीं होने की बात करते हैं।

यह कानून तब बना था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे । इस कानून ने अब तक 19 मुख्यमंत्रियों और लगभग 1,000 मंत्रियों को लाभ पहुंचाया है। हालांकि कुछ मंत्रियों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जब से कानून लागू हुआ, विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों– योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, श्रीपति मिश्र, वीर बहादुर सिह और नारायण दत्त तिवारी को इसका लाभ हुआ।

विश्वनाथ प्रताप सिंह के सहयोगी रहे कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तर्क दिया था कि राज्य सरकार को आयकर का बोझ झेलना चाहिए क्योंकि अधिकतर मंत्री गरीब पृष्ठभूमि से हैं और उनकी आय कम है ।

राजीव कुमार को सीबीआइ का समन

जनसत्ता संवाददाता
कोलकाता, 13 सितंबर।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआइ के हाथों गिरफ्तारी से दी गई राहत वापस ले ली। इससे 1989 बैच के आइपीएस अधिकारी कुमार को झटका लगा है। अदालत के रोक हटाते ही सीबीआइ की एक टीम शुक्रवार शाम को राजीव कुमार के सरकारी आवास पर पहुंची। वहां राजीव तो नहीं मिले। लेकिन जांच एजंसी ने वहां समन चिपका दिया। इसमें राजीव से पूछताछ के लिए शनिवार को एजंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। राजीव कुमार फिलहाल दस दिनों की छुट्टी पर हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी की राह साफ हो गई है। हाईकोर्ट ने आज कुमार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआइ की नोटिस को रद्द करने की अपील की थी।

अनुसूची–II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	17.11.2005
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U74899DL2005PLC142604
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकृत कार्यालयः 632/7, 2रा तल, खारी बावली, नई दिल्ली–110006 कॉर्पोरेट कार्यालयः ई–181 बी 1, मोहन को ऑपरेटिव एक्टरटें, नई दिल्ली–110044 फैक्ट्रीः 1 कि.मी., ईकोण्डा रोड, ग्राम मुबारकपुर, जोया, उत्तर प्रदेश 244221
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	6 मई, 2019 (सीआईआरपी का मानद समापन दिवाला शुरू होने की तिथि से 270 दिनों की पूर्णता पद।)
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	12 सितम्बर, 2019
8.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	निशांत गौरव गुप्ता IBBI/IPA-002/IP-N00572/2017-2018/11739
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेलः	''सिद्धांत एडवोकेट्स'', फ्लैट नं. 542, 1ला तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर 22, पंकिट 1, द्वारका, नई दिल्ली–110077 ईमेलः nishantgaurav@outlook.in
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	''सिद्धांत एडवोकेट्स'', फ्लैट नं. 542, 1ला तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर 22, पंकिट 1, द्वारका, नई दिल्ली–110077 ईमेलः liquidator@outlook.in
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	11.10.2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 12 सितम्बर, 2019 को श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 11 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे प्रमाण के साथ जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।
तिथिः 12.9.2019
स्थानः नई दिल्ली
परिसमापक का नाम तथा हस्ताक्षरः निशान्त गौरव गुप्ता

'हमसफर' से सफर अब हुआ सस्ता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय से आदेश जारी होने के साथ ही शुक्रवार से यात्रियों के लिए 'हमसफर' ट्रेनों से सफर करना सस्ता हो गया। रेलवे ने यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला लिया है। हमसफर ट्रेनों से मंत्रालय ने फ्लेक्सी फेयर योजना को हटा दिया है।

रेल मंत्रालय के मुताबिक यह राहत 35 जोड़ी हमसफर रेलगाड़ियों के लिए है जिनमें फिलहाल केवल एसी– तीन श्रेणी के कोच लगे होते हैं। हमसफर रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट किराया भी घटाया गया है। इनकी कीमत अब मूल किराए के 1.5 गुना के बजाय 1.3 गुना होगी। ये प्रावधान तत्काल टिकट नियमों के तहत लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्लीपर कोच को भी इस ट्रेन से जोड़ा जाएगा। अभी एसी–3 कोच को आवश्यकता के मुताबिक इस ट्रेन से जोड़ा जाता है। इस संबंध में स्थानीय रेलवे अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी प्रावधान किया है कि पहला आरक्षण चार्ज तैयार हो जाने के बाद टिकट के मूल किराए पर 10 फीसद की छूट दी जाएगी जबकि अन्य चार्ज वसूले जाएंगे। इस सेवा का अधिक से अधिक यात्री लाभ ले सकें, इसके लिए कोच जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

बिहार में राजद विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

आरा (बिहार), 13 सितंबर (भाषा)।

बिहार स्थित आरा की अदालत ने नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के संदेस से मौजूदा विधायक अरुण यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

विशेष पॉक्सो अदालत का प्रभार देख रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने जिला पुलिस के अनुरोध पर विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिला मुख्यालय आरा में कहा, ' कुछ समय से विधायक का पता नहीं चल रहा है। यहां तक कि विशेष जांच टीम ने यादव को पकड़ने के लिए आरा और पटना स्थिति उनकी संपत्तियों पर छापेमारी की।'

उन्होंने कहा, 'हमने उनके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाला है लेकिन पिछले 48 घंटे से वह बंद है। पुलिस की ओर से मुहैया कराए गए अंगरक्षक वापस बुला लिए गए हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद खाली

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद रिक्त हैं। यह इस साल की अब तक सर्वाधिक रिक्तियां हैं।

कानून मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक सितंबर को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद खाली थे। उच्च न्यायालयों में कुल 1079 न्यायाधीश होने चाहिए। आंकड़े के मुताबिक उच्च न्यायालयों में अगस्त में 409 और जुलाई में 403 पद खाली थे।

सुप्रीम कोर्ट का तीन सदस्यीय कॉलेजियम उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है। सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायापालिका के बीच चलने वाली एक निरंतर सहयोगपरक प्रक्रिया है क्योंकि उसके लिए कई संवैधानिक अधिकारियों के बीच संवाद एवं उनकी मंजूरी जरूरी होती है।

आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकलीं लालू की बहू ऐश्वर्या

पटना, 13 सितंबर (भाषा)।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से अलग रह रहीं उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय आंखों में आंसू लिए अपनी सास राबड़ी देवी के आवास से शुक्रवार को बाहर निकलते देखी गईं।

भले ही तेज प्रताप की तलाक याचिका अदालत में लंबित है, लेकिन उनकी पत्नी को अपने ससुराल वालों के घर पर बहुत वक्त बिताते देखा गया है।

पहले बारिश के लिए मेढ़क-मेढ़की की शादी, बाद में कराया तलाक

भोपाल, 13 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की मन्नत को लेकर करीब दो महीने पहले प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिट्टी से बनाए मेढ़क और मेढ़की की शादी कराई गई थी लेकिन अब प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हो रही भारी बारिश से परेशान होकर इन दोनों का बाकायदा तलाक कराया गया है।

वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यहां इंद्रपुरी इलाके स्थित 'तुरंत महादेव मंदिर' में ओम शिव शक्ति मंडल के सदस्यों ने मेढ़क-मेढ़की का विवाह करवाया था और अब तलाक भी उन्होंने ही करवाया है। मंडल के पदाधिकारी सुरेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया, ' वर्षा के देवता प्रसन्न हो, प्रदेश में अच्छी बारिश आए इसलिए इस साल जुलाई में मिट्टी का एक मेढ़क और एक मेढ़की बना कर उनकी शादी तुरंत महादेव मंदिर में कराई थी। शादी के बाद से ही प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। अब लोग इस बारिश से परेशान हो गए हैं।' उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों ने भारी बारिश को रोकने के लिए मेढ़क-मेढ़की का तलाक कराने की सलाह दी। जिसके बाद हमने धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण के बीच बुधवार को इसी मंदिर में मेढ़क-मेढ़की का तलाक करवा दिया। तलाक के बाद पानी में उनका विसर्जन कर दिया है।'

मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के एक मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में एक जून से 13 सितंबर सुबह तक 1135 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जो इस अवधि में होने वाली सामान्य बारिश 867 मिलीमीटर से 31 फीसद अधिक है। वहीं, भोपाल जिले में इस दौरान 1605 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश 888 मिलीमीटर से 81 फीसद अधिक है।

JAI MATA GLASS LIMITED
REGD. OFFICE : TIPRA, BAROTIWALA, DISTRICT, SOLAN (H.P.)-174 103
T/F + 91 11 41536830, Email admin@jaimataglass.com, Website www.jaimataglass.com
CIN: L2610HP1981PLC004430
NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the Thirty Nine (39th) Annual General Meeting of the Members of Jai Mata GlassLimited will be held on Saturday, 28th day of September, 2019 at 11:00 a.m. at Village Tipra, Barotiwala, District Solan, Himachal Pradesh-174103 and in accordance with the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 (the "Act") the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Sunday, September 22, 2019 to Saturday, September 28, 2019 (both day inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
The notice proposes the following resolutions for consideration of the shareholders:

Sr. No.	Type of Resolution	Particulars
1	Ordinary	Adoption of Annual Accounts and Reports thereon for the Financial Year ended March 31, 2019.
2	Ordinary	Re-appointment of Mr. Samir Katyal (DIN: 00645810) as director, who retires by rotation.
3	Ordinary	Appointment of Auditors and Fixing their Remuneration.
4	Special	Appointment of Shri Vijay Kumar Nayar (DIN: 08509514) as an Independent Director for a term of five years.

Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of notice of its Annual General Meeting on Tuesday, September 03, 2019, pursuant to Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, in accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using the electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by Insta-Vote.

- The remote e-voting period commences on Wednesday, September 25, 2019 (9:00 am) and ends on Friday, September 27, 2019 (5:00 pm). During this period members' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 21, 2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by Instavote for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of September 21, 2019.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 21, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at https://instavote.linkintime.co.in. However, if you are already registered with INSTAVOTE for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on or contact Linkintime at the following toll free no.: 022-49186000.
- The instructions for login ID and password have been provided, in the notes to the Notice and also in the e-mail sent to the members to enable members to use e-voting facility.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The Chairman shall, at the AGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Form" for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and shall make, not later than three days of the conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.jaimataglass.com and on the website of Linkintime immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges whereat the securities of the Company are listed.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://instavote.linkintime.co.in or contact Linkintime at the following toll free no.: 1800-222-990.

For Jai Mata Glass Limited
Sd/-
Chander Mohan Marwah
Managing Director
DIN: 00172818

Date: September 12, 2019
Place: New Delhi

NOVA AGRITECH PVT.LTD. Nova Agritech Pvt Ltd
In Pursuance to the order No 2900(E) dated 24th October 2015. Issued by Department of Agriculture and Co-operation. Ministry of Agriculture. Govt. of India. Nova Agri Tech Pvt Ltd hereby notifies that it intends to introduce and sell commercially its new 100 percent Water soluble mixture of fertilizers as per the specifications given below:
LIST OF THE PRODUCTS

S.No.	PRODUCT	PRODUCT COMPOSITION	
1	NOVA NUTRI SEQUENCE-I	10:40:20+1.5 MG	FE+MN+CU+ZN+MO+B
2	NOVA NUTRI SEQUENCE-II	10:20:40+1.5 MG	FE+MN+CU+ZN+MO+B
3	NOVA NUTRI CAL	15:15:15+1.5 CAL	
4	NOVA NUTRI CAL BORE	10:0:40+1.5 CAL	B-0.3%
5	NOVA NUTRI K-41	3:0:40+2.5 MG+7.3 S	
6	NOVA NUTRI 3X E	24:24:18	FE+MN+CU+ZN+MO+B
7	NOVA NUTRI SUPREME	0:24:15+S4.5%	
8	NOVA NUTRI SUPERSOL	21:21:21+TE	
9	NOVA NUTRI POWERSOL	12:12:36+TE	
10	NOVA NUTRI BIO 20	20:20:20+TE	B-0.1%
11	NOVA NUTRI BOND	13:40:13+TE	B-0.2%
12	NOVA NUTRI RICH MAG	15:5:30+MG-2%	B-0.2%
13	NOVA NUTRI SUS10	0:37:37	B-0.2%
14	NOVA NUTRI N FORCE	30:10:10	B-02%
15	NOVA NUTRI PHOS54	10:54:10+TE	B-0.2%
16	NOVA NUTRI K-AMINO	5:15:45+TE	B-0.2%
17	NOVA NUTRI PHOS GEM	15:45:10+TE	
18	NOVA NUTRI MIELA	12:11:18+Mg+S	
19	NOVA FERT	0.0.50	
20	NOVA FERT	19.19.19	
21	NOVA FERT	12.61.00	
22	NOVA FERT	13.00.45	
23	NOVA FERT	00.52.34	
24	NOVA FERT	17.44.00	

In all the grades mentioned above. (A) Moisture is Maximum 0.5 per cent. By weight, (B) Total Chloride is less than 0.5 per cent. By weight, (e) Matter insoluble in water is less than 0.5 per cent. By weight, (f) Lead is less than 0.003 per cent . By weight, (g) Cadmium is less than 0.0025 per cent . By weight, (h) Arsenic is less than 0.01 per cent. By weight.
Regd. & Corporate Office
Nova Agri Tech Pvt. Ltd.
Plot No. 57, Hanuman Nagar, Chinnatokatta, New Bowenpally, Secunderabad - 500 011.
Ph : +91-40-27957081 / 82 E-mail : nova.agritech@gmail.com, info@novaagritech.com
Visit us at : www.novaagritech.com

ओ.बी.सी
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
समूह कार्यालय – आर.आर.एल नोएडा, एसएच–12, प्रथम तल, गामा शॉपिन्ग सैन्टर, सैक्टर–गामा–I,
ग्रेटर नोएडा –201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., फोन : 0120-2322667, ई–मेलः rrl_7656@obc.co.in
ई–नीलामी सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा (नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 30.09.2019 को बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा/कर्जदार/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण	ई–नीलामी की तारीख/समय
1	शाखाः एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्रीमती इन्द्रकला पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय और श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एम आई जी फ्लैट, तीसरा तल फ्लैट नं. 4–डी, ब्लॉक–सी, सैक्टर – 62, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. क्षेत्रफल 84.87 वर्ग मी. उप–रजिस्ट्रार–1, नोएडा और जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत, चौहद्दीः उत्तर में – स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण में – स्थित मानचित्र के अनुसार, पूरब में – स्थित मानचित्र के अनुसार, पश्चिम में – स्थित मानचित्र के अनुसार (रचनात्मक/सांकेतिक कब्जा)	₹ 40.64 लाख ₹ 4.10 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 16,14,574.00 और होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
2	एलायन्स, सैक्टर–22 नोएडा, यू.पी. श्री दीपक कुमार और गारंटरः श्री जय प्रकाश	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. डी–888, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, इंद्रप्रस्थ, गाजियाबाद (यू.पी.), उप–जिला गाजियाबाद के अंतर्गत पंजीकृत, जिला गाजियाबाद, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. 925, पश्चिम में – 7.5मी. चौडी रोड, उत्तर में – 9 मी. चौडी रोड, दक्षिण में – प्लॉट नं. 889, (भौतिक कब्जा)	₹ 8.14 लाख ₹ 0.82 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 9,60,782.12 और होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
3	डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्पाऊण्ड, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यू.पी. श्री कृष्ण कुमार राय पुत्र श्री फुर्ती लाल राय	रिहायशी फ्लैट नं. 62, तीसरा तल, ब्लॉक सी, सैक्टर ओमीक्रॉन–01ए, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., क्षेत्रफल–31 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर पूरब में – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार (भौतिक कब्जा)	₹ 8.08 लाख ₹ 0.81 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 10,71,726.08 और दिनांक 01.10.2015 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
4	शाखा : आई.ई.एम.एल. ग्रेटर नोएडा श्री दिनेश कुमार	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 239 एसएफ (द्वितीय तल) ब्लॉक–सी, सैक्टर–ओमिक्रॉन–1, ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., उप–जिला सदर, गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत पंजीकृत, जिला गौतमबुद्ध नगर, चौहद्दीः उत्तर पूरब में – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार (भौतिक कब्जा)	₹ 7.07 लाख ₹ 0.77 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 8,05,620.00 और होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
5	शाखा : एलायन्स, सैक्टर–22 नोएडा, यू.पी. श्री विनीत सिंह राठौर पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह गारंटर : श्री अनन्त पुत्र श्री हनुमंत्रा रॉय	ई डब्ल्यू एस फ्लैट नं. 827, (जीएफ) भूतल, बिना छत के अधिकार के, न्याय खण्ड–II, इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद, यू.पी., क्षेत्रफल 24.65 वर्ग मी, चौहद्दी – पूरब में – मकान नं. 828, पश्चिम में – मकान नं. 822, उत्तर में – 12 मी. चौडी रोड, दक्षिण में – मकान नं. 826, (भौतिक कब्जा)	₹ 8.45 लाख ₹ 0.85 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 12,00,930.00 और दिनांक 01.06.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
6	एलायन्स, सैक्टर–22 नोएडा, यू.पी. श्री मनोज चौधरी	प्लॉट नं. ए–1/32 पर निर्मित रिहायशी मकान एलआईजी फ्लैट नं. एफ–2, (प्रथम तल पर पीछे की तरफ का बिना छत के अधिकार के), डी एल एफ दिलशाद एक्सटेंशन–2, गाँव ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगना लोनी, गाजियाबाद, यू.पी., क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. ए–1/15, पश्चिम में – 30 फीट रोड, उत्तर में – प्लॉट नं. ए–1/33, दक्षिण में – प्लॉट नं. ए–1/31 (सांकेतिक कब्जा)	₹ 7.31 लाख ₹ 0.74 लाख ₹ 0.10 लाख	8,10,392.00 और दिनांक 01.09.2013 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
7	शाखाः एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्रीमती ज्योति प्रकाश पत्नी श्री संजीव प्रकाश और श्री संजीव प्रकाश	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 13, (प्रथम तल), ब्लॉक–25, पॉकेट – 12, सैक्टर–82, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (यू.पी) में स्थित (सांकेतिक कब्जा)	₹ 14.56 लाख ₹ 1.46 लाख ₹ 0.20 लाख	₹ 14,72,816.37 और दिनांक 31.05.2018 से अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
8	शाखाः एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्रीमती ज्योति प्

बाबरी विध्वंस मामला

सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अयोध्या में दिसंबर, 1992 में विवादास्पद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा अदालत के आदेश पर अमल करने के बारे में पेश हलफनामे और आफिस मेमो का अवलोकन किया।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन किया जा चुका है और विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल अयोध्या विध्वंस मामले मे फैसला सुनाए जाने की अवधि तक बढ़ा दिया गया है। मामले का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा– हम संतुष्ट हैं कि आवश्यक कदम उठाए गए हैं। शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त को उप्र सरकार से कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव द्वारा अदालत को भेजे गए पत्र में किए गए अनुरोध पर गौर किया जाए।

अदालत ने 19 जुलाई को विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने और फैसला सुनाए जाने की तारीख तक बढ़ा दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल सिर्फ इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करने और फैसला सुनाने के लिए ही बढ़ाया जा रहा है। पीठ ने विशेष न्यायाधीश से कहा था कि इस मामले में नौ महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। इस मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती के अलावा भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा पर भी आपराधिक साजिश रचने का आरोप शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल, 2017 को बहाल कर दिया था। इस मामले में तीन प्रमुख आरोपी आचार्य गिरिराज किशोर, विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया का निधन हो जाने के कारण उनके खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने विशेष न्यायाधीश को इस मुकदमे की रोजाना सुनवाई कर इसे दो साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने इन नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप खत्म करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 फरवरी, 2001 के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताया था।

उप्र के मुख्यमंत्री, मंत्री अब आयकर का भुगतान खुद करेंगे

लखनऊ, 13 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981' के तहत सभी मंत्रियों के आयकर बिल का भुगतान अभी तक राज्य सरकार के कोष से किया जाता रहा है।

खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि अब सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। सरकारी खजाने से अब मंत्रियों के आयकर बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक्ट के इस प्रावधान को समाप्त किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लगभग चार दशक पुराना एक कानून मंत्रियों के आयकर का भुगतान राजकोष से सुनिश्चित करता था। हालांकि नेता इसके बारे में जानकारी नहीं होने की बात करते हैं।

यह कानून तब बना था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे । इस कानून ने अब तक 19 मुख्यमंत्रियों और लगभग 1,000 मंत्रियों को लाभ पहुंचाया है। हालांकि कुछ मंत्रियों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जब से कानून लागू हुआ, विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों– योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, श्रीपति मिश्र, वीर बहादुर सिह और नारायण दत्त तिवारी को इसका लाभ हुआ।

विश्वनाथ प्रताप सिंह के सहयोगी रहे कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तर्क दिया था कि राज्य सरकार को आयकर का बोझ झेलना चाहिए क्योंकि अधिकतर मंत्री गरीब पृष्ठभूमि से हैं और उनकी आय कम है ।

राजीव कुमार को सीबीआइ का समन

जनसत्ता संवाददाता
कोलकाता, 13 सितंबर।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआइ के हाथों गिरफ्तारी से दी गई राहत वापस ले ली। इससे 1989 बैच के आइपीएस अधिकारी कुमार को झटका लगा है। अदालत के रोक हटाते ही सीबीआइ की एक टीम शुक्रवार शाम को राजीव कुमार के सरकारी आवास पर पहुंची। वहां राजीव तो नहीं मिले। लेकिन जांच एजंसी ने वहां समन चिपका दिया। इसमें राजीव से पूछताछ के लिए शनिवार को एजंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। राजीव कुमार फिलहाल दस दिनों की छुट्टी पर हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी की राह साफ हो गई है। हाईकोर्ट ने आज कुमार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआइ की नोटिस को रद्द करने की अपील की थी।

अनुसूची–II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	17.11.2005
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U74899DL2005PLC142604
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकृत कार्यालयः 632/7, 2रा तल, खारी बावली, नई दिल्ली–110006 कॉर्पोरेट कार्यालयः ई–181 बी 1, मोहन को ऑपरेटिव एक्टरटें, नई दिल्ली–110044 फैक्ट्रीः 1 कि.मी., ईकोण्डा रोड, ग्राम मुबारकपुर, जोया, उत्तर प्रदेश 244221
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	6 मई, 2019 (सीआईआरपी का मानद समापन दिवाला शुरू होने की तिथि से 270 दिनों की पूर्णता पद।)
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	12 सितम्बर, 2019
8.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	निशांत गौरव गुप्ता IBBI/IPA-002/IP-N00572/2017-2018/11739
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेलः	''सिद्धांत एडवोकेट्स'', फ्लैट नं. 542, 1ला तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर 22, पंकिट 1, द्वारका, नई दिल्ली–110077 ईमेलः nishantgaurav@outlook.in
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	''सिद्धांत एडवोकेट्स'', फ्लैट नं. 542, 1ला तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर 22, पंकिट 1, द्वारका, नई दिल्ली–110077 ईमेलः liquidator@outlook.in
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	11.10.2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 12 सितम्बर, 2019 को श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 11 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे प्रमाण के साथ जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।
तिथिः 12.9.2019
स्थानः नई दिल्ली
परिसमापक का नाम तथा हस्ताक्षरः निशान्त गौरव गुप्ता

'हमसफर' से सफर अब हुआ सस्ता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय से आदेश जारी होने के साथ ही शुक्रवार से यात्रियों के लिए 'हमसफर' ट्रेनों से सफर करना सस्ता हो गया। रेलवे ने यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला लिया है। हमसफर ट्रेनों से मंत्रालय ने फ्लेक्सी फेयर योजना को हटा दिया है।

रेल मंत्रालय के मुताबिक यह राहत 35 जोड़ी हमसफर रेलगाड़ियों के लिए है जिनमें फिलहाल केवल एसी– तीन श्रेणी के कोच लगे होते हैं। हमसफर रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट किराया भी घटाया गया है। इनकी कीमत अब मूल किराए के 1.5 गुना के बजाय 1.3 गुना होगी। ये प्रावधान तत्काल टिकट नियमों के तहत लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्लीपर कोच को भी इस ट्रेन से जोड़ा जाएगा। अभी एसी–3 कोच को आवश्यकता के मुताबिक इस ट्रेन से जोड़ा जाता है। इस संबंध में स्थानीय रेलवे अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी प्रावधान किया है कि पहला आरक्षण चार्ज तैयार हो जाने के बाद टिकट के मूल किराए पर 10 फीसद की छूट दी जाएगी जबकि अन्य चार्ज वसूले जाएंगे। इस सेवा का अधिक से अधिक यात्री लाभ ले सकें, इसके लिए कोच जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

बिहार में राजद विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

आरा (बिहार), 13 सितंबर (भाषा)।

बिहार स्थित आरा की अदालत ने नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के संदेस से मौजूदा विधायक अरुण यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

विशेष पॉक्सो अदालत का प्रभार देख रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने जिला पुलिस के अनुरोध पर विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिला मुख्यालय आरा में कहा, ' कुछ समय से विधायक का पता नहीं चल रहा है। यहां तक कि विशेष जांच टीम ने यादव को पकड़ने के लिए आरा और पटना स्थिति उनकी संपत्तियों पर छापेमारी की।'

उन्होंने कहा, 'हमने उनके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाला है लेकिन पिछले 48 घंटे से वह बंद है। पुलिस की ओर से मुहैया कराए गए अंगरक्षक वापस बुला लिए गए हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद खाली

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद रिक्त हैं। यह इस साल की अब तक सर्वाधिक रिक्तियां हैं।

कानून मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक सितंबर को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद खाली थे। उच्च न्यायालयों में कुल 1079 न्यायाधीश होने चाहिए। आंकड़े के मुताबिक उच्च न्यायालयों में अगस्त में 409 और जुलाई में 403 पद खाली थे।

सुप्रीम कोर्ट का तीन सदस्यीय कॉलेजियम उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है। सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायापालिका के बीच चलने वाली एक निरंतर सहयोगपरक प्रक्रिया है क्योंकि उसके लिए कई संवैधानिक अधिकारियों के बीच संवाद एवं उनकी मंजूरी जरूरी होती है।

आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकलीं लालू की बहू ऐश्वर्या

पटना, 13 सितंबर (भाषा)।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से अलग रह रहीं उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय आंखों में आंसू लिए अपनी सास राबड़ी देवी के आवास से शुक्रवार को बाहर निकलते देखी गईं।

भले ही तेज प्रताप की तलाक याचिका अदालत में लंबित है, लेकिन उनकी पत्नी को अपने ससुराल वालों के घर पर बहुत वक्त बिताते देखा गया है।

पहले बारिश के लिए मेढ़क-मेढ़की की शादी, बाद में कराया तलाक

भोपाल, 13 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की मन्नत को लेकर करीब दो महीने पहले प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिट्टी से बनाए मेढ़क और मेढ़की की शादी कराई गई थी लेकिन अब प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हो रही भारी बारिश से परेशान होकर इन दोनों का बाकायदा तलाक कराया गया है।

वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यहां इंद्रपुरी इलाके स्थित 'तुरंत महादेव मंदिर' में ओम शिव शक्ति मंडल के सदस्यों ने मेढ़क-मेढ़की का विवाह करवाया था और अब तलाक भी उन्होंने ही करवाया है। मंडल के पदाधिकारी सुरेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया, ' वर्षा के देवता प्रसन्न हो, प्रदेश में अच्छी बारिश आए इसलिए इस साल जुलाई में मिट्टी का एक मेढ़क और एक मेढ़की बना कर उनकी शादी तुरंत महादेव मंदिर में कराई थी। शादी के बाद से ही प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। अब लोग इस बारिश से परेशान हो गए हैं।' उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों ने भारी बारिश को रोकने के लिए मेढ़क-मेढ़की का तलाक कराने की सलाह दी। जिसके बाद हमने धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण के बीच बुधवार को इसी मंदिर में मेढ़क-मेढ़की का तलाक करवा दिया। तलाक के बाद पानी में उनका विसर्जन कर दिया है।'

मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के एक मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में एक जून से 13 सितंबर सुबह तक 1135 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जो इस अवधि में होने वाली सामान्य बारिश 867 मिलीमीटर से 31 फीसद अधिक है। वहीं, भोपाल जिले में इस दौरान 1605 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश 888 मिलीमीटर से 81 फीसद अधिक है।

JAI MATA GLASS LIMITED
REGD. OFFICE : TIPRA, BAROTIWALA, DISTRICT, SOLAN (H.P.)-174 103
T/F + 91 11 41536830, Email admin@jaimataglass.com, Website www.jaimataglass.com
CIN: L2610HP1981PLC004430
NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the Thirty Nine (39th) Annual General Meeting of the Members of Jai Mata GlassLimited will be held on Saturday, 28th day of September, 2019 at 11:00 a.m. at Village Tipra, Barotiwala, District Solan, Himachal Pradesh-174103 and in accordance with the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 (the "Act") the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Sunday, September 22, 2019 to Saturday, September 28, 2019 (both day inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
The notice proposes the following resolutions for consideration of the shareholders:

Sr. No.	Type of Resolution	Particulars
1	Ordinary	Adoption of Annual Accounts and Reports thereon for the Financial Year ended March 31, 2019.
2	Ordinary	Re-appointment of Mr. Samir Katyal (DIN: 00645810) as director, who retires by rotation.
3	Ordinary	Appointment of Auditors and Fixing their Remuneration.
4	Special	Appointment of Shri Vijay Kumar Nayar (DIN: 08509514) as an Independent Director for a term of five years.

Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of notice of its Annual General Meeting on Tuesday, September 03, 2019, pursuant to Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, in accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using the electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by Insta-Vote.

- The remote e-voting period commences on Wednesday, September 25, 2019 (9:00 am) and ends on Friday, September 27, 2019 (5:00 pm). During this period members' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 21, 2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by Instavote for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of September 21, 2019.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 21, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at https://instavote.linkintime.co.in. However, if you are already registered with INSTAVOTE for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on or contact Linkintime at the following toll free no.: 022-49186000.
- The instructions for login ID and password have been provided, in the notes to the Notice and also in the e-mail sent to the members to enable members to use e-voting facility.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The Chairman shall, at the AGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Form" for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and shall make, not later than three days of the conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.jaimataglass.com and on the website of Linkintime immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges whereat the securities of the Company are listed.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://instavote.linkintime.co.in or contact Linkintime at the following toll free no.: 1800-222-990.

For Jai Mata Glass Limited
Sd/-
Chander Mohan Marwah
Managing Director
DIN: 00172818

Date: September 12, 2019
Place: New Delhi

NOVA AGRITECH PVT.LTD. Nova Agritech Pvt Ltd
In Pursuance to the order No 2900(E) dated 24th October 2015. Issued by Department of Agriculture and Co-operation. Ministry of Agriculture. Govt. of India. Nova Agri Tech Pvt Ltd hereby notifies that it intends to introduce and sell commercially its new 100 percent Water soluble mixture of fertilizers as per the specifications given below:
LIST OF THE PRODUCTS

S.No.	PRODUCT	PRODUCT COMPOSITION	
1	NOVA NUTRI SEQUENCE-I	10:40:20+1.5 MG	FE+MN+CU+ZN+MO+B
2	NOVA NUTRI SEQUENCE-II	10:20:40+1.5 MG	FE+MN+CU+ZN+MO+B
3	NOVA NUTRI CAL	15:15:15+1.5 CAL	
4	NOVA NUTRI CAL BORE	10:0:40+1.5 CAL	B-0.3%
5	NOVA NUTRI K-41	3:0:40+2.5 MG+7.3 S	
6	NOVA NUTRI 3X E	24:24:18	FE+MN+CU+ZN+MO+B
7	NOVA NUTRI SUPREME	0:24:15+S4.5%	
8	NOVA NUTRI SUPERSOL	21:21:21+TE	
9	NOVA NUTRI POWERSOL	12:12:36+TE	
10	NOVA NUTRI BIO 20	20:20:20+TE	B-0.1%
11	NOVA NUTRI BOND	13:40:13+TE	B-0.2%
12	NOVA NUTRI RICH MAG	15:5:30+MG-2%	B-0.2%
13	NOVA NUTRI SUS10	0:37:37	B-0.2%
14	NOVA NUTRI N FORCE	30:10:10	B-02%
15	NOVA NUTRI PHOS54	10:54:10+TE	B-0.2%
16	NOVA NUTRI K-AMINO	5:15:45+TE	B-0.2%
17	NOVA NUTRI PHOS GEM	15:45:10+TE	
18	NOVA NUTRI MIELA	12:11:18+Mg+S	
19	NOVA FERT	0.0.50	
20	NOVA FERT	19.19.19	
21	NOVA FERT	12.61.00	
22	NOVA FERT	13.00.45	
23	NOVA FERT	00.52.34	
24	NOVA FERT	17.44.00	

In all the grades mentioned above. (A) Moisture is Maximum 0.5 per cent. By weight, (B) Total Chloride is less than 0.5 per cent. By weight, (e) Matter insoluble in water is less than 0.5 per cent. By weight, (f) Lead is less than 0.003 per cent . By weight, (g) Cadmium is less than 0.0025 per cent . By weight, (h) Arsenic is less than 0.01 per cent. By weight.
Regd. & Corporate Office
Nova Agri Tech Pvt. Ltd.
Plot No. 57, Hanuman Nagar, Chinnatokatta, New Bowenpally, Secunderabad - 500 011.
Ph : +91-40-27957081 / 82 E-mail : nova.agritech@gmail.com, info@novaagritech.com
Visit us at : www.novaagritech.com

ओ.बी.सी
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
समूह कार्यालय – आर.आर.एल नोएडा, एसएच–12, प्रथम तल, गामा शॉपिन्ग सैन्टर, सैक्टर–गामा–I,
ग्रेटर नोएडा –201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., फोन : 0120-2322667, ई–मेलः rrl_7656@obc.co.in
ई–नीलामी सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा (नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 30.09.2019 को बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा/कर्जदार/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण	ई–नीलामी की तारीख/समय
1	शाखाः एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्रीमती इन्द्रकला पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय और श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एम आई जी फ्लैट, तीसरा तल फ्लैट नं. 4–डी, ब्लॉक–सी, सैक्टर – 62, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. क्षेत्रफल 84.87 वर्ग मी. उप–रजिस्ट्रार–1, नोएडा और जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत, चौहद्दीः उत्तर में – स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण में – स्थित मानचित्र के अनुसार, पूरब में – स्थित मानचित्र के अनुसार, पश्चिम में – स्थित मानचित्र के अनुसार (रचनात्मक/सांकेतिक कब्जा)	₹ 40.64 लाख ₹ 4.10 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 16,14,574.00 और होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
2	एलायन्स, सैक्टर–22 नोएडा, यू.पी. श्री दीपक कुमार और गारंटरः श्री जय प्रकाश	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. डी–888, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, इंद्रप्रस्थ, गाजियाबाद (यू.पी.), उप–जिला गाजियाबाद के अंतर्गत पंजीकृत, जिला गाजियाबाद, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. 925, पश्चिम में – 7.5मी. चौडी रोड, उत्तर में – 9 मी. चौडी रोड, दक्षिण में – प्लॉट नं. 889, (भौतिक कब्जा)	₹ 8.14 लाख ₹ 0.82 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 9,60,782.12 और होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
3	डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्पाऊण्ड, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यू.पी. श्री कृष्ण कुमार राय पुत्र श्री फुर्ती लाल राय	रिहायशी फ्लैट नं. 62, तीसरा तल, ब्लॉक सी, सैक्टर ओमीक्रॉन–01ए, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., क्षेत्रफल–31 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर पूरब में – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार (भौतिक कब्जा)	₹ 8.08 लाख ₹ 0.81 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 10,71,726.08 और दिनांक 01.10.2015 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
4	शाखा : आई.ई.एम.एल. ग्रेटर नोएडा श्री दिनेश कुमार	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 239 एसएफ (द्वितीय तल) ब्लॉक–सी, सैक्टर–ओमिक्रॉन–1, ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., उप–जिला सदर, गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत पंजीकृत, जिला गौतमबुद्ध नगर, चौहद्दीः उत्तर पूरब में – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार (भौतिक कब्जा)	₹ 7.07 लाख ₹ 0.77 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 8,05,620.00 और होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
5	शाखा : एलायन्स, सैक्टर–22 नोएडा, यू.पी. श्री विनीत सिंह राठौर पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह गारंटर : श्री अनन्त पुत्र श्री हनुमंत्रा रॉय	ई डब्ल्यू एस फ्लैट नं. 827, (जीएफ) भूतल, बिना छत के अधिकार के, न्याय खण्ड–II, इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद, यू.पी., क्षेत्रफल 24.65 वर्ग मी, चौहद्दी – पूरब में – मकान नं. 828, पश्चिम में – मकान नं. 822, उत्तर में – 12 मी. चौडी रोड, दक्षिण में – मकान नं. 826, (भौतिक कब्जा)	₹ 8.45 लाख ₹ 0.85 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 12,00,930.00 और दिनांक 01.06.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
6	एलायन्स, सैक्टर–22 नोएडा, यू.पी. श्री मनोज चौधरी	प्लॉट नं. ए–1/32 पर निर्मित रिहायशी मकान एलआईजी फ्लैट नं. एफ–2, (प्रथम तल पर पीछे की तरफ का बिना छत के अधिकार के), डी एल एफ दिलशाद एक्सटेंशन–2, गाँव ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगना लोनी, गाजियाबाद, यू.पी., क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. ए–1/15, पश्चिम में – 30 फीट रोड, उत्तर में – प्लॉट नं. ए–1/33, दक्षिण में – प्लॉट नं. ए–1/31 (सांकेतिक कब्जा)	₹ 7.31 लाख ₹ 0.74 लाख ₹ 0.10 लाख	8,10,392.00 और दिनांक 01.09.2013 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
7	शाखाः एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्रीमती ज्योति प्रकाश पत्नी श्री संजीव प्रकाश और श्री संजीव प्रकाश	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 13, (प्रथम तल), ब्लॉक–25, पॉकेट – 12, सैक्टर–82, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (यू.पी) में स्थित (सांकेतिक कब्जा)	₹ 14.56 लाख ₹ 1.46 लाख ₹ 0.20 लाख	₹ 14,72,816.37 और दिनांक 31.05.2018 से अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	30-09-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
8	शाखाः एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्रीमती ज्योति प्

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय, 37/2/4, संजय प्लेस, आगरा
Regional Office, 37/2/4, Sanjay Place, Agra

कब्जा सूचना

अनुलग्नक – IV [नियम–8 (1)] (चल/अचल संपत्तियों हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित ऋणियों/बन्धककर्ताओं से ऋण की माँग सूचना में बकाया रुपये तथा उस पर ब्याज का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर करने को कहा गया था और इस देय नोटिस को प्राप्त करने के बाद ऋणियों/बन्धककर्ताओं द्वारा निर्धारित समय में बकाए ऋण का भुगतान न किए जाने पर ऋणी/बन्धककर्ताओं और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना जारी की जा रही है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित बन्धक सम्पत्तियों का अधिग्रहण नियमानुसार कर लिया गया हैं। ऋणियों/बन्धककर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्यत: चेतावनी दी जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों में कोई लेन-देन न करें और इसमें किसी प्रकार का लेन-देन बकाया राशि और उस पर देय ब्याज सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होगा। ऋणी/बन्धककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) के तहत बन्धक सम्पत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा के प्रावधान की तरफ आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम व पता	देय नोटिस की दिनांक एवं बकाया राशि	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि
ऋणी– 1.मैसर्स कुंज पॉवर प्रोजैक्टस् प्रा. लि, **पता :** विठ्ठल कुंज, विश्राम घाट, मथुरा, 2. श्री सन्दीप चतुर्वेदी पुत्र श्री सुरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी (निदेशक, मैसर्स कुंज पॉवरप्रोजैक्टस् प्रा. लि.), **पता: 1.** विठ्ठल कुंज,विश्राम घाट, मथुरा, **पता: 2.** 2/21 विश्वासखंड गोमती नगर, लखनऊ, **पता: 3.** 1018 ए, रामजीद्वारा, होली गेट के पास, मथुरा, 3. श्री अभय सक्सेना पुत्र स्व. श्री श्यामलाल सक्सेना (निदेशक, मैसर्स कुंज पॉवर प्रोजैक्टस् प्रा. लि.) **पता: 1.** विठ्ठल कुंज, विश्रामघाट, मथुरा, **पता: 2.** 57, गली न. 2 हरी नगर, महोली रोड, मथुरा, 4. श्रीमती मीता दिनेश चतुर्वेदी पत्नी श्री दिनेश चतुर्वेदी एवं श्री अनिरूद् दिनेश चतुर्वेदी पुत्र श्री दिनेश चतुर्वेदी पाठक (निदेशक, मैसर्स कुंज पॉवरप्रोजैक्टस् प्रा. लि.) **दोनो का पता:** विठ्ठल कुंज, विश्राम घाट, मथुरा, **पता: 2.** ए–32 तृतीय तल, बलबीर सक्सेना मार्ग, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, एवं. **गारंटर–**1. श्री सन्दीप चतुर्वेदी पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, **पता 1. :** 2/21 विश्वास खंड गोमती नगर, लखनऊ, **पता 2. :** 1018ए, रामजीद्वारा,होली गेट के पास, मथुरा, 2. श्री अभय सक्सेना पुत्र स्व. श्री श्यामलाल सक्सेना, **पता :** 57, गली न. 2 हरी नगर, महोली रोड, मथुरा, 3. श्रीमती मीता दिनेश चतुर्वेदी पत्नी श्री दिनेश चतुर्वेदी, **पता:** ए–32 तृतीय तल, बलबीर सक्सेना मार्ग, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, 4. श्री अनिरूद् दिनेश चतुर्वेदी पुत्र श्री दिनेश चतुर्वेदी पाठक, **पता:** ए–32 तृतीय तल, बलबीर सक्सेना मार्ग, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली	11.06.2019 ₹4,40,29,251/– + दि. 11.06.19 से ब्याज व अन्य खर्चे	आवसीय फ्लैट (छत के आंशिक अधिकार के साथ) ए–32 तृतीय तल, बलबीर सक्सेना मार्ग, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, एरिया: 2580.00 वर्ग फीट (निर्मित क्षेत्र), पार्किंग एवं सर्वेट रूम के साथ, सम्पत्ति श्रीमती मीता दिनेश चतुर्वेदी पत्नी श्री दिनेश चतुर्वेदी उर्फ दिनेश चतुर्वेदी पाठक के नाम चौहद्दी : पूर्व: 15 फीट सर्विस लेन, पश्चिम: 80 फीट रोड बलबीर सक्सेना मार्ग, उत्तर: 15 फीट सर्विस लेन दक्षिण: प्रोपर्टी न. ए –31	09.09.2019

शाखा : मथुरा

दिनांक : 14.09.2019 स्थान : आगरा — प्राधिकृत अधिकारी

जम्मू, 13 सितंबर (भाषा)। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में गिरफ्तार जैश–ए–मोहम्मद (जेईएम) के तीन आतंकवादियों को शुक्रवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

स्टेलर सर्च एंड सिलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U74140DL2001PTC111326
पंजी. कार्या.: एन 161ए, सायरा टॉवर, 3 फ्लोर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110049
ईमेल आईडी: shailja@stellarsearch.com

फॉर्म सं0. आईएनसी–26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशालय, उत्तरी क्षेत्र
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामलें में
तथा
स्टेलर सर्च एंड सिलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एन 161ए, सायरा टॉवर, 3 फ्लोर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110049 में है के मामलें में
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 13 सितम्बर, 2019 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, पं0. दीन दयाल उपाध्याय, अंत्योदय भवन, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय एन 161ए, सायरा टॉवर, 3 फ्लोर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110049 पर भेजी जानी चाहिए:–

कृते और उनकी ओर से
कृते स्टेलर सर्च एंड सिलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
(वरूण सिन्हा)
निदेशक (DIN: 07885638) **आर/ओ: फ्लेट नं0.–ए 206, कात्यायनी, प्लॉट नं0. 8, सेक्टर–6, द्वारका, नई दिल्ली–110075**

नीरव मोदी के भाई के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

इंटरपोल ने दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है। धन शोधन के आरोपों पर बेल्जियम के नागरिक नेहल (40) के खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। धन शोधन मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।

इंटरपोल अपने किसी सदस्य देश के कहने पर आरसीएन जारी करता है। इसका मकसद सभी सदस्य देशों को यह सूचना देना होता है कि किसी खास शख्स के खिलाफ उसके देश में गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो चुका है।

नेहल मोदी इन दिनों न्यूयॉर्क सिटी के एक उपनगर में रह रहा है। उसके बारे में आरसीएन जारी करते हुए इंटरपोल ने कहा है कि नेहल दीपक मोदी का जन्म बेल्जियम के एंटवर्प में हुआ और वह अंग्रेजी, गुजराती व हिंदी भाषाएं जानता है। ईडी ने इस मामले में दायर किए गए आरोप पत्र में नेहल को नामजद किया है और उस पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी के मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप है। यह बैंक धोखाधड़ी पिछले साल सामने आई थी, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई।

ईडी ने आरोप लगाया कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सामने आने के बाद नेहल मोदी ने नीरव मोदी के करीबी विश्वासपात्र और कार्यकारी मिहिर आर भंसाली के साथ दुबई से 50 किलोग्राम सोना और अच्छी खासी नकदी ली और फर्जी निदेशकों से अधिकारियों के सामने उसका नाम न लेने के निर्देश दिए। नेहल मोदी (40) अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के उपनगरीय इलाके में रहता है।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 री–टेन्डर

सूचना ई–निविदा सूचना स0 ETC/MU/T-128/2019-20 से ETC/MU/T-131/2019-20, जिनके खुलने की तिथि 17.09.2019 निर्धारित थी, को अपरिहार्य कारणोवश री–टेन्डर कर खुलने की तिथि 25.09.2019 की जाती है। कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन कर सकते हैं। शेष अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी। ''राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें'' पत्रांक/ No. 1887 / वि0पा0म0(ETC)/मु0नगर(MZN)/ दिनांक/ DATED 12.09.2019

वाड्रा को विदेश यात्रा की इजाजत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को कारोबारी उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा की इजाजत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को 21 सितंबर से आठ अक्तूबर के बीच स्पेन की यात्रा करने की इजाजत दी। उन्होंने अदालत में इसके लिए अपील दायर कर रखी थी। वाड्रा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (उत्तर)–I
ओवरहेड टैंक, मुखर्जी नगर, दिल्ली–110009
एनआईटी सं. 18, आइटम नं. 1 (उत्तर–I) (2019–20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क (अप्रतिदेय)	ई–प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई–प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (एन)–I के अंतर्गत मल्का गंज वार्ड नं. 13 की सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिये एसजी बेलदारों की भर्ती (पुनर्आमंत्रित) निविदा आईडी सं. 2019_DJB_179981_I)	वस्तु दर	56000/–	500/–	11.9.2019 6.00 बजे अप. से	तकनीकी बोली 1.10.2019 के 3.00 बजे अप. में प्राप्त की जायेगी तथा वित्तीय बोली को तकनीकी बोली की पूर्णता तथा बैंक से ईएमडी की पुष्टि के बाद खोला जायेगा।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी) — हस्ता./–
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019–20/356 — कार्यपालक अभियंता (उत्तर)–I

SHILPI CABLE TECHNOLOGIES LIMITED - In LIQUIDATION
CIN No. L64201DL2006PLC150753

E-AUCTION SALE NOTICE

Sale of Movable Asset (Vehicles)

Twelve Vehicles (Mercedes Benz ML250 CDI, BMW520i, Eicher Truck, Maruti Suzuki Swift Dzire, Mahindra Bolero, Mahindra Maxima Load Car, Six Motorcycles) will be put on sale by the Liquidator (Huzefa Fakhri Sitabkhan) appointed by the Hon'ble NCLT, Principal Bench, w.e.f. 1st May, 2019.

E-Auction on 30th September 2019 from 11 AM to 1 PM at web portal of: https://ncltauction.auctiontiger.net

Call at +91 22 6610 0921/22 or Email at sctl.lq@gmail.com for more information. Detailed Sale notice uploaded on the website: https://ncltauction.auctiontiger.net

For Shilpi Cable Technologies Limited – In Liquidation
Huzefa Fakhri Sitabkhan
Liquidator
IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115
Date : 14th September, 2019
Place : Mumbai

SBI
प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग-II, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

प्रस्ताव हेतु निवेदन

भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक समूह के लिए "सेन्ट्रलाइज्ड एप्लिकेशन परफॉर्मेन्स मॉनिटरिंग सॉल्यूशन की प्राप्ति, कार्यान्वयन और निगरानी समर्थन" के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी नं. SBI/GITC/Platform Engineering-II/2019/2020/645 दिनांक: 12/09/2019 जारी किया है. कृपया बैंक की वेबसाइट **www.sbi.co.in** या **https://bank.sbi** पर **'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज'** देखें.

स्थान: नवी मुंबई — हस्ताक्षर
दिनांक: 14.09.2019 — उप महाप्रबंधक (पीई-II)

प्रमुख स्टेशनों पर प्लास्टिक निस्तारण के लिए लगेगी मशीन : लाल

भागलपुर, 13 सितंबर (जनसत्ता)।

मालदा मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्लास्टिक कचरा निस्तारण के वास्ते जल्द मशीन लगेगी। बहरहाल, भागलपुर व मालदा स्टेशन पर यह मशीन लगा दी गई है। वहां प्लास्टिक कचरा मशीन के जरिए निस्तारण करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी मालदा रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक एसके लाल ने दी है।

पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों में बुधवार से 21 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है। मालदा मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक ने बताया कि 2 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान के दरम्यान मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों, दफ्तरों और रेल मार्गों में बिखरे पड़े प्लास्टिक कचरों को जमा करने के बाद श्रमदान के जरिए इसका निष्पादन किया जाएगा। जिसमें स्वयंसेवी संगठनों के साथ-साथ मुसाफिरों और आमजन की भी सहभागिता रहेगी।

Government of Jharkhand
Urban Development And Housing Department
Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad

e-Procurement Re-Tender Notice No. DMC/44/2019-20
NIT No. : DMC/44/2019-20 — **Date : 12.09.2019**

क्रम सं0	Tender Reference Number	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति का अवधि
1	DMC/44/01/2019-20	फुसबंगला चौक, झरिया, धनबाद एवं राजु यादव चौक, धनबाद का उन्नयन कार्य। (5th Call)	33730685.00	2 % of BOQ	10000.00	नौ माह

Date of Publication of Tender on website :- **14.09.2019 At 03.00 PM**
Online Last Date / Time for receiving of bids :- **24.09.2019 (Online) till 05:00 PM**
Date of Receiving Hard Copy of Earnest Money & Cost of Tender Upto **25.09.2019, 03:00 PM** Dhanbad Municipal Corporation, LUBY Circular Road, MADA Building, Dhanbad
Date of Bid Opening :- **26.09.2019 at 09:00 AM** (Online)
NOTE:- (i) Only e-Tenders will be accepted. Further details can be seen on website http://www.jharkhandtenders.gov.in.
(ii) Contractor should be registered in appropriate class as per NIT
(iii) Estimated Cost / Quantity May Vary

बूंद - बूंद नहीं बरसेंगे तो बूंद को तरसेंगे
P.R.216803 Urban Development(19-20):D
S/d-
Executive Engineer,
Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad

ब्रिज एंड रूफ कं0 (इंडिया) लि0
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
''कांकरिया सेंटर'', (4था व 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता - 71

निविदा आमंत्रण सूचना (निआसू)

निम्नलिखित कार्य हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में आइटम दर प्रस्ताव आमंत्रित है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण निआसू सं0 बी एंड आर/एमएसपी/61010/एचएमईएल/पाइपिंग/डब्ल्यूएम/एनआईटी/01(आर) दिनांक 13.09.2019	बी एंड आर की वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र	बोली दाखिले की नियत तिथि
1.	भटिंडा (पंजाब) स्थित मेसर्स एचपीसीएल–मित्तल इनर्जी लिमिटेड की गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी हेतु प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार श्रमिक, यंत्र–उपकरण, पीपीई, मशीनरी, एनडीटी–उपकरण के साथ जमीन के ऊपर आईबीआर एवं नॉन–आईबीआर (सीएस, एएस, एसएस, जीआई व स्ट्रीम ट्रेसिंग) पाइपिंग कार्य सहित परिवहन, फैब्रिकेशन, संस्थापन, बिछाई, एलाइनमेंट, वेल्डिंग, सपोर्टिंग, हाइड्रो–टेस्टिंग, फ्लशिंग, बॉक्स–अप, प्री–कमीशनिंग इत्यादि।	13.09.2019	27.09.2019

इच्छुक साधनसंपन्न ठेकेदार निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in पर जारी की जाएगी।

SBI
एंटरप्राइज व टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर (E&TA) विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेन्टर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

शुद्धिपत्र-5

कृपया "एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) टूल के प्राप्ति, संस्थापन, सेटअप और रखरखाव" के लिए आरएफपी नं. एसबीआई/जीआईटीसी/एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर/2019/2020/617 दिनांकित 23/07/2019 का संदर्भ लें. **शुद्धिपत्र-5** बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर **'प्रोक्योरमेंट न्यूज'** के अंतर्गत उपलब्ध है.

स्थान: नवी मुंबई — हस्ता/–
दिनांक: 14.09.2019 — प्रमुख (E & TA)

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त उदयपुर
क्रमांक: टी.एस./ निविदा फाईल/ 2019–20/ डी–1328 — दिनांक: 31.08.2019
निविदा संख्या 02/2019–20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान सरकार के पात्र श्रेणी के संवेदकों एवं केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के पात्र श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया हेतु आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इन्टरनेट साईट **www.eproc.rajasthan.gov.in, www.dipronline.org** व **http://sppp.raj.nic.in** पर उपलब्ध है।

कार्यालय का नाम	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त उदयपुर
निविदा के कार्य	2 कार्य
निविदा की कुल लागत	रु. 1003.00 लाख
कुल धरोहर राशि	अन्य विभागों में पंजीकृत राशि रु. 2006000.00 सा.नि.वि. में पंजीकृत राशि रु. 501500.00
निविदा आवेदन/ डाउनलोड करने की तारीख	09.09.2019 प्रातः 09.30 बजे से 30.09.2019 सायं 6.00 बजे तक
प्रि बिड मीटिंग की दिनांक एवं समय	25.09.2019 सायं 3.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की तारीख	09.09.2019 प्रातः 09.30 बजे से 30.09.2019 सायं 6.00 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस, शपथ पत्र राशि रु. 1000/– के स्टाम्प पर जमा कराने की अंतिम तारीख	(1) दिनांक 01.10.2019 सायं 6.00 बजे तक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित नगर खण्ड उदयपुर कार्यालय में। (2) दिनांक 03.10.2019 प्रातः 11.00 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त उदयपुर कार्यालय में।
पोटेन्शियल (तकनीकी) बिड खोलने की तारीख	03.10.2019 को सायं 4.00 बजे
NIB CODE	NIB CODE: PWD1920A1103
1) UBN No.	PWD1920WSOB04842
2) UBN No.	PWD1920WSOB04843

हस्ता./–
(अशोक कुमार शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त उदयपुर

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल सुरक्षा आयुक्त/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी द्वारा निम्नांकित कार्यों के लिए आन लाईन (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से खुली ई निविदा सूचना संख्या DSC-RPF-BSB-07-2019-20 dt. 07.09.2019 के माध्यम से एकल बिड सिस्टम पर आधारित मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का नाम : वाराणसी मण्डल के सहायक सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/छपरा के क्षेत्राधिकार में अपराध नियंत्रण अचानक घटना एवं अन्य ड्यूटी हेतु 01 अदद चार पहिया वाहन स्कार्पियो/इनोवा या समकक्ष, 24 घंटे एवं 2000 किलोमीटर प्रति वाहन प्रतिमाह रनिंग, कामर्शियल रजिस्ट्रेशन, सभी टैक्स/जीएसटी, ईंधन, ड्राईवर, पार्किंग एवं अन्य चार्ज के साथ 03 वर्ष हेतु 01 अदद चार पहिया वाहन हायरिंग के लिए। **कार्य की अनुमानित लागत ₹ में : 12,57,408/-, अमानत राशि ₹ में : 25,200/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य : ₹ 2000/-, कार्य की अवधि : कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 03 वर्ष तक। ई-निविदा बंद होने की तिथि एवं समय : दिनांक 09.10.2019 को समय 14.30 बजे। ई-निविदा खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक 09.10.2019 को समय 15.00 बजे।**

• निविदाकार निविदा को दिनांक 09.10.2019 को समय 14.30 बजे तक आनलाईन जमा कर सकेगें। • पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रेलवे के वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखें।

मण्डल सुरक्षा आयुक्त/
मुजाधि/विविध-61 — रेसुब/वाराणसी

रेलवे सतर्कता मोबाइल हेल्प लाइन नं0 0551-155210
(भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत के लिये)
ट्रेन की छत या पायदान पर बैठकर यात्रा न करें

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 106 (1ला तल), मधुवन टावर, ए–1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली–110092
फोन: 91–11–49901667, वेब: www.maryadainvestment.in
(CIN: U65993DL1982PLC013738)

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनेकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2019 (अनेकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.6.2018 (अनेकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	6,06,807.23	3,89,851.23
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(61,836.11)	(2,86,786.23)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(61,836.11)	(2,86,786.23)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(62,058.11)	(2,85,701.23)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	2,06,265.81	(28,50,837.97)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	12,450,000	12,450,000
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) मूल	-0.05	-0.23
	तरल	-0.05	-0.23

टिप्पणी:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट **www.msei.in** तथा कम्पनी की वेबसाईट **www.maryadainvestment.in** पर भी उपलब्ध है।

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
कुलदीप शर्मा
निदेशक
DIN: 06746475

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12 सितम्बर, 2019

SBI भारतीय स्टेट बैंक
एनीटाइम चैनल्स विभाग, 9वीं मंजिल, एयर इंडिया बिल्डिंग, कारपोरेट सेन्टर, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई–400021

शुद्धिपत्र

भारतीय स्टेट बैंक ने स्वयं कियॉस्क्स यानी बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियॉस्क्स की प्राप्ति, संस्थापन, कार्य–आरंभ तथा रखरखाव के लिए आरएफपी सं. SBI:AC:ECR:588 दिनांक **14.08.2019** का शुद्धिपत्र दिनांक **05.09.2019** तथा **13.09.2019** जारी किया है.

अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** या **https://sbi.co.in** तथा ऑनलाइन ई–टेंडर पोर्टल **https://etender.sbi/SBI/** पर ''प्रोक्योरमेन्ट न्यूज'' देखें.

स्थान: मुंबई — हस्ता/–
दिनांक: 14.09.2019 — उप महाप्रबंधक (ईसीआर)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमण्डल,चाण्डिल
Email ID: eecscdchandil@gmail.com

ई0 प्रोक्युरमेंट नोटिस
ई0 निविदा प्रसंग संख्या :WRD/ CS&CD, CHANDIL/SBD-01/2019-20 दिनांक :- 11.09.2019

1.	कार्य का नाम	SPECIAL REPAIR OF CAUSEWAY OF CHANDIL DAM.
2.	प्राक्कलित राशि	2,54,10,291.18 (रुपयें दो करोड चौवन लाख दस हजार दो सौ एकान्वें एवं अठारह पैसे) मात्र ।
3.	कार्य समाप्ति की अवधि	365 दिन
4.	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि एवं समय	दिनांक 18.09.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन ।
5.	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 10.10.2019 को अपराहन 05.00 बजे तक।
6.	अग्रधन की राशि	रू0 2,55,000.00 (प्राक्कलित राशि का एक प्रतिशत)
7.	अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 12.10.2019 तक अपराहन 05.00 बजे तक।
8.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 14.10.2019 को अपराहन 12:30 बजे।
9.	निविदा प्रकाशित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमण्डल,चाण्डिल।
10.	ई0 प्रोक्युरमैंट पदाधिकारी का दूरभाष संख्या	8340535485
11.	ई0 प्रोक्युरमैंट सेल का दूरभाष संख्या	0657-2371765

नोट: सिर्फ ई0 निविदा स्वीकार होगा।
अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाईट https://jharkhandtenders.gov.in देखें।
कार्यपालक अभियंता,
केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमण्डल,
चाण्डिल

PR216832 (Irrigation)19-20*D — बूंद – बूंद नहीं बरसेंगे तो बूंद को तरसेंगे

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन–3, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित हैं:–

1 एनआईटी: ईई/सीडी 03/एनआईटी 11/2019–20
हैड: एमएलएएलडी फंड।
कार्य का नाम: लक्ष्मी नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एसी–58 में साउथ गणेश नगर की तीन सड़कों के साइड नालियों और सड़कों के फुटपाथ में सुधार (पंजीकृत संख्या–691)। अनुमानित लागत 14,03,952.00 रु. धरोहर राशि: 28,079.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि

काली सूची से 312 विदेशी सिखों के नाम हटाए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे 312 विदेशी सिखों के नाम काली सूची से हटा दिए गए हैं। अब इस सूची में सिर्फ दो नाम बचे हैं। विभिन्न सुरक्षा एजंसियों ने विदेशी सिख नागरिकों के नामों वाली काली सूची की समीक्षा की और उसके बाद यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय के इस कदम के साथ ही विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों में उनके नामों को लेकर चल रहे काम रोक दिए हैं।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, 'भारत सरकार ने सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 314 विदेशी नागरिकों के नामों की काली सूची की समीक्षा की और अब इस सूची में सिर्फ दो नाम हैं।' इस काली सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, वह अब भारत में अपने परिवारों से मिलने आ सकते हैं और अपनी जमीन से दोबारा जुड़ सकते हैं।

यह समीक्षा नियमित रूप से सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी समीक्षा इस तरह के विदेशी सिख नागरिकों को भारत आने का एक अवसर प्रदान करेगी। इससे वह अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकेंगे और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ सकेंगे।

दरअसल, 1980 में भारत के कई सिख नागरिक और सिख समुदाय से ताल्लुक रखनेवाले कई विदेशी नागरिक भारत विरोधी दुष्प्रचार में कथित तौर पर शामिल थे। भारत के कुछ सिख नागरिक यहां सजा से बचने के लिए अन्यत्र चले गए और विदेशों के नागरिक बन गए तथा वहां शरण ले ले ली। ऐसे लोगों को 2016 तक काली सूची में रखा गया था, जिसके बाद वह भारतीय वीजा हासिल करने के पात्र नहीं थे।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अब यह प्रक्रिया ही बंद कर दी गई है।

श्रीनगर के कुछ हिस्सों में नई पाबंदियां

श्रीनगर, 13 सितंबर (भाषा)।

शुक्रवार की नमाज के मद्देनजर श्रीनगर के कुछ हिस्सों में नई पाबंदियां लगाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को भी स्कूल बंद रहे और सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद रहे।

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले, संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के 40वें दिन बाद भी कश्मीर में जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने बताया कि हजरतबल के इर्दगिर्द के इलाकों में नए प्रतिबंध लगाए गए हैं जबकि शहर के अंदरुनी इलाकों में पांच पुलिस थाना क्षेत्रों में पाबंदियां अब भी जारी हैं।

विखे पाटील व दो अन्य मंत्रियों को अयोग्य करार देने से इनकार

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में राधाकृष्ण विखे पाटील और दो अन्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने का आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी नियुक्तियां नैतिक रूप से सही नहीं है।

न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जीएस पटेल के खंडपीठ ने कहा कि इस साल लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिले जिससे अन्य दलों के नेता पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए होंगे। पीठ ने विखे पाटील, राकांपा से शिवसेना में आए जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआइ (ए) नेता अविनाश महातेकर की राज्य सरकार में मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मंत्रियों को महज राजनीतिक लाभ और सुविधा के लिए राज्य विधानसभा में शामिल किया गया। हम इसका समर्थन नहीं करते। जो भी किया गया वह शायद नैतिक रूप से सही न हो लेकिन हम मंत्रियों को अयोग्य करार नहीं दे सकते।

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि तिरुपति सेरामिक्स लिमिटेड (परिसमापन में) ("कॉर्पोरेट ऋणधारक") CIN NO. U26920HR1995PLC032947 के नीचे वर्णित इक्विटी शेयरों के प्रमाणपत्र(त्रों) के गुम हो जाने/ नीचे नामित शेयरधारक(को)/ क्रेता (ओं)/ दावेदार (रों) द्वारा उसके स्थानच्युत होने की सूचना दी गई है। जिसके लिए परिसमापक के पास उनके द्वारा दावे दाखिल किए गए हैं।

यदि नीचे वर्णित शेयर (रों) के स्वामित्व के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, वे निम्न पते पर इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने आपत्ति से समर्थन में आवश्यक प्रमाणों के साथ परिसमापक के पास अपनी आपत्ति दाखिल करें:

श्री अमित शर्मा
तिरुपति सेरामिक्स लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के परिसमापक
बीआरएस इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल्स एलएलपी
बी-220/2, प्रथम तल, मैन मार्केट राइट साइड, सावित्री नगर, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

यदि इस सूचना के 15 दिनों के भीतर परिसमापक को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिसमापक से अनुरोध किया जाएगा कि आगे किसी सूचना के बिना उपरोक्त दावेदार (रों) को अधिशेष वितरण राशि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति करें।

फोलियो नं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की सं.	विशिष्ट सं. से	तक	प्रमाणपत्र सं.
98	अतुल भंडारी	2500	2024257-2026756		123
67	ओम प्रकाश भंडारी	2500	1787507-1790006		89
49	सुख एस. मेहता	16532	01631562-01648093		59
1	राज राम भंडारी	40000	2325717-2365716		132
		75000	2040257-2115256		127
		88500	2365717-2454216		133
110	राज राम भंडारी एंड सन्स (एचयूएफ)	2500	2478501-2481000		139

हस्ता./-
राम राज भंडारी
तिरुपति सेरामिक्स लिमिटेड (परिसमापन में) के प्रवर्त्तक
बी-5/110, 2रा तल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

तिथि: 12.09.2019
स्थान: नई दिल्ली

यूको बैंक UCO BANK

जोनल ऑफिस, रिकवरी डिपार्टमेन्ट, प्रथम तल, 5, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-49498285, 011-49498261

शुद्धिपत्र

समाचारपत्र **जनसत्ता (हिन्दी)** दिनांकित **13.09.2019** मे प्रकाशित बिक्रि सूचना के संदर्भ मे देखें। **(सभी खातों के लिए)** जिसमें बोली वृद्धि राशि नही छपी हुई है कृपया **बोली वृद्धि राशि 10000/- रूपये** पढ़ें। तथा सम्पत्ति निरिक्षण की तिथि संपत्ति संख्या 1 एवं 2 मे 08.05.2019 एवं 21.05.2019 के स्थान पर **23.09.2019** पढ़ें। एवं संपत्ति सं. 3 एवं 4 में 21.05.2019 एवं 23.10.2018 के स्थान पर **24.09.2019** पढ़े। बाकि नियम व शर्ते यथावत् रहेगी।

दिनांक 13.09.2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal at Lucknow

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance through publication

O.A. No. 797/2019 Date : 05-08-2019

(Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)

STATE BANK OF INDIA .....Applicant
Versus
SHRI AMIT VERMA & OTHERS ....Defendants

To,
1. Shri Amit Verma, Adult R/o Shri Sushil Kumar, R/o B-306, Tower B, 3rd Floor, Uninav Heights, Raj Nagar, Extension, Ghaziabad, U.P. 201017.
Second Address: R/o 20/139, Hasanpur, Bhovapur-1, Near Redison Mall, Kaushambi, Ghaziabad, U.P. - 201012, **Third Address :** C/o Ms. Digital Cafe, BG-72, Aditya Mega City, Indirapuram, Ghaziabad, U.P. 201014

In the above noted application, you are required to file reply / evidence in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **06-11-2019 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष
कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट नं. 4 बी, सेक्टर- 27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़
नं. एनसीएलटी/ सीएचडी/ आरईजी/ 353 तिथि: 12.9.2019
सीपी (IB) नं. 333/ Chd/ Chd/ 2019
आईबीसी, 2016 की धारा 7 के अन्तर्गत

मामले में
पंजाब नेशनल बैंक - याचिकाकर्ता- वित्तीय क्रेडीटर
बनाम
मै. न्यूकेम लिमिटेड - प्रतिवादी- कॉर्पोरेट डेब्टर

सेवा में
मै. न्यूकेम लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 54, इंडस्ट्रियल एरिया, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन- 121001

कृपया ध्यान रहे कि 9.9.2019 को इस अधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिये उपरोक्त कम्पनी आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा उसकी **अब 07 अक्टूबर, 2019 को 10.30 पूर्वा. में सुनवाई** निर्धारित की गई है।

कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत अथवा किसी प्राधिकृत एजेन्ट या वकील के माध्यम से निर्धारित तिथि को इस अधिकरण के सिटिंग मेम्बर्स के समक्ष उपस्थित हों।

मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर 9 **सितम्बर, 2019 को दी गई।**

सहायक रजिस्ट्रार,
रजिस्ट्रार के लिये
एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ

SRS LIMITED

Regd. Office: SRS Multiplex, 2nd Floor, City Centre, Sector-12, Faridabad (Haryana) - 121007
Ph. # 8448995132, CIN: L74999HR2000PLC040183
Website: www.srsparivar.com Email: compliances@srsparivar.com

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The Notice is hereby given that:

1. The 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th September,2019 at 11:30 A.M. at Basement-1, SRS Multiplex, City Centre, Sector-12, Faridabad-121007 to transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of AGM;
2. Copies of the Annual Report containing, inter alia, Notice of AGM, Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all the members in electronic mode, whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) has been completed on 10th September, 2019. The Annual Report is also available on the Company's website www.srsparivar.com.
3. In accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 the Company has fixed Monday, 23rd September, 2019 as the cut-off date to determine the eligibility to vote by electronic means or in the general meeting. Thus, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 23rd September, 2019, may cast their votes electronically on the Ordinary Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than the venue of AGM ("remote e- voting"). All the members are informed that:

i) The Ordinary Businessas set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
ii) The remote e-voting shall commence on Friday, 27th September, 2019 at 10:00 A.M.;
iii) The remote e-voting shall end on Sunday,29th September, 2019 at 5:00 P.M ;
iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23rd September, 2019;
v) The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September,2019 to Monday,30th September, 2019 (both days inclusive).
vi) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2019 may visit the Company's website www.srsparivar.com for 'Notice calling the 19th Annual General Meeting' or may write to our RTA's for copy of Notice and can follow the same instructions as mentioned in the Notice for e-Voting or may obtain the login id and password by sending request at evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
vii) Members may note that:
a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the members shall not be allowed to change it subsequently;
b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM;
c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGMmay also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
viii) The Notice of AGM is available on the Company's website www.srsparivar.com and also at www.cdslindia.com;
ix) In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company at the email id compliances@srsparivar.com.

For SRS Limited
(under CIRP)
Sd/-
(Jyotsna Nanda)
Company Secretary
M.No.A-29399

Place: Faridabad
Date: 13th September, 2019

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com,info@shivkamalimpex.com
Website: www.shivkamalimpex.com CIN: L52110DL1985PLC019893

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019 (Rs. In lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2019 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2018 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	7.22	7.26
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.50	4.58
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.50	4.58
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.33	3.39
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.33	3.39
6.	Equity Share Capital	100.56	100.56
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)		
	1. Basic	Rs. 0.33	Rs.0.34
	2. Diluted	Rs. 0.33	Rs.0.34

Note:
1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.shivkamalimpex.com.
2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on September 13, 2019.
3. The company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 1, 2019. The above financial results have been prepared in accordance with principles as laid down in Ind AS-34 - Interim Financial Reporting.

By the Order of the Board
For **Shivkamal Impex Limited**
Sd/-
Manu Jain (Director)
DIN-07801467

Place: New Delhi
Date: 13.09.2019

सूचना

नगर निगम गुडगाँव के भवनकर रिकार्ड में यूनिट आई0 डी0 नं0 **269C1747U190** पता **G 412, 4F, Block B, Vipul Tech Square, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram** में हैं जो श्री अरविन्द नाथ सेठ पुत्र स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सेठ के नाम दर्ज है। श्री अरविन्द नाथ सेठ पुत्र स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सेठ ने वसीयतनामा वसीका नम्बर 77 दिनांक 03.02.2016 के अनुसार उक्त यूनिट की वसीयत श्रीमती रीता सेठ पत्नी श्री अरविन्द नाथ सेठ के पक्ष में कर दी है। श्री अरविन्द नाथ सेठ पुत्र स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सेठ की मृत्यु दिनांक 25.12.2018 के उपरांत श्रीमती रीता सेठ पत्नी श्री अरविन्द नाथ सेठ ने हल्फनामा दिया है कि भवन यूनिट आई0 डी0 **269C1747U190** पता **G 412, 4F,** Block B, Vipul Tech Square, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram क्षेत्र में स्थित है। अब श्री अरविन्द नाथ सेठ पुत्र स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सेठ की मृत्यु दिनांक 25.12.2018 के उपरांत यूनिट आई0 डी0 नं0 269C1747U190 की मै कानूनी वारिस हूँ।उक्त यूनिट की मलकियत मेरे नाम दर्ज की जावें।

यदि इस मलकियत/भवन/यूनिट/आई0 डी0 नं0 **269C1747U190** मलकियत जो कि **G 412, 4F, Block B, Vipul Tech Square, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram** में है में श्रीमती रीता सेठ पत्नी श्री अरविन्द नाथ सेठ निवासी: **412, 4F, Block B, Vipul Tech Square, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram** के नाम दर्ज करने हेतु किसी भी व्यक्ति का कोई ऐतराज है तो वह समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन (तीस दिन) के अन्दर-अन्दर अपना ऐतराज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दे सकता है। समयाविधि समाप्त होने उपरांत भवन कर रिकार्ड में पार्थी के नाम स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। जिसके लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा। सूचित होवें।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-III
नगर निगम, गुरूग्राम।

मै. जेडीएस एप्पैरल्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक का पता: 803ए, न्यू ज्योति सीजीएचएस, प्लॉट नं. 27, सेक्टर-4, द्वारका, दिल्ली-110078

ई-नीलामी बिक्री सूचना

दिवाला एवं दिवालिया संहिता 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अंतर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्तियों की वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योरमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लि. द्वारा ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

नीलामी की तिथि एवं समय	बुधवार, 25.9.2019 को 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप.
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	21.9.2019
निरीक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व अनुमति के साथ 20.09.2019

विवरण	आरक्षित मूल्य (लाखों में)	ईएमडी (रु.) (लाखों में)
प्लॉट नं. 7, "सिटी स्क्वॉयर माल", शिवाजी प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027 में स्थित भू तल पर व्यावसायिक दुकान सं. जी-5, माप 97.6 वर्ग मी. सुपर एरिया जो 1051 वर्ग फीट के बराबर है तथा 700.14 वर्ग फीट का कवर्ड एरिया।	रु. 16200000/-	रु. 16,20,000/-

ईएमडी (अप्रतिदेय) का भुगतान 21.9.2019 को या उससे पूर्व "मै. जेडीएस एप्पैरल्स प्रा.लि. (परिसमापन में)" की खाता, खाता नं. 349401010929214 तथा आईएफएससी कोड UBIN0534943 में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा इच्छुक बोलीदाता को करना होगा। ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई-नीलामी से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिये श्री तिलक मराठा/पुष्पित मारु (एमः +91 6351896834), लैंडलाइन नं.: 079-61200557/513/551/554/594 से सम्पर्क करें।

हस्ता./-
सतीश कुमार माथुर
जेडीएस एप्पैरल्स प्रा.लि. के परिसमापक
IBBI पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00132/2017-18/10348
मो.नं. 8175859618

स्थानः नई दिल्ली
तिथि: 14.9.2019

CSL Finance Limited

Regd. Office: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi New Delhi-110005
(CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel/Fax: 011-42503442; Email: info@cslfinance.in; Web: www.cslfinance.in)

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2019
Amount (Rs. In lacs)

S. No.	Particulars	QUARTER ENDED 30.06.2019 (UN-AUDITED)	QUARTER ENDED 30.06.2018 (UN-AUDITED)
1	Total income from operations	1533.04	1369.89
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	920.73	860.84
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	920.73	860.84
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	653.26	612.51
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	653.26	612.51
6	Equity Share Capital	616.92	606.92
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	20859.24	17646.89
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)		
	1. Basic:	10.59	10.33
	2. Diluted:	10.53	9.81

Note: Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results 30.06.2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Quarterly Financial Results of the quarter ended 30.06.2019 are available on the Stock Exchange website - www.bseindia.com and on the company's website at www.cslfinance.in.

By order of the Board
Sd/-
(Rohit Gupta)
Managing Director
(DIN: 00045077)

Place : New Delhi
Date : 14.09.2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
ONE FAMILY ONE BANK

जोनल आफिस, 15 एनबीसीसी टावर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, फोन : 011-26164817/26197769 टेलीफैक्स : 26171554
ई-मेल आईडी : recovery_del@mahabank.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) के अधीन आस्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

सरफासी ऐक्ट तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा यहां नीचे वर्णित कर्जदारों/बंधकदाताओं की प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किए जाने के अनुसरण में संबंधित कर्जदारों/बंधकदाताओं, उनके कानूनी वारिसों/प्रतिनिधियों, जैसी भी स्थिति है, सहित समस्त संबंधितजन और जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे सूचीबद्ध सम्पत्तियों के क्रय हेतु ऑनलाइन बोली आमंत्रित हैं।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम और पता	सम्पत्ति लॉट सं.	बंधक रखी गई सम्पत्ति का वर्णन	धरोहर राशि जमा - रू.	सुरक्षित मूल्य - रू.
1	1. मेसर्स सूर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्लाट नं. 14 इंडस्ट्रियल एरिया बरोटीवाला तहसील-कसौली, जिला-सोलन, हिमांचल प्रदेश 2. यहाँ भी- श्री ओम मूंदरा पुत्र श्री एस सी मूंदरा 78 भूतल, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-4 नई दिल्ली 3. श्री सिद्धार्थ मूंदरा पुत्र श्री ओम मूंदरा 78 नेशनल पार्क लाजपत नगर-4 नई दिल्ली-110024	01	प्लॉट नंबर 14, इंडस्ट्रियल एरिया बरोटीवाला तहसील, कसौली, जिला-सोलन, हिमांचल प्रदेश में स्थित मापक्षेत्र 3250 वर्ग मीटर में स्थित है। मेसर्स सूर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के स्वामित्व में।	रू 13.50 लाख (सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है) ई-नीलामी की तिथि उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रू 135.00 लाख 30.09.2019 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
	बकाया राशि (रू) रू. 3,78,00,935.28/- (रुपए तीन करोड़ अठहत्तर लाख नौ सौ पैंतीस और अट्ठाईस पैसे मात्र) (+) उस पर 21-05-2019 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 21-05-2019 के बाद वसूली				
	शाखा कार्यालय : (लॉट नंबर 01 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विपत्तिग्रस्त प्रबंधक शाखा, करोल बाग, नई दिल्ली, फोन- 011-28753728; ईमेल: bom1933@mahabank.co.in, brmgr1933@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी- श्री राजेश गुप्ता; फोन: 9818753710				
2	1. मेसर्स राधिका पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं .718, सेक्टर 1 रोहतक, हरियाणा 2. श्री हरीश कुमार सैनी, प्लॉट नं. 718 सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा 3. श्री जय भगवान सैनी, होटल हाइवे किंग के सामने जीटी रोड, महम, जिला-रोहतक हरियाणा 4. श्री विनोद सैनी, लाडोट रोड, सुखपुरा, केवीएम स्कूल के पास, रोहतक 5. श्रीमती वीना तलवार, एफ -803, एंबियंस अपार्टमेंट, एनएच 8 नियर एंबियंस मॉल, गुड़गांव	02	सम्पति जो दुकान न. 1049/16, वार्ड न. 4, होटल हाईवे किंग के सामने, जी टी रोड, मेहम जिला रोहतक में स्थित	रू 8.56 लाख (सम्पत्ति हमारे भौतिक कब्जे में है) उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रू 85.62 लाख 23.10.2019 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
	बकाया राशि (रू) रू. 5,65,59,872/- (रुपए पांच करोड़ पैंसठ लाख पचास नौ हजार आठ सौ बहत्तर मात्र) (+) उस पर 03-06-2014 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 02-06-2014 के बाद वसूली				
	शाखा कार्यालय : (लॉट नंबर 02 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सुशांत लोक शाखा, फोन- 011-4047136, 4047137, 2386201, ईमेल: bom1295@mahabank.co.in, recovery_del@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी- श्री एस.एन.अलूवाला; फोन : 9110782620				
3	1. मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड पंजी. कार्यालय : बेसमेंट, 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017 2. मेसर्स गिरनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पंजी. कार्यालय - बेसमेंट, 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017 इसके अलावा यूनिटेक हाउस, एल ब्लॉक, साउथ सिटी L, गुड़गांव -122001	03	सम्पत्ति परिमाप 2.443 एकड़, स्थित ग्राम नौरंगपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव (सर्वे नंबर - रेक्टेंगल नंबर 38 (किला नंबर 10/2 तथा 11/1/1) तथा रेक्टेंगल नंबर 39 (किला नंबर 5/2/16 तथा 15/2) बिल्डिंग और स्ट्रक्चर सहित - बंधकदाता का नाम - मैसर्स गिरनार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	रू 60.90 लाख (सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है) ई-नीलामी की तिथि उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रू 609.00 लाख 23.10.2019 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
	बकाया राशि (रू) रू. 8,91,39,268/- (रुपए आठ करोड़ इक्यानबे लाख उनतालीस हजार दो सौ अड़सठ मात्र) (+) उस पर 20-06-2016 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 21-06-2016 के बाद वसूली				
	शाखा कार्यालय : (लॉट नंबर 03 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विपत्तिग्रस्त प्रबंधक शाखा, फोन- 011-23389879, ईमेल: bom1456@mahabank.co.in, recovery_del@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी- श्री राधेश्याम बंसल; फोन: 9650566766				

बिक्री पूर्णतया निविदा प्रपत्र में निर्धारित नियमों तथा शर्तों के अधीन है तथा **"जैसा है जहां है"** और **"जो है जहां है"** आधार पर है।

1. नीलामी बिक्री/बोलीदान केवल वेबसाइट **https://bom.auctiontiger.net** के माध्यम से **"ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान"** प्रक्रिया से किया जाएगा।
2. (क) इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम पोर्टल **https://bom.auctiontiger.net** पर पंजीकृत करवाकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ईटीएल)** से निःशुल्क प्राप्त कर लेना चाहिए, उसक बाद ही उनको ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
   (ख) बोलीदाता द्वारा ऑफलाइन बिड, केवाईसी दस्तावेज तथा ईएमडी राशि जमा करने हेतु **लॉट सं. 01 के लिए अंतिम तिथि :- 27-09-2019 को अप. 03.00 बजे तक** एवं **लॉट सं. 02 एवं 03 के लिए अंतिम तिथि :- 22-10-2019 को अप. 03.00 बजे** तक है।
   (ग) इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र के साथ ईएमडी जमा हेतु प्रमाण जैसे यूटीआर नंबर (i) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसे वोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि, (ii) पत्राचार हेतु वर्तमान पता, (iii) बोलीदाता का पैन कार्ड, (iv) वैध ई-मेल आईडी, (v) बोलीदाता का सम्पर्क नंबर (मोबाइल/लैंडलाइन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तृतीय तल, 15 एनबीसीसी टावर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली पिन कोड-110066 के प्राधिकृत अधिकारी को अप. 03.00 बजे तक सौंप देने चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी की ई-मेल आईडी **recovery_del@mahabank.co.in,** पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी का विवरण: ऊपर वर्णित किया गया है।
   (घ) पोर्टल **https://bom.auctiontiger.net** पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य बोलीदाताओं के नाम की पहचान बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तृतीय तल, 15 एनबीसीसी टावर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा की जाएगी। **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि.** ग्राह्य बोलीदाताओं के पैन कार्ड की विधिवत जांच कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड जारी करेंगे।
3. नीलामी की तिथि और समय **लॉट सं. 01 के लिए 30-09-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी)** तक

खबर कोना

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू।

अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के पूर्व अध्यक्ष का निधन

लुसाने, 13 सितंबर (एपी)।

लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ (एफआइजी) के अध्यक्ष रहे ब्रुनो ग्रांडी का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। एफआइजी ने उनके निधन की जानकारी देते हुए बताया कि किसी अज्ञात बीमारी के कारण इटली में उनका निधन हुआ। ग्रांडी 1997 से 2016 तक इस महासंघ के शीर्ष पद पर काबिज रहे और इस खेल के स्कोरिंग प्रणाली में बदलाव करने का श्रेय दिया जाता है। 'परफेक्ट 10' स्कोर को शुरू करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। ग्रांडी 2004 तक चार साल के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी थे।

हांगकांग में विरोध प्रदर्शन के कारण डब्लूटीए प्रतियोगिता स्थगित

हांगकांग, 13 सितंबर (एएफपी)।

विरोध प्रदर्शन के कारण शुक्रवार को हांगकांग के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक डब्लूटीए (महिला टेनिस) प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। डब्लूटीए हांगकांग ओपन महिला टेनिस टूर्नामेंट के आयोजकों ने बताया कि पिछले कई महीने से हो रही लोकतंत्र समर्थक हिंसक प्रदर्शन की 'मौजूदा स्थिति' को देखते हुए अगले महीने होने वाली प्रतियोगिता को निलंबित कर रहे हैं। हांगकांग टेनिस संघ ने एक बयान में कहा कि अपने हितधारकों से लंबी चर्चा के बाद हम इस नजीते पर पहुंचे हैं कि टूर्नामेंट को बाद में कराना सही रहेगा। हांगकांग ओपन का आयोजन पांच से 13 अक्तूबर तक होना था। इस टूर्नामेंट में वीनस विलियम्स, एंजेलिक कर्बर और कैरोलिन वोज्नियाकी सहित कई शीर्ष खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसका आयोजन विक्टोरिया पार्क में होता है जो विरोध प्रदर्शन के केंद्र के पास है। हांगकांग में पिछले 14 सप्ताह से लाखों लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन उस विवादास्पद विधेयक को लेकर हो रहा था जिसमें जरूरत पड़ने पर हांगकांग के किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण कर चीन भेजने का प्रावधान था।

लाहिड़ी और अटवाल ने की अच्छी शुरुआत

वाइट सल्फर स्प्रिंग्स (अमेरिका), 13 सितंबर (भाषा)।

भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी और अर्जुन अटवाल ने पीजीए टूर 2019-20 सत्र के 'ए मिलिटर ट्रिब्यूट एट द ग्रीनब्रायर' टूर्नामेंट के पहले दौर में अच्छी शुरुआत की। लाहिड़ी ने तीन अंडर 67 का कार्ड खेला जिससे वह संयुक्त रूप से 32वें स्थान पर बने हुए हैं। वहीं अटवाल ने चार बर्डी और दो बोगी से दो अंडर 68 का कार्ड खेला और वह संयुक्त रूप से 53वें स्थान पर चल रहे हैं। रोबी शेल्टन 62 के कार्ड से बढ़त बनाए हुए हैं।

विश्व चैंपियनशिप आज से

बजरंग-विनेश के प्रदर्शन पर निगाहें

नूर-सुल्तान (कजाखस्तान), 13 सितंबर (भाषा)।

ओलंपिक से पहले विश्व चैंपियनशिप में भारत के शीर्ष पहलवानों की असली परीक्षा होगी। इसमें वे प्रतिष्ठा की ही नहीं बल्कि तोक्यो ओलंपिक क्वालीफिकेशन की भी उम्मीद लगाए हुए होंगे। विश्व चैंपियनशिप से पहले बजरंग पूनिया और विनेश फोगट का प्रदर्शन शानदार रहा है। वहीं दिव्या काकरान भी कुछ अच्छे नतीजों से आत्मविश्वास से भरी होंगी।

बजरंग ने इस सत्र की सभी चार प्रतिस्पर्धाओं - डैन कोलोव, एशियाई चैंपियनशिप अली अलीव और यासर डोगू - में जीत दर्ज की। वह विश्व चैंपियनशिप के 65 किग्रा वर्ग में दुनिया के नंबर एक और शीर्ष वरीय पहलवान के तौर पर मैट में उतरेंगे। विनेश ने नए वजन वर्ग से सत्र की शुरुआत की जिसमें उन्होंने 50 से 53 किग्रा में खेलने का फैसला किया। उन्होंने इस नए वजन वर्ग में सांमजस्य बिठाने के लिए कुछ समय लिया। लेकिन फिर भी वह पांच फाइनल तक पहुंचीं जिसमें उन्होंने तीन स्वर्ण पदक जीते।

विनेश के लिए कौशल संबंधित कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मजबूत प्रतिद्वंद्वी को छह मिनट तक पकड़कर रोके रखना एक बड़ी चुनौती है। इस संबंध में बड़े स्तर की प्रतियोगिता उन्हें इसका आकलन करने में मदद करेगी क्योंकि इस पहलवान की निगाहें पहले विश्व पदक पर लगी हैं। पिछले साल कोहनी की चोट के कारण उन्हें बुडापेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। विश्व चैंपियनशिप में भारत की किसी महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है और विनेश के पास भारत के सूखे को समाप्त करने का मौका होगा।

वहीं बजरंग अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। उनके लिए एक चीज परेशानी का कारण बन सकती है और वो है उनका कमजोर 'लेग डिफेंस'। इससे उनके लिए निश्चित रूप से यह कड़ी परीक्षा होगी। सिर्फ सुशील कुमार ने कुश्ती के इतिहास में भारत को पुरुष फ्रीस्टाइल में विश्व खिताब दिलाया है और अब बजरंग दूसरे पदक के लिए भारत के इंतजार को खत्म करने के लिए बेताब होंगे।

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं और आठ साल बाद विश्व चैंपियनशिप में वापसी कर रहे हैं। 74 किग्रा में उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें लगी होंगी क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके प्रदर्शन पर चर्चा हो रही है। सुशील की तरह ही रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूझ रही हैं। उन्होंने 2017 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जीतने के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है।

दिव्या काकरान में काफी स्फूर्ती है और वह अपने मुकाबलों में अडिग रहती हैं। उन्होंने इस सत्र में दो स्वर्ण और इतने ही कांस्य पदक जीते हैं। पूजा ढांडा पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली केवल चौथी भारतीय महिला पहलवान बनीं। वह 57 किग्रा में स्थान पक्का नहीं कर सकीं जो ओलंपिक वर्ग है। लेकिन अब वह 59 किग्रा में दूसरा पदक हासिल करना चाहेंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रायल्स में पूजा को चौंकाने वाली सरिता मोर कैसा प्रदर्शन करती हैं।

पुरुष फ्रीस्टाइल पहलवानों में दीपक पूनिया कुछ उलटफेर करने में सक्षम हैं। वह 18 साल की उम्र में भारत के पहले जूनियर विश्व चैंपियन बनने के बाद यहां पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रायल में अपने सीनियर पहलवानों को पछाड़ा।

(पुरुष फ्रीस्टाइल): रवि कुमार (57 किग्रा), राहुल अवारे (61 किग्रा), बजरंग पूनिया (65 किग्रा), करण (70 किग्रा), सुशील कुमार (74 किग्रा), जितेंदर (79 किग्रा), दीपक पूनिया (86 किग्रा), परवीन (92 किग्रा), मौसम खत्री (97 किग्रा) और सुमित मलिक (125 किग्रा)।

(पुरुष ग्रीको रोमन): मंजीत (55 किग्रा), मनीष (60 किग्रा), सागर (63 किग्रा), मनीष (67 किग्रा), योगेश (72 किग्रा), गुरप्रीत सिंह (77 किग्रा), हरप्रीत सिंह (82 किग्रा), सुनील कुमार (87 किग्रा), रवि (97 किग्रा) और नवीन (130 किग्रा)।

(महिला फ्रीस्टाइल): सीमा (50 किग्रा), विनेश फोगाट (53 किग्रा), ललिता (55 किग्रा), सरिता (57 किग्रा), पूजा ढांडा (59 किग्रा), साक्षी मलिक (62 किग्रा), नवजोत कौर (65 किग्रा), दिव्या काकरान (68 किग्रा), कोमल गोले (72 किग्रा) और किरण (76 किग्रा)।

विनेश ने नए वजन वर्ग से सत्र की शुरुआत की जिसमें उन्होंने 50 से 53 किग्रा में खेलने का फैसला किया। वह पांच फाइनल तक पहुंचीं जिसमें उन्होंने तीन स्वर्ण पदक जीते।

बजरंग ने इस सत्र की सभी चार प्रतिस्पर्धाओं - डैन कोलोव, एशियाई चैंपियनशिप अली अलीव और यासर डोगू - में जीत दर्ज की। वह विश्व चैंपियनशिप के 65 किग्रा वर्ग में दुनिया के नंबर एक और शीर्ष वरीय पहलवान के तौर पर मैट में उतरेंगे।

सीओए निर्देशों का पालन करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने शुक्रवार को प्रशासकों की समिति (सीओए) के संवैधानिक संशोधन के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। इससे 28 सितंबर को राज्य चुनावों से पहले केवल चार संघ ही बचे हैं जो उसके अनुरूप नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त सीओए ने पिछले हफ्ते राज्य चुनाव कराने की समय सीमा दो हफ्तों के लिए बढ़ा दी थी। उसने राज्य इकाइयों को 12 सितंबर तक उसके अनुरूप बनने की चेतावनी जारी की थी।

राज्य चुनावों के बाद बीसीसीआइ के चुनाव 22 अक्तूबर को होने हैं। संवैधानिक संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति द्वारा सुझाए गए प्रशासनिक सुधारों के संबंध में हैं। सीओए प्रमुख विनोद राय ने बैठक के बाद कहा कि काफी संघों ने स्पष्टीकरण मांगे और उन्हें ये मुहैया करा दिए गए। छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हमारे पास आए और उनकी चिंताओं का निवारण कर दिया गया।

पिछले हफ्ते तक 38 राज्य संघों में से सात उनके अनुरूप नहीं थी। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बोर्ड में आने से निर्देशों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों की संख्या घटकर चार हो गई है जिसमें हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। राय ने कहा कि हरियाणा और तमिलनाडु में से कोई भी हमारे पास नहीं आया।

विश्व चैंपियनशिप की सूची में हिमा का नाम नहीं

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) ने आइएएएफ को खिलाड़ियों की जो प्रारंभिक सूची भेजी है उसमें विश्व जूनियर चैंपियन हिमा दास का नाम नहीं है। इससे उनके विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं।

एएफआइ के पास इस सूची में उनका नाम शामिल करवाने के लिए अभी 16 सितंबर तक का समय है। एएफआइ ने चार गुणा 400 रिले और चार गुणा 400 मिश्रित रिले के लिए नौ सितंबर को हिमा सहित सात महिला धावकों के नामों की घोषणा की थी। इन खेलों का आयोजन दोहा में 27 सितंबर से छह अक्तूबर तक होना है। यह पता चला है कि एएफआइ ने आइएएएफ को महिला एथलीटों की जो सूची भेजी है उसमें हिमा का नाम नहीं है। इस सूची में चार गुणा 400 मीटर महिला रिले दौड़ के लिए विस्मया वीके, पूवम्मा एमआर, जिस्ना मैथ्यू, रेवती वी, शुभा वेंकटेशन, विद्या आर का नाम है जबकि हिमा को जगह नहीं मिली है। उन्नीस साल की असम की इस खिलाड़ी का नाम मिश्रित रिले टीम में भी नहीं है। मोहम्मद अनस, निर्मल नोह टोम, और अमोज जैकब के साथ इसमें जिस्ना, पूवम्मा और विस्मया को जगह दी गई है। एएफआइ के पास इन दोनों रिले टीमें में हिमा का नाम जोड़ने के लिए 16 सितंबर की मध्यरात्रि तक का समय है लेकिन इसके लिए सूची से किसी धावक को हटना होगा। आइएएएफ रिले दौड़ के लिए केवल छह नामों को भेजने की अनुमति देता है लेकिन एएफआइ ने सात महिलाओं के नाम दिए थे। शुरुआती सूची में हिमा का नाम नहीं होने से प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी पर सवालिया निशान लग गया है क्योंकि वह पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप के बाद पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित हैं। वह अप्रैल के मध्य में दोहा में एशियाई चैंपियनशिप के दौरान व्यक्तिगत 400 मीटर की दौड़ से बाहर हो गई थीं। उस समय टीम के सहायक कोच राधाकृष्ण नायर ने कहा था कि हिमा के पीठ का निचला हिस्सा चोटिल है। विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के लिए यूरोप में चल रहे मौजूदा प्रशिक्षण कार्यकम के दौरान भी उन्होंने सिर्फ एक बार 400 मीटर की दौड़ लगाई है क्योंकि लंबी दूरी की दौड़ में उन्हें दर्द महसूस हो रहा है।

अंडर-15 पहलवान डोप परीक्षण में विफल रहने के बाद निलंबित

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी नाडा ने बताया कि अंडर-15 वर्ग के एक पहलवान ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया है।

नाडा ने हालांकि अगस्त में हुई इस घटना में शामिल पहलवान के नाम या लिंग की जानकारी दिए बिना कहा कि उसका नमूना राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान लिया गया था। इस पहलवान को 29 अगस्त से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। कम उम्र के खिलाड़ी द्वारा डोपिंग किए जाने का यह हाल के दिनों में दूसरा मामला है। सात महीने पहले 16 साल के टेनिस खिलाड़ी आर्यन भाटिया को प्रतिबंधित समान के सेवन का दोषी पाया गया था। उन्हें हालांकि नाडा की डोपिंग रोधी अनुशासन समिति ने जून में चेतावनी देकर छोड़ दिया था। नाडा ने बताया कि महाराष्ट्र में हुए राज्य स्तरीय ट्रैक एवं फील्ड में चार खिलाड़ियों को डोपिंग के मामले में पाजीटिव पाया गया।

आर्चर ने आस्ट्रेलिया को सस्ते में समेटा

69 रन की बढ़त हासिल पहली पारी में इंग्लैंड को 700 रन स्टीव स्मिथ ने 80 रन बनाने के साथ साथ एशेज शृंखला में 700 रन भी पूरे किए

लंदन, 13 सितंबर (भाषा)।

जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने पांचवें और आखिरी एशेज टैस्ट में आस्ट्रेलिया पर पहली पारी के आधार पर 69 रन की बढ़त बना ली है। मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को चाय के बाद मेहमान टीम 225 रन पर सिमट गई। आर्चर ने 62 रन देकर छह विकेट लिए। खेल समाप्त होने तक मेजबान टीम बिना विकेट खोए नौ रन बना लिए थे। इंग्लैंड को अब तक 78 रन की बढ़त हासिल हो गई है।

इससे पहले स्टीव स्मिथ एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाने के साथ साथ एशेज शृंखला में 700 रन भी पूरे किए। उन्होंने आस्ट्रेलिया को संकट से निकालकर दूसरे दिन चाय तक चार विकेट पर 147 रन तक पहुंचा दिया। चाय के समय स्मिथ 59 और मिशेल मार्श 12 रन बनाकर खेल रहे थे। स्मिथ जब क्रीज पर आए, तब आस्ट्रेलिया का स्कोर दो विकेट पर 14 रन था। इंग्लैंड के 294 रन के जवाब में आस्ट्रेलिया की शुरूआत काफी खराब रही जब जोफ्रा आर्चर ने डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस को आउट कर दिया था। गेंद से छेड़खानी विवाद के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलकर लौटे स्मिथ इस शृंखला में शानदार फार्म में हैं। उन्होंने एशेज में लगातार दसवां अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले इंग्लैंड अपने वीरवार के स्कोर में 23 रन और जोड़ सका और 294 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। जोस बटलर को पैट कमिंस ने 70 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया जबकि जैक लीच ने 21 रन बनाए और वह आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। मिशेल मार्श ने 46 रन देकर पांच विकेट दिए जबकि कमिंस ने तीन विकेट लिए। पिछले 18 साल में इंग्लैंड में पहली एशेज शृंखला जीतने के इरादे से आई आस्ट्रेलियाई टीम को दूसरे ओवर में झटका लगा जब जोफ्रा आर्चर की गेंद पर डेविड वार्नर ने विकेटकीपर जानी बेयरस्टा को कैच थमा दिया। वार्नर को शुरू में नाट आउट करार दिया गया लेकिन इंग्लैंड ने रिव्यू लिया था जिसमें फैसला बदल दिया गया।

जोफ्रा आर्चर ने 62 रन देकर कंगारुओं के छह बल्लेबाजों को आउट किया।

इंग्लैंड दौरे पर रानी होंगी भारतीय टीम की कप्तान

- शृंखला 27 सितंबर से चार अक्तूबर तक खेली जाएगी और गोलकीपर सविता उप कप्तान होंगी।
- जापान में ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता में टीम की जीत के बाद सविता और रजनी इतिमारपू ने टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है।

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

स्टार फॉरवर्ड रानी रामपाल को शुक्रवार को 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया जो 27 सितंबर से मारलो में शुरू हो रही पांच मैचों की शृंखला में इंग्लैंड से भिड़ेगी। शृंखला 27 सितंबर से चार अक्तूबर तक खेली जाएगी और गोलकीपर सविता उप कप्तान होंगी। हाल में जापान में ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता में टीम की जीत के बाद सविता और रजनी इतिमारपू ने टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है।

डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का, गुरजीत कौर, रीना खोखर और सलीमा टेटे को भी टीम में रखा गया है। हॉकी इंडिया ने बयान में कहा कि मिडफील्ड में अनुभवी नमिता टोप्पो की वापसी हुई है जो चोट के कारण बाहर थीं। भारतीय मिडफील्ड में अनुभवी खिलाड़ी सुशीला चानू पुखराम्बाम, निक्की प्रधान, मोनिका, नेहा गोयल और लिलिमा मिंज शामिल हैं।

मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने कहा कि हमारी टीम में खिलाड़ियों का संतुलन पिछले टूर्नामेंट की तरह ही है क्योंकि हम तोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालीफाई करने के अहम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि दौरे से टीम को ओड़ीशा में होने वाले एफआइएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में अमेरिका से भिड़ने की तैयारी में मदद मिलेगी।

भारतीय टीम : गोलकीपर : सविता (उप कप्तान), रजनी इतिमारपू, डिफेंडर : दीप ग्रेस एक्का, गुरजीत कौर, रीना खोखर, सलीमा टेटे, मिडफील्डर : सुशीला चानू पुखराम्बाम, निक्की प्रधान, मोनिका, नेहा गोयल, लिलिमा मिंज, नमिता टोप्पो, फॉरवर्ड : रानी (कप्तान), वंदना कटारिया, नवनीत कौर, लालरेमसियामी, नवजोत कौर, शर्मिला देवी।

पाक टी-20, वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे सरफराज

कराची, 13 सितंबर (भाषा)।

विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद को श्रीलंका के खिलाफ आगामी शृंखला के लिए पाकिस्तान की वनडे और टी-20 टीमों का कप्तान बरकरार रखा गया है।

पाकिस्तान के नए मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हक ने लाहौर में मीडिया से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरफराज के साथ मिलकर वह टीम को कामयाबी की राह पर ले जाएंगे। मिसबाह ने बताया कि दोनों प्रारूप में बाबर जमां टीम के उपकप्तान होंगे। यह पूछने पर कि सरफराज को सिर्फ इसी शृंखला के लिए या लंबे समय के लिए कप्तान बनाया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा कि इसके इतर मायने निकालने या अटकलबाजी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, टीम के पास नया प्रबंधन है और हम सही संतुलन बनाने की दिशा में है।

कृत्रिम हिमपात का किया जा रहा परीक्षण | **तोक्यो** | **जुलाई में जापान में रहती है प्रचंड गर्मी**

ओलंपिक के दौरान लू की समस्या सबसे बड़ा खतरा

तोक्यो, 13 सितंबर (भाषा)।

जापान के एक शीर्ष चिकित्सक ने गर्मी के मौसम में ओलंपिक को आयोजित करने की आलोचना करते हुए कहा कि इन खेलों के दौरान लू लगने की समस्या सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। जापान चिकित्सा संघ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य किमियुकि नागाशिमा ने कहा कि ओलंपिक खेलों में बड़ी संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति होगी जिससे गर्मी के प्रकोप झेलने वाले स्थानीय लोगों पर भी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने का खतरा रहेगा।

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि खेल स्पर्धाओं का आयोजन आरामदायक मौसम में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ व्यापार और आर्थिक मुद्दे को देखते हुए इसका आयोजन गलत मौसम में गलत जगह होना चाहिए। चिकित्सा संघ में खेल गतिविधियों को देखने वाले एक चिकित्सक ने बताया कि तोक्यो में गर्मी के मौसम में उसम ज्यादा होती है और ऐसे में खुले में खेले जाने वाले खेलों और दर्शकों के लिए स्थिति सही नहीं रहती।

उन्होंने कहा कि जापान में गर्मी में सिर्फ तापमान ज्यादा नहीं रहता बल्कि उमस भी बहुत अधिक होती है। ऐसे में दूसरे देशों की तुलना में यहां बीमार होने की संभावना अधिक होती है। पिछले साल गर्मी के कारण जापान में 93,000 लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सेवा का सहारा लेना पड़ा था जिसमें 159 की मौत हो गई थी। गर्मी से बचने के लिए 1964 के ओलंपिक खेलों का आयोजन अक्तूबर में किया गया था। हालांकि उसने बोली प्रक्रिया के दौरान अपने दस्तावेज में 2020 ओलंपिक के लिए 24 जुलाई से नौ अगस्त तक के मौसम को खिलाड़ियों के लिए आदर्श बताया था।

तापमान नियंत्रण के लिए कृत्रिम हिमपात का ट्रायल : अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान तापमान को नियंत्रित करने के लिए तोक्यो में कृत्रिम बर्फबारी का सहारा लिया जा सकता है। शुक्रवार को इसका ट्रायल किया गया। इस ट्रायल को नौकायन टेस्ट स्पर्धा के दौरान किया गया जहां तोक्यो 2020 कर्मचारियों पर हिमपात कराया गया।

आयोजन समिति के सदस्य ताका ओकामुरा ने कहा कि हम गर्मी से होने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यह पूरे वातावरण को ठंडा करने के लिए नहीं हो रहा लेकिन जब बर्फ की फुहारें दर्शकों को छुएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। इन खेलों की तैयारियों के लिए तोक्यो 2020 के आयोजकों की काफी प्रशंसा हुई है।

निर्माण कार्य तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा है। आइओसी के अध्यक्ष थामस बाक ने कहा कहा है कि उद्घाटन समारोह में एक साल से भी कम समय बचा है लेकिन तोक्यो सबसे अच्छा मेजबान बनने को तैयार है। आयोजकों के लिए हालांकि प्रचंड गर्मी सिरदर्द की तरह साबित हो रही है और अगर खेलों के दौरान ऐसी गर्मी रही तो खिलाड़ियों, स्वयंसेवकों और दर्शकों के लिए यह परेशानी का सबब होगा।

जापान चिकित्सा संघ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य किमियुकि नागाशिमा ने कहा कि ओलंपिक खेलों में बड़ी संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति होगी जिससे गर्मी के प्रकोप झेलने वाले स्थानीय लोगों पर भी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने का खतरा रहेगा।

TOKYO 2020

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि खेल स्पर्धाओं का आयोजन आरामदायक मौसम में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ व्यापार और आर्थिक मुद्दे को देखते हुए इसका आयोजन गलत मौसम में गलत जगह होना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 300, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय, 37/2/4, संजय प्लेस, आगरा
Regional Office, 37/2/4, Sanjay Place, Agra

कब्जा सूचना

अनुलग्नक – IV [नियम–8 (1)] (चल/अचल संपत्तियों हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित ऋणियों/बन्धककर्ताओं से ऋण की माँग सूचना में बकाया रुपये तथा उस पर ब्याज का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर करने को कहा गया था और इस देय नोटिस को प्राप्त करने के बाद ऋणियों/बन्धककर्ताओं द्वारा निर्धारित समय में बकाए ऋण का भुगतान न किए जाने पर ऋणी/बन्धककर्ताओं और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना जारी की जा रही है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित बन्धक सम्पत्तियों का अधिग्रहण नियमानुसार कर लिया गया हैं। ऋणियों/बन्धककर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्यत: चेतावनी दी जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों में कोई लेन-देन न करें और इसमें किसी प्रकार का लेन-देन बकाया राशि और उस पर देय ब्याज सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होगा। ऋणी/बन्धककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) के तहत बन्धक सम्पत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा के प्रावधान की तरफ आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम व पता	देय नोटिस की दिनांक एवं बकाया राशि	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि
ऋणी– 1.मैसर्स कुंज पॉवर प्रोजैक्टस् प्रा. लि, **पता :** विठ्ठल कुंज, विश्राम घाट, मथुरा, 2. श्री सन्दीप चतुर्वेदी पुत्र श्री सुरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी (निदेशक, मैसर्स कुंज पॉवरप्रोजैक्टस् प्रा. लि.), **पता: 1.** विठ्ठल कुंज,विश्राम घाट, मथुरा, **पता: 2.** 2/21 विश्वासखंड गोमती नगर, लखनऊ, **पता: 3.** 1018 ए, रामजीद्वारा, होली गेट के पास, मथुरा, 3. श्री अभय सक्सेना पुत्र स्व. श्री श्यामलाल सक्सेना (निदेशक, मैसर्स कुंज पॉवर प्रोजैक्टस् प्रा. लि.) **पता: 1.** विठ्ठल कुंज, विश्रामघाट, मथुरा, **पता: 2.** 57, गली न. 2 हरी नगर, महोली रोड, मथुरा, 4. श्रीमती मीता दिनेश चतुर्वेदी पत्नी श्री दिनेश चतुर्वेदी एवं श्री अनिरूद् दिनेश चतुर्वेदी पुत्र श्री दिनेश चतुर्वेदी पाठक (निदेशक, मैसर्स कुंज पॉवरप्रोजैक्टस् प्रा. लि.) **दोनो का पता:** विठ्ठल कुंज, विश्राम घाट, मथुरा, **पता: 2.** ए–32 तृतीय तल, बलबीर सक्सेना मार्ग, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, एवं. **गारंटर–**1. श्री सन्दीप चतुर्वेदी पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, **पता 1. :** 2/21 विश्वास खंड गोमती नगर, लखनऊ, **पता 2. :** 1018ए, रामजीद्वारा,होली गेट के पास, मथुरा, 2. श्री अभय सक्सेना पुत्र स्व. श्री श्यामलाल सक्सेना, **पता :** 57, गली न. 2 हरी नगर, महोली रोड, मथुरा, 3. श्रीमती मीता दिनेश चतुर्वेदी पत्नी श्री दिनेश चतुर्वेदी, **पता:** ए–32 तृतीय तल, बलबीर सक्सेना मार्ग, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, 4. श्री अनिरूद् दिनेश चतुर्वेदी पुत्र श्री दिनेश चतुर्वेदी पाठक, **पता:** ए–32 तृतीय तल, बलबीर सक्सेना मार्ग, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली	11.06.2019 ₹4,40,29,251/– + दि. 11.06.19 से ब्याज व अन्य खर्चे	आवसीय फ्लैट (छत के आंशिक अधिकार के साथ) ए–32 तृतीय तल, बलबीर सक्सेना मार्ग, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, एरिया: 2580.00 वर्ग फीट (निर्मित क्षेत्र), पार्किंग एवं सर्वेट रूम के साथ, सम्पत्ति श्रीमती मीता दिनेश चतुर्वेदी पत्नी श्री दिनेश चतुर्वेदी उर्फ दिनेश चतुर्वेदी पाठक के नाम चौहद्दी : पूर्व: 15 फीट सर्विस लेन, पश्चिम: 80 फीट रोड बलबीर सक्सेना मार्ग, उत्तर: 15 फीट सर्विस लेन दक्षिण: प्रोपर्टी न. ए –31	09.09.2019

शाखा : मथुरा

दिनांक : 14.09.2019 स्थान : आगरा — प्राधिकृत अधिकारी

जम्मू, 13 सितंबर (भाषा)। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में गिरफ्तार जैश–ए–मोहम्मद (जेईएम) के तीन आतंकवादियों को शुक्रवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

स्टेलर सर्च एंड सिलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U74140DL2001PTC111326
पंजी. कार्या.: एन 161ए, सायरा टॉवर, 3 फ्लोर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110049
ईमेल आईडी: shailja@stellarsearch.com

फॉर्म सं0. आईएनसी–26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशालय, उत्तरी क्षेत्र
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामलें में
तथा
स्टेलर सर्च एंड सिलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एन 161ए, सायरा टॉवर, 3 फ्लोर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110049 में है के मामलें में
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 13 सितम्बर, 2019 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, पं0. दीन दयाल उपाध्याय, अंत्योदय भवन, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय एन 161ए, सायरा टॉवर, 3 फ्लोर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110049 पर भेजी जानी चाहिए:–

कृते और उनकी ओर से
कृते स्टेलर सर्च एंड सिलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
(वरूण सिन्हा)
निदेशक (DIN: 07885638) **आर/ओ: फ्लेट नं0.–ए 206, कात्यायनी, प्लॉट नं0. 8, सेक्टर–6, द्वारका, नई दिल्ली–110075**

नीरव मोदी के भाई के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

इंटरपोल ने दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है। धन शोधन के आरोपों पर बेल्जियम के नागरिक नेहल (40) के खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। धन शोधन मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।

इंटरपोल अपने किसी सदस्य देश के कहने पर आरसीएन जारी करता है। इसका मकसद सभी सदस्य देशों को यह सूचना देना होता है कि किसी खास शख्स के खिलाफ उसके देश में गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो चुका है।

नेहल मोदी इन दिनों न्यूयॉर्क सिटी के एक उपनगर में रह रहा है। उसके बारे में आरसीएन जारी करते हुए इंटरपोल ने कहा है कि नेहल दीपक मोदी का जन्म बेल्जियम के एंटवर्प में हुआ और वह अंग्रेजी, गुजराती व हिंदी भाषाएं जानता है। ईडी ने इस मामले में दायर किए गए आरोप पत्र में नेहल को नामजद किया है और उस पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी के मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप है। यह बैंक धोखाधड़ी पिछले साल सामने आई थी, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई।

ईडी ने आरोप लगाया कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सामने आने के बाद नेहल मोदी ने नीरव मोदी के करीबी विश्वासपात्र और कार्यकारी मिहिर आर भंसाली के साथ दुबई से 50 किलोग्राम सोना और अच्छी खासी नकदी ली और फर्जी निदेशकों से अधिकारियों के सामने उसका नाम न लेने के निर्देश दिए। नेहल मोदी (40) अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के उपनगरीय इलाके में रहता है।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 री–टेन्डर

सूचना ई–निविदा सूचना स0 ETC/MU/T-128/2019-20 से ETC/MU/T-131/2019-20, जिनके खुलने की तिथि 17.09.2019 निर्धारित थी, को अपरिहार्य कारणोवश री–टेन्डर कर खुलने की तिथि 25.09.2019 की जाती है। कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन कर सकते हैं। शेष अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी। ''राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें'' पत्रांक/ No. 1887 / वि0पा0म0(ETC)/मु0नगर(MZN)/ दिनांक/ DATED 12.09.2019

वाड्रा को विदेश यात्रा की इजाजत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को कारोबारी उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा की इजाजत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को 21 सितंबर से आठ अक्तूबर के बीच स्पेन की यात्रा करने की इजाजत दी। उन्होंने अदालत में इसके लिए अपील दायर कर रखी थी। वाड्रा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (उत्तर)–I
ओवरहेड टैंक, मुखर्जी नगर, दिल्ली–110009
एनआईटी सं. 18, आइटम नं. 1 (उत्तर–I) (2019–20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क (अप्रतिदेय)	ई–प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई–प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (एन)–I के अंतर्गत मल्का गंज वार्ड नं. 13 की सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिये एसजी बेलदारों की भर्ती (पुनर्आमंत्रित) निविदा आईडी सं. 2019_DJB_179981_I)	वस्तु दर	56000/–	500/–	11.9.2019 6.00 बजे अप. से	तकनीकी बोली 1.10.2019 के 3.00 बजे अप. में प्राप्त की जायेगी तथा वित्तीय बोली को तकनीकी बोली की पूर्णता तथा बैंक से ईएमडी की पुष्टि के बाद खोला जायेगा।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी) — हस्ता./–
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019–20/356 — कार्यपालक अभियंता (उत्तर)–I

SHILPI CABLE TECHNOLOGIES LIMITED - In LIQUIDATION
CIN No. L64201DL2006PLC150753

E-AUCTION SALE NOTICE

Sale of Movable Asset (Vehicles)

Twelve Vehicles (Mercedes Benz ML250 CDI, BMW520i, Eicher Truck, Maruti Suzuki Swift Dzire, Mahindra Bolero, Mahindra Maxima Load Car, Six Motorcycles) will be put on sale by the Liquidator (Huzefa Fakhri Sitabkhan) appointed by the Hon'ble NCLT, Principal Bench, w.e.f. 1st May, 2019.

E-Auction on 30th September 2019 from 11 AM to 1 PM at web portal of: https://ncltauction.auctiontiger.net

Call at +91 22 6610 0921/22 or Email at sctl.lq@gmail.com for more information. Detailed Sale notice uploaded on the website: https://ncltauction.auctiontiger.net

For Shilpi Cable Technologies Limited – In Liquidation
Huzefa Fakhri Sitabkhan
Liquidator
IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115
Date : 14th September, 2019
Place : Mumbai

SBI
प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग-II, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

प्रस्ताव हेतु निवेदन

भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक समूह के लिए "सेन्ट्रलाइज्ड एप्लिकेशन परफॉर्मेन्स मॉनिटरिंग सॉल्यूशन की प्राप्ति, कार्यान्वयन और निगरानी समर्थन" के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी नं. SBI/GITC/Platform Engineering-II/2019/2020/645 दिनांक: 12/09/2019 जारी किया है. कृपया बैंक की वेबसाइट **www.sbi.co.in** या **https://bank.sbi** पर **'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज'** देखें.

स्थान: नवी मुंबई — हस्ताक्षर
दिनांक: 14.09.2019 — उप महाप्रबंधक (पीई-II)

प्रमुख स्टेशनों पर प्लास्टिक निस्तारण के लिए लगेगी मशीन : लाल

भागलपुर, 13 सितंबर (जनसत्ता)।

मालदा मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्लास्टिक कचरा निस्तारण के वास्ते जल्द मशीन लगेगी। बहरहाल, भागलपुर व मालदा स्टेशन पर यह मशीन लगा दी गई है। वहां प्लास्टिक कचरा मशीन के जरिए निस्तारण करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी मालदा रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक एसके लाल ने दी है।

पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों में बुधवार से 21 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है। मालदा मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक ने बताया कि 2 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान के दरम्यान मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों, दफ्तरों और रेल मार्गों में बिखरे पड़े प्लास्टिक कचरों को जमा करने के बाद श्रमदान के जरिए इसका निष्पादन किया जाएगा। जिसमें स्वयंसेवी संगठनों के साथ-साथ मुसाफिरों और आमजन की भी सहभागिता रहेगी।

Government of Jharkhand
Urban Development And Housing Department
Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad

e-Procurement Re-Tender Notice No. DMC/44/2019-20
NIT No. : DMC/44/2019-20 — **Date : 12.09.2019**

क्रम सं0	Tender Reference Number	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति का अवधि
1	DMC/44/01/2019-20	फुसबंगला चौक, झरिया, धनबाद एवं राजु यादव चौक, धनबाद का उन्नयन कार्य। (5th Call)	33730685.00	2 % of BOQ	10000.00	नौ माह

Date of Publication of Tender on website :- **14.09.2019 At 03.00 PM**
Online Last Date / Time for receiving of bids :- **24.09.2019 (Online) till 05:00 PM**
Date of Receiving Hard Copy of Earnest Money & Cost of Tender Upto **25.09.2019, 03:00 PM** Dhanbad Municipal Corporation, LUBY Circular Road, MADA Building, Dhanbad
Date of Bid Opening :- **26.09.2019 at 09:00 AM** (Online)
NOTE:- (i) Only e-Tenders will be accepted. Further details can be seen on website http://www.jharkhandtenders.gov.in.
(ii) Contractor should be registered in appropriate class as per NIT
(iii) Estimated Cost / Quantity May Vary

बूंद - बूंद नहीं बरसेंगे तो बूंद को तरसेंगे
P.R.216803 Urban Development(19-20):D
S/d-
Executive Engineer,
Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad

ब्रिज एंड रूफ कं0 (इंडिया) लि0
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
''कांकरिया सेंटर'', (4था व 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता - 71

निविदा आमंत्रण सूचना (निआसू)

निम्नलिखित कार्य हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में आइटम दर प्रस्ताव आमंत्रित है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण निआसू सं0 बी एंड आर/एमएसपी/61010/एचएमईएल/पाइपिंग/डब्ल्यूएम/एनआईटी/01(आर) दिनांक 13.09.2019	बी एंड आर की वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र	बोली दाखिले की नियत तिथि
1.	भटिंडा (पंजाब) स्थित मेसर्स एचपीसीएल–मित्तल इनर्जी लिमिटेड की गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी हेतु प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार श्रमिक, यंत्र–उपकरण, पीपीई, मशीनरी, एनडीटी–उपकरण के साथ जमीन के ऊपर आईबीआर एवं नॉन–आईबीआर (सीएस, एएस, एसएस, जीआई व स्ट्रीम ट्रेसिंग) पाइपिंग कार्य सहित परिवहन, फैब्रिकेशन, संस्थापन, बिछाई, एलाइनमेंट, वेल्डिंग, सपोर्टिंग, हाइड्रो–टेस्टिंग, फ्लशिंग, बॉक्स–अप, प्री–कमीशनिंग इत्यादि।	13.09.2019	27.09.2019

इच्छुक साधनसंपन्न ठेकेदार निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in पर जारी की जाएगी।

SBI
एंटरप्राइज व टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर (E&TA) विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेन्टर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

शुद्धिपत्र-5

कृपया "एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) टूल के प्राप्ति, संस्थापन, सेटअप और रखरखाव" के लिए आरएफपी नं. एसबीआई/जीआईटीसी/एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर/2019/2020/617 दिनांकित 23/07/2019 का संदर्भ लें. **शुद्धिपत्र-5** बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर **'प्रोक्योरमेंट न्यूज'** के अंतर्गत उपलब्ध है.

स्थान: नवी मुंबई — हस्ता/–
दिनांक: 14.09.2019 — प्रमुख (E & TA)

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त उदयपुर
क्रमांक: टी.एस./ निविदा फाईल/ 2019–20/ डी–1328 — दिनांक: 31.08.2019
निविदा संख्या 02/2019–20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान सरकार के पात्र श्रेणी के संवेदकों एवं केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के पात्र श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया हेतु आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इन्टरनेट साईट **www.eproc.rajasthan.gov.in, www.dipronline.org** व **http://sppp.raj.nic.in** पर उपलब्ध है।

कार्यालय का नाम	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त उदयपुर
निविदा के कार्य	2 कार्य
निविदा की कुल लागत	रु. 1003.00 लाख
कुल धरोहर राशि	अन्य विभागों में पंजीकृत राशि रु. 2006000.00 सा.नि.वि. में पंजीकृत राशि रु. 501500.00
निविदा आवेदन/ डाउनलोड करने की तारीख	09.09.2019 प्रातः 09.30 बजे से 30.09.2019 सायं 6.00 बजे तक
प्रि बिड मीटिंग की दिनांक एवं समय	25.09.2019 सायं 3.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की तारीख	09.09.2019 प्रातः 09.30 बजे से 30.09.2019 सायं 6.00 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस, शपथ पत्र राशि रु. 1000/– के स्टाम्प पर जमा कराने की अंतिम तारीख	(1) दिनांक 01.10.2019 सायं 6.00 बजे तक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित नगर खण्ड उदयपुर कार्यालय में। (2) दिनांक 03.10.2019 प्रातः 11.00 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त उदयपुर कार्यालय में।
पोटेन्शियल (तकनीकी) बिड खोलने की तारीख	03.10.2019 को सायं 4.00 बजे
NIB CODE	NIB CODE: PWD1920A1103
1) UBN No.	PWD1920WSOB04842
2) UBN No.	PWD1920WSOB04843

हस्ता./–
(अशोक कुमार शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त उदयपुर

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल सुरक्षा आयुक्त/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी द्वारा निम्नांकित कार्यों के लिए आन लाईन (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से खुली ई निविदा सूचना संख्या DSC-RPF-BSB-07-2019-20 dt. 07.09.2019 के माध्यम से एकल बिड सिस्टम पर आधारित मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का नाम : वाराणसी मण्डल के सहायक सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/छपरा के क्षेत्राधिकार में अपराध नियंत्रण अचानक घटना एवं अन्य ड्यूटी हेतु 01 अदद चार पहिया वाहन स्कार्पियो/इनोवा या समकक्ष, 24 घंटे एवं 2000 किलोमीटर प्रति वाहन प्रतिमाह रनिंग, कामर्शियल रजिस्ट्रेशन, सभी टैक्स/जीएसटी, ईंधन, ड्राईवर, पार्किंग एवं अन्य चार्ज के साथ 03 वर्ष हेतु 01 अदद चार पहिया वाहन हायरिंग के लिए। **कार्य की अनुमानित लागत ₹ में : 12,57,408/-, अमानत राशि ₹ में : 25,200/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य : ₹ 2000/-, कार्य की अवधि : कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 03 वर्ष तक। ई-निविदा बंद होने की तिथि एवं समय : दिनांक 09.10.2019 को समय 14.30 बजे। ई-निविदा खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक 09.10.2019 को समय 15.00 बजे।**

• निविदाकार निविदा को दिनांक 09.10.2019 को समय 14.30 बजे तक आनलाईन जमा कर सकेगें। • पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रेलवे के वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखें।

मण्डल सुरक्षा आयुक्त/
मुजाधि/विविध-61 — रेसुब/वाराणसी

रेलवे सतर्कता मोबाइल हेल्प लाइन नं0 0551-155210
(भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत के लिये)
ट्रेन की छत या पायदान पर बैठकर यात्रा न करें

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 106 (1ला तल), मधुवन टावर, ए–1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली–110092
फोन: 91–11–49901667, वेब: www.maryadainvestment.in
(CIN: U65993DL1982PLC013738)

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनेकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2019 (अनेकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.6.2018 (अनेकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	6,06,807.23	3,89,851.23
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(61,836.11)	(2,86,786.23)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(61,836.11)	(2,86,786.23)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(62,058.11)	(2,85,701.23)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	2,06,265.81	(28,50,837.97)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	12,450,000	12,450,000
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) मूल	-0.05	-0.23
	तरल	-0.05	-0.23

टिप्पणी:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट **www.msei.in** तथा कम्पनी की वेबसाईट **www.maryadainvestment.in** पर भी उपलब्ध है।

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
कुलदीप शर्मा
निदेशक
DIN: 06746475

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12 सितम्बर, 2019

SBI भारतीय स्टेट बैंक
एनीटाइम चैनल्स विभाग, 9वीं मंजिल, एयर इंडिया बिल्डिंग, कारपोरेट सेन्टर, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई–400021

शुद्धिपत्र

भारतीय स्टेट बैंक ने स्वयं कियॉस्क्स यानी बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियॉस्क्स की प्राप्ति, संस्थापन, कार्य–आरंभ तथा रखरखाव के लिए आरएफपी सं. SBI:AC:ECR:588 दिनांक **14.08.2019** का शुद्धिपत्र दिनांक **05.09.2019** तथा **13.09.2019** जारी किया है.

अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** या **https://sbi.co.in** तथा ऑनलाइन ई–टेंडर पोर्टल **https://etender.sbi/SBI/** पर ''प्रोक्योरमेन्ट न्यूज'' देखें.

स्थान: मुंबई — हस्ता/–
दिनांक: 14.09.2019 — उप महाप्रबंधक (ईसीआर)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमण्डल,चाण्डिल
Email ID: eecscdchandil@gmail.com

ई0 प्रोक्युरमेंट नोटिस
ई0 निविदा प्रसंग संख्या :WRD/ CS&CD, CHANDIL/SBD-01/2019-20 दिनांक :- 11.09.2019

1.	कार्य का नाम	SPECIAL REPAIR OF CAUSEWAY OF CHANDIL DAM.
2.	प्राक्कलित राशि	2,54,10,291.18 (रुपयें दो करोड चौवन लाख दस हजार दो सौ एकान्वें एवं अठारह पैसे) मात्र ।
3.	कार्य समाप्ति की अवधि	365 दिन
4.	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि एवं समय	दिनांक 18.09.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन ।
5.	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 10.10.2019 को अपराहन 05.00 बजे तक।
6.	अग्रधन की राशि	रू0 2,55,000.00 (प्राक्कलित राशि का एक प्रतिशत)
7.	अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 12.10.2019 तक अपराहन 05.00 बजे तक।
8.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 14.10.2019 को अपराहन 12:30 बजे।
9.	निविदा प्रकाशित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमण्डल,चाण्डिल।
10.	ई0 प्रोक्युरमैंट पदाधिकारी का दूरभाष संख्या	8340535485
11.	ई0 प्रोक्युरमैंट सेल का दूरभाष संख्या	0657-2371765

नोट: सिर्फ ई0 निविदा स्वीकार होगा।
अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाईट https://jharkhandtenders.gov.in देखें।
कार्यपालक अभियंता,
केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमण्डल,
चाण्डिल

PR216832 (Irrigation)19-20*D — बूंद – बूंद नहीं बरसेंगे तो बूंद को तरसेंगे

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन–3, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित हैं:–

1 एनआईटी: ईई/सीडी 03/एनआईटी 11/2019–20
हैड: एमएलएएलडी फंड।
कार्य का नाम: लक्ष्मी नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एसी–58 में साउथ गणेश नगर की तीन सड़कों के साइड नालियों और सड़कों के फुटपाथ में सुधार (पंजीकृत संख्या–691)। अनुमानित लागत 14,03,952.00 रु. धरोहर राशि: 28,079.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि

काली सूची से 312 विदेशी सिखों के नाम हटाए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 सितंबर।

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे 312 विदेशी सिखों के नाम काली सूची से हटा दिए गए हैं। अब इस सूची में सिर्फ दो नाम बचे हैं। विभिन्न सुरक्षा एजंसियों ने विदेशी सिख नागरिकों के नामों वाली काली सूची की समीक्षा की और उसके बाद यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय के इस कदम के साथ ही विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों में उनके नामों को लेकर चल रहे काम रोक दिए हैं।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, 'भारत सरकार ने सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 314 विदेशी नागरिकों के नामों की काली सूची की समीक्षा की और अब इस सूची में सिर्फ दो नाम हैं।' इस काली सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, वह अब भारत में अपने परिवारों से मिलने आ सकते हैं और अपनी जमीन से दोबारा जुड़ सकते हैं।

यह समीक्षा नियमित रूप से सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी समीक्षा इस तरह के विदेशी सिख नागरिकों को भारत आने का एक अवसर प्रदान करेगी। इससे वह अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकेंगे और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ सकेंगे।

दरअसल, 1980 में भारत के कई सिख नागरिक और सिख समुदाय से ताल्लुक रखनेवाले कई विदेशी नागरिक भारत विरोधी दुष्प्रचार में कथित तौर पर शामिल थे। भारत के कुछ सिख नागरिक यहां सजा से बचने के लिए अन्यत्र चले गए और विदेशों के नागरिक बन गए तथा वहां शरण ले ले ली। ऐसे लोगों को 2016 तक काली सूची में रखा गया था, जिसके बाद वह भारतीय वीजा हासिल करने के पात्र नहीं थे।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अब यह प्रक्रिया ही बंद कर दी गई है।

श्रीनगर के कुछ हिस्सों में नई पाबंदियां

श्रीनगर, 13 सितंबर (भाषा)।

शुक्रवार की नमाज के मद्देनजर श्रीनगर के कुछ हिस्सों में नई पाबंदियां लगाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को भी स्कूल बंद रहे और सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद रहे।

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले, संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के 40वें दिन बाद भी कश्मीर में जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने बताया कि हजरतबल के इर्दगिर्द के इलाकों में नए प्रतिबंध लगाए गए हैं जबकि शहर के अंदरुनी इलाकों में पांच पुलिस थाना क्षेत्रों में पाबंदियां अब भी जारी हैं।

विखे पाटील व दो अन्य मंत्रियों को अयोग्य करार देने से इनकार

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में राधाकृष्ण विखे पाटील और दो अन्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने का आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी नियुक्तियां नैतिक रूप से सही नहीं है।

न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जीएस पटेल के खंडपीठ ने कहा कि इस साल लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिले जिससे अन्य दलों के नेता पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए होंगे। पीठ ने विखे पाटील, राकांपा से शिवसेना में आए जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआइ (ए) नेता अविनाश महातेकर की राज्य सरकार में मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मंत्रियों को महज राजनीतिक लाभ और सुविधा के लिए राज्य विधानसभा में शामिल किया गया। हम इसका समर्थन नहीं करते। जो भी किया गया वह शायद नैतिक रूप से सही न हो लेकिन हम मंत्रियों को अयोग्य करार नहीं दे सकते।

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि तिरुपति सेरामिक्स लिमिटेड (परिसमापन में) ("कॉर्पोरेट ऋणधारक") CIN NO. U26920HR1995PLC032947 के नीचे वर्णित इक्विटी शेयरों के प्रमाणपत्र(त्रों) के गुम हो जाने/ नीचे नामित शेयरधारक(को)/ क्रेता (ओं)/ दावेदार (रों) द्वारा उसके स्थानच्युत होने की सूचना दी गई है। जिसके लिए परिसमापक के पास उनके द्वारा दावे दाखिल किए गए हैं।

यदि नीचे वर्णित शेयर (रों) के स्वामित्व के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, वे निम्न पते पर इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने आपत्ति से समर्थन में आवश्यक प्रमाणों के साथ परिसमापक के पास अपनी आपत्ति दाखिल करें:

श्री अमित शर्मा
तिरुपति सेरामिक्स लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के परिसमापक
बीआरएस इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल्स एलएलपी
बी-220/2, प्रथम तल, मैन मार्केट राइट साइड, सावित्री नगर, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

यदि इस सूचना के 15 दिनों के भीतर परिसमापक को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिसमापक से अनुरोध किया जाएगा कि आगे किसी सूचना के बिना उपरोक्त दावेदार (रों) को अधिशेष वितरण राशि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति करें।

फोलियो नं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की सं.	विशिष्ट सं. से	तक	प्रमाणपत्र सं.
98	अतुल भंडारी	2500	2024257-2026756		123
67	ओम प्रकाश भंडारी	2500	1787507-1790006		89
49	सुख एस. मेहता	16532	01631562-01648093		59
1	राज राम भंडारी	40000	2325717-2365716		132
		75000	2040257-2115256		127
		88500	2365717-2454216		133
110	राज राम भंडारी एंड सन्स (एचयूएफ)	2500	2478501-2481000		139

हस्ता./-
राम राज भंडारी
तिरुपति सेरामिक्स लिमिटेड (परिसमापन में) के प्रवर्त्तक
बी-5/110, 2रा तल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

तिथि: 12.09.2019
स्थान: नई दिल्ली

यूको बैंक UCO BANK

जोनल ऑफिस, रिकवरी डिपार्टमेन्ट, प्रथम तल, 5, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-49498285, 011-49498261

शुद्धिपत्र

समाचारपत्र **जनसत्ता (हिन्दी)** दिनांकित **13.09.2019** मे प्रकाशित बिक्रि सूचना के संदर्भ मे देखें। **(सभी खातों के लिए)** जिसमें बोली वृद्धि राशि नही छपी हुई है कृपया **बोली वृद्धि राशि 10000/- रूपये** पढ़ें। तथा सम्पत्ति निरिक्षण की तिथि संपत्ति संख्या 1 एवं 2 मे 08.05.2019 एवं 21.05.2019 के स्थान पर **23.09.2019** पढ़ें। एवं संपत्ति सं. 3 एवं 4 में 21.05.2019 एवं 23.10.2018 के स्थान पर **24.09.2019** पढ़े। बाकि नियम व शर्ते यथावत् रहेगी।

दिनांक 13.09.2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal at Lucknow

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance through publication

O.A. No. 797/2019 Date : 05-08-2019

(Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)

STATE BANK OF INDIA .....Applicant
Versus
SHRI AMIT VERMA & OTHERS ....Defendants

To,
1. Shri Amit Verma, Adult R/o Shri Sushil Kumar, R/o B-306, Tower B, 3rd Floor, Uninav Heights, Raj Nagar, Extension, Ghaziabad, U.P. 201017.
Second Address: R/o 20/139, Hasanpur, Bhovapur-1, Near Redison Mall, Kaushambi, Ghaziabad, U.P. - 201012, **Third Address :** C/o Ms. Digital Cafe, BG-72, Aditya Mega City, Indirapuram, Ghaziabad, U.P. 201014

In the above noted application, you are required to file reply / evidence in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **06-11-2019 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष
कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट नं. 4 बी, सेक्टर- 27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़
नं. एनसीएलटी/ सीएचडी/ आरईजी/ 353 तिथि: 12.9.2019
सीपी (IB) नं. 333/ Chd/ Chd/ 2019
आईबीसी, 2016 की धारा 7 के अन्तर्गत

मामले में
पंजाब नेशनल बैंक - याचिकाकर्ता- वित्तीय क्रेडीटर
बनाम
मै. न्यूकेम लिमिटेड - प्रतिवादी- कॉर्पोरेट डेब्टर

सेवा में
मै. न्यूकेम लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 54, इंडस्ट्रियल एरिया, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन- 121001

कृपया ध्यान रहे कि 9.9.2019 को इस अधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिये उपरोक्त कम्पनी आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा उसकी **अब 07 अक्टूबर, 2019 को 10.30 पूर्वा. में सुनवाई** निर्धारित की गई है।

कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत अथवा किसी प्राधिकृत एजेन्ट या वकील के माध्यम से निर्धारित तिथि को इस अधिकरण के सिटिंग मेम्बर्स के समक्ष उपस्थित हों।

मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर 9 **सितम्बर, 2019 को दी गई।**

सहायक रजिस्ट्रार,
रजिस्ट्रार के लिये
एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ

SRS LIMITED

Regd. Office: SRS Multiplex, 2nd Floor, City Centre, Sector-12, Faridabad (Haryana) - 121007
Ph. # 8448995132, CIN: L74999HR2000PLC040183
Website: www.srsparivar.com Email: compliances@srsparivar.com

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The Notice is hereby given that:

1. The 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th September,2019 at 11:30 A.M. at Basement-1, SRS Multiplex, City Centre, Sector-12, Faridabad-121007 to transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of AGM;
2. Copies of the Annual Report containing, inter alia, Notice of AGM, Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all the members in electronic mode, whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) has been completed on 10th September, 2019. The Annual Report is also available on the Company's website www.srsparivar.com.
3. In accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 the Company has fixed Monday, 23rd September, 2019 as the cut-off date to determine the eligibility to vote by electronic means or in the general meeting. Thus, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 23rd September, 2019, may cast their votes electronically on the Ordinary Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than the venue of AGM ("remote e- voting"). All the members are informed that:

i) The Ordinary Businessas set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
ii) The remote e-voting shall commence on Friday, 27th September, 2019 at 10:00 A.M.;
iii) The remote e-voting shall end on Sunday,29th September, 2019 at 5:00 P.M ;
iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23rd September, 2019;
v) The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September,2019 to Monday,30th September, 2019 (both days inclusive).
vi) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2019 may visit the Company's website www.srsparivar.com for 'Notice calling the 19th Annual General Meeting' or may write to our RTA's for copy of Notice and can follow the same instructions as mentioned in the Notice for e-Voting or may obtain the login id and password by sending request at evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
vii) Members may note that:
a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the members shall not be allowed to change it subsequently;
b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM;
c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGMmay also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
viii) The Notice of AGM is available on the Company's website www.srsparivar.com and also at www.cdslindia.com;
ix) In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company at the email id compliances@srsparivar.com.

For SRS Limited
(under CIRP)
Sd/-
(Jyotsna Nanda)
Company Secretary
M.No.A-29399

Place: Faridabad
Date: 13th September, 2019

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com,info@shivkamalimpex.com
Website: www.shivkamalimpex.com CIN: L52110DL1985PLC019893

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019 (Rs. In lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2019 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2018 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	7.22	7.26
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.50	4.58
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.50	4.58
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.33	3.39
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.33	3.39
6.	Equity Share Capital	100.56	100.56
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)		
	1. Basic	Rs. 0.33	Rs.0.34
	2. Diluted	Rs. 0.33	Rs.0.34

Note:
1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.shivkamalimpex.com.
2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on September 13, 2019.
3. The company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 1, 2019. The above financial results have been prepared in accordance with principles as laid down in Ind AS-34 - Interim Financial Reporting.

By the Order of the Board
For **Shivkamal Impex Limited**
Sd/-
Manu Jain (Director)
DIN-07801467

Place: New Delhi
Date: 13.09.2019

सूचना

नगर निगम गुडगाँव के भवनकर रिकार्ड में यूनिट आई0 डी0 नं0 **269C1747U190** पता **G 412, 4F, Block B, Vipul Tech Square, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram** में हैं जो श्री अरविन्द नाथ सेठ पुत्र स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सेठ के नाम दर्ज है। श्री अरविन्द नाथ सेठ पुत्र स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सेठ ने वसीयतनामा वसीका नम्बर 77 दिनांक 03.02.2016 के अनुसार उक्त यूनिट की वसीयत श्रीमती रीता सेठ पत्नी श्री अरविन्द नाथ सेठ के पक्ष में कर दी है। श्री अरविन्द नाथ सेठ पुत्र स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सेठ की मृत्यु दिनांक 25.12.2018 के उपरांत श्रीमती रीता सेठ पत्नी श्री अरविन्द नाथ सेठ ने हल्फनामा दिया है कि भवन यूनिट आई0 डी0 **269C1747U190** पता **G 412, 4F,** Block B, Vipul Tech Square, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram क्षेत्र में स्थित है। अब श्री अरविन्द नाथ सेठ पुत्र स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सेठ की मृत्यु दिनांक 25.12.2018 के उपरांत यूनिट आई0 डी0 नं0 269C1747U190 की मै कानूनी वारिस हूँ।उक्त यूनिट की मलकियत मेरे नाम दर्ज की जावें।

यदि इस मलकियत/भवन/यूनिट/आई0 डी0 नं0 **269C1747U190** मलकियत जो कि **G 412, 4F, Block B, Vipul Tech Square, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram** में है में श्रीमती रीता सेठ पत्नी श्री अरविन्द नाथ सेठ निवासी: **412, 4F, Block B, Vipul Tech Square, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram** के नाम दर्ज करने हेतु किसी भी व्यक्ति का कोई ऐतराज है तो वह समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन (तीस दिन) के अन्दर-अन्दर अपना ऐतराज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दे सकता है। समयाविधि समाप्त होने उपरांत भवन कर रिकार्ड में पार्थी के नाम स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। जिसके लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा। सूचित होवें।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-III
नगर निगम, गुरूग्राम।

मै. जेडीएस एप्पैरल्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक का पता: 803ए, न्यू ज्योति सीजीएचएस, प्लॉट नं. 27, सेक्टर-4, द्वारका, दिल्ली-110078

ई-नीलामी बिक्री सूचना

दिवाला एवं दिवालिया संहिता 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अंतर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्तियों की वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योरमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लि. द्वारा ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

नीलामी की तिथि एवं समय	बुधवार, 25.9.2019 को 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप.
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	21.9.2019
निरीक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व अनुमति के साथ 20.09.2019

विवरण	आरक्षित मूल्य (लाखों में)	ईएमडी (रु.) (लाखों में)
प्लॉट नं. 7, "सिटी स्क्वॉयर माल", शिवाजी प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027 में स्थित भू तल पर व्यावसायिक दुकान सं. जी-5, माप 97.6 वर्ग मी. सुपर एरिया जो 1051 वर्ग फीट के बराबर है तथा 700.14 वर्ग फीट का कवर्ड एरिया।	रु. 16200000/-	रु. 16,20,000/-

ईएमडी (अप्रतिदेय) का भुगतान 21.9.2019 को या उससे पूर्व "मै. जेडीएस एप्पैरल्स प्रा.लि. (परिसमापन में)" की खाता, खाता नं. 349401010929214 तथा आईएफएससी कोड UBIN0534943 में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा इच्छुक बोलीदाता को करना होगा। ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई-नीलामी से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिये श्री तिलक मराठा/पुष्पित मारु (एमः +91 6351896834), लैंडलाइन नं.: 079-61200557/513/551/554/594 से सम्पर्क करें।

हस्ता./-
सतीश कुमार माथुर
जेडीएस एप्पैरल्स प्रा.लि. के परिसमापक
IBBI पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00132/2017-18/10348
मो.नं. 8175859618

स्थानः नई दिल्ली
तिथि: 14.9.2019

CSL Finance Limited

Regd. Office: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi New Delhi-110005
(CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel/Fax: 011-42503442; Email: info@cslfinance.in; Web: www.cslfinance.in)

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2019
Amount (Rs. In lacs)

S. No.	Particulars	QUARTER ENDED 30.06.2019 (UN-AUDITED)	QUARTER ENDED 30.06.2018 (UN-AUDITED)
1	Total income from operations	1533.04	1369.89
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	920.73	860.84
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	920.73	860.84
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	653.26	612.51
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	653.26	612.51
6	Equity Share Capital	616.92	606.92
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	20859.24	17646.89
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)		
	1. Basic:	10.59	10.33
	2. Diluted:	10.53	9.81

Note: Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results 30.06.2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Quarterly Financial Results of the quarter ended 30.06.2019 are available on the Stock Exchange website - www.bseindia.com and on the company's website at www.cslfinance.in.

By order of the Board
Sd/-
(Rohit Gupta)
Managing Director
(DIN: 00045077)

Place : New Delhi
Date : 14.09.2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
ONE FAMILY ONE BANK

जोनल आफिस, 15 एनबीसीसी टावर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, फोन : 011-26164817/26197769 टेलीफैक्स : 26171554
ई-मेल आईडी : recovery_del@mahabank.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) के अधीन आस्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

सरफासी ऐक्ट तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा यहां नीचे वर्णित कर्जदारों/बंधकदाताओं की प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किए जाने के अनुसरण में संबंधित कर्जदारों/बंधकदाताओं, उनके कानूनी वारिसों/प्रतिनिधियों, जैसी भी स्थिति है, सहित समस्त संबंधितजन और जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे सूचीबद्ध सम्पत्तियों के क्रय हेतु ऑनलाइन बोली आमंत्रित हैं।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम और पता	सम्पत्ति लॉट सं.	बंधक रखी गई सम्पत्ति का वर्णन	धरोहर राशि जमा - रू.	सुरक्षित मूल्य - रू.
1	1. मेसर्स सूर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्लाट नं. 14 इंडस्ट्रियल एरिया बरोटीवाला तहसील-कसौली, जिला-सोलन, हिमांचल प्रदेश 2. यहाँ भी- श्री ओम मूंदरा पुत्र श्री एस सी मूंदरा 78 भूतल, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-4 नई दिल्ली 3. श्री सिद्धार्थ मूंदरा पुत्र श्री ओम मूंदरा 78 नेशनल पार्क लाजपत नगर-4 नई दिल्ली-110024	01	प्लॉट नंबर 14, इंडस्ट्रियल एरिया बरोटीवाला तहसील, कसौली, जिला-सोलन, हिमांचल प्रदेश में स्थित मापक्षेत्र 3250 वर्ग मीटर में स्थित है। मेसर्स सूर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के स्वामित्व में।	रू 13.50 लाख (सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है) ई-नीलामी की तिथि उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रू 135.00 लाख 30.09.2019 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
	बकाया राशि (रू) रू. 3,78,00,935.28/- (रुपए तीन करोड़ अठहत्तर लाख नौ सौ पैंतीस और अट्ठाईस पैसे मात्र) (+) उस पर 21-05-2019 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 21-05-2019 के बाद वसूली				
	शाखा कार्यालय : (लॉट नंबर 01 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विपत्तिग्रस्त प्रबंधक शाखा, करोल बाग, नई दिल्ली, फोन- 011-28753728; ईमेल: bom1933@mahabank.co.in, brmgr1933@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी- श्री राजेश गुप्ता; फोन: 9818753710				
2	1. मेसर्स राधिका पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं .718, सेक्टर 1 रोहतक, हरियाणा 2. श्री हरीश कुमार सैनी, प्लॉट नं. 718 सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा 3. श्री जय भगवान सैनी, होटल हाइवे किंग के सामने जीटी रोड, महम, जिला-रोहतक हरियाणा 4. श्री विनोद सैनी, लाडोट रोड, सुखपुरा, केवीएम स्कूल के पास, रोहतक 5. श्रीमती वीना तलवार, एफ -803, एंबियंस अपार्टमेंट, एनएच 8 नियर एंबियंस मॉल, गुड़गांव	02	सम्पति जो दुकान न. 1049/16, वार्ड न. 4, होटल हाईवे किंग के सामने, जी टी रोड, मेहम जिला रोहतक में स्थित	रू 8.56 लाख (सम्पत्ति हमारे भौतिक कब्जे में है) उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रू 85.62 लाख 23.10.2019 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
	बकाया राशि (रू) रू. 5,65,59,872/- (रुपए पांच करोड़ पैंसठ लाख पचास नौ हजार आठ सौ बहत्तर मात्र) (+) उस पर 03-06-2014 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 02-06-2014 के बाद वसूली				
	शाखा कार्यालय : (लॉट नंबर 02 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सुशांत लोक शाखा, फोन- 011-4047136, 4047137, 2386201, ईमेल: bom1295@mahabank.co.in, recovery_del@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी- श्री एस.एन.अलूवाला; फोन : 9110782620				
3	1. मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड पंजी. कार्यालय : बेसमेंट, 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017 2. मेसर्स गिरनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पंजी. कार्यालय - बेसमेंट, 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017 इसके अलावा यूनिटेक हाउस, एल ब्लॉक, साउथ सिटी L, गुड़गांव -122001	03	सम्पत्ति परिमाप 2.443 एकड़, स्थित ग्राम नौरंगपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव (सर्वे नंबर - रेक्टेंगल नंबर 38 (किला नंबर 10/2 तथा 11/1/1) तथा रेक्टेंगल नंबर 39 (किला नंबर 5/2/16 तथा 15/2) बिल्डिंग और स्ट्रक्चर सहित - बंधकदाता का नाम - मैसर्स गिरनार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	रू 60.90 लाख (सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है) ई-नीलामी की तिथि उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रू 609.00 लाख 23.10.2019 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
	बकाया राशि (रू) रू. 8,91,39,268/- (रुपए आठ करोड़ इक्यानबे लाख उनतालीस हजार दो सौ अड़सठ मात्र) (+) उस पर 20-06-2016 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 21-06-2016 के बाद वसूली				
	शाखा कार्यालय : (लॉट नंबर 03 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विपत्तिग्रस्त प्रबंधक शाखा, फोन- 011-23389879, ईमेल: bom1456@mahabank.co.in, recovery_del@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी- श्री राधेश्याम बंसल; फोन: 9650566766				

बिक्री पूर्णतया निविदा प्रपत्र में निर्धारित नियमों तथा शर्तों के अधीन है तथा **"जैसा है जहां है"** और **"जो है जहां है"** आधार पर है।

1. नीलामी बिक्री/बोलीदान केवल वेबसाइट **https://bom.auctiontiger.net** के माध्यम से **"ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान"** प्रक्रिया से किया जाएगा।
2. (क) इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम पोर्टल **https://bom.auctiontiger.net** पर पंजीकृत करवाकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ईटीएल)** से निःशुल्क प्राप्त कर लेना चाहिए, उसक बाद ही उनको ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
   (ख) बोलीदाता द्वारा ऑफलाइन बिड, केवाईसी दस्तावेज तथा ईएमडी राशि जमा करने हेतु **लॉट सं. 01 के लिए अंतिम तिथि :- 27-09-2019 को अप. 03.00 बजे तक** एवं **लॉट सं. 02 एवं 03 के लिए अंतिम तिथि :- 22-10-2019 को अप. 03.00 बजे** तक है।
   (ग) इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र के साथ ईएमडी जमा हेतु प्रमाण जैसे यूटीआर नंबर (i) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसे वोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि, (ii) पत्राचार हेतु वर्तमान पता, (iii) बोलीदाता का पैन कार्ड, (iv) वैध ई-मेल आईडी, (v) बोलीदाता का सम्पर्क नंबर (मोबाइल/लैंडलाइन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तृतीय तल, 15 एनबीसीसी टावर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली पिन कोड-110066 के प्राधिकृत अधिकारी को अप. 03.00 बजे तक सौंप देने चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी की ई-मेल आईडी **recovery_del@mahabank.co.in,** पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी का विवरण: ऊपर वर्णित किया गया है।
   (घ) पोर्टल **https://bom.auctiontiger.net** पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य बोलीदाताओं के नाम की पहचान बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तृतीय तल, 15 एनबीसीसी टावर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा की जाएगी। **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि.** ग्राह्य बोलीदाताओं के पैन कार्ड की विधिवत जांच कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड जारी करेंगे।
3. नीलामी की तिथि और समय **लॉट सं. 01 के लिए 30-09-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी)** तक

खबर कोना

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू।

अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के पूर्व अध्यक्ष का निधन

लुसाने, 13 सितंबर (एपी)।

लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ (एफआइजी) के अध्यक्ष रहे ब्रुनो ग्रांडी का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। एफआइजी ने उनके निधन की जानकारी देते हुए बताया कि किसी अज्ञात बीमारी के कारण इटली में उनका निधन हुआ। ग्रांडी 1997 से 2016 तक इस महासंघ के शीर्ष पद पर काबिज रहे और इस खेल के स्कोरिंग प्रणाली में बदलाव करने का श्रेय दिया जाता है। 'परफेक्ट 10' स्कोर को शुरू करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। ग्रांडी 2004 तक चार साल के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी थे।

हांगकांग में विरोध प्रदर्शन के कारण डब्लूटीए प्रतियोगिता स्थगित

हांगकांग, 13 सितंबर (एएफपी)।

विरोध प्रदर्शन के कारण शुक्रवार को हांगकांग के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक डब्लूटीए (महिला टेनिस) प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। डब्लूटीए हांगकांग ओपन महिला टेनिस टूर्नामेंट के आयोजकों ने बताया कि पिछले कई महीने से हो रही लोकतंत्र समर्थक हिंसक प्रदर्शन की 'मौजूदा स्थिति' को देखते हुए अगले महीने होने वाली प्रतियोगिता को निलंबित कर रहे हैं। हांगकांग टेनिस संघ ने एक बयान में कहा कि अपने हितधारकों से लंबी चर्चा के बाद हम इस नजीते पर पहुंचे हैं कि टूर्नामेंट को बाद में कराना सही रहेगा। हांगकांग ओपन का आयोजन पांच से 13 अक्तूबर तक होना था। इस टूर्नामेंट में वीनस विलियम्स, एंजेलिक कर्बर और कैरोलिन वोज्नियाकी सहित कई शीर्ष खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसका आयोजन विक्टोरिया पार्क में होता है जो विरोध प्रदर्शन के केंद्र के पास है। हांगकांग में पिछले 14 सप्ताह से लाखों लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन उस विवादास्पद विधेयक को लेकर हो रहा था जिसमें जरूरत पड़ने पर हांगकांग के किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण कर चीन भेजने का प्रावधान था।

लाहिड़ी और अटवाल ने की अच्छी शुरुआत

वाइट सल्फर स्प्रिंग्स (अमेरिका), 13 सितंबर (भाषा)।

भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी और अर्जुन अटवाल ने पीजीए टूर 2019-20 सत्र के 'ए मिलिटर ट्रिब्यूट एट द ग्रीनब्रायर' टूर्नामेंट के पहले दौर में अच्छी शुरुआत की। लाहिड़ी ने तीन अंडर 67 का कार्ड खेला जिससे वह संयुक्त रूप से 32वें स्थान पर बने हुए हैं। वहीं अटवाल ने चार बर्डी और दो बोगी से दो अंडर 68 का कार्ड खेला और वह संयुक्त रूप से 53वें स्थान पर चल रहे हैं। रोबी शेल्टन 62 के कार्ड से बढ़त बनाए हुए हैं।

विश्व चैंपियनशिप आज से

बजरंग-विनेश के प्रदर्शन पर निगाहें

नूर-सुल्तान (कजाखस्तान), 13 सितंबर (भाषा)।

ओलंपिक से पहले विश्व चैंपियनशिप में भारत के शीर्ष पहलवानों की असली परीक्षा होगी। इसमें वे प्रतिष्ठा की ही नहीं बल्कि तोक्यो ओलंपिक क्वालीफिकेशन की भी उम्मीद लगाए हुए होंगे। विश्व चैंपियनशिप से पहले बजरंग पूनिया और विनेश फोगट का प्रदर्शन शानदार रहा है। वहीं दिव्या काकरान भी कुछ अच्छे नतीजों से आत्मविश्वास से भरी होंगी।

बजरंग ने इस सत्र की सभी चार प्रतिस्पर्धाओं - डैन कोलोव, एशियाई चैंपियनशिप अली अलीव और यासर डोगू - में जीत दर्ज की। वह विश्व चैंपियनशिप के 65 किग्रा वर्ग में दुनिया के नंबर एक और शीर्ष वरीय पहलवान के तौर पर मैट में उतरेंगे। विनेश ने नए वजन वर्ग से सत्र की शुरुआत की जिसमें उन्होंने 50 से 53 किग्रा में खेलने का फैसला किया। उन्होंने इस नए वजन वर्ग में सांमजस्य बिठाने के लिए कुछ समय लिया। लेकिन फिर भी वह पांच फाइनल तक पहुंचीं जिसमें उन्होंने तीन स्वर्ण पदक जीते।

विनेश के लिए कौशल संबंधित कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मजबूत प्रतिद्वंद्वी को छह मिनट तक पकड़कर रोके रखना एक बड़ी चुनौती है। इस संबंध में बड़े स्तर की प्रतियोगिता उन्हें इसका आकलन करने में मदद करेगी क्योंकि इस पहलवान की निगाहें पहले विश्व पदक पर लगी हैं। पिछले साल कोहनी की चोट के कारण उन्हें बुडापेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। विश्व चैंपियनशिप में भारत की किसी महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है और विनेश के पास भारत के सूखे को समाप्त करने का मौका होगा।

वहीं बजरंग अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। उनके लिए एक चीज परेशानी का कारण बन सकती है और वो है उनका कमजोर 'लेग डिफेंस'। इससे उनके लिए निश्चित रूप से यह कड़ी परीक्षा होगी। सिर्फ सुशील कुमार ने कुश्ती के इतिहास में भारत को पुरुष फ्रीस्टाइल में विश्व खिताब दिलाया है और अब बजरंग दूसरे पदक के लिए भारत के इंतजार को खत्म करने के लिए बेताब होंगे।

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं और आठ साल बाद विश्व चैंपियनशिप में वापसी कर रहे हैं। 74 किग्रा में उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें लगी होंगी क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके प्रदर्शन पर चर्चा हो रही है। सुशील की तरह ही रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूझ रही हैं। उन्होंने 2017 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जीतने के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है।

दिव्या काकरान में काफी स्फूर्ती है और वह अपने मुकाबलों में अडिग रहती हैं। उन्होंने इस सत्र में दो स्वर्ण और इतने ही कांस्य पदक जीते हैं। पूजा ढांडा पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली केवल चौथी भारतीय महिला पहलवान बनीं। वह 57 किग्रा में स्थान पक्का नहीं कर सकीं जो ओलंपिक वर्ग है। लेकिन अब वह 59 किग्रा में दूसरा पदक हासिल करना चाहेंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रायल्स में पूजा को चौंकाने वाली सरिता मोर कैसा प्रदर्शन करती हैं।

पुरुष फ्रीस्टाइल पहलवानों में दीपक पूनिया कुछ उलटफेर करने में सक्षम हैं। वह 18 साल की उम्र में भारत के पहले जूनियर विश्व चैंपियन बनने के बाद यहां पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रायल में अपने सीनियर पहलवानों को पछाड़ा।

(पुरुष फ्रीस्टाइल): रवि कुमार (57 किग्रा), राहुल अवारे (61 किग्रा), बजरंग पूनिया (65 किग्रा), करण (70 किग्रा), सुशील कुमार (74 किग्रा), जितेंदर (79 किग्रा), दीपक पूनिया (86 किग्रा), परवीन (92 किग्रा), मौसम खत्री (97 किग्रा) और सुमित मलिक (125 किग्रा)।

(पुरुष ग्रीको रोमन): मंजीत (55 किग्रा), मनीष (60 किग्रा), सागर (63 किग्रा), मनीष (67 किग्रा), योगेश (72 किग्रा), गुरप्रीत सिंह (77 किग्रा), हरप्रीत सिंह (82 किग्रा), सुनील कुमार (87 किग्रा), रवि (97 किग्रा) और नवीन (130 किग्रा)।

(महिला फ्रीस्टाइल): सीमा (50 किग्रा), विनेश फोगाट (53 किग्रा), ललिता (55 किग्रा), सरिता (57 किग्रा), पूजा ढांडा (59 किग्रा), साक्षी मलिक (62 किग्रा), नवजोत कौर (65 किग्रा), दिव्या काकरान (68 किग्रा), कोमल गोले (72 किग्रा) और किरण (76 किग्रा)।

विनेश ने नए वजन वर्ग से सत्र की शुरुआत की जिसमें उन्होंने 50 से 53 किग्रा में खेलने का फैसला किया। वह पांच फाइनल तक पहुंचीं जिसमें उन्होंने तीन स्वर्ण पदक जीते।

बजरंग ने इस सत्र की सभी चार प्रतिस्पर्धाओं - डैन कोलोव, एशियाई चैंपियनशिप अली अलीव और यासर डोगू - में जीत दर्ज की। वह विश्व चैंपियनशिप के 65 किग्रा वर्ग में दुनिया के नंबर एक और शीर्ष वरीय पहलवान के तौर पर मैट में उतरेंगे।

सीओए निर्देशों का पालन करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने शुक्रवार को प्रशासकों की समिति (सीओए) के संवैधानिक संशोधन के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। इससे 28 सितंबर को राज्य चुनावों से पहले केवल चार संघ ही बचे हैं जो उसके अनुरूप नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त सीओए ने पिछले हफ्ते राज्य चुनाव कराने की समय सीमा दो हफ्तों के लिए बढ़ा दी थी। उसने राज्य इकाइयों को 12 सितंबर तक उसके अनुरूप बनने की चेतावनी जारी की थी।

राज्य चुनावों के बाद बीसीसीआइ के चुनाव 22 अक्तूबर को होने हैं। संवैधानिक संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति द्वारा सुझाए गए प्रशासनिक सुधारों के संबंध में हैं। सीओए प्रमुख विनोद राय ने बैठक के बाद कहा कि काफी संघों ने स्पष्टीकरण मांगे और उन्हें ये मुहैया करा दिए गए। छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हमारे पास आए और उनकी चिंताओं का निवारण कर दिया गया।

पिछले हफ्ते तक 38 राज्य संघों में से सात उनके अनुरूप नहीं थी। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बोर्ड में आने से निर्देशों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों की संख्या घटकर चार हो गई है जिसमें हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। राय ने कहा कि हरियाणा और तमिलनाडु में से कोई भी हमारे पास नहीं आया।

विश्व चैंपियनशिप की सूची में हिमा का नाम नहीं

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) ने आइएएएफ को खिलाड़ियों की जो प्रारंभिक सूची भेजी है उसमें विश्व जूनियर चैंपियन हिमा दास का नाम नहीं है। इससे उनके विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं।

एएफआइ के पास इस सूची में उनका नाम शामिल करवाने के लिए अभी 16 सितंबर तक का समय है। एएफआइ ने चार गुणा 400 रिले और चार गुणा 400 मिश्रित रिले के लिए नौ सितंबर को हिमा सहित सात महिला धावकों के नामों की घोषणा की थी। इन खेलों का आयोजन दोहा में 27 सितंबर से छह अक्तूबर तक होना है। यह पता चला है कि एएफआइ ने आइएएएफ को महिला एथलीटों की जो सूची भेजी है उसमें हिमा का नाम नहीं है। इस सूची में चार गुणा 400 मीटर महिला रिले दौड़ के लिए विस्मया वीके, पूवम्मा एमआर, जिस्ना मैथ्यू, रेवती वी, शुभा वेंकटेशन, विद्या आर का नाम है जबकि हिमा को जगह नहीं मिली है। उन्नीस साल की असम की इस खिलाड़ी का नाम मिश्रित रिले टीम में भी नहीं है। मोहम्मद अनस, निर्मल नोह टोम, और अमोज जैकब के साथ इसमें जिस्ना, पूवम्मा और विस्मया को जगह दी गई है। एएफआइ के पास इन दोनों रिले टीमें में हिमा का नाम जोड़ने के लिए 16 सितंबर की मध्यरात्रि तक का समय है लेकिन इसके लिए सूची से किसी धावक को हटना होगा। आइएएएफ रिले दौड़ के लिए केवल छह नामों को भेजने की अनुमति देता है लेकिन एएफआइ ने सात महिलाओं के नाम दिए थे। शुरुआती सूची में हिमा का नाम नहीं होने से प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी पर सवालिया निशान लग गया है क्योंकि वह पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप के बाद पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित हैं। वह अप्रैल के मध्य में दोहा में एशियाई चैंपियनशिप के दौरान व्यक्तिगत 400 मीटर की दौड़ से बाहर हो गई थीं। उस समय टीम के सहायक कोच राधाकृष्ण नायर ने कहा था कि हिमा के पीठ का निचला हिस्सा चोटिल है। विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के लिए यूरोप में चल रहे मौजूदा प्रशिक्षण कार्यकम के दौरान भी उन्होंने सिर्फ एक बार 400 मीटर की दौड़ लगाई है क्योंकि लंबी दूरी की दौड़ में उन्हें दर्द महसूस हो रहा है।

अंडर-15 पहलवान डोप परीक्षण में विफल रहने के बाद निलंबित

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी नाडा ने बताया कि अंडर-15 वर्ग के एक पहलवान ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया है।

नाडा ने हालांकि अगस्त में हुई इस घटना में शामिल पहलवान के नाम या लिंग की जानकारी दिए बिना कहा कि उसका नमूना राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान लिया गया था। इस पहलवान को 29 अगस्त से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। कम उम्र के खिलाड़ी द्वारा डोपिंग किए जाने का यह हाल के दिनों में दूसरा मामला है। सात महीने पहले 16 साल के टेनिस खिलाड़ी आर्यन भाटिया को प्रतिबंधित समान के सेवन का दोषी पाया गया था। उन्हें हालांकि नाडा की डोपिंग रोधी अनुशासन समिति ने जून में चेतावनी देकर छोड़ दिया था। नाडा ने बताया कि महाराष्ट्र में हुए राज्य स्तरीय ट्रैक एवं फील्ड में चार खिलाड़ियों को डोपिंग के मामले में पाजीटिव पाया गया।

आर्चर ने आस्ट्रेलिया को सस्ते में समेटा

69 रन की बढ़त हासिल पहली पारी में इंग्लैंड को 700 रन स्टीव स्मिथ ने 80 रन बनाने के साथ साथ एशेज शृंखला में 700 रन भी पूरे किए

लंदन, 13 सितंबर (भाषा)।

जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने पांचवें और आखिरी एशेज टैस्ट में आस्ट्रेलिया पर पहली पारी के आधार पर 69 रन की बढ़त बना ली है। मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को चाय के बाद मेहमान टीम 225 रन पर सिमट गई। आर्चर ने 62 रन देकर छह विकेट लिए। खेल समाप्त होने तक मेजबान टीम बिना विकेट खोए नौ रन बना लिए थे। इंग्लैंड को अब तक 78 रन की बढ़त हासिल हो गई है।

इससे पहले स्टीव स्मिथ एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाने के साथ साथ एशेज शृंखला में 700 रन भी पूरे किए। उन्होंने आस्ट्रेलिया को संकट से निकालकर दूसरे दिन चाय तक चार विकेट पर 147 रन तक पहुंचा दिया। चाय के समय स्मिथ 59 और मिशेल मार्श 12 रन बनाकर खेल रहे थे। स्मिथ जब क्रीज पर आए, तब आस्ट्रेलिया का स्कोर दो विकेट पर 14 रन था। इंग्लैंड के 294 रन के जवाब में आस्ट्रेलिया की शुरूआत काफी खराब रही जब जोफ्रा आर्चर ने डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस को आउट कर दिया था। गेंद से छेड़खानी विवाद के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलकर लौटे स्मिथ इस शृंखला में शानदार फार्म में हैं। उन्होंने एशेज में लगातार दसवां अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले इंग्लैंड अपने वीरवार के स्कोर में 23 रन और जोड़ सका और 294 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। जोस बटलर को पैट कमिंस ने 70 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया जबकि जैक लीच ने 21 रन बनाए और वह आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। मिशेल मार्श ने 46 रन देकर पांच विकेट दिए जबकि कमिंस ने तीन विकेट लिए। पिछले 18 साल में इंग्लैंड में पहली एशेज शृंखला जीतने के इरादे से आई आस्ट्रेलियाई टीम को दूसरे ओवर में झटका लगा जब जोफ्रा आर्चर की गेंद पर डेविड वार्नर ने विकेटकीपर जानी बेयरस्टा को कैच थमा दिया। वार्नर को शुरू में नाट आउट करार दिया गया लेकिन इंग्लैंड ने रिव्यू लिया था जिसमें फैसला बदल दिया गया।

जोफ्रा आर्चर ने 62 रन देकर कंगारुओं के छह बल्लेबाजों को आउट किया।

इंग्लैंड दौरे पर रानी होंगी भारतीय टीम की कप्तान

- शृंखला 27 सितंबर से चार अक्तूबर तक खेली जाएगी और गोलकीपर सविता उप कप्तान होंगी।
- जापान में ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता में टीम की जीत के बाद सविता और रजनी इतिमारपू ने टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है।

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

स्टार फॉरवर्ड रानी रामपाल को शुक्रवार को 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया जो 27 सितंबर से मारलो में शुरू हो रही पांच मैचों की शृंखला में इंग्लैंड से भिड़ेगी। शृंखला 27 सितंबर से चार अक्तूबर तक खेली जाएगी और गोलकीपर सविता उप कप्तान होंगी। हाल में जापान में ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता में टीम की जीत के बाद सविता और रजनी इतिमारपू ने टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है।

डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का, गुरजीत कौर, रीना खोखर और सलीमा टेटे को भी टीम में रखा गया है। हॉकी इंडिया ने बयान में कहा कि मिडफील्ड में अनुभवी नमिता टोप्पो की वापसी हुई है जो चोट के कारण बाहर थीं। भारतीय मिडफील्ड में अनुभवी खिलाड़ी सुशीला चानू पुखराम्बाम, निक्की प्रधान, मोनिका, नेहा गोयल और लिलिमा मिंज शामिल हैं।

मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने कहा कि हमारी टीम में खिलाड़ियों का संतुलन पिछले टूर्नामेंट की तरह ही है क्योंकि हम तोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालीफाई करने के अहम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि दौरे से टीम को ओड़ीशा में होने वाले एफआइएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में अमेरिका से भिड़ने की तैयारी में मदद मिलेगी।

भारतीय टीम : गोलकीपर : सविता (उप कप्तान), रजनी इतिमारपू, डिफेंडर : दीप ग्रेस एक्का, गुरजीत कौर, रीना खोखर, सलीमा टेटे, मिडफील्डर : सुशीला चानू पुखराम्बाम, निक्की प्रधान, मोनिका, नेहा गोयल, लिलिमा मिंज, नमिता टोप्पो, फॉरवर्ड : रानी (कप्तान), वंदना कटारिया, नवनीत कौर, लालरेमसियामी, नवजोत कौर, शर्मिला देवी।

पाक टी-20, वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे सरफराज

कराची, 13 सितंबर (भाषा)।

विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद को श्रीलंका के खिलाफ आगामी शृंखला के लिए पाकिस्तान की वनडे और टी-20 टीमों का कप्तान बरकरार रखा गया है।

पाकिस्तान के नए मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हक ने लाहौर में मीडिया से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरफराज के साथ मिलकर वह टीम को कामयाबी की राह पर ले जाएंगे। मिसबाह ने बताया कि दोनों प्रारूप में बाबर जमां टीम के उपकप्तान होंगे। यह पूछने पर कि सरफराज को सिर्फ इसी शृंखला के लिए या लंबे समय के लिए कप्तान बनाया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा कि इसके इतर मायने निकालने या अटकलबाजी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, टीम के पास नया प्रबंधन है और हम सही संतुलन बनाने की दिशा में है।

कृत्रिम हिमपात का किया जा रहा परीक्षण | **तोक्यो** | **जुलाई में जापान में रहती है प्रचंड गर्मी**

ओलंपिक के दौरान लू की समस्या सबसे बड़ा खतरा

तोक्यो, 13 सितंबर (भाषा)।

जापान के एक शीर्ष चिकित्सक ने गर्मी के मौसम में ओलंपिक को आयोजित करने की आलोचना करते हुए कहा कि इन खेलों के दौरान लू लगने की समस्या सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। जापान चिकित्सा संघ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य किमियुकि नागाशिमा ने कहा कि ओलंपिक खेलों में बड़ी संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति होगी जिससे गर्मी के प्रकोप झेलने वाले स्थानीय लोगों पर भी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने का खतरा रहेगा।

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि खेल स्पर्धाओं का आयोजन आरामदायक मौसम में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ व्यापार और आर्थिक मुद्दे को देखते हुए इसका आयोजन गलत मौसम में गलत जगह होना चाहिए। चिकित्सा संघ में खेल गतिविधियों को देखने वाले एक चिकित्सक ने बताया कि तोक्यो में गर्मी के मौसम में उसम ज्यादा होती है और ऐसे में खुले में खेले जाने वाले खेलों और दर्शकों के लिए स्थिति सही नहीं रहती।

उन्होंने कहा कि जापान में गर्मी में सिर्फ तापमान ज्यादा नहीं रहता बल्कि उमस भी बहुत अधिक होती है। ऐसे में दूसरे देशों की तुलना में यहां बीमार होने की संभावना अधिक होती है। पिछले साल गर्मी के कारण जापान में 93,000 लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सेवा का सहारा लेना पड़ा था जिसमें 159 की मौत हो गई थी। गर्मी से बचने के लिए 1964 के ओलंपिक खेलों का आयोजन अक्तूबर में किया गया था। हालांकि उसने बोली प्रक्रिया के दौरान अपने दस्तावेज में 2020 ओलंपिक के लिए 24 जुलाई से नौ अगस्त तक के मौसम को खिलाड़ियों के लिए आदर्श बताया था।

तापमान नियंत्रण के लिए कृत्रिम हिमपात का ट्रायल : अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान तापमान को नियंत्रित करने के लिए तोक्यो में कृत्रिम बर्फबारी का सहारा लिया जा सकता है। शुक्रवार को इसका ट्रायल किया गया। इस ट्रायल को नौकायन टेस्ट स्पर्धा के दौरान किया गया जहां तोक्यो 2020 कर्मचारियों पर हिमपात कराया गया।

आयोजन समिति के सदस्य ताका ओकामुरा ने कहा कि हम गर्मी से होने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यह पूरे वातावरण को ठंडा करने के लिए नहीं हो रहा लेकिन जब बर्फ की फुहारें दर्शकों को छुएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। इन खेलों की तैयारियों के लिए तोक्यो 2020 के आयोजकों की काफी प्रशंसा हुई है।

निर्माण कार्य तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा है। आइओसी के अध्यक्ष थामस बाक ने कहा कहा है कि उद्घाटन समारोह में एक साल से भी कम समय बचा है लेकिन तोक्यो सबसे अच्छा मेजबान बनने को तैयार है। आयोजकों के लिए हालांकि प्रचंड गर्मी सिरदर्द की तरह साबित हो रही है और अगर खेलों के दौरान ऐसी गर्मी रही तो खिलाड़ियों, स्वयंसेवकों और दर्शकों के लिए यह परेशानी का सबब होगा।

जापान चिकित्सा संघ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य किमियुकि नागाशिमा ने कहा कि ओलंपिक खेलों में बड़ी संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति होगी जिससे गर्मी के प्रकोप झेलने वाले स्थानीय लोगों पर भी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने का खतरा रहेगा।

TOKYO 2020

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि खेल स्पर्धाओं का आयोजन आरामदायक मौसम में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ व्यापार और आर्थिक मुद्दे को देखते हुए इसका आयोजन गलत मौसम में गलत जगह होना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 300, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।